लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 17 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVII, contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : चार रुपये

Price Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 15, शुक्रवार, 4 अगस्त, 1978/13 श्रावण, 1900 (शक)

No 15, *Friday, August* 4, 1978/*Sravana* 13, 1900 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 283, 284 और 287	Starred Questions Nos. 283, 284 and 287	1—5
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 285, 286, 288 से 293, 295 से 297 और 299 से 303	Starred Questions Nos. 285,286, 288, to 293, 295 to 297 and 299 to 303	6- 16
अतारांकित प्रश्न संख्या 2739 से 2765, 2767 से 2770, 2772 और 2830 और 2832 से 2938	Unstarred Questions Nos. 2739 to 2765, 2767 to 2770, 2772 to 2830 and 2832 to 2938	16—142
भूतपूर्व गृहमंत्री तथा प्रधान मंत्री के बीच हुए पत्र व्यवहार को सदन के सभा पटल पर रखने के बारे में विनिर्णय	Ruling on the Demand for Laying on the Table of the Correspondence between Former Home Minister and Prime Minister	142—145
सभा पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	146—149
लोक लेखा समिति के बारे वक्तव्य	Statement of Public Accounts Committee	
राज्य सभा का संदेश	Message from Rajya Sabha	150
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	150—156
रोहतक मेडिकल कालेज के छात्रों को हथकड़ी पहनाये जाने का समाचार	Reported hand-cuffing of students of Medical College, Rohtak	
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	150
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	Shri Jagdambi Prasad Yadav	152
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	154
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	154
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	Shri Y. P. Shastri	156
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	156
श्री बी० राचैया	Shri B. Rachaiah	156
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House	157—158
7वां प्रतिवेदन	Seventh Report presented.	
सभा का कार्य	Business of the House	
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	157
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	159
21वां प्रतिवेदन	Twenty-first Report adopted.	

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377—	159—160
(एक) जम्मू कश्मीर स्थित बसोहली स्थान पर एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता डा० कर्ण सिंह	(i) Need for setting up a Cement Plant at Basohli, Jammu and Kashmir. Dr. Karan Singh	159
(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा केवल टीकमगढ़ के निवासियों को भर्ती करने का समाचार श्री लक्ष्मीनारायण नायक	(ii) Reported employing of residents of Teekamgarh only by BHEL— Shri Laxmi Narain Nayak	159
(तीन) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर द्वारा गन्धक के तेज़ाब की बिक्री श्री भानू कुमार शास्त्री	(iii) Sale of sulphuric acid by Hindustan Zinc Ltd., Udaipur Shri Bhanu Kumar Shastri	160
विधेयक—पुर:स्थापित	Bills Introduced—	160—163
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 23क, 23ख और 23ग का अन्त:स्थापन) श्री उग्रसेन द्वारा	(1) Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new articles 23A, 23B and 23C) by Shri Ugrasen	160
(2) भारतीय ट्रस्टीशिप विधेयक श्री उग्रसेन द्वारा	(2) Indian Trusteeship Bill by Shri Ugrasen	160
(3) सिविल प्रक्रिया तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक श्री मनोहर लाल द्वारा	(3) Codes of Civil and Criminal Procedure (Amendment) Bill by Shri Manohar Lal	160
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन) श्री के० लकप्पा द्वारा	(4) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Schedule) by Shri K. Lakkappa	161
(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1978 (धारा 2, आदि का संशोधन) श्री बलदेव सिंह जसरोटिया द्वारा	(5) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill (Amendment of Section 2, etc.) by Shri Baldev Singh Jasrotia	161
(6) मृत्यु दण्ड उत्सादन विधेयक डा० रामजी सिंह द्वारा	(6) Abolition of Death Penalty Bill by Dr. Ramji Singh	161
(7) संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1978 (धारा 8क का संशोधन) श्री विनायक प्रसाद यादव द्वारा	(7) Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill (Amendment of section 8A) by Shri Vinayak Prasad Yadav	162
(8) भेषज (संशोधन) विधेयक, 1978 (धारा 2, आदि का संशोधन) डा० वसंत कुमार पंडित द्वारा	(8) Pharmacy (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.) by Dr. Vasant Kumar Pandit	162

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
(9) स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 1978	(9) Gold (Control) Repeal Bill by	
श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा	Shri Kanwar Lal Gupta	162
(10) आपात न्यायालय विधेयक, 1978	(10) Emergency Courts Bill by	163
श्री आर० जेठमलानी द्वारा	Shri Ram Jethmalani	
संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 51 का संशोधन) श्री हरि विष्णु कामत द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 51) by Shri Hari Vishnu Kamath	163
संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 23क, 23ख और 23ग का अन्तःस्थापन) श्री वाई० पी० शास्त्री द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new articles 23A, 23B and 23C) by Shri Y. P. Shastri	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	163
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	164
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	166
श्री एडुआर्डो फैलीरो	Shri Eduardo Faleiro	166
श्री शरद यादव	Shri Sharad Yadav	167
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun	167
श्री राम नरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha	168
श्री बृजभूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	168
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	168
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	168
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	169
आधें घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	171—174
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Indo-US Sub-Commission on Education and Culture Prof. P. G. Mavalankar	171
शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी भारत और अमरीका उप-आयोग		
डा० प्रताप चन्द्र चन्द	Dr. Pratap Chander Chunder	173
श्री युवराज	Shri Yuvraj	174
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	174
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	175—180
पुनर्वास विभाग को बन्द करने का निर्णय	Decision to close down Rehabilitation Department	
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	175
श्री सिकन्दर बख्त	Shri Sikandar Bakht	175
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	178
प्रो० दलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty	179

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 4 अगस्त, 1978/13 श्रावण, 1900 (शक)

Friday, August 4, 1978/Sravana 13, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आयकर के लिए छापे

*283. **श्री सौगत राय:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष में देश में सर्वप्रथम बीस व्यापार गृहों पर नियंत्रण रखने वाले परिवारों के सदस्यों पर आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले एक वर्ष में आयकर विभाग ने, देश के शीर्षस्थ 20 बड़े औद्योगिक समूहों को नियंत्रित करने वाले परिवारों के किसी भी सदस्य के परिसरों की तलाशी नहीं ली।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री सौगत राय: मंत्री महोदय ने अपने वकतव्य में बड़ी मजेदार बात कही है कि पिछले एक वर्ष में बिड़ला, टाटा, डालमिया, बांगुर, गोयनका, जैपुरिया, चौगुल बन्धुओं के यहां काले धन के लिए तलाशी नहीं ली गई पर इस समय मैं केवल आय कर के बारे मे मारे गए छापों के सम्बन्ध में पूछूंगा। सरकारी आकड़ों के अनुसार भी आयकर छापों में भारी कमी हुई है। लगता है सरकार ने आयकर कर के लिए छापे मारना बन्द कर दिया है।

गत वर्ष केवल 354 छापे मारे गए जबकि 1976-77 में 2,095 और 1975-76 में 1368 छापे मारे गए थे। गत वर्ष 79 लाख रुपए की आस्तियां पकड़ीं गई । इससे पहले के दो वर्षों में यह राशि क्रमशः 19.59 करोड़ रुपए और 17.17 करोड़ रुपए थी। 1977-78 में 15.38 करोड़ रुपए के आयकर और 7.28 करोड़ रुपए के सम्पत्ति कर की चोरी पकड़ी गई। इस से लगता है सरकार टाटा, बिड़ला, बन्धुओं, आदि को आयकर की तलाशियां लेकर तंग नहीं करना चाहती।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उसने आयकर की वसूली के लिए छापे मारना छोड़ दिया है?

श्री एच० एम० पटेल : यह छोड़ा नहीं गया है। तलाशिया आयकर अधिनियम की की धारा 132 के अन्तर्गत ली जाती है। और तभी ली जा सकती है जब विभाग को यह जानकारी हो जाए कि सम्बन्धित व्यक्ति के पास आपेक्षित आय है अथवा उसने समन जारी किए जाने पर लेखे सम्बन्धी कागजात नहीं भेजे हैं। यदि इसकी संतोषजनक जानकारी नहीं है तो तलाशी लेना उचित नहीं है। उचित और पर्याप्त औचित्य होने पर ही तलाशी लेने और जब्त करने के अनुदेश हैं । मात्र इसलिए कि 20 गृह बड़े गृह हैं इसलिए उनकी तलाशी लेना तर्क संगत नहीं। जब तक हमारें पास समुचित जानकारी न हो तब तक इस प्रकार तलाशी लेने के पक्ष में यह सरकार नहीं है । समुचित जानकारी होने पर तलाशी ली ही जाएगी और यही हमारी नीति है।

श्री सौगत राय : मैं मंत्री महोदय की इस गलतफहमी को दूर करते हुए यह बताना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न पारिवारिक कम्पनियों अर्थात् एकाधिकार गृहों से सम्बन्धित है । परन्तु यदि वे इसमें सरकारी उपक्रमों को शामिल करते हैं तो उनकी यह बात निरर्थक है।

उनके वकतव्य से स्पष्ट है, कि आय-कर सम्बन्धी छापों में कमी हुई है । उनकी अपनी पार्टी के सदयों ने ही सदन में 25 फरवरी, 1978 को कहा था कि आयकर अपराधियों पर कोई मुकदमा नही चलाया जा रहा है । बिड़ला बन्धुओं की अनेकों कम्पनियों के मामले की जांच की गई परन्तु किसी प्रकार की वसूली नहीं हुई। बाजोरियों समूह पर भी 10 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हाल ही में आय-कर विभाग में जो परिवर्तन किए गए हैं वे क्या उन बड़े-बड़े व्यापारियों को बचाने के लिए नहीं किए गए हैं, जिन पर कर की चोरी के सीधे मामले चल रहे हैं? इन लोगों में बिड़ला, बाजोरियां और जालान समूह शामिल है। क्या मंत्री महोदय का सरकार को यह प्रस्ताव करने का विचार है कि बिडला, बाजोरिया और जालान जैसे आयकर बचाने के दोषी लोगों की तलाशी फिर से लेंगे जिससे काले धन का पता लगाया जा सके।

श्री एच० एम० पटेल : परिवारों के घरों की तलाशी लेकर आप क्या पता करना चाहते हैं? क्या आप यह समझते हैं कि इतना शोरशराबा होने पर वे लोग अपने घरों में वह सब रखेंगे तलाशी के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी होना चाहिए । क्या तलाशी लेने से काला धन प्रकाश में आ जाएगा ? ऐसा सोचना बड़ा बचकाना है। हमने तलाशी की नीति को छोड़ा नहीं है। जहां तक कहीं भी इसका औचित्य होगा वह

की जाएगी (**व्यवधान**) आय-कर विभाग में किए गए परिवर्तनों का सम्बन्ध इस प्रश्न से कैसे है यह समझ में नहीं आता। अधिकारियों का नाम लेना सर्वथा गलत है।

प्रो० आर० के० अमीन : 1975-76 और 1976-77 में 1977-78 की अपेक्षा कहीं अधिक छापे मारे गए। क्या ऐसा इस कारण है कि अब काला धन कम हो गया है या अब राजनीतिक विदेश कम हो गया है? छापे मारे जाएं या नहीं इसके लिए क्या दिशा निर्देश निश्चित की गई है।

श्री एच० एम० पटेल : छापे किसी भी प्रकार राजनीतिक बदले की भावना से नहीं मारे गए हैं। यदि कहीं काले धन का पता चलता है तो हम निश्चित ही छापा मारते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : तलाशी लेने का आधार क्या है? क्योंकि कभी-कभी बिना किसी आधार के ऐसा किया जाता है। कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री अर्स के फार्म के मकान की तलाशी ली गई, इतना ही नहीं उनके खेतों तक को खोदा गया। यह राजनीतिक भावना से बदला लेने के लिए किया गया था।

बुरी भावना से छापे मारने पर सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने जा रहीं है। क्या सरकार स्वयं प्रकट करने की योजना फिर से चालू करने जा रही है। (**व्यवधान**)

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक मेरी जानकारी है आयकर अधिकारियों ने श्री अर्स के घर पर की तलाशी नहीं ली। वे यों ही किसी के घर की तलाशी नहीं लेते।

**(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में शामिल न किया जाए।

श्री समर गुह : क्या इन 20 परिवारों ने आय कर पूरा-पूरा अदा कर दिया है, यदि नहीं, तो उन पर कितनी राशि बकाया है?

श्री एच० एम० पटेल : ये बीस परिवार अपना आय कर नियमित रूप से ही देते हैं। हो सकता है किसी निश्चित समय पर उन पर कुछ आय कर बकाया हो। इनमें से कुछ राशि विवाद ग्रस्त हो सकती है। इसे बकाया कहा जा सकता है।

पर्यटन विभाग में विशिष्ट ढांचे के गठन में बारे में राष्ट्रमण्डल सचिवालय के अध्ययन प्रतिवेदन की सिफारिशें

284. **श्रीमती पार्वती देवी**
श्री उग्रसेन } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमंडली सचिवालय द्वारा कराए एक अध्ययन में पर्यटन यातायात की सभावनाओं के उपयोग के लिए पर्यटन विभाग में एक विशिष्ट ढांचे के गठन के लिए कुछ सिफारिशे की गई हैं;

**कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया। Not recorded.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

SHRIMATI PARVATI DEVI : Hon. Minister had said that they have not asked to create a cell. A, therefore, want to know whether any of the suggestions were also given and the action taken on the suggestions regarding facilities to tourists ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : Central Tourism Department did not request the Commonwealth Secretariat for conducting survey there. But Department of Economic Affairs, Ministry of Finance conducted a survey on the request of the Government of Kashmir and they have sent some recommendations. But this Committee did not said any recommendations to Tourism Department. There were certain recommendations regarding the administrative set up of Kashmir. They are lying with the Government of Kashmir and so for they have not sent their comments. As such we cannot say anything about them at present.

SHRIMATI PARVATI DEVI : May I know whether a large number of tourists come to Laddakh from Commonwealth countries ? What arrangements are being made for their facilities by the Central Government ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : I have already answered regarding the action taken on the recommendations of Commonwealth Secretariat.

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी है तो आप उसे दे सकते है।

SHRI UGRA SEN : The answer of the Minister shows that the Ministry is concealing some secrets. Hon. Minister has just now said that certain recommendations were made the study group set up by Kashmir Government, but nothing has been informed to us about them. The foreign tourists have to face certain difficulties while visits different places of pilgrimage. I want to know the suggestions given by him so as to bring revolutionary changes in the old set for giving facilities to the foreign tourists at religious centres during the sixth Five Year Plan ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है क्योंकि कई भी सरकार ने कागजात नहीं भेजे हैं।

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : It is not possible to answer a question without prior notice. We have not received any report regarding the survey done in Kashmir. After this question of Hon. Member we received a report in which 22 recommendations were made. I do not want to make any comment on this unless and until we know the reaction of the Kashmir Government. regarding them.

SHRI UGRA SEN : Please tell us the recommendations made.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : I may tell him the main recommendations. One of them was that in addition to Srinagar, Pahalgaon and Gulmarg; Ladakh and Leh should also be included in traditional tourist attractions centres. The second recommendation was that the season of tourism in Kashmir should be increased from 6 months to 9 months. Thirdly, we had said that an air service may be started from Srinagar to Leh for the tourists. Fourthly, he had suggested control on the prices of those things which are generally purchased by the foreign tourists. Another suggestion was that lakes, rivers, tanks and the city should remain clean. There is need to develop information centres to expedite the transmission and publishing of news regarding tourism so that these may be sent to foreign countries as early as possible.

SHRI SOMJI BHAI DAMOR : Sir, I have recently visited Kashmir and have found that the situation has remained the same. No new trees have been planted along the highways. The taxi-drivers and scooterists as well as shopkeepers fleece the tourists as usual.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो इससे बिल्कुल अलग है।

CHAUDHURI BALBIR SINGH : May I know if the hon'ble Minister has seen the pamphlets printed for tourists ? They smack of vulgarity. Will wou take steps is stop their printing ? It is written that you will find beauty there. The concerned department should take care that our Indian cultural are not violated.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : It is not correct that India is attracting tourists in a vulgar manner. There can be some scope for improvement in the brochures and there should be mention of our culture and civilization. But I repeat that it is totally incorrect to say that India has been projected in a vulgar manner.

INDUSTRIAL EXHIBITION TO BE HELD IN MOSCOW IN AUGUST, 1978

*287. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether an industrial exhibition is going to be held in Moscow from 1st August, 1978; and

(b) if so, the names of the organisations which have been invited from India to participate therein ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIIVL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Yes, Sir.

(b) All major undertaking interested *inter alia* in exports covering agro-based industries, small scale industries, handicrafts, leather and leather products, textiles, minerals and metals, chemicals and allied products, sports goods and also Atomic Energy Department, Technological Organisations, Banking Institutions etc. in the country were invited to participate in the exhibition. A printed booklet containing the names of participants has been placed in the Parliament Library.

SHRI SUBHASH AHUJA : As stated by the hon'ble Minister, a booklet containing the names of 368 Commercial Organisations has been placed in the Parliament Library but the exhibition has already started and I would like to know from the Minister whether or not all the organisations have taken part in it ?

श्री मोहन धारिया : कुल मिलाकर 250 निर्यात संगठनों ने उसमें भाग लिया है और 20000 वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं ।

SHRI SUBHASH AHUJA : May I know the reasons why the remaining organisation did not take part and the value of goods exhibited by the participating organisations and the amount of assistance provided to them by the Government ?

श्री मोहन धारिया : भाग लेने के इच्छुक संगठनों ने अपने नाम तो लिखाए थे लेकिन उन्हें कुछ कठिनाइयां आ गईं। फिर भी यह मेला सफल रहा है------

SHRI RAM AWADESH SINGH : The Hindi question's reply should be given in Hindi.

SHRI MOHAN DHARIA : If you insist as Hindi reply then I will not reply it in Hindi. If you leave it to me then I shall reply in Hindi.

SHRI RAM AWADESH SINGH : Is insistance a bad thing. You should reply in English to a question which is put up in English.

SHRI ARJUN BHADORIA : How Hindi is being benefited by your reply in English ?

MR. UGRA SEN : Our question is in Hindi and it should be replied in Hindi.

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में निर्णय लिया जा चुका है। मुझे और कुछ नहीं कहना । मंत्री महोदय अपना उत्तर जारी रखें (**व्यवधान**)

तत्पश्चात लोक सभा 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आयकर अधिनियम में परिवर्तनों का प्रभाव

*285. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 35ख में परिवर्तनों के कारण सरकार को वर्ष 1978-79 के लिए कितना अधिक आयकर वसूल होने की आशा है ;

(ख) निर्यात कार्य में संलग्न कितनी व्यापारिक फर्मों ने गत तीन वर्षों के दौरान धारा 35 ख (निर्यात बाजार विकास भत्ता) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किया और कितनी व्यापारिक फर्मों को वर्ष 1978-79 में धारा 35ख के अन्तर्गत इसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा ; और

(ग) क्या निर्यात बाजार विकास भत्ते का लाभ ऐसी व्यापारिक फर्मों को उपलब्ध होगा जो लघु उद्योग क्षेत्र तथा असंगठित कुटीर क्षेत्र और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के उत्पादों का निर्यात कर रही हैं परन्तु व्यापारी होने के नाते स्वयं लघु उद्योगों के रूप में पंजीकृत नहीं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35ख में किए गए संशोधन के परिणाम में वित्तीय वर्ष 1978-79 में 4 करोड़ 70 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

(ख) यह सूचना इस समय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इस सूचना को एकत्रित करने में अनेक कर-निर्धारितियों के कर-निर्धारण रिकार्डों की जांच करनी पड़ेगी।

(ग) जो व्यक्ति किसी अन्य द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है यदि उसे निर्यात गृह के रूप में प्रमाण पत्र मिला हुआ नहीं है तो उसे इस रियायत का लाभ नहीं मिलेगा।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ व्यापार

*286. **श्री रेणुपद दास**
श्री० के प्रधानी } क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे प्रधान मंत्री द्वारा हाल में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की भारत के साथ विशेष रूप से भारत में पूंजीगत उपकरणों के आयात एवं भारत से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को अधिक वस्तुओं के निर्यात के क्षेत्र में अपने सम्बन्धों को व्यापक बनाने के बारे में की गई अपील की प्रतिक्रिया में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) हमारे प्रधान मंत्री की यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की जून में यात्रा के पूर्व व्यापार कितना था ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख) ब्रिटेन/सं० रा० अमरीका जाते समय प्रधान मंत्री की बेल्जियम की यात्रा के दौरान यूरोपीय

समुदाय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापार सम्बन्धों सहित परस्पर हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। भारत की आयात नीति के उदारीकरण के बारे में संकेत दिया गया जिसमें अन्य बातों के साथ साथ मशीनरी के आयात की अधिक सम्भावनाओं की व्यवस्था की जायेगी। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय निर्यातों के, जिनमें मशीन औजार, रेलवे प्रौद्योगिकी और चल स्टाक सहित उपस्कर शामिल हैं, विकास के बारे में स्थिति का भी उल्लेख किया गया। ये चर्चाएं परस्पर व्यापार के विस्तार और विविधीकरण के अधिक विस्तृत सन्दर्भ में की गई। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि भारत और आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार की जो अवधि मार्च, 1979 में समाप्त होने वाली है, उसके नवीकरण के लिये वार्ताएं शीघ्र आरम्भ की जानी चाहिए। यह भी विनिश्चय किया गया कि ब्रुसेल्स और नई दिल्ली में क्रमश: भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उपयुक्त केन्द्र स्थापित किये जाएं।

अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, जो अप्रैल से नवम्बर, 1977 तक की अवधि के लिये उपलब्ध हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भारतीय निर्यात लगभग 932 करोड़ रु० के हुए जब कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय से भारत को आयात लगभग 947 करोड़ रु० के हुए।

कृषि प्रयोजनों के लिए बैंक ऋण का कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा अध्ययन

*288. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्रीमती पार्वती देवी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान दल द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि कृषि प्रयोजनों के लिये बैंक ऋण का 83 प्रतिशत बड़े किसानों को चला जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और अन्य निष्कर्ष क्या है, और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) बड़े किसानों को कृषि के लिए ऋण प्रसार के सम्बध में कृषि विश्व-विद्यालय, कानपुर, के अनुसंधान दल द्वारा दिये गये अध्ययन तथा उसके निष्कर्षों के बारे में, सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

2. अलबत्ता, सदन के पटल पर रखा जाने वाला संलग्न विवरण यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में, 10 एकड़ से अधिक जोत वाले किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋण के खातों की संख्या ऋण में उनके अंश में निरन्तर गिरावट आयी है। इसकी तुलना में 5 एकड़ से कम जोत-वाले किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष सहायता ऋण के खातों की संख्या तथा ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है।

विवरण

	10 एकड़ से अधिक		5 एकड़ से अधिक	
	खातन की संख्या (प्रतिशत)	प्रत्यक्ष ऋण में अंश (प्रतिशत)	खातन की संख्या (प्रतिशत)	प्रत्यक्ष ऋण में अश (प्रतिशत)
सितम्बर, 1975	20.9	69.9	48.8	14.4
सितम्बर, 1977	17.8	58.6	65.9	25.8

आंध्र प्रदेश में नाटू तम्बाकू की बहुतायत

†289. **श्री पी० वेंकटसुब्बया :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नाटू तम्बाकू बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं, जिस से किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) किसानों द्वारा अपना तम्बाकू लाभप्रद मूल्य पर बेचे जाने में उनकी सहायता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में, विशेष रूप से रायलसीमा क्षेत्र में, जिसमें मुख्य रूप से कुरनूल तथा कुड्डापाह जिले शामिल हैं, इस वर्ष नाटू तम्बाकू के देशी उत्पादन के समाचार थे।

सरकार द्वारा समझाये जाने के फलस्वरूप तम्बाकू कम्पनियां अपनी खरीदारियां बढ़ाने के लिए सहमत हुई। ऐसे समाचार हैं कि इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में नाटू तम्बाकू के 70,000 मे० टन के अनुमानित उत्पादन में से 61,000 मे० टन तम्बाकू पहले ही खरीदी जा चुकी है। ऐसी आशा है तम्बाकू कम्पनियों द्वारा 5,000 मे० टन तम्बाकू और खरीद ली जायेगी तथा ऐसी आशा है कि शेष 4,000 मे० टन तम्बाकू आंध्र प्रदेश सहकारी विपणन फेडरेशन द्वारा खरीद ली जायेगी। देशी तम्बाकू, जिसमें नाटू तम्बाकू भी शामिल है, की खरीद के लिए उपजकर्ताओं की सहकारी समितियों अथवा राज्य विपणन फेडरेशनों को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

महर्षि महेश योगी का हेलीकोप्टर जब्त किया जाना

*290. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क अधिकारियों ने अनुभवातीत चिंतन के प्रचारक महर्षि महेश योगी के हेलीकोप्टर को जब्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस हेलीकोप्टर की कीमत क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :

(क) जी, हां सीमाशुल्क विभाग ने 24-5-1978 को पालम हवाई अड्डे पर एक हेलीकोप्टर पकड़ा था, जो महर्षि महेश योगी द्वारा स्थापित महर्षि इन्स्टीट्यूट आफ क्रियेटिव इंटेलिजेंस, नई दिल्ली द्वारा आयात किया गया था। प्रथमत: यह हेलीकोप्टर विदेश से उड़ान लेकर अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 12-5-1977 को उतरा था।

(ख) मूलत: नागर विमानन अधिकारियों ने इस हेलीकोप्टर को कुछ शर्तों के साथ भारत में आने और देश के अंदर उड़ने की इजाजत दी थी। परन्तु बाद में यह पाया गया कि इस हेलीकोप्टर पर सीमा शुल्क तो शायद होना ही था, परन्तु साथ ही इस पर आयात व्यापार नियंत्रण कनून की व्यवस्थायें भी लागू होती थीं। देश में इसके आयात के लिए एक वैध आयात लाइसेंस अथवा सीमा शुल्क निकासी परमिट की आवश्यकता थी।

आयात शुल्क के बारे में स्थिति यह है कि जब भारत में आयात की गयी किसी भी वस्तु पर आयात शुल्क अदा किया जाता है तो जब कभी वह वस्तु वापस देश के बाहर निर्यात की जाती है, तब उसका

मालिक आयात शुल्क के एक अंश की प्रतिअदायगी मांग सकता है। पूरा आयात शुल्क वसूल करके फिर उसके एक अंश की प्रति अदायगी मंजूर कर ने की बजाय, संस्थान के इस निवेदन पर कि हेलीकाप्टर कुछ समय के बाद पुनः निर्यात किया जाएगा, सरकार ने, हेलीकाप्टर के आयात किये जाने के समय देय आयात शुल्क और हेलीकाप्टर के पुनः निर्यात पर मिल सकने वाली प्रतिअदायगी के बीच के अन्तर की रकम वसूल करने की बात मान ली थी। ऐसा इस शर्त पर किया गया था कि वायुयान को एक साल के अन्दर ही फिर से निर्यात कर दिया जायगा। संस्थान को यह भी स्पष्ट किया गया था कि उन्हें आयात-व्यापार नियंत्रण संबंधी जो भी व्यवस्था लागू होती होंगी, उनका पालन करना होगा हेलीकोप्टर के आयात के लिए, सीमाशुल्क निकासी परमिट भी आवश्यक था और ऐसा कोई परमिट पेश नहीं किया गया था, इसलिये सीमाशुल्क कानून के अन्तर्गत हेलीकाप्टर पकड़ लिया गया और मामले का अपर सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा न्याय-निर्णय किया गया है। हेलीकाप्टर की जब्ती के आदेश दे दिये गये हैं। परन्तु, अपर सीमाशुल्क समाहर्ताने एक लाख रुपये के जुर्माने की अदायगी करके हेलीकाप्टर को पुनः देश से निर्यात करने की अनुमति भी दी है। महर्षि इन्स्टीट्यूट आफ क्रियेटिव इंटेलिजेंस पर 26,000/- रुपये का दण्ड भी लगाया गया है।

सीमाशुल्क विभाग ने हेलीकाप्टर का मूल्य 25,17,065/- रुपये निर्धारित किया है।

अमरीका द्वारा सिले सिलाये कपड़ों के आयात में कमी

†201. **श्री लखन लाल कपूर**
श्रीमती मृणाल गोरे } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने सिले सिलाये कपड़ों के आयात में कमी कर दी है ;

(ख) क्या अमरीका द्वारा उक्त आयात में कमी किये जाने का सिले-सिलाये कपड़ों संबंधी रोजगार पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सिले-सिलाये कपड़े तैयार करने वाली बहुत सारे एककों के बन्द होने की नौबत आ गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) कुछ हाथ से बने परिधानों पर मिल-निर्मित की गलत मोहर लगाने के कारण कतिपय कठिनाइयां पैदा हुई थीं। सरकार ने इस मामले पर सं० रा० प्राधिकारियों के साथ बात की है और समाधान निकाला जा रहा है।

सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा सरकारी उपक्रमों के बड़े अधिकारियों के विरुद्ध सी०बी०आई० जांच के मामलों का अध्ययन

*292. **श्री ए० के० साहा**
श्री अनंत दवे } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो भविष्य में उपचारात्मक उपाय करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बड़े अधिकारियों के विरुद्ध सी०बी०आई० द्वारा की गई जांच के प्रत्येक मामले का अध्ययन करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्यूरो ने इस बारे में उपक्रमों को उचित निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस अध्ययन के लिए गए सबक द्वारा सरकारी उपक्रमों का मार्ग-दर्शन करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं । सरकारी उद्यम कार्यालय सी०बी०आई० द्वारा की गई जांच के ऐसे मामलों का अध्ययन करता है जो सी०बी०आई० प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा ऐसे किसी पहलू पर विचार करने, जिसका सभी सरकारी उद्यमों पर असर पड़ रहा हो, तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/सरकारी उद्यमों को सामान्य नीति-निर्देश जारी करने के लिए भेजे जाते हैं ।

(ख) और (ग) सी०बी०आई० अथवा प्रशासनिक मंत्रालयो द्वारा सी०बी०आई० जांच के विषय में सामान्य नीति-निर्देश सम्बन्धी कोई मामला सरकारी उद्यम कार्यालय को नहीं भेजा गया है, अत: सरकारी उद्यमों को इस विषय में कभी कोई अनुदेश जारी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ ।

(घ) सी०बी०आई० द्वारा की गई जांच के ऐसे किसी मामले के अध्ययन से जब कभी सरकारी उद्यमों को अनुदेश जारी करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वैसा किया जाएगा ।

ISSUE OF LICENCES TO OPIUM GROWERS OF VILLAGES OF JHALAWAR DISTRICT (RAJASTHAN)

*293. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether opium is cultivated in Khakar, Jagpura and Ukligram villages in Patan Tehsil of Jhalawar district of Rajasthan and if so, whether the opium crops were destroyed in the natural calamities during 1976 and if so, whether the licences were cancelled of these three villages;

(b) if so, the reasons for which the opium growers of Khakar village were not given licences whereas licences were given again to the two other villages of Jagpura and Ukligram; and

(c) whether an enquiry will be conducted to find the reasons for not issuing licences to all the opium growers of Khakar Village and whether action will be taken if any case of corrupt practices are brought to light in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) and (b) Presumably the question relates to villages known as Khatkar, Jagpura and Okhli in Patan Tehsil of Jhalawar District of Rajasthan. Opium is cultivated in these villages and the total number of poppy cultivators during 1976-77 crop season was 27 in Jagpura, 18 in Akhli and 10 in Khatkar. Reports received by the Government indicate that poppy crop in these areas was damaged during 1976-77 crop season. For providing relief to the cultivators in the affected areas, in the matter of grant of licences, the condition regarding the minimum qualifying yield of 20 kgs. of opium per hectare was relaxed to 12 kgs. of opium per hectare in the areas where damage was partial or moderate and was entirely waived in the areas where the damage was widespread. Accordingly, the qualifying yield of village Khatkar where the damage was partial was fixed at 12 kgs. of opium per hectare and in the village of Jagpura and Okhli where the damage was very severe, licences were issued irrespective of the average yield. Since in village Khatkar none of the 10 cultivators had tendered a yield of more than 12 kgs. of opium per hectare, they were not considered eligible for grant of licences during 1977-78 crop season and in the two villages of Jagpura and Okhli all the cultivators were granted licences during 1977-78 crop season.

(c) The report show that licences were given after taking into account the extent of damage to the poppy crop in 1976-77 crop season and in accordance with the Licensing Principles. Further, since there is no cultivator in village Khatkar who was eligible but was denied the licence during the 1977-78 crop season, no inquiry is contemplated.

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी की अवधि पूरी होने पर बीमाकृत राशि का भुगतान

*295. **श्री पी० त्यागराजन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे संतुष्ट है कि जीवन बीमा निगम पालिसी धारियों को पालिसी की अवधि पूरी होने पर बीमाकृत राशि का निर्धारित अवधि के अन्दर ही भुगतान कर रहा है ;

(ख) कितने मामलों में ऐसा नहीं हुआ है और इस विलम्ब के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) भुगतान के विभिन्न तरीके क्या हैं ; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम और पालिसीधारियों के बैंक समान होने पर निगम पालिसी-धारियों के अनुरोध पर डाक अन्तरण (मेल ट्रांसफर) के जरिए भुगतान करता है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) हालांकि जीवन बीमा निगम पालिसी की अवधि पूरी होने की तारीखों पर ही दावों का निपटारा करने की पूरी कोशिश करता रहा है, फिर भी इस संबंध में सुधार की गुजाइश है और सरकार तथा जीवन बीमा निगम इस मामले की ओर बराबर ध्यान दे रहे हैं

(ख) पालिसी की अवधि पूरी होने पर दावों के निपटारे में देरी होने के कारण पलिसीधारियों द्वारा डिस्चार्ज फार्म पालिसी संबंधी कागजात का समय पर न दिया जाना और उनके पतों में हुए परिवर्तन की सूचना न दिया जाना है। कुछ मामलों में जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में भी देरी हो जाती है। जीवन बीमा निगम ने हाल के वर्षों में दावों के निपटारे को तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

जिन मामलों में पालिसी की अवधि पूरी होने पर दावों की अदायगी करने में 30 दिन से अधिक की देरी हो जाती है उनमें जीवन बीमा निगम पालिसी धारी को 6 प्रतिशत की दर से अनुग्रही ब्याज अदा करता है।

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम दावों की अदायगी आमतौर से क्रास्ड आर्डर चैकों द्वारा करता है। पालिसीधारी मनीआर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट से भी अपनी इच्छानुसार रकम प्राप्त कर सकते हैं। जीवन बीमा निगम दावों की रकमें पालिसीधारियों के बैंक खातों में जमा कराने के अनुरोध भी स्वीकार करता है।

सहकारी समितियों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए प्रोत्साहन

*296. **डा० बापू कालदाते :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तुओं के वितरण तथा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने व उनका विकास करने के विषय राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इसलिए आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए सहकारी समितियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन हर राज्य में अलग-अलग हैं। वर्तमान नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि उचित मूल्य की दुकानों के

आवंटन में सहकारी समितियों को तरजीह दी जाय और उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए शहरी व देहाती इलाकों में सहकारी समितियों का विकास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में किया जाये ।

2. केन्द्र द्वारा उपभोज्य वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य सरकारों/सहकारी समितियों को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रोत्साहन और सुविधाएं ये हैं :—

(i) फुटकर बिक्री की व्यवस्था का विस्तार करने और राज्य स्तरीय संघों को मजबूत बनाने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत (राज्य योजना की अधिकतम सीमा से बाहर) विशेष वित्तीय सहायता देना। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं, ताकि वे नये खदरा निकासों की स्थापना के लिए फर्नीचर व फिटिंग्स हेतु दीर्घकालीन ऋण और प्रबंधकीय उपदान देने के अलावा सहकारी समितियों की अंशपूंजी में अंशदान दे सकें ।

(ii) वितरण के प्रथम स्तर अर्थात् थोक/प्राधिकृत विक्रेताओं को लागू शर्तों पर सीधे विनिर्माताओं/मिलों से विनिर्मित उपभोज्य वस्तुएं प्राप्त करने में सहकारी समितियों की सहायता करना ।

(iii) सहकारी थोक बिक्री व खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से कुछ नियंत्रित कपड़े का कोटा आवंटित करना ।

(iv) केन्द्रीय सरकार की गारंटी योजना के अंतर्गत क्रमश: 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के सामान्य मार्जिनों के बजाय बैंक के पास मा ल को बन्धक और/अथवा दृष्टि बन्धक रखकर 10 प्रतिशत के मार्जिन पर बैंक ऋण की व्यवस्था करना ।

(v) उपभोक्ता सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ब्याज की रियायती दरों पर कार्यकर पूंजी ऋण प्रदान करना ।

(vi) उपभोक्ता सहकारी समितियों के प्रबन्धकीय कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण की सुविधा यें देना और राष्ट्र स्तरीय उपभोक्ता सहकरी संघ द्वारा स्थानीय परामर्शदायी एवं प्रोत्साहन सैल के माध्यम से प्रबंध और संचालन के बारे में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना ।

(vii) ग्राम स्तर के वर्तमान सहकारी ढांचे और उच्च स्तर पर विपणन व उपभोक्ता सहकारी ढांचे के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में उपभोज्य वस्तुओं के वितरण को बड़ावा देने तथा उसमें सहायता पहुंचाने की दृष्टि से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम चुनी सहकारी समितियों को नियंत्रित व गैर-नियंत्रित वस्तुओं के वितरण का कार्य करने के लिये परियोजना आधार पर वित्तीय सहायता देता है ।

(viii) चालू वर्ष में शहरी व ग्रामीण इलाकों में स्थित सहकारी समितियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिय राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता देने हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

पिल्लै समिति की सिफारिशें

*297. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस बीच पिल्लै समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

समिति में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कितनी किफायत होने की संभावना है और इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से कितने अधिकारियों को लाभ होगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां । सरकार को पिल्लै समिति की रिपोर्ट मई, 1974 में प्राप्त हुई थी ।

(ख) रिपोर्ट में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अफसरों के वेतनमानों के मानकीकरण की सिफारिश की गयी है और उसमें उन अफसरों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों और अनुभवों को तर्कसंगत बना दिया गया है । इन सिफारिशों का सारांश सदन के पटल पर रखा जा रहा है ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2564/78]

(ग) अनुमान है कि वेतनमानों को तर्कसंगत बनाने के लगभग 90 प्रतिशत अफसरों को लाभ होगा । कोई 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने की आशा है ।

संकटग्रस्त वनस्पति एककों को नियंत्रण में लेने संबंधी प्रस्ताव

*299. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री जी० एस० रेड्डी } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि वनस्पति के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या उनका विचार संकट ग्रस्त वनस्पति एककों को नियंत्रण में लेकर वनस्पति के मूल्यों पर नियंत्रण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) पिछले महीनों में वनस्पति के मूल्य आम तौर पर 16.5 किलोग्राम के एक टीन के लिए 140 रुपये की दर पर स्थिर रहे हैं । इनमें उत्पादन शुल्क तो शामिल है, परन्तु स्थानीय कर शामिल नहीं हैं ।

(ख) व (ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

EXPORT OF HUMAN BLOOD

†300. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that human blood is exported abroad from the country;

(b) if so, the names of the countries to which it is exported;

(c) country-wise quantum of human blood exported in 1975-76, 1976-77 and 1977-78; and

(d) whether Government propose to impose restrictions on its export ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) to (d) 'Ray Placenta, Placenta Blood/Plasma, whole human blood/plasma and all products derived from human blood' except 'Human Gamma Globulin and Human Serum Albumin manufactured from Human Placenta and Human Placental Blood' are already under Export Trade Control Order and their export is normally not allowed.

2. However, Human Blood/Sera, etc., were allowed to be exported during 1976-77 and 1977-78 for medical/research purposes on an ad-hoc basis and on humanitarian considerations, details of which are given below :—

S. No.	Date	Quantity	Destination	Purpose
1.	28-7-76	60-70 plastic tubes each containing 3-4 ml. liquid frozen serum	Australia	For children suffering from malnutrition
2.	1-2-77	One litre blood Group Oh	Jakarta	For surgical treatment
3.	12-12-77	One Parcel of blood	Canberra	For research
4.	12-12-77	500 blood samples 5 cc. each	W. Germany	Do.

3. The National Blood Group Reference Laboratory, Bombay, has also been permitted to export limited quantity of blood group OH (Bombay phenotype) for scientific research or emergency medical treatment as a life saving measure on humanitarian ground on the basis of certificate issued by it's Director in each case.

4. No commercial export of human blood/plasma is permitted.

थाइलैंड के सहयोग से कच्ची लाख को परिष्कृत करके चपड़ा लाख बनाना

301. श्री चित्त बसु : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चा लाख को परिष्कृत कर के चपड़ा लाख बनाने के लिए थाइलैंड के साथ सहयोग करार किया है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग परियोजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में लाख उद्योग की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) कच्ची लाख के वास्तविक उत्पादों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) कच्ची लाख को कपड़े के रुप में सीमित करने के बारे में थाइलैंड के साथ सहयोग करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । तथापि भारत तथा थाइलैंड के बीच लाख दाना व्यापार तथा चपड़े के उत्पादन में सहयोग की संभावनाओं पर वाणिज्य मंत्री ने थाई उप प्रधान मंत्री के साथ विचार विमर्श किया था और इस मामले पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) लाख उद्योग के सभी पहलुओं की समीक्षा के परिणामस्वरूप सरकार उत्पादन को नियंत्रित तथा विनियमित करने, कच्ची लाख वाले तथा चपड़े का विनिर्माण तथा विपणन करने के लिए लाख विपणन बोर्ड स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ।

(घ) 1975 से राज्य व्यापार निगम समीकरण भंडार योजना चला रहा है । इस योजना के अंतर्गत राज्य एजेंसियों द्वारा जनजातीय उपजकर्ताओं से खरीदी जाने वाली कच्ची लाख पर न्यूनतम कीमत सुनिश्चित की है ।

ROUTES ON WHICH AIRBUS SERVICE IS OPERATED

*302. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the names of the air-routes on which airbus service is being operated;

(b) the number of other routes on which demands for the operation of this service are under consideration of Government; and

(c) the Government's policy in this regard and the programme chalked out for its promotion in the coming years ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Following are the routes on which Airbus services are being operated :

— Bombay/Delhi/Bombay (Thrice Daily)
— Delhi/Calcutta/Delhi (Daily)
— Bombay/Calcutta/Bombay (Daily)
— Bombay/Madras/Bombay (Daily)
— Bombay/Bangalore/Bombay (Daily)
— Bombay/Trivandrum/Bombay (Daily).

(b) and (c) Airbus aircraft is deployed on high density routes where there is economic justification for the deployment of wide-bodied aircraft, subject to the airfield being suitable for airbus operations.

Indian Airlines proposes to introduce Airbus on Delhi/Hyderabad/Bangalore route in its Winter Schedule of 1978-79. There is also a proposal to operate Calcutta-Gauhati and Delhi-Srinagar sectors in 1979-80.

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कमरे के सेटों (सुइटों) का प्रयोग करने हेतु निगम के अधिकारियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

*303. **श्री आर० के० महालगी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा निगम के होटलों के सुइटों का प्रयोग करने के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं ;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारी जब ड्यूटी पर नहीं होते हैं तब "सुइटों" का प्रयोग करने के लिए उनसे कोई विशेष शुल्क लिया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा होटलों के स्वीटों (suites) का प्रयोग करने के बारे में औपचारिक रूप से कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं किये गये हैं। वर्तमान परिपाटी यह है कि कारपोरेशन के जूनियर टूरिंग अफसरों को स्वीट (suite) नहीं दिये जाते। विभागीय बैठकें करने तथा ट्रेवल एजेंटों व टूर ऑपरेटरों आदि के साथ गोपनीय विचार विमर्श करने में सुगमता के लिये कारपोरेशन के अध्यक्ष व प्रबन्ध-निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी कभी कभी स्वीटों (suites) में ठहरते हैं।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारी जब ड्यूटी पर नहीं होते तो उनसे भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने के लिये कोई अलग दरों पर किराये नहीं लिये जाते क्योंकि ऐसी हालत में उन्हें ग्राहक ही समझा जाता है।

राज्यों द्वारा विश्व बैंक से लिये गये ऋणों का उपयोग

2739. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1975 से आज तक विश्व बैंक से ऋण लिये हैं ;

(ख) क्या उक्त ऋण केन्द्रीय सरकार की सम्मति से लिये गये हैं ;

(ग) क्या उक्त ऋणों के लिये केन्द्रीय सरकार ने जमानत दी है ; और

(घ) क्या उक्त ऋणों के उचित उपयोग के बारे में केन्द्रीय सरकार का दखल होगा, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाली सहायता भारत सरकार द्वारा उन परियोजनाओं के लिए दी जाती है जिनका कार्यान्वयन भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन राज्यों के नामों की सूची अनुबन्ध में दी गई है जिन्होंने 1975 से राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि ये ऋण भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

(घ) जिन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता का प्रस्ताव किया जाता है वे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की होती है और आयोजना का एक भाग होती हैं। इसलिए ऐसी परियोजनाओं की संभावनाओं, संदर्भ और वित्तीय प्रबंधों की समीक्षा की जाती है और उनके सम्बन्ध में भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच करार किया जाता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की भी समय समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

उन राज्यों के नामों की सूची जिन्होंने 1975–76 से आज तक अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त की।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम परियोजनाओं जैसी कुछ परियोजनाओं के लिए (जिनके लिए कृषि और उससे संबद्ध कार्यों के लिए कृषि पुनर्मित्त और विकास निगम के माध्यम से ऋण दिया जाता है) जो पूरे देश में फैली होती है, मिलने वाली सहायता का उपयोग देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा किया गया है। इसके अलावा, सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों का कार्यक्रम और जनसंख्या परियोजना जैसी कुछ परियोजनाओं से एक से अधिक राज्यों को लाभ पहुंचा है। राज्य क्षेत्र में चलाई जाने वाली और अलग-अलग राज्यों तक सीमित परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाली सहायता निम्नलिखित राज्यों को दी गई है :

क्रम संख्या	राज्यों का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	असम

3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू और कश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल
10. महाराष्ट्र
11. मध्य प्रदेश
12. उड़ीसा
13. पंजाब
14. राजस्थान
15. तमिलनाडु
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिम बंगाल

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारतीयकरण

2740. **श्री अमर सिंह बी० राटवा**
श्री अहमद एम० पटेल } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी बन्द की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन विदेशी कंपनियों का ब्यौरा दिया गया है जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दिये गये निदेशों के अनुसार अपने अनिवासी स्वत्वाधिकारों में कमी की है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन विदेशी कंपनियों का ब्यौरा दिया गया है जो भारत में अपने कारोबार बंद करने के लिए क्रियाशील है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 2565/78] ।

दावों पर आपत्ति के बारे में सी०डी०ए० कलकत्ता को निदेश जारी करना

2741. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सी०डी०ए० (कारखाने) कलकत्ता को उनकी प्रत्येक आपत्ति के लिए वाउचर ऊपर-नीचे भेजने की बजाए (जैसा कि इस समय किया जा रहा है) एक सीमित दावे के मामलें में उनकी सभी आपत्तियां दर्शाने के बारे में विशिष्ट निर्देश नहीं दिए जा सकते क्योंकि उनसे स्वीकृति न मिलने के कारण एक वर्ष पश्चात भी हमारे अनुशासित सैनिकों को भुगतान नहीं किया जाता जिससे वे पीड़ित रहते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : इस विषय पर आवश्यक निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। तथापि कुछ मामलों में दावे एक से अधिक बार वापस करने पड़ते हैं। यह तब होता है जब प्रथम बार में ही की गई टिप्पणी के उत्तर, दावे को निपटाने से पूर्व, और अधिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे मामले बहुत कम होंगे।

STEPS TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF PUBLIC SECTOR COMPANIES

2742. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the reported statement of the President elect of the U.P. Chamber of Commerce and Industry, Shri Singhania, that a profit of Rs. 305 crores only was earned by the 121 industries under public sector during 1975-76 as against the profit of Rs. 404 crores earned by private companies is correct;

(b) whether this does not prove the inefficiency and incompetence of public sector management;

(c) whether some effective steps are proposed to be taken to improve the management of public sector companies; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) It is true that the 121 running enterprises of the Central Government earned a profit tax of Rs. 305 crores during the year 1975-76. Government are not aware of the comparison made by Shri Singhania between the performance of public sector and private sector companies, as stated in the question.

(b) Profit alone is not a conclusive indicator of efficiency and competent management in both public and private sectors.

(c) and (d) Government constantly review the performance of the public enterprises and take remedial steps to improve their performance. Some of the important steps taken in this connection are :

(i) Improvement of capacity utilisation by greater sales efforts where demand is sluggish, provision of balancing facilities, provision of captive power, etc;
(ii) Improvement of industrial relations;
(iii) Higher productivity by proper production planning and control techniques, introduction of incentive schemes etc.;
(iv) Better management of material resources;
(v) Modernisation and diversification etc.

काश्मीर घाटी में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी

2743. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी राज्य के निवासी हैं; और

(ग) राज्य के निवासियों में से मुसलमान कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : यथा संभव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर भारत में चाय उत्पादन में कमी

2744. **श्री सरतकार** : क्या **वाणिज्य, नागरिकपूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शुष्क मौसम के कारण वर्ष 1977 के दौरान पूर्वोत्तर भारत में चाय उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के क्षेत्रवार, चाय के उत्पादन में हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आय-कर दाताओं को अनिवार्य जमाराशि पर ब्याज

2745. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पता है कि अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत हजारों आयकर दाता, जो अनिवार्य धनराशि का भुगतान कर रहे हैं, अपनी जमा राशि पर लगने वाले ब्याज से वंचित हो गये हैं क्योंकि उहोंने 31 मार्च, 1977 के बाद वापस मिलने वाली पहली किस्त और 31 मार्च, 1978 के बाद वापस मिलने वाली दूसरी किस्त की राशि वापिस नहीं ली है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनिवार्य जमा योजना के ऐसे जमाकर्ता ब्याज की दर और देय ब्याज के बारे में समुचित जानकारी न होने के कारण ब्याज गंवा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नियमित अधिसूचनाओं को समय पर जारी करने, ताकि जमाकर्ताओं को पता लग सके कि उनकी किस्त भुगतान के लिये कब देय है, और अन्य सम्बद्ध सूचनाओं को देने के लिये कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) अनिवार्य निक्षेप योजना (आयकर खाता), अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाई गई स्कीम के अन्तर्गत ये जमा राशियां, जिस वित्तीय वर्ष में वे जमा की गई हो उसके अन्त से दो वर्षों का समाप्ति के बाद से शुरू करके बराबर की पांच किस्तों में ब्याज के साथ देय हैं ; और जब किस्तें वापसी अदायगी के लिए देय हो जाती हैं उसके बाद से किस्तों पर ब्याज लगाना बन्द कर दिया जाता है। जब, 1974–75 में जमा की गई राशियों की पहली किस्त वापसी अदायगी के लिए देय हो गई थी तब यह स्थिति, पहली अप्रैल, 1977 को जारी किए जाने गये एक प्रेस नोट में स्पष्ट कर दी गई थी। समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर जमाकर्ताओं को इस स्थिति से फिर से अवगत कराया जा रहा है।

फेनिल पेय (एरेटेड वाटर) पर उत्पादन-शुल्क का युक्तिसंगत बनाया जाना

2746. **श्री राम देव सिंह**
श्री श्याम सुन्दर दास } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 में एरेटेड वाटर का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता का 25 प्रतिशत था ;

(ख) यदि हां, तो इसके उत्पादन को बढ़ाने और इसकी क्षमता का उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त उत्पादों पर उत्पादन-शुल्क के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पर विचार करेगी और उत्पादन-शुल्क को युक्तिसंगत बनायेगी ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) जी, संगठित क्षेत्र में उत्पादन क्षमता का उपयोग लगभग 30 प्रतिशत है ;

(ख) उद्योग मंत्रालय वर्तमान एककों के लिए क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए हर संभव सहायता की व्यवस्था कर रहा है ।

(ग) (i) "वातित जलों" पर, जो केवल कार्बनडाइआक्साइड से दबाव के साथ भरे जाते हैं और जिनमें कोई अन्य अतिरिक्त अवयव शामिल नहीं होते, शुल्क की टैरिफ दर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत तथा प्रभार्य मूल शुल्क का 5 प्रतिशत है और (ii) "अन्य सभी" पर शुल्क की टैरिफ दर मूल्यानुसार 55 प्रतिशत तथा प्रभार्य मूल शुल्क का 5 प्रतिशत है ।

सरकार ने (अधिसूचना जारी करके) उपर्युक्त वर्ग (i) के सम्बन्ध में मूल्यानुसार 15 प्रतिशत तथा प्रभार्य मूल शुल्क का 5 प्रतिशत की प्रभावी दर और एक वित्तीय वर्ष में निकासी की गयी एसी वातित जलों की, जिनमें कोला के सत्व नहीं हों, 50 लाख बोतलों की प्रथम निकासियों पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत तथा मूल शुल्क का 5 प्रतिशत की प्रभावी दर निर्धारित की है ।

इसके अलावा, 1-4-78 से, निर्माता द्वारा अथवा उसकी ओर से एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये के मूल्य तक के वातित जल की निकासियों पर पूरी छूट दी गयी है बशर्ते पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान की गयी निकासियां 15 लाख रु० से अधिक की नहीं हों ।

अत्याधिक उत्पादन-शुल्क के कारण विभिन्न उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता

2747. **श्री रामजी लाल सुमन**
श्री श्याम सुन्दर दास } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अत्यधिक उत्पादनशुल्क के कारण विभिन्न उद्योगों में 50 प्रतिशत अप्रयुक्त क्षमता है ; और

(ख) उत्पादनशुल्क के कारण उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमताओं से कितनी पूंजी अवरुद्ध है ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार के पास यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि उत्पादन शुल्कों के अत्यधिक भार के कारण उद्योगों में 50 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त पड़ी हुई है । क्षमता के कम प्रयोग के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि विद्युत की कमी और औद्योगिक (श्रमिक) संबंधों में गड़बड़ी आदि । क्षमता के प्रयोग पर उत्पादन शुल्कों का प्रतिकूल प्रभाव केवल तभी पड़ सकता है जबकि उनके कारण मांग में भारी कमी हो जाए ।

(ख) जो कुछ ऊपर कहा गया है उसको देखते हुए, यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि संबंधित उत्पाद पर उत्पादन शुल्क के भार के कारण कितनी पूंजी बेकार पड़ी है । ऐसी संभावना नहीं है कि उत्पादन शुल्क के भार के कारण अप्रयुक्त क्षमता के आधार पर बहुत सी पूंजी अवरुद्ध है ।

सिविल फ्लाईंग अकादमी की स्थापना के लिये टाटा समिति का प्रतिवेदन

2748. **श्री डी० अमात** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिविल फ्लाईंग अकादमी के लिये स्थापना के लिये टाटा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) एक नागर विमानन उड़ान अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव पर योजना आयोग के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है । इस पर लगभग दो महीने में कोई निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ।

DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF TERMINAL BUILDINGS, RUNWAYS, AND RAJKOT

2749. SHRI DHARAMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the outlay estimated on the construction, development, alterations, etc. of terminal buildings, development and strengthening of runways and pavements and the construction of control Towers at Ahmedabad, Bhavnagar, Jamnagar, Porbandar, Rajkot, Vadodard, Bhuj, etc. aerodromes in Gujarat and the expenditure proposed to be incurred on each work during 1978-79; and

(b) the time by which the above works are likely ot be completed ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) A statement, showing details of development works (proposed and/or sanctioned), estimated outlays, proposed expenditure during 1978-79 and the time by which the works are likely to be completed, is attached.

STATEMENT

Name of aerodrome	Details of work	Estimated work outlay (excluding departmental charges)	Proposed expenditure during 1978-1979	Time by which likely to be completed
		(Rupees in lakhs)		
1. AHMEDABAD	(i) Strengthening of runway to LCN-60	88·00	8·00	12/1980
	(ii) New terminal building	43·54*	13·00	6/1979
	(iii) New technical block	8·82*	3·82	8/1978
	(iv) New Control Tower	5·00	4·00	6/1979
2. VADODARA (BARODA)	(i) Strengthening of Apron and taxi track to LCN-40	35·00	0·50	3/1980
	(ii) Terminal Building	23·00	—	6/1980
3. BHAVNAGAR	(i) Extension of runway to 6000 and strengthening to LCN 40 also allied pavements.	107·95*	10·00	3/1980
	(ii) Extension of terminal building.	18·39*	5·00	12/1979
4. JAMNAGAR	(i) Strengthening of Apron and Taxi track to LCN-40	30·00	5·00	12/1979
	(ii) Extension and modification to terminal building.	25·00	2·00	12/1979
5. PORBANDAR	(i) Terminal Building	6·00	—	12/1979
	(ii) Augmentation of Elect. and Water.	4·00	—	12/1979
6. RAJKOT	(i) Extension of runway to 6000' and strengthening LCN-40 of runway and Taxi Track/Apron.	130·00	5·00	12/1980
	(ii) Extension of terminal building.	20·00	2·00	4/1980

At present, no development works are proposed at the remaining aerodromes in Gujarat.

*These works have already been sanctioned.Other works are being processed.

दुर्गम क्षेत्रों के लिये जनता एयर लाइन्स

2750. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए तीसरे स्तर की विमान सेवा की व्यवस्था करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इसे "जनता एयरलाइन्स" का नाम देने का निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो यह सेवा किस किस क्षेत्र में आरम्भ की जाएगी, एक दिन में कितनी उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी, इस प्रस्ताव से कितना पूंजीगत परिव्यय होगा ; और

(घ) क्या अपेक्षित विमान विदेशों से खरीदे जायेंगे या इण्डियन एयरलाइन्स के वर्तमान विमानों से दिये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) छोटे नगरों तथा शहरों को तीसरी वायु सेवा द्वारा जोड़ने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। एक प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट इंडियन एयरलाइन्स द्वारा तैयार की गयी थी। बाद में, एक समिति का गठन किया गया था जिसने विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए स्कीम को चरणबद्ध करने, विमान के प्रकार, परिचालन करने वाली एजेंसी, प्रशासनिक ढांचे, दर संरचना, वेतन संरचना, मार्गतंत्र आदि जैसे विभिन्न पहलुओं तथा अन्य सम्बद्ध ब्यौरों की जांच की। समिति ने अपनी रिपोर्ट 18–7–78 को प्रस्तुत कर दी तथा इसकी जांच की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) यह समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अंततः लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेंगे।

भारत से अमरीका भेजे गये गये प्रिस्ट्रेस्ड कंकरीट के लिये बलदार इस्पात के तार का बिक्री मूल्य

2751. **श्री एस० आर० रेड्डी :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मई, 1978 के संडे स्टैंडर्ड में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी सरकार का कहना है कि भारत से आय प्रिस्ट्रेस्ड कंकरीट के लिये बलदार इस्पात का तार इस देश में उचित मूल्य से कम मूल्य पर बिक रहा है ;

(ख) क्या यह भी कहा गया है कि ये मामले संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग को भेजे जायेंगे जिसे एक निश्चित अवधि में यह निर्णय करना होगा कि क्या आन्तरिक उद्योग को क्षति होती है और यदि क्षति होती है तो डम्पिन्ग शुल्क का अनुमान लगाया जाएगा ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष जनवरी से जून तक भारत से 2,49,000 डालर के मूल्य के माल का आयात किया गया जब कि गत वर्ष जून से नवम्बर तक जापान से 196 लाख डालर के मूल्य का माल आयात किया गया, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी हां।

(ख) अमरीकी ट्रेजरी विभाग ने इस मामले को सं० रा० अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग को इस बात की जांच करने के लिये भेज दिया है कि क्या इससे स्थानीय अमरीकी उद्योग को क्षति हुई है। अमरीकी व्यापार अधिनियम 1974 के अन्तर्गत यदि यह सिद्ध हो जाता है कि क्षति हुई है तो अन्य उपचारों के साथ साथ प्रतिकारी शुल्क की सिफारिश भी की जा सकती है।

(ग) अमरीकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1977 में भारत तथा जापान से प्रिस्ट्रेस्ड कंकरीट के लिये बलदार इस्पात के तार के अमरीकी आयात क्रमशः 41,000 तथा 34372000 अमरीकी डालर मूल्य के हुए। भारतीय फर्म इस मामले का अभ्यावेदन सं० रा० अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग के समक्ष कर रही है और भारतीय राजदूतावास, वाशिंगटन तथा इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद दोनों की जांच के समय प्रेक्षक के रूप में उपस्थित रहने की सलाह दी गई है।

भारतीय इंजीनियरी उद्योग एसोसियेशन द्वारा मई 1978 में केंटन मेले में भेजे गये व्यापार प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन

2752. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरी उद्योग एसोसिएशन द्वारा मई, 1978 में केंटन मेले में भेजे गये व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधिमंडल ने कई वस्तुओं के लिये चीन द्वारा व्यापार करने की रुचि के बारे में कोई रिपोर्ट दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। भारतीय इंजीनियरी उद्योग एसोसियशन के प्रतिनिधिमंडल का जो मई, 1978 में केंटन मेले में गया था, प्रतिवेदन भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है।

(ख) जी हां। प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन में कुछ मदों का उल्लेख किया गया है जिन्हें खरीदने में चीन की रुचि हो सकती है।

(ग) प्रतिवेदन में जिन मदों का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है, वे ये हैं : इस्पात की टूयूबें तथा पाइप तार रस्से, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट तारें, तेल का पता लगाने तथा निकालने की बरमा मशीनें, खनन उपस्कर, पैकेजिंग उपस्कर, परिवहन उपस्कर, सामान उठाने-धरने सम्बन्धी उपस्कर एलूमिना, इस्पात की मदें, अभ्रक, चीनी, चपड़ा, पटसन का माल और विभिन्न प्रकार के रसायन।

सहकारिता अभियान का विकास

2753. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'दुर्बलों के लिए सहारे' के रूप में सहकारिता अभियान का विकास करने के लिए केन्द्र ने राज्यों का सहयोग पाने के लिए उन्हें एक देश-व्यापी योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) 17 दिसम्बर, 1977 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के सहकारिता मंत्रियों में के विगत अखिल भारतीय सम्मेलन में अपनाये गये राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि सहकारी आन्दोलन का विकास "कमजोर की ढाल" के रूप में किया जायेगा। यह राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प सभी राज्य सरकारों (सहकारिता विभागों), सहकारी समितियों के पंजीयकों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, राज्य सहकारी संघों, योजना आयोग सहित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों आदि को भेजा गया था। बाद में राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक 42 सूत्री कार्रवाई कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें संकल्प की 12 मदों में से हर मद शामिल है। केन्द्रीय वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री ने 3 अप्रैल, 1978 को सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों को एक पत्र लिखा, जिसके साथ उक्त 42 सूत्री कार्रवाई कार्यक्रम भेजा गया। पत्र में उनसे यह अनुरोध किया गया है कि ये सहकारी प्रशासन को उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए तैयार करें। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कार्रवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की तिमाही रिपोर्ट भेजें। राज्य सरकारों से पहली तिमाही रिपोर्ट जुलाई, 1978 के अन्त में आनी थी, राज्य सरकारों को इस पहली रिपोर्ट को शीघ्र भेजने के लिए स्मरण-पत्र भेजा गया है।

बन्दरों के निर्यात पर रोक लगाने के कारण अमरीकी औषध फर्मों को हानि

2754. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बन्दरों के निर्यात पर रोक लगा दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बन्दरों के निर्यात पर लगी रोक के कारण अमरीकी औषध फर्मों को हानि हुई है ;

(ग) क्या इस व्यापार में लगे हुई व्यक्तियों ने अपनी नौकरियों के बारे में भी कोई विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा कोई तथ्य हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान

2755. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवारत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आशय का निर्णय कब तक किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

INSURANCE OF "VELIRIO" HOTEL KANPUR

2756. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the famous hotel "Velirio" of Kanpur is insured and if so, the amount thereof;

(b) whether this hotel has been burnt to ashes and the question of payment of insurance money is under consideration; and

(c) if so, the total loss suffered and the time by which the money will be paid and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir. The hotel had taken out two insurance policies covering its furniture, fittings, electrical installations and other contents for Rs. 3.2 lakhs.

(b) The contents of the hotel have been extensively damaged and much of the property was destroyed either totally or beyond any salvage value. Investigation of the claim has since been completed and the Surveyors have reported that there has been no breach of warranty.

(c) The total loss, as assessed by the Surveyors and as recommended by them for payment, is Rs. 2,15,260/-. The Kanpur office of the insurance company has been asked by its Head Office to settle the claim at that amount.

INCREASE IN LIMIT OF LUGGAGE CARRIED BY AIR PASSENGERS

2757. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2382 on the 10th March, 1978 regarding delay in delivery of luggage of Air Passengers and state : 1

(a) whether the passengers travelling by Indian Airlines planes face great difficulty due to the late delivery of the luggage and the steps taken by Government to reduce further time of 15 to 30 minutes taken in the delivery of the baggage; and

(b) whether keeping in view the increasing traffic at present Government have any proposal to introduce new air services for the passengers and whether Government will allow passengers to carry more than 20 kilogram and below 30 kilogram luggage ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Occasionally the travelling passengers face some difficulty due to the delay in the delivery of baggage at the main airports where delivery of luggage is adversely effected by bunching of flights. The position is reviewed from time to time and necessary steps are taken to ensure that the inconvenience caused to the passengers is reduced to the minimum.

(b) There has been considerable augmentation of capacity in the last few years. Some additional capacity is also being provided in the Winter' Schedule. Indian Airlines has no proposal to allow passengers to carry more than 20 kilograms of luggage free of charge.

निर्यात बाजार विकास भत्ते के लाभ का हिसाब लगाने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली मदें

2758. **श्री नाथू सिंह** । क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से उत्पादों का निर्यात करने वाली व्यापारिक कम्पनियों को आयकर अधिनियम के 35-ख के अन्तर्गत निर्यात बाजार विकास भत्ते के लाभ का हिसाब लगाने के लिए किन-किन विशिष्ट व्यापारिक व्यय शीर्षों और मदों को ध्यान में रखा जाता है ;

(ख) निम्न मदों पर किस सीमा तक व्यय को ध्यान में रखा जाता है और उसके क्या कारण है : (1) वेतन (2) पैंकिंग खर्च (3) बीमा (4) टेलीफोन, टेलेक्स तथा डाक व्यय (5) कमीशन (6) मुफ्त नमूने (7) विदेशों के दौरे (8) विदेश स्थित कार्यालय व्यय (9) विज्ञापन तथा प्रचार (10) मनोरंजन (11) किराया (12) विदेशों के बिलों के लिए ब्याज (13) स्टेशनरी (14) निर्यात शुल्क ; और

(ग) न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में से प्रत्येक के समक्ष निर्यात बाजार विकास भत्तों से सम्बन्धित कितने मामले आयकर अधिनियम के 35-ख के अन्तर्गत विचाराधीन है और ऐसे विचाराधीन मामलों में विवाद क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) व्यय की जिन विशिष्ट मदों के बारे में निर्यात बाजार विकास छूट दी जाती है, उनकी सूची आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 35 ख (1) के खण्ड (ख) में दी गई है । ये मदें निम्न प्रकार से है :—

(1) निर्धारिती अपने व्यापार के दौरान जिन वस्तुओं, सेवाओं अथवा सुविधाओं के बारे में लेनदेन करता है अथवा व्यवस्था करता है, उनके सम्बन्ध में भारत से बाहर ऐसे प्रचार का विज्ञापन, जिस पर अप्रैल, 1978 के पहले दिन से पूर्व इस प्रकार का व्यय किया गया हो ;

(2) इस प्रकार की वस्तुओं सेवाओं अथवा सुविधाओं के लिए भारत से बाहर बाजार के बारे में सूचना प्राप्त करना ;

(3) इस प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं अथवा सुविधाओं का भारत से बाहर वितरण, सप्लाई अथवा व्यवस्था करना, जिन पर भारत में कोई व्यय नहीं किया गया हो अथवा उक्त वस्तुओं को भारत से बाहर उनके गन्तव्य स्थान तक ले जाने पर अथवा जब उक्त वस्तुएं मार्ग में हों तो उनके बीमे पर किया गया व्यय, जहां यह व्यय अप्रैल, 1978 के पहले दिन से पूर्व किया गया हो ;

(4) इस प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं अथवा सुविधाओं के बारे में भारत से बाहर बिक्री बढ़ाने के लिए भारत से बाहर किसी शाखा-कार्यालय अथवा एजेंसी को बनाए रखना ;

(5) इस प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं अथवा सुविधाओं तथा उनसे संम्बंधित आकस्मिक कार्यकलापों की भारत से बाहर सप्लाई अथवा व्यवस्था करने के लिए टेंडरों को तैयार करना तथा प्रस्तुत करना ;

(6) इस प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं अथवा सुविधाओं की बिक्री के लिए भारत से बाहर किसी व्यक्ति को नमूने अथवा तकनीकी सूचना देना ;

(7) इस प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं अथवा सुविधाओं की भारत से बाहर बिक्री बढ़ाने के लिए भारत से बाहर यात्रा करना, जिसमें भारत से बाहर यात्रा तथा भारत को वापस यात्रा भी शमिल है ;

(8) इस प्रकार की वस्तुओं सेवाओं अथवा सुविधाओं की भारत से बाहर सप्लाई के लिए किसी करार को पूरा करने के सम्बन्ध में अथवा निमित्त भारत से बाहर सेवा करना ;

(9) इस प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं अथवा सुविधाओं की भारत से बहार बिक्री बढ़ाने के लिए यथा-निर्धारित ऐसे ही अन्य कार्यकलाप ।

लेकिन 31 मार्च, 1978 के बाद किये गये किसी भी व्यय के बारे में, निर्यात बाजार विकास छूट तभी मंजूर की जायगी जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हों :–

(क) कि निर्धारिती माल के निर्यात का व्यापार करता है तथा वह या तो छोटे पैमाने का निर्यातकर्ता है अथवा उसके पास निर्यात गृह प्रमाण पत्र है, अथवा तकनीकी जानकारी देने अथवा भारत से बाहर व्यक्तियों को तकनीकी जानकारी की व्यवस्था करने सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगा है; और

(ख) निर्धारिती द्वारा व्यय पूर्णतया तथा अनन्ययता ऊपर (क) में उल्लिखित व्यवसाय के प्रयोजनार्थ किया गया है ।

(ख) व्यय की मंजूरी प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करती है । किन्तु, व्यय तभी स्वीकार्य होगा यदि यह दिखाया जा सकता हो कि यह आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में सूचीबद्ध मदों में से किसी एक मद के अन्तर्गत आता है ।

(ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दिया जायगा ।

कूच बिहार के तम्बाकू उत्पादकों द्वारा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की अदायगी

2759. **श्रीमती अहिल्या पी० रागनेकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कूच बिहार के तम्बाकू उत्पादकों को 100 रुपये प्रति टन के हिसाब से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य राज्यों के तम्बाकू उत्पादकों को इस शुल्क से छूट मिल जाती है, यह भेद-भाव पूर्ण नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कूच बिहार के तम्बाकू उत्पादकों को उत्पादन शुल्क से छूट देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) साबुत पत्ती के रूप में सुझाये गये तथा बन्डलों में, अट्टियों से या गुच्छियों में पैक किये अथवा बन्धे अथवा बटे हुए अथवा लच्छों के रूप में अनिर्मित तम्बाकू के 40 किलोग्राम के एक मन पर लगने योग्य मूल उत्पादन शुल्क की दर 100 रु० है । इसके अलावा अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क के रूप में 20 रु० की तथा विशेष उत्पादन शुल्क के रूप में 5 रु० की लेवी लगायी जाती है ।

(ख) जी, नहीं । कूच बिहार में उत्पादित उपर्युक्त किस्म के अनिर्मित तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क की प्रभावी दर वही है जो देश के अन्य भागों में उत्पादित ऐसे तम्बाकू पर लगती है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भुगतान

2760. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भुगतान किया ; और

(ख) इस कम्पनी ने आयकर की सारी बकाया राशि चुका दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

ग्रीव्स काटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया गया आयात और निर्यात

2761. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रीव्स काटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्यात और आयात किया गया और इनका कितना मूल्य है ; और

(ख) क्या इस आयात में क्षति पूर्ति लाइसेंस (रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस) शामिल है और इस लाइसेंस के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) आयातों तथा निर्यातों से सम्बन्धित आंकड़े पार्टीवार नहीं रखे जाते हैं । तथापि, इस कम्पनी के अपने निर्यात की मदों तथा मूल्यों का ब्यौरा, जिसके आधार पर उसको आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस मिले हैं और ऐसे लाइसेंसों के मूल्यों का ब्यौरा जैसा कि आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के रिकार्डों में उपलब्ध है, एकत्र करके सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

मद्रास एल्यूमीनियम इन्डस्ट्री के निदेशकों का मतदान में हारना

2762. **श्री के० कुन्हम्बु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय संस्थाओं ने मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी की पिछली आम वार्षिक बैठक में दो निदेशकों को मतदान में हरा दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संस्थाओं की इस प्रकार की कार्रवाई के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जयपुर में डायमण्ड कारपोरेशन के शाखा कार्यालय की स्थापना

2763. **श्री आर० डी० गट्टानी :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार टायमंड कारपोरेशन को अपना शाखा कार्यालय जयपुर में, जो हीरों के व्यापार का एक बड़ा केन्द्र है, स्थापित करने की सलाह देगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरफि बेग) : काम की मात्रा तथा अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए जयपुर में शाखा कार्यालय स्थापित करने के बारे में निर्णय लेना हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी का काम है । तथापि, इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

होटलों के विस्तार पर प्रतिबंध

2764. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटलों के किस समूह (समूहों) के और आगे विस्तार पर प्रतिबन्ध है ;

(ख) क्या ओबराय होटल समूह के विस्तार पर भी प्रतिबन्ध है ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) और (ख) के **बारे में** विस्तृत कारण बतायें तथा यह प्रतिबन्ध कब तक उठाया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) किसी भी श्रेणी या वर्ग के होटलों के और विस्तार करने पर **कोई** प्रतिबन्ध नहीं **है** ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

आयकर निरीक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

2765. **श्री राघवजी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग में आयकर निरीक्षक का पद एक कार्यकारी पद है जिस पर परिवीक्षक से अधिक जिम्मेदारी है और उसके वेतनमान क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयकर विभाग में परिवीक्षक का पद अनुसचिवीय पद है और उसके वेतनमान क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त (क) और (ख) के बीच असमानताओं को ध्यान में रखते हुए आयकर कर्मचारी संघ ने आयकर निरीक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो आयकर निरीक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस सम्बन्ध में कब आदेश जारी किए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) और (ख) आयकर निरीक्षक का पद रु० 425-800 के वेतनमान में ग्रुप (ग) गैर-मंत्रालयी पद है । वे ऐसे विशिष्ट कार्यों को करने के लिये जिम्मेवार होते हैं जो उन्हें उन आयकर आयुक्तों अथवा किसी अन्य आयकर प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाते है जिनके अधीन काम करने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है । दूसरी ओर पर्यवेक्षक का पद ग्रुप 'ग' मंत्रालयी पद है । पर्यवेक्षक ग्रेड I,

का वेतनमान रु० 700-900 है और पर्यवेक्षक, ग्रेड II, का वेतनमान रु० 550-750 है। पर्यवेक्षकों को आयकर विभाग के मंत्रालयी कर्मचारियों के ऊपर देख रेख का कार्य करना होता है। इसके अतिरिक्त, वे कर की संगठनाओं सांख्यिकी रिपोर्टों की भी जांच करते हैं और ऐसे किसी भी अन्य विशिष्ट कार्य को करते हैं जो उन्हें सौंपे जाते है।

(ग) और (ख) आयकर कर्मचारी संघ ने आयकर निरीक्षकों के वेतनमान को संशोधित करने का प्रश्न वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् में उठाया है। इस प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है।

बंगाल पेपर मिल, रानीगंज में लगाई गई सरकारी पूंजी की हानि

2767. **श्री रोबिन सेन :** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड रानीगंज को 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त-होने वाले वर्ष में कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, यूनिट ट्रस्ट और अनेक राष्ट्रीय कृत बैंकों ने इस कपम्पनी में बड़ी धनराशि लगाई थी ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रत्येक संस्था ने कितनी पूंजी लगाई ;

(घ) क्या विभिन्न सरकारी वित्तीय और गैर सरकारी संस्थाओं जिन्होंने उक्त कम्पनी में पूंजी निवेश किया, कम्पनी की अन्तिम वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया था और यदि हां, तो वे सरकार और जनता के हितों की ओर कैसे ध्यान दे रहे हैं ;

(ङ) क्या कम्पनी की वर्तमान स्थिति बहुत खराब है और यदि वर्तमान स्थिति जारी रही, तो कम्पनी अपनी अर्थ क्षमता खो बैठेगी ; और

(च) क्या उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार कम्पनी के प्रबन्ध और उन सरकारी वित्तीय संस्थाओं के आचार के बारे में भी, जिन्होंने इस कम्पनी में भारी राशि लगाई है, एक निष्पक्ष जांच समिति द्वारा जांच करवाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) (ख, (ग), (घ), (ङ) और (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जायगी।

IMPORT OF SPICES AND DRY FRUITS

2768. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state the quantity of spices and dry fruits imported during the last three years, year-wise and the names of the countries from which these items have been imported ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing quantity of spices, dried fruit (including artificially dehydrated) and edible nuts, fresh or dried (other than nuts chiefly used for the extracting of oil and coconut fresh) imported during 1975-76 to 1977-78 (upto Nov., 77).

S. No.	Description of the item	Quantity imported (lakh kilograms)			Countries from which these items were imported
		1975-76	1976-77	1977-78 (upto Nov., 77)	
1	2	3	4	5	6
1.	Spices	14	17	17	Afghanistan, Czechoslovakia, Congo, China Republic, Columbia, German Federal Republic, Hongkong, Indonesia, Iran, Iceland, Japan, Madagascar (Malagasy Republic), Malaysia, Morocco, Nepal, Poland, Singapore, Srilanka, Seycheiles, Tanzania Republic, Thailand, U.K., United Arab Emirates and Zambia.
2.	Dry fruits (i.e. dried fruits and edible nuts, fresh or dried, other than nuts chiefly used for extracting oil and coconut fresh)	458	327	750	Afghanistan, Australia, Dahomey Republic, Greece, German Federal Republic, Hongkong, Iran, Iraq, Indonesia, Kenya, Madagascar, Nepal, Oman Other East Africa, Other Af-African Countries, Singapore, Seychelles, Tanzania Repulic, Turkey, U.K. and U.S.A.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने की बिक्री का करेंसी की स्थिरता का प्रभाव

2769. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने की बिक्री का उद्देश्य क्या है और अब तक की गई सोने की नीलामी से यह उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी उद्यमियों को सोने की बिक्री के कारण रिजर्व बैंक के सोने के स्टाक में कमी का हमारी करेंसी की स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने हमारी करेंसी की स्थिरता की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार ने सोना बेचने की योजना देश में सोने की तस्करी की बुराई को दूर करने के लिए किए जा रहे निवारक उपायों को पुष्ट करने के आर्थिक उपाय के रूप में बनायी है । सोने की बिक्री के कारण, सोने के तस्कर व्यापार को बड़े पैमाने पर रोकने में सफलता मिली है । सोना बेचने की कार्यवाही शुरू

करने के समय से, देश में सोने की कीमतों का कुछ नीचे उतरने का रुख भी दिखाई दिया है ।

(ख) सोने की बिक्री "देश की मुद्रार्थ आरक्षित निधि" से भिन्न सोने के संचित स्टाक से की जा रही है । इस लिए सोने की इस बिक्री का हमारी मुद्रा की साख पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हैदराबाद के लिए विमान तकनीशियनों का चैनल

2770. **श्री पी० वी० नरसिम्हा राव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने ऐसे शिशिक्षुओं में से हैदराबाद बेस के लिये विमान तकनीशियनों का एक पेनल बनाया था जिन्होंने 1972 या उसके आस-पास इण्डियन एयर-लाइंस के इलैक्ट्रिकल के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया था ;

(ख) क्या पैनल को समय-समय पर बढ़ाया गया था जैसा कि कांमर्शियल पाइलटों के पैनल के मामले में किया गया ;

(ग) यदि नहीं तो क्यों;

(घ) उस पैनल में से कितने व्यक्तियों को कब तक रोजगार दिया गया है ; और

(ङ) क्या शेष शिशिक्षुओं को कामर्शियल पाइलटों की भांति निकट भविष्य में रोजगार दे दिया जायगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने 1972 में "इलेक्ट्रिकल ट्रेड" के लिए एयरक्राफ्ट तकनीशियनों के पदों के लिए 28 उम्मीदवारों का, जिन में भूतपूर्व अप्रेंटिस भी सम्मिलित थे, एक पेनल तैयार किया था ।

(ख) और (ग) इस पेनल की अवधि स्वाभाविक रूप से 27 सितम्बर, 1973 को समाप्त हो गयी । तथापि, वाणिज्यिक विमानचालकों के पेनल की अवधि को, वाणिज्यिक विमानचालकों के रोजगार की विकट समस्या तथा विमानचालकों की चयन प्रक्रिया की जटिलता को दृष्टि में रखते हुए, जिसकी कि एयरक्राफ्ट तकनीशियनों से कोई तुलना नहीं की जा सकती एक विशेष मामले के तौर पर समय-समय पर बढ़ाया गया था ।

(घ) चौदह ।

(ङ) एयरक्राफ्ट तकनीशियनों के पेनल को, जिसकी कि अवधि 1973 में समाप्त हो गयी थी, अब इस समय पुनरुज्जीवित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नागरिक पूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के शाखा स्टोर पर छापा मारना

2772. **श्री शिव सम्पति राम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रित कपड़े की बिक्री के सम्बन्ध में नागरिक पूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली के कुछ शाखा स्टोरों पर छापा मारा गया था ;

(ख) क्या किन्ही अनियमितताओं का पता लगा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जिन व्यक्तियों ने ये अनियमितताएं की है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी लिमिटेड समिति की माल रोड तथा कस्तूरबा नगर स्थित शाखाओं की दिल्ली प्रशासन के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा क्रमश : 6 दिसम्बर, 1977 और 26 मई, 1978 को जांच की गई थी ।

(ख) माल रोड की शाखा के निरीक्षण से पता चला कि लाइसेंसधारियों ने नकदी पुर्जों पर ग्राहकों के नाम, पते व खाद्य काडं संख्या नहीं लिखी है और साथ ही 8 अक्तूबर, 1977 से 14 नवम्बर, 1977 के बीच जारी किये गये नकदी पुर्जों पर ग्राहकों के हस्ताक्षर नहीं कराये हैं । कस्तूरबा नगर की शाखा के निरीक्षण से पता चला कि 1,828.75 मीटर नियंत्रित कपड़ा तथा 9 धोतियां/साड़ी प्रिंटस कम थे ।

(ग) माल रोड की शाखा को 1-2-1978 को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया और यह मामला सक्षम अधिकारी के पास निर्णय के लिये पड़ा हुआ है ।

कस्तूरबा नगर शाखा का नियंत्रित कपड़ा बेचने का अधिकार 4-7-1978 को निलंबित कर दिया गया है । इस शाखा को भी 14-7-1978 को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है और इस बारे में आगे की जाने वाली कार्रवाई का निणर्य उनके उत्तर प्राप्त होने पर किया जायेगा ।

समिति ने संबंधित कर्मचारी से कस्तूरबा नगर शाखा में कम पाई गई वस्तुओं की कीमत के 4722.34 रु० वसूल कर लिये हैं और उसका कर्मचारी के विरुद्ध उपर्युक्त अनुशास्नात्मक कारवाई करने का भी विचार है ।

TRANSFER POLICY OF DENA BANK

2773. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the policy of the Dena Bank is to transfer its employees and officers within the same region;

(b) whether this policy is not applied in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe staff and officers and they are transferred on all India basis; and

(c) if so, the reasons for following a policy of discrimination in and victimisation towards the S.C./S.T. employees of the Bank in matter of their transfer and action proposed to be taken by Government to put an end to such a policy ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Dena Bank has informed Government that its officers in junior grade (pay scale 'C') though liable to be transferred anywhere in India are generally transferred within the common seniority regions in terms of agreements entered into by the management with its employees unions.

(b) & (c) This policy is also applied in the case of SC/ST candidates like all others. However, Dena Bank entered into an ad hoc settlement with the All India Dena Bank Employees Coordination Committee on 15-12-1977 to enable SC/ST candidates to compete on All India basis for 52 reserved vacancies. All 52 SC and ST employees were promoted to officers category in Bank's pay scale 'C' and were posted in the same region or to the region of their preference except five at the bottom of the list who could not be accommodated for want of vacancies in their desired region. Since the agreement was in the nature of an extra concession to SC/ST candidates it does not appear that Bank is practicing discrimination.

कोंकण क्षेत्र में देशीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना

2774. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि,:

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और विशेष रूप से रत्नगिरी जिले के तट पर देशीय और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पर्यटन क्षमतायें है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके लिये आवश्यक आधारभूत ढांचा बनाने का है ; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिये कोंकण क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का है

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) (ख) और (ग) इस क्षेत्र में अन्तर्देशीय पर्यटन के विकास की काफी संभावना है तथा महाराष्ट्र सरकार ने रत्नगिरि में गणपतिपुले मन्दिर में निम्नलिखित परियोजनाओं को अपनी 1978-79 की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया है :—

स्कीम का नाम	अनुमानित व्यय
हॉलिडे कैम्प में शयन शालाओं, स्टाफ क्वार्टरों, वाटरटैंकों आदि को पूरा करना	8 लाख रुपये

रत्नगिरि तथा अम्बोली के विकास को भी अन्तर्देशीय पर्यटन की अभिवृद्धि की दृष्टि से उनके महत्व के कारण राज्य सरकार से प्राप्त पर्स्पेक्टिव प्लान के प्रस्तावों में सम्मिलित किया गया है ।

विदेशों में संयुक्त उपक्रम (औद्योगिक परियोजना) स्थापित करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

2775. **श्री पायस टिर्की :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में भारत के बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा विदेशों में संयुक्त उपक्रम (औद्योगिक परियोजनाएं) स्थापित करने के बारें में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या सरकार ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत अभी तक किसी परियोजना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों की स्थापना को नियंत्रित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों की ओर ध्यान दिलाया जाता है जो लोक सभा में 28 अप्रैल, 1978 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सख्या 8568 के उत्तर में संलग्न किये गये हैं ।

(ग) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का क्षेत्र	उस देश का नाम जिसमें संयुक्त उद्यम स्थापित किया जायेगा	सरकार के अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4
1.	ताड़ के तेल को शोधित करना तथा प्रभाजन करना	मलयेशिया	4-4-78
2.	कार्बन ब्लैक	थाईलैंड	7-4-78
3.	विस्कोस स्टेपल रेशा	इण्डोनेशिया	12-4-78
4.	नारियल तेल परियोजना	फिलीपीन	13-4-78
5.	कासा अटलांटिक होटल को पट्टे पर लेना तथा चलाना	स्पेन	20-4-78
6.	इंजीनियरी तथा परियोजन संविदा सेवाएं	सऊदी अरब	22-4-78
7.	रंजक सामग्री	इण्डोनेशिया	22-4-78
8.	साइकिल के टायर तथा ट्यूबें	कनाडा	22-4-78
9.	विस्कोस स्टेपल रेशा	इण्डोनेशिया	3-6-78
10.	ट्रांसमिशन लाइनों के बारे में विद्यमान संविदाओं पर कार्य करना तथा नई संविदाएं करना ।	नाइजीरिया	5-6-78
11.	सी० रिपोर्टे होटल	सैचल्स	6-6-78
12.	लुगदी	थाईलैंड	6-6-78
13.	एक विद्यमान रेस्तरा में भागीदारी तथा हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना आदि ।	सं० रा० अमरीका	17-6-7
14.	प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट	सं० अरब अमीरात	19-6-78
15.	डैड बर्नट मैग्नेसाइट तथा रिफ्रेक्ट्रीज	नेपाल	11-7-78
16.	तीसरे देशों में परयोजनाएं लगाने का काम लेना	प० जर्मनी	22-6-78
17.	निर्माण कार्य परियोजनाओं से सम्बन्धित संविदाएं	कुवेत	26-6-78
18.	इस्पात तार रस्से	युगोस्लाविया	7-7-78

पार्ले ग्रुप के निदेशक की उपलब्धियों के बारे में जांच

2776. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारले ग्रुप के निदेशक डा० सी० रोजी को अनेक आर्थिक अपराधों में जिनके मामले में सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क निदेशालय मे छापे मारे थे, अन्तर्ग्रस्त होने के संबंध में उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ जांच चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो यदि जांच पूरी हो गई हैं तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने, 15–11–1977 को इटली के एक तकनीशियन डा० सी० रोसी तथा मैसर्स विल्सेरी इण्डिया प्रा० लि० के एक निदेशक के बम्बई स्थित निवास स्थानों की विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 36 के अन्तर्गत, तलाशी ली और कुछ दस्तावेज तथा 319 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा पकड़ी। जांच चल रही है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन मामले

2777. **श्री ब्रज भूषण तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीच गुप्तचर विभाग/सतर्कता कार्यालय, कलकत्ता में सरकारी क्षेत्र के उद्यम के अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण के कलकत्ता शाखा में 28 मामले विचाराधीन हैं। इनमें से 16 मामलों की जांच की जा रही है। नौ मामलों में जांच का काम लगभग पूरा हो चुका है और दो मामलों में जांच हो चुकी है, किन्तु मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। यह स्वीकृति मिलते ही न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया जायेगा। एक मामले की जांच तो की जा चुकी है, किन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश को ध्यान में रखते हुये आरोप-पत्र न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता है।

इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यवेक्षी अधिकारी इनकी प्रगति की ओर लगातार स्थान दे रहे हैं तथा विशेषज्ञों की राय के लिए भेजे गए मामलों और विभिन्न साधनों से सुसंगत कागजात एवं आंकड़े एकक करने में कम से कम समय लगाया जा रहा है।

तेल उद्योग के लिए विश्व बैंक से सहायता

2778. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विकासशील देशों में तेल उद्योग के लिए सहायता बढ़ाने का निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस इस कार्य के लिए हमारे देश को सहायता देने का निर्णय किया है।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) जी, हां।

(ख) विश्व बक ने तेल और गैस की खोज के प्रयोजन के बाम्बे हाई अपतट क्षेत्र का विकास करने के लिये जून, 1977 में 15 करोड़ डालर का एक ऋण दिया था।

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशी पूंजी निवेश पर नियंत्रण के बारे में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्ध

2779. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के वर्तमान उपबंध बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा भारत में विदेशी पूंजी निवेश का नियंत्रण करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विदेशी पूंजी का नियंत्रण करने हेतु विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में कोई संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच एम० पटेल) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

2780. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में, इनके स्थान पर कृत्रिम रेशे का उपयोग होने के कारण इसे धक्का पहुंचने के पश्चात, अब सुधार हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण तेल संकट भी था ; और

(ग) इस उद्योग में विशेष कर केरल के केन्द्रों में कार्य पूंजी बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) कयर उत्पादों के निर्यात की मात्रा 1976-77 से बढ़नी आरम्भ हो गई है ।

(ख) जी हां । नियतों में वृद्धि के कारणों मे एक कारण तेल संकट था ।

(ग) पांचवीं योजना अवधि के दौरान वर्तमान अर्थक्षम सहकारी समितियों की तथा जिन सहकारी समितियों के अर्थक्षम होने की सम्भावना है उनकी धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केरल सरकार को 4.21 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई । इसमें से 153 लाख रु० की राशि प्राथमिक सहकारी समितियों के लिये कार्यकारी पूंजी के रूप में उपयोग के लिये थी ।

पटना में रेल डकैती

2781. **श्री के० मलप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मई, 1978 को पटना में एक राष्ट्रीकृत बैंक में दिन दहाड़े डकैती पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त डकैती में कितनी धनराशि गई और क्या उक्त घटना में किसी व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ा था;

(ग) क्या इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस के असफल रहने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) 19 मई, 1978 को, पंजाब नेशनल बैंक की न्यू मार्केट पटना स्टेशन रोड शाखा में कुछ डकैत घुस आये थे और उन्होंने प्रबन्धक और कैशियर को तिजौरी खोलने के लिए बाध्य किया तथा 72,266.01 रुपये की राशि लेकर चम्पत हो गये। जन-जीवन की कोई हानि नहीं हुई थी, किन्तु कर्मचारियों में से कुछ घायल हुये थे। बैंक ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। बैंक ने सूचित किया है कि इस मामलों में पुलिस द्वारा कुछ व्यक्ति पकड़ लिए गये हैं।

आयकर तलाशियां

2782. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977-78 में आय कर तलाशियों की संख्या में भारी कमी आई है ;

(ख) 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के आय कर तलाशियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और क्या ऐसा आयात स्थिति उठाने के कारण हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क), (ख) और (ग) आय-कर प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान तलाशी लेने और माल पकड़ने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों की संख्या निम्नानुसार है :—

1975-76	1976-77	1977-78
2,635	3,571	617

आयकर विभाग, कर-अपवंचन को रोकने के निमित्त कर-कानूनों को लागू करने के लिए विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न तरीकों अर्थात गुप्त सूचना, जांच, लेखा-पुस्तकों की छानबीन, सर्वेक्षण और तलाशियां लेने की शक्तियों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करके अब एक सुसम्बद्ध दृष्टिकोण अपना रहा है। जिन मामलों में ऐसी विश्वसनीय सूचना है कि उसके आधार पर ऐसे छिपे हुए धन का पता लग सकता है जिसे आयकर अधिनियम के अधीन उपलब्ध अन्य तरीकों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, उन मामलों में तलाशी लेने और अभिग्रहण की प्रबल शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है।

डा० धर्मतेजा की फाइल से नोट का कथित गायब होना

2783 **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करों का भुगतान न करने के लिए डा० धर्म तेजा का गिरफ्तारी का सुझाव देने के बारे में डा० धर्म तेजा की फाइल में लगा हुआ नोट वित्त विभाग की फाइल पर था और अब वह गायब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और दोषी अधिकारियों को क्या दण्ड दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, से प्राप्त तारीख 7-6-1975 का वह पत्र, जिसमें करों की अदायगी नहीं करने के लिए डा० तेजा को गिरफ्तार करने का सुझाव दिया गया था, फाइल में है और गुम नहीं हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सुपर बाजार कर्मचारी संघर्ष समिति का ज्ञापन

2784. **श्री एस० जी० मुरूगय्यन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री को सुपर बाजार कर्मचारी संघर्ष समिति से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें सुपर बाजार के प्रबन्ध में अनियमितताओं के अनेक मामलों के बारे में बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां । उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है।

(ख) कर्मचारियों की मुख्य, शिकायतें कर्मचारियों को सेवाएं समाप्त करने, उच्च पदों पर नये व्यक्तियों को नियुक्ति करने, कुछ मामलों में भारी व्यय करने आदि से संबंधित है। सरकार ने अध्यक्ष से आवश्यक कार्रवाई के लिए इस मामले को सहकारी भंडार की प्रबन्ध समिति के समक्ष रखने के लिए कहा है । इस बीच, कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि सुपर बाजार के कार्यकरण को पुनर्व्यवस्थित करने तथा कारगर बनाते समय उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया जायेगा ।

OFFICIAL TOURS OF MINISTERS TO FOREIGN COUNTRIES

2785. SHRI LALJI BHAI
SHRI BIRENDRA PRASAD
SHRI DRONAM RAJU SATYANARAYANA
SHRI B. P. KADAM
SHRI G. S. REDDI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the Union Cabinet Ministers and the Ministers of State who made official tours to foreign countries during the last one year indicating the names of the countries visited by them;

(b) the names of the other officers who accompanied these Ministers during these tours; and

(c) the total expenditure in foreign exchange incurred on these tours ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a), (b) and (c) The required information for the period August, 1977 to July, 1978, is bing collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

EXPORT OF IRON ORE FROM BAILADILA

2786. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state whether all the iron ore extracted from iron ore mines in Bailadila in Bastar District of Madhya Pradesh is not being exported to Japan these days as a result of which a problem for retrenchment of workers has arisen and whether in order to solve this problem Government propose to set up a mini steel plant or pelletisation plant in Bailadila ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : Although the off-take of iron ore from Bailadila by Japan has been reduced, no worker directly employed by National Mineral Development Corporation has been retrenched. No proposal for setting up a mini steel plant has been received by the Government. However, proposal for setting up a pelletisation plant based on the fines generated of Bailadila Deposit No. 5 and 14 to under consideration of the Department of Steel.

AGREEMENT WITH EEC FOR EXPORT OF COAL

2787. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether any agreement has been reached between the Government and European Economic Community (E. E. C.) is regard to export of coal; and

(b) if so, the quantity of coal to be exported under the agreement and the financial gain likely to accrue to Government as a result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

OFFICIALS SENT ABROAD FOR TRAINING IN EXPORT PROMOTION

2788. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the number of Central and State officials sent abroad for training in export promotion and matters connected therewith during the past three years and the expenditure incurred on them, year-wise; and

(b) the number of export managers of private sector sent for the purpose during the same period and the expenditure incurred on them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b) The information being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

ब्रिटेन और यूरोपीय देशों को परिष्कृत चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

2789. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के परिष्कृत चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं निर्यात करने की बहुत अधिक गुंजाइश है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख) जी हां। ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों को तैयार चमड़े व चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्यातों में और वृद्धि करने के प्रश्न को सरकार द्वारा उचित रूप से विभिन्न द्विपक्षीय तथा अन्य मंचों पर उठाया जाता है। इन देशों में लगने वाले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदशनियों में चमड़ा तथा चमड़ा व्यापार निर्यात संवर्धन परिषदों को भाग लेने की भी अनुमति दी जाती है।

तैयार चमड़े तथा चमड़े से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। इन निर्यातों के आधार पर कुछ प्रोत्साहन दिये गए हैं। और हवाई भाड़ा उपदान, चमड़ा मशीनरी को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रख कर उस के आयात के लिए उदार नीति, आदि अर्ध तैयार चमड़ियों तथा खालों के निर्यात को एक साथ निर्यात कोटों व उन पर लगाये गये निर्यात शुल्कों के अंतर्गत रखा गया है ।

निर्यात लक्ष्य

2790. **श्री टी० ए० पई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के निर्यात लक्ष्य कम कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) चालू वर्ष के लिए निर्यात लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो 5800 से 6000 करोड़ रु० तक का है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विमान किरायों में वृद्धि

2791. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान किरायों में वृद्धि करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रस्तावित पुनरीक्षित विमान किरायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) सरकार को एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पिल्लै समिति के प्रतिवेदन की क्रियान्विति के बारे में आल इंडिया यूनियन बैंक आफिसर्स फेडरेशन से प्राप्त अपील

2792. **श्री निर्मल चन्द जैन :** क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इण्डिया यूनियन बैंक आफिसर्स फेडरेशन से कोई अपील प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि पिल्लै समिति के प्रतिवेदन के क्रियान्विति के नाम में वास्तव में वेतन-वृद्धि पर रोक लगा दी गई है और सीनियर क्लर्क अधिकारियों से अधिक वेतन प्राप्त करेगा ;

(ख) इस संबंध में अन्य बैंक कर्मचारी संघों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बैंकों और जीवन बीमा निगम में केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की तुलना में बहुत अधिक वेतन दिया जाता है ; और

(घ) समानता रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) अन्य यूनियनों ने वेतनमानों, भत्तों और अनुलाभों को तर्क संगत बनाने तथा उनका मानकीकरण करने विषयक पिल्लै समिति के कार्यान्वयन का आम तौर से विरोध किया है।

(ग) जी हां।

(घ) पिल्लै समिति योजना ने कुछ अंश तक सरकारी वेतन ढांचे और महंगाई भत्ता फार्मूले पर लागू होने वाले सिद्धान्तों को आधार माना है और इस लिए पिल्लै समिति योजना के कार्यन्वयन से अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के बीच कुछ अंशों में समानता आ जाने की सम्भावना है।

प्रवर्तन निदेशालय, बम्बई के विचाराधीन मैसर्स कास्ट्रोल लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत

2793. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कास्ट्रोल लिमिटेड, एक बहु राष्ट्रीय कम्पनी के विरुद्ध कथित लेखा-बाह्य धन रखने और विदेशों में धनराशि के अवैध अन्तरण की कोई शिकायत प्रवर्तन निदेशालय, बम्बई के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी ने गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी धन राशि का विदेशों में अन्तरण किया ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय के बम्बई स्थित कार्यालय, मेसर्स कास्ट्रोल लिमिटेड के विरुद्ध, गैर कानूनी तौर से विदेश धन भेजने की शिकायत की जांच कर रहा है, और यदि विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की व्यवस्थाओं के उल्लंघन का कोई मामला पाया जायेगा तो उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ मैसर्स कास्ट्रोल लिमिटेड द्वारा कर अपवंचन की भी शिकायत की एक नकल आयकर विभाग को प्रवर्तन निदेशालय की मार्फत मिली है, और इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है।

विभिन्न ब्याज दर योजना का विस्तार

2794. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ब्याज दर योजना को देश भर में लागू करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों को इस बात का ध्यान रखने के लिए अनुदेश दिये गये थे कि इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित राशि का दो तिहाई भाग बैंकों की ग्रामीण तथा अर्ध नागरिक शाखाओं के माध्यम से जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क), (ख) और (ग) जी हां। 24 मई, 1977 को जारी की गयी विभेदी ब्याज दर योजना विषयक संशोधित मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति विवरण में दी जा रही है।

विवरण

विभेदी ब्याज दर योजना के संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. कार्य क्षेत्र और व्याप्ति।

1.1 यह योजना सारे देश में लागू होगी।

1.2 लक्ष्य : बैंकों को चाहिए कि पिछले वर्ष के अंत के कुल ऋणों के कम से कम 1 प्रतिशत का 1/2 इस योजना के अंतर्गत दें।

1.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को प्राप्त हो और अधिकांश अग्रिम शहरी/महानगरी क्षेत्रों में ही न दे दिये जाएं, इस योजना को चलाने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना के अंतर्गत उनके अग्रिमों का कम से कम 2/3 भाग उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के माध्यम से दिये जायें। तदनुरूप इस योजना के अंतर्गत उनके अग्रिमों का 1/3 से अधिक भाग उनकी शहरी और महानगरीय शाखाओं से नहीं दिया जाना चाहिए।

1.4 यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभों का उचित हिस्सा पायें, इस योजना के अंतर्गत बैंक अग्रिमों का कम से कम 1/3 भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के पात्र ऋणकर्ताओं को दिया जाना चाहिए।

2. **परिचालन अभिकरण**

2.1 सरकारी क्षेत्र के बैंक : विभेदी ब्याज दर योजना का संचालन सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक करेंगे।

2.2 गैर राष्ट्रीयकृत बैंक : जिन गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लीड-जिम्मेदारी है वे कम से कम अपने लीड जिलों में यह योजना चलायेंगे। अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक भी स्वेच्छा के आधार पर इस योजना का कार्यान्वयन कर सकते हैं।

2.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना के अंतर्गत, ऋणकर्ताओं को ऋण उसी दर पर उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर सहकारी समितियों से दिया जाता है। इसलिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देने की इन बैंकों को अनुमति नहीं होती यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन बैंकों का लाभ पाने वाले व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पा सकें, प्रायोजक बैंक, अभिकरण एजेंसी के आधार पर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मार्फत उधार दे सकते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्रों के पात्र ऋणकर्ता वार्षिक 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

2.4 पात्रता का मापदण्ड : पैराग्राफ 4 में दिये गये वर्गों वाले व्यक्ति के पास यदि कोई ठोस जमानत देने के लिए नहीं है अथवा वह किसी सम्पन्न व्यक्ति की जमानत गारण्टी प्रस्तुत नहीं कर सकता तो भी वह इस योजना का लाभ पाने का पात्र होगा। बशर्ते वह निम्नलिखित माप दण्ड पूरा करता हो :—

3.1 सभी साधनों से ऋणकर्ताओं के परिवार की आय शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में वार्षिक 3000/- रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक 2000/ रुपये से अधिक न हो।

3.2 उसके पास कोई भूमि न हो अथवा उसकी भूमि की जोत सिंचित होने पर एक एकड़ से और असिंचित होने पर 2.5 एकड़ अधिक न हो।

3.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के पास भूमि की जोत कितनी भी होने पर वे ऋण के पात्र होंगे बशर्ते कि वह अन्य माप दण्ड पूरे करते हों।

3.4 वह बैंकों की सहायता से ऐसे उत्पादक प्रयासों द्वारा अपने वर्तमान आर्थिक स्तर से ऊपर उठने में मदद पा सकता है जो लगभग 3 वर्ष की अवधि में अर्थक्षम हो सकेंगे।

3.5 वह एक साथ दो वित्तीय स्त्रोतों के प्रति देनदारी नहीं स्वीकार करता।

3.6 वह स्वयं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों अथवा अपने कुछ संयुक्त साझीदारों की सहायता से काम करता है और नियमित रूप से वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त नहीं करता।

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

यहां यह आशय नहीं है कि इस योजना के अंतर्गत अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए ऋण कर्ता से लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाये। यह आशा की जाती है कि शाखा स्तर के बैंक अधिकारी ऋणकर्ता की आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों से परिचित होंगे। वे प्रत्येक मामलों में ऋण मंजूर करने से पहिले इस पैराग्राफ में दी गई शर्तों को ध्यान में रखकर यथावश्यक स्थानीय पूछताछ कर सकते हैं।

4. पात्र व्यक्तियों के वर्ग : जो व्यक्ति आय और भूमि की जोत के माप दण्ड पूरे करते हों और मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हों वे इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। (सूची केवल उदाहरण के रूप में है और वह व्यापक नहीं है।)

4.1 कृषि और/अथवा कृषि संबंधी कार्यकलापों में लगी अनुसूचित जन जातियां, अनुसूचित जातियां और अन्य व्यक्ति।

4.2 वन उत्पादों को स्वयं इकट्ठा करने अथवा उनका आरम्भिक विधायन करने वाले व्यक्ति और दुर्गम क्षेत्रों में स्वयं चारा इकट्ठा करके किसानों और व्यापारियों को बेचने वाले व्यक्ति।

4.3 कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और व्यवसायों में सीमित पैमाने पर स्वयं काम करने वाले व्यक्ति/ उदाहरण स्वरूप ये काम : कपड़ा काटना और वस्त्रों की सिलाई, काफी सस्ते खाद्य पदार्थ बनाना, वस्तुओं और नित्य उपयोग की वस्तुओं को घर घर पहुंचाने की सेवा, सड़क के किनारे चाय की दुकान करना, स्वयं अपना हाथ-ठेला और साइकल रिक्शा चलाना, जूते/ चप्पल की मुख्यत: हाथ से मरम्मत करना, हाथ से टोकरी बनाना आदि।

4.4 उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छक होनहार निर्धन विद्यार्थी जिन्हें सरकार से अथवा शिक्षा अधिकारियों से वजीफा/निर्वाह अनुदान नहीं मिलता ।

4.5 लाभप्रद व्यवसाय करने वाले विकलांग व्यक्ति ।

5. **ऋण के निबन्धन और शर्तें :** इस योजना के अधीन ऋण की शर्तें और निबन्धन निम्नलिखित होंगे :

5.1 ऋण की मात्रा उस योजना विशेष पर निर्भर होगी जिसमें धन लगाया जाय और वह इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि ऋणकर्ता अन्य स्रोत से धन लिए बिना अपनी वित्तीय सहायता पूरी कर सके । आशा है कि सामान्य रूप से इस योजना के अंतर्गत कार्य चालन पूंजी ऋण के लिए 1,500 रुपये और सावधिक ऋण के लिए 5,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी । असाधारण मामलों में, विशेष से रूप संस्थाओं के मामले में और होनहार निर्धन विद्यार्थियों के मामले में अधिक रकम पर विचार किया जा सकता है ।

5.2 कार्य चालन पूंजी और सावधिक ऋण दोनों ऋण कर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार देय होंगे ।

5.3 मार्जिन धन की अपेक्षा पर जोर नहीं दिया जायगा क्योंकि ऋण कर्ताओं का यह वर्ग समाज के सबसे कमजोर स्तर का है और मार्जिन धन सदैव प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हो सकता ।

5.4 ब्याज की दर एक समान वार्षिक 4 प्रतिशत नियत की जायगी ।

5.5 स्थिर परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए सावधिक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । जिसमें मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष से अधिक छूट की अवधि शामिल होगी । ऋण कर्ता के कार्यकलाप के प्रकार और योजना की अर्थ व्यवस्था की ध्यान में रखकर प्रत्येक मामले में अदायगी का कार्यक्रम तैयार किया जायगा । ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए अधिशेष राशि का निर्धारण करने में स्वयं ऋणकर्ता की निर्वाह आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त छूट दी जायगी ।

5.6 ऋण से खरीदी गई संपत्ति को बैंक के पास बन्धक रखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, एक प्रकार के ऋणकर्ताओं के समूह को ऋण के उचित मामलों में सामूहिक गारण्टी स्वीकार की जा सकती है ।

5.7 प्रत्येक ऋण को ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवर किया जायगा । गारंटी फीस*

5.8 यदि बैंकों को प्रभावित की गई संपत्ति का बीमा आवश्यक समझा जाय तो उसका व्यय बैंकों द्वारा वहन किया जायगा ।

5.9 यदि आवश्यक हुआ तो बैंक अदायगी के लिए आरंभ में कुछ उचित स्थगन पर विचार कर सकता है ।

*ऋणकर्ता से नहीं ली जाएगी बल्कि बैंकों द्वारा वहन की जाएगी ।

6. **संस्थाएं :** निम्नलिखित संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र होंगी।

6.1 **अनाथालय और महिला आश्रम:** जहां बिक्री के लिए सामान बनाया जाता है और विश्वसनीय वित्तीय साधन अर्थात् धर्मार्थ निधि अथवा नियमित दान की व्यवस्था नहीं है ।

6.2 विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाएं जहां लाभप्रद व्यवसाय चलाया जाता है और टिकाऊ उपकरण और/अथवा कच्चे माल की लगातार सप्लाई उपयोगी है ।
टिप्पणी : विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं, अनाथालयों और महिला आश्रमों को आय के माप दण्ड से छूट दी जायगी। फिर भी, यह सुनिश्चित करना होगा कि ये संस्थाएं धन का उपयोग केवल उत्पादक प्रयोजनों के लिए करें, न कि उससे अपना सामान्य प्रशासनिक और संगठन का खर्च पूरा करें । इन संस्थाओं की वास्तविकता के बारे में भी स्वतंत्र स्रोतों के माध्यम से जांच करना आवश्यक है।

7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए राज्य निगम : बैंक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कल्याण के लिए बने राज्य निगमों के माध्यम से ऋण दे सकते हैं बशर्ते कि निगम से लाभ पाने वाले पैरा 3 में दिये गये पात्रता के माप दण्ड और इस योजना में दी गई शर्तें और निबंधन पूरे करते हों ।

7.1 स्वयं निगमों की आय के मापदंड से छूट होगी।

7.2 निगमों द्वारा बनाई गई केवल विशिष्ट और वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम योजनाओं के लिए उन्हें धन उपलब्ध कराया जायगा । निगम आगे कोई सेवा प्रभार (सर्विस चार्जेज) नहीं जायेगा और लाभ पाने वालों को वार्षिक 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जायगा ।

7.3 लाभ पाने वालों से वसूली की स्थिति कुछ भी क्यों न हो, निगम, ऋण की वापसी निर्धारित तारीख को करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

7.4 यह सुनिश्चित करने की निगमों की जिम्मेदारी होगी कि जिन उत्पादक प्रयोजनों के लिए धन मंजूर किया गया केवल उन्हीं के लिए उसका उपयोग किया जाय न कि अपना सामान्य संचालन व्यय पूरा करने के लिए उसका उपयोग हो। इस योजना के कार्यान्वियन के लिए किये गये प्रशासनिक और अन्य व्यय की लागत निगमों/राज्य सरकारों द्वारा वहन की जायगी ।

7.5 क्योंकि राज्य निगमों को दिये गये अग्रिम भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की गारंटी के लिए पात्र नहीं होंगे इसलिए राज्य सरकारों को, उधार देने वाले बैंकों की गारंटी देने की व्यवस्था करनी होगी ।

7.6 यदि निगम ऋण की किस्त अदा नहीं कर पाता अथवा इस योजना में दी गई किसी शर्त पर निबंधन का उल्लंघन करता है तो उसे और वित्त पाने का अपना अधिकार खोना पड़ सकता है ।

एनैमल उत्पादों पर उत्पादनशुल्क

2795. **श्री समर गुह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनैमल उत्पादों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण इन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हो गयी है ।

(ख) क्या एनैमल उत्पादों का उपयोग देश में निम्नतम वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो एनैमल उत्पादों के मूल्य में इस वृद्धि से आम जनता द्वारा इन उत्पादों की खरीद की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(घ) यदि हां, तो एनैमल उत्पादों पर उत्पादन शुल्क की वृद्धि से इन कारखानों के लिए गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं ;

(ङ) क्या सरकार को वाइट्स एनैमलर्स एसोसिएशन, कलकत्ता की ओर से दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ;

(च) यदि हां, तो इन ज्ञापनों में उठाई गई समस्याओं के बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(छ) क्या सरकार ने एनैमल उत्पादों पर उत्पादन शुल्क की कमी करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है जिससे कलकत्ता के एनैमल कारखानों को बचाया जा सके तथा आम उपभोक्ताओं को एनैमल उत्पाद सस्ते मूल्य पर मिल सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) यह कहना सही नहीं हो सकता कि एनैमल उत्पादों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि से ऐसे उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है, क्योंकि थोड़े से अपेक्षाकृत बड़े कारखाने ही एनैमल उत्पादों पर शुल्क अदा कर रहे हैं। अधिकांश कारखाने लघु क्षेत्र में हैं, जो एक वर्ष में 30 लाख रुपये तक की अपनी प्रथम निकासियों पर उत्पादनशुल्क की अदायगी से पूरी छूट का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए, उत्पादन शुल्क में वृद्धि का प्रभाव काफी अधिक होने की संभावना नहीं है जिससे एनैमल के सामान के मूल्यों पर असर पड़े ।

(ख) एनैमल के सामान का इस्तेमाल सामान्यत: समाज के गरीब वर्गों द्वारा किया जाता है । अस्पतालों जैसी संस्थाओं और कार्यालयों में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है ।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि एनैमल उत्पादों की कीमत में किसी वृद्धि से जनसाधारण की क्रय क्षमता पर प्रभाव पड़ा है ।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह कहना सही नहीं होगा कि तमाम एनैमल उद्योग को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) इन ज्ञापनों में उठाये गये मुख्य मुद्दे ये थे कि 1977 में एल्युमीनियम के बर्तनों पर उत्पादन शुल्क से दी गयी छूट के अनुरूप एनैमल वेयर उद्योग को भी समस्त उत्पादन शुल्क से छूट दी जाय । यह कहा गया था कि इनैमल वेयर उद्योग, एल्युमीनियम बर्तन उद्योग की अपेक्षा छूट का अधिक पात्र है क्योंकि इनैमल वेयर उद्योग मुख्य रूप से समाज के सबसे गरीब वर्ग के लोगों की जरूरत पूरी करता है और इसकी कुल बिक्री उतनी अधिक नहीं होती जितनी एल्युमीनियम बर्तन उद्योग की होती है जिससे कोई पर्याप्त राजस्व मिल सके । इसके अतिरिक्त, इनैमल उत्पाद मूल्य में सस्ते और अपेक्षाकृत अधिक श्रम प्रधान होने से और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि केवल कुछेक कारखानों पर ही उत्पादन

शुल्क की लेवी का प्रभाव पड़ता है, इनैमल उत्पादों पर समस्त उत्पादन शुल्क से छूट देने की प्रार्थना की गयी है ।

(छ) सरकार ने ज्ञापनों में उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर विचार किया है । यह पाया गया कि इनैमल उत्पादों को समस्त उत्पादन शुल्क से छूट देने का मामला नहीं बनता क्योंकि इनैमल के सामान का निर्माण करने वाले छोटे कारखानों को एक वर्ष में 30 लाख रुपये तक की उनकी निकासियों पर उत्पादन शुल्क से पहले ही छूट प्राप्त है और केवल कुछेक अपेक्षाकृत बड़े कारखाने शुल्क अदा कर रहे हैं ।

तमिलनाडु में होटल चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र से आवेदन

2796. **श्री आर० मोहनरंगम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में होटल चलाने के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी क्षेत्र से गत तीन वर्षों में कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) होटल स्थापित किये जाने के बारे में (एक) व्यक्तियों (दो) फर्मों (3) स्थानों का विवरण क्या है ; और

(ग) इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में होटल चलाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्राइवेट पार्टियों से केवल दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग) : अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

कैलेंडर वर्ष 1975, 1976, 1977 तथा 1978 (30 जून 1978 तक) तमिलनाडु से होटल परियोजनाओं की वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों के ब्योरे ।

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	पार्टी का नाम, परियोजना का स्थान तथा संचालक का नाम	आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख	मांगी गयी सहायता	
			सुविधा	राशि
1	2	3	4	5
1.	ओरिएंटल होटल्स लि०, मद्रास प्रबंध निदेशक : श्री डी० सुब्बाराम रेड्डी	31-3-1975	रुपयों में ऋण	15.00*
2.	पांड्यन होटल्स लि०, मदुरै प्रबंध निदेशक : श्री पी० सी० एम० सुन्दरापांड्यन	22-1-1977	रुपयों में ऋण	6.50**

6		7	8
स्वीकृत की गयी सहायता		30-6-78 तक वितरित की गयी सहायता की राशि	परियोजना के ब्योरे
तारीख	राशि		
6	7	8	9
27-10-75	7.50	7.50	238 एयर कंडिशन्ड डबल बेड रूम्स वाले एक पांच स्टार होटल की स्थापना के लिए परियोजना की लागत में हुए अधिक खर्च के एक भाग को पूरा करने के लिए
11-5-77	3.25	3.25	57 कमरों वाले होटल का नवीकरण एवं स्तरोन्नयन

*अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिल कर।

**3.25 लाख रुपए तक तमिलनाडु औद्योगिक पूंजी निवेश निगम लि० के सहयोग से।

"फाइनेन्स मिनिस्ट्री कवर्स अप-पे आफ्स टू वेन कोका-कोला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2797. **श्री वसंत साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1978 के समाचार साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' में "फाइनेंस मिनिस्ट्री कवर्स अप-पे आफ्स टू वेन कोका कोला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकारी प्रतिक्रिया क्या है और इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसमें लगाये गये गंभीर आरोपों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) प्रश्न में उल्लिखित समाचार से सही स्थिति का पता नहीं चलता 15 नवम्बर, 1977 को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मैसर्स विस्लेरी (इण्डिया) प्रा० लि० बम्बई के परिसरों तथा कुछ अन्य संबंधित परिसरों की तलाशी ली, जिसके परिणामत: कुछ दस्तावेज पकड़े गये हैं। इन दस्तावेजों से दी गई रकमों (पे आफ्स) का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जो कोका कोला के निर्माण पर लगाये गये प्रतिबंध से संबद्ध हों। 15 नवम्बर, 1977 की तलाशी के परिणामत: अब तक की गई जांच के कारण :—

(i) मैसर्स विस्लेरी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई और इसके निदेशक श्री रमेश जे० चौहान तथा श्री एच० एस० गोलवाला के नाम 2 मार्च 1978 को कारण बताओं नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि 14336 पोंण्ड की विदेशी मुद्रा का उपयोग, जिस प्रयोजन के लिये उक्त

विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई थी उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 4(3) का उल्लंघन किया है।

(ii) श्री रमेश जे० चौहान के नाम 14 अप्रैल, 1978 को एक कारण बताओ नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि उन्होंने 2 लाख रुपये का ऋण कबूल किया है जिससे डा० सी० रोसी को भुगतान प्राप्त करने का प्रांसगिक अधिकार (कण्टिन्जण्ट राइट) प्राप्त होता है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा ( ) 5(1)(च) का उल्लंघन किया है।

(iii) श्रीमती मीनाक्षी जसदानवाला को, 15 दिसम्बर, 1977 को, एक कारण बताओ नोटिस इसलिए जारी किया गया कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना संयुक्त अरब अमीरात की 500 डिरहैप्स की विदेशी मुद्रा प्राप्त की और इस प्रकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 8(1) का उल्लंघन किया है।

पता चला है कि श्रीमती जसदानवाला का 1 जनवरी, 1978 को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। इसलिए उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। दूसरे दो ऐसे मामले, जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, न्यायनिर्णयाधीन हैं।

आगे जांच, जिसमें डा० रोसी से संबंधित जांच भी शामिल है, चल रही है और अभी उसके विवरण प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा। यह कहना भी सही नहीं है कि वित्त मंत्रालय, इन जांच कार्यों के संबंध में किसी के दबाव में आकर काम करता रहा है अथवा कर रहा है।

सौराष्ट्र और कच्छ के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियां

2798. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 1978 के दौरान तस्करी की गतिविधियां पुनः आरम्भ हो गई हैं और यहां तक कि बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्व तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त तस्करों को पकड़ा जाता है और दण्ड दिया जाता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के सीमाशुल्क स्क्वैडों के पास पर्याप्त और प्रभावी उपकरण हैं और यदि नहीं, तो इन्हें किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि जनवरी-जून, 1978 की अवधि में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में तस्करी क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है। उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में पकड़े गए माल का मूल्य लगभग 33.69 लाख रुपये का और 18 व्यक्तियों को, तस्करी में ग्रस्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इन 18 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत नजरबन्द रखा गया था और बाकी दस जमानत पर हैं।

(घ) गुजरात सीमाशुल्क समाहर्तालय की तस्करी-निवारक उपस्करों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है और उनको प्रभावी रूप से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। गुप्त सूचना संग्रह करना, समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों और भू-सीमाओं पर गश्त लगाना तथा महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों पर निवारक जांच बढ़ा दी गई है।

OPENING OF BRANCHES OF NATIONALISED BANKS IN RURAL AREAS

†2799. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the nationalised banks have been asked to open their branches in rural areas; and

(b) if so, the number of new branches proposed to be set up by each nationalised banks ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir. The Reserve Bank of India have advised the banks that while drawing up their branch expansion programme for 1978, they should select unbanked centres in districts where the population coverage of the banking system is poorer than the all-India average, priority being given to the States where for the State as a whole the population coverage is poorer than the national average.

(b) As at the end of June 1978, the public sector banks had 790 licences/allotments pending with them for branch opening at rural centres. Bankwise distribution of these licences/allotments is set out in the *Annexe*.

STATEMENT

	Name of Bank	No. of allotments made/ licences pending
1.	State Bank of India	253
2.	Associate Banks of State Bank of India	96
3.	Allahabad Bank	64
4.	Bank of Baroda	35
5.	Bank of India	47
6.	Bank of Maharashtra	39
7.	Canara Bank	44
8.	Central Bank of India	51
9.	Dena Bank	21
10.	Indian Bank	19
11.	Indian Overseas Bank	33
12.	Punjab National Bank	7
13.	Syndicate Bank	25
14.	Union Bank of India	30
15.	United Bank of India	15
16.	United Commercial Bank	11
	Total :	790

रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बकों में अधिकारियों तथा क्लर्कों की भर्ती

2800. **श्री अरविन्द बाला पजनौर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों में अधिकारियों तथा क्लर्कों की भर्ती के सम्बन्ध में इस समय यथार्थ स्थिति क्या है, और

(ख) इस बात की ओर ध्यान दिये बिना कि कोई व्यक्ति किस अंचल से है देश के सभी नागरिकों को रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आजकल रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में अधिकारियों और लिपिकों की भरती प्रत्येक बैंक द्वारा स्वयं की जाती है। सामान्य रूप से अधिकारियों के मामले में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन-पत्र मंगाये जाते हैं और लिपिकों के लिए विज्ञापनों तथा/अथवा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आवेदन पत्र मंगाये जाते हैं । उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार रखा जाता है।

(ख) जहां भरती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है वहां सभी नागरिकों को समान अवसर दिये जाते हैं। जहां भरती क्षेत्रीय आधार पर की जाती है वहां कुछ बैंक अपेक्षा करते हैं कि या तो उम्मीदवार भरती क्षेत्र के ही हों अथवा उन्होंने उसी क्षेत्र के किसी एक विश्वविद्यालय से अपेक्षित योग्यता प्राप्त की हो ।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का कोहेनूर मिल्स पर ऋण और अग्रिम धनराशि

2801. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहेनूर मिल्स की ओर सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के कुल ऋण और अग्रिम धन की राशि तीस करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, और यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1977 तक विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत इस ऋण की वास्तविक स्थिति क्या थी;

(ख) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने कोहेनूर मिल्स के लिए ऋण पर ब्याज की दर $15\frac{1}{2}$ प्रतिशत से घटाकर $13\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी है तथा वास्तव में जून, 1977 से देय ब्याज को निधिक ब्याज मानकर ब्याज लेना बन्द कर दिया है;

(ग) अप्रैल, 1977 से मार्च, 1978 तक कोहेनूर मिल्स को प्रति मास कितना घाटा हुआ है,

(घ) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन तथा कोहेनूर मिल्स के नियुक्त किये गये प्रबंधक निदेशक ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है, और

(ङ) वित्त मंत्री अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस एकाउन्ट में सुधार करने तथा ऋण का वापस भुगतान न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये क्या आदेश और निदेश दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) बैंक ने 1 जुलाई, 1977 से केवल नकद ऋण अग्रिमों पर ब्याज की दर, अपने निदेशक मण्डल की सहमति से, $15\frac{1}{2}$ प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत कर दी है । बैंक ने जून, 1977 से ब्याज वसूलना बन्द नहीं किया है। 1975 और 1976 में नकद ऋण खातों पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक वसूल की गई ब्याज की राशि एक अलग सावधिक ऋण खाते में डाल दी गई है जिस पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जा रहा है।

(ग) सेण्ट्रल बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अप्रैल, 1977 से मार्च, 1978 तक की अवधि के दौरान औसतन मासिक परिचालन हानि, वित्तीय लागत और मूल्यह्रास को बिलकुल अलग छोड़कर, 18.12 लाख रुपये बैठती है जबकि गतवर्ष के दौरान यह औसत मासिक हानि 38.29 लाख रुपये थी।

(घ) और (ङ) सैण्ट्रल बैंक के कहने से ही कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल का विस्तार करके उसमें सूती कपड़ा विशेषज्ञ और प्रशासनिक विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक के अलावा एक प्रबंध समिति का भी गठन किया गया है जिसका उद्देश्य मिल के रोजमर्रा के कार्यों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण को सुदृढ़ करना है। इस कम्मनी के पुनरोद्धार और इसके संयंत्रों और मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए बैंक द्वारा मिल के प्रबन्धकों से परामर्श करके एक योजना भी बना ली गई है और इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसने अपेक्षित वित्तीय सहायता स्वीकार कर दी है। संस्थाओं और सरकार की वित्तीय सहायता से आशा की जाती है कि यह मिल यथासमय लाभ की स्थिति में आ जायेगी। सरकार और रिजर्व बैंक, सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कोहिनूर मिल के आधुनिकीकरण और पुनर्वास कार्यक्रम के बारे में लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। इस कम्पनी के नये व्यावसायिक प्रबंधक ने कर्ज न अदा करने वाले कर्जदारों के विरुद्ध उनके द्वारा देय राशियों की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिये हैं। उन मामलों में, जहां वसूली नहीं की जा सकी, मुकदमे दायर कर दिये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरा करने के लिए बैंक प्रणाली को और सक्रिय बनाना

2802. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री सी० आर० महाटा } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए बैंक प्रणाली को और सक्रिय बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रसार बढ़ाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताया गया है :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के शाखा जाल में वृद्धि।

(2) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उन क्षेत्रों को हाथ में लें, जहां इस समय बैंकिंग सुविधायें अपर्याप्त हैं।

(3) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई हैं कि मार्च, 1979 के अन्त तक कृषि सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों को बढ़ाकर अपने कुल ऋणों के 33.3 प्रतिशत तक पहुंचा दें।

(4) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के जमा साधनों का 60 प्रतिशत तक केवल उसी क्षेत्र में लगाएं।

(5) अप्रैल, 1978 के अन्त तक 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1332 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

(6) बैंकों को सलाह दी गई है कि (1) लघु सिंचाई तथा भूमि विकास के प्रयोजनों के लिए स्वीकृत 3 वर्ष तक की परिपक्वता वाले सावधिक ऋणों पर 10.5 प्रतिशत से अधिक तथा (ii) विभिन्न प्रयोजनों जिनमें डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागवानी आदि के लिए 11 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर वसूल न करें।

(7) छोटे किसानों को दिये जाने वाले 2500 रुपये तक के प्रत्यक्ष ऋणों पर 11 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज नहीं वसूल किया जाएगा।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति का बनाया जाना

2803. **श्री सी० वेणु गोपाल:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनाये जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) नीति को अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावित तारीख कितनी है और इसके बनाये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यटन नीति के दस्तावेज को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। वास्तव में विलम्ब इसलिए हुआ है कि ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकरणों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है।

जैसे ही नीति को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तो उसकी घोषणा कर दी जाएगी।

न्यायनिर्णयाधीन उत्पाद-शुल्क अपवंचन के मामले

2804. **श्री जी० वाई० कृष्णन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के लिए आसूचना शाखा स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उत्पाद-शुल्क अपवंचन के बड़े मामलों के बारे में, जो न्यायनिर्णयाधीन हैं, सरकार ने कोई नई नीति बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) यह बात सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली गई है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क राजस्व के अपवंचन तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी अन्य कदाचारों का मुकाबला करने की समस्या से निबटने के लिए एक पृथक संगठन बनाया जाय। तथापि इस मामले में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(ख) और (ग) इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि उत्पादन-शुल्क संबंधी ऐसे अपराधों की, जिनमें प्रत्येक में एक लाख रु० से अधिक की रकम अन्तर्ग्रस्त हो, एक सूची तैयार की जाय और यह कि ऐसे मामले समाहर्ताओं द्वारा छः महीने के भीतर निपटा दिए जाएं।

समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण संवर्धन में बैंक प्रणाली की भूमिका

2805. श्री एडुआर्डो फैलीरो: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे समाज में दुर्बल वर्गों के कल्याण संवर्धन में बैंक प्रणाली की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ख) उक्त उद्देश्य की प्राप्ति में ये उपाय कहां तक प्रभावी सिद्ध हुए हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमजोर वर्गों को बैंक ऋण की मात्रा में अपेक्षया अधिकाधिक हिस्सा मिले, निरन्तर उपाय किये जा रहे हैं, उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय यह हैं :—

(1) कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से ब्याज की दरों में आमतौर से कमी की जा रही है। कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग जैसे विशेष वर्गों और ग्रामीण समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है।

(2) 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की (उनकी 1200 शाखाओं सहित) स्थापना छोटे और सीमांतिक और अन्य कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की गई हैं। वितरित की गई राशि जो दिसम्बर 1976 के अन्त में 8.12 करोड़ रुपये थी, वह दिसम्बर, 1977 के अन्त तक बढ़कर 43.19 करोड़ रुपये हो गई। ऋणकर्ता खातों की संख्या क्रमशः 101415 और 497684 थी।

(3) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मार्च, 1979 के अन्त तक उनके कुल ऋणों का 33-1/3 प्रतिशत भाग उपेक्षित वर्गों को मिलने लगे। बैंकों से कहा गया है कि मार्च, 1979 के अन्त तक अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में ऋण और जमा का अनुपात 60 प्रतिशत तक पहुंचा दे।

(4) विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत कमजोर से कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत वार्षिक दर से ऋण दिया जाता है। इस योजना को सारे देश में लागू कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 1976 के अन्त में जो बकाया राशि 47.24 करोड़ थी वह बढ़कर दिसम्बर 1977 के अन्त में 67.82 करोड़ रुपये हो गई। इन राशियों के ऋणकर्ताओं की संख्या क्रमशः 1005061 और

1391440 थी। यह दिसम्बर, 1976 के अन्त में कुल ऋणों का .60 प्रतिशत बैठती है जिसके मुकाबले में इस योजना में निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य 1/2 प्रतिशत था।

(5) लीड बैंक योजना के अंग के रूप में बैंकों ने देश के 382 जिलों में से 380 जिलों के लिए ऋण-योजनाएं बना ली हैं। कमजोर वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने की दृष्टि से बैंक इन दो योजनाओं को व्यवस्थित तथा समन्वित ढंग से कार्यान्वित कर रहे हैं जो समग्र राष्ट्रीय उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

(6) बैंक ग्रामीण और बिना बैंक के क्षेत्रों में अधिकाधिक संख्या में शाखाएं खोल रहे हैं ताकि उनकी व्याप्ति अधिक हो जाय। ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं की संख्या दिसम्बर 1976 में 15863 थी, वह बढ़कर दिसम्बर, 1977 को 18585 हो गई।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपेक्षित क्षेत्रों को दिये गये ऋणों की कुल राशि में समय-समय पर वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित सारिणी से पता चलेगा।

	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)	ऋणकर्ता खातों की संख्या
जून 1975	1998.90	3302245
जून 1976	2528.47	4722450
जून 1977	3146.43	6564243

एन० एफ० ई० डी० द्वारा खरीदा गया (वर्जीनिया और बीड़ी) तम्बाकू

2806. **श्री दाजीबा देसाई:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन० एफ० ई० डी० द्वारा 1977–78 में कितना (वर्जीनिया और बीड़ी) तम्बाकू खरीदा गया;

(ख) उत्पादकों को कितनी कीमत कदा की गई; और

(ग) व्यापारियों और उत्पादकों से कितना कितना तम्बाकू खरीदा गया?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (ग) नाफेड (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन) ने वित्तीय वर्ष 1977–78 में (वर्जीनिया तथा बीड़ी) तम्बाकू की कोई मात्रा नहीं खरीदी।

तथापि, जून 1978 में सरकार ने नाफेड से कहा था कि वह सहकारी समितियों और राज्य सहकारी विपणन फेडरेशनों की मार्फत उपजकर्ताओं से बीड़ी तम्बाकू सहित 25,000 मे० टन गैर-वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद करे। 60 प्रतिशत पत्ती वाली ग्रेड 3

तथा ग्रेड 4 बीड़ी तम्बाकू के लिए उपजकर्ताओं को दी जाने वाली कीमत 1 रुपया प्रति कि० ग्रा० है। अधिक पत्ती वाली तम्बाकू के लिए कीमत उसी हिसाब से अधिक होगी। 24 जुलाई, 1978 को विद्यमान स्थिति के अनुसार नाफेड ने गुजरात में उपजकर्ताओं से 4,899 मे० टन बीड़ी तम्बाकू प्राप्त किया था और व्यापारियों से बिल्कुल नहीं।

जहां तक वर्जीनिया तम्बाकू का सम्बंध है, सरकार ने राज्य व्यापार निगम से तम्बाकू खरीदने को कहा है, नाफेड से नहीं।

होटलों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी उद्यमियों को ऋण दिया जाना

2807. **श्री के० मायातेवर:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी उद्यमियों को होटलों आदि के निर्माण के लिए ऋण देने का मानदंड क्या है और इस की क्या-क्या शर्तें हैं;

(ख) कितने और कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गये हैं तथा विभिन्न राज्यों की उन पार्टियों के राशि की मात्रा के क्रम में नाम क्या हैं जिन्हें ऋण दिए गए हैं; और

(ग) अब तक की ठोस उपलब्धियां क्या हैं और अगले पांच वर्षों में किन-किन उपलब्धियों की आशा है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) प्राइवेट सैक्टर में होटल उद्योग के लिये ऋण आमतौर पर लिमिटेड कम्पनियों या भारत में निगमित तथा पंजीकृत सहकारी सोसायटियों को होटल परियोजना के पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् दिये जाते हैं। सामान्यत: होटल निर्माताओं से परियोजना की लागत का 20 प्रतिशत अंशदान देने की उम्मीद की जाती है परन्तु यदि परियोजना का निर्माण किसी नये उद्यमी द्वारा किया जाता है तो 20 प्रतिशत अंशदान की शर्त में छूट देकर उसे 15 प्रतिशत तक कर दिया जाता है।

नई होटल परियोजना के लिए इस सहायता के ब्याज की प्रभावी दर 10 प्रतिशत है जबकि सामान्यतया ऐसे ऋण की दर 11 प्रतिशत होती है। एक प्रतिशत के अन्तर की आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। आर्थिक सहायता ऐसे ऋणों के लिये उपलब्ध होती है जो 75 लाख रुपये से अधिक नहीं होते। ऋणों की वापसी आमतौर पर अर्धवार्षिक किस्तों में 10–15 वर्षों की अवधि में की जाती है जिसमें पहली अदायगी के बाद के करीब शुरू के 3 वर्षों की माफी की अवधि भी सम्मिलित होती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अब तक सहायता दी गई 43 होटल परियोजनाओं में से (40 नई परियोजनाएं तथा तीन मरम्मत/संचालन निधि की परियोजनाएं) 30 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 3686 कमरों के साथ चालू हो गई है। 1070 कमरों के साथ बाकी परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं तथा उनके एक से दो वर्षों के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2566/78]

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा कोहेनूर मिल्स को अनियमित अग्रिम देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दल की जांच

2808. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के एक दल ने सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा कोहेनूर मिल्स, बम्बई को अनियमित रूप से 27 करोड़ के अग्रिम के आरोप के संबध में जांच की थी;

(ख) क्या उक्त दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि 27 करोड़ का सारा अग्रिम 'अशोध्य ऋण' बन गया है?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): (क), (ख) और (ग) सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर एक विवरण रख दिया था जिसमें एक सदस्यीय जांच समिति के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई के तथा साथ ही साथ इस समिति के मुख्य निष्कर्षों के सार के बारे में बताया गया था। उस विवरण के अनुसरण में, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि वह यह निश्चय करने के लिए संबंधित रिकार्डों और दस्तावेजों की जांच करें कि सैंट्रल बैंक में इस समय सेवारत कोई कर्मचारी इन खातों के परिचालन में उपेक्षा और/अथवा जालसाजी की किसी कार्रवाई के लिये तो जिम्मेदार नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस प्रयोजन के लिए जांच की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

वर्ष 1977-78 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों को देय राशि

2809. **श्री निर्मल चन्द्र जैन:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों को देय कुल राशि कितनी थी; और समयोपरि भत्ते के रूप में उन्हें कितनी अतिरिक्त राशि देय हुई;

(ख) क्या यह सच है कि इन दोनों संस्थानों में विमानचालकों की कमी है; और यदि हां, तो कितने और विमानचालकों की आवश्यकता ह; और

(ग) क्या विमानचालक के रूप में नए व्यक्तियों की भर्ती के लिए कोई प्रयास किया गया है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो नयी नियुक्तियां कब तक की जायेंगी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) सूचना निम्न प्रकार है :—

	एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
	(लाख रुपयों में)	
(i) वर्ष 1977–78 के लिए देय कुल राशि	171.67	323.39
(ii) ऊपर (i) में से 1977–78 के दौरान अधिक उड़ान वेतन के रूप में भुगतान की गयी राशि	3.12	11.97

(ख) और (ग) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स दोनों ही के पास फिलहाल पर्याप्त विमानचालक हैं। तथापि, अतिरिक्त विमानों की डिलीवरी हो जाने के परिणामस्वरूप, विस्तार करने के लिए अतिरिक्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, दोनों ही कारपोरेशन विमानचालकों की भर्ती कर रही हैं। एयर इंडिया ने फरवरी, 1977 में 15 अक्तूबर, 1977 में 12 तथा फरवरी, 1978 में 5 विमानचालक भर्ती किए और हाल ही में विमान-चालकों की 17 और रिक्तियां विज्ञापित की हैं। इंडियन एयरलाइंस ने भी भर्ती करने की कार्यवाही आरंभ कर दी है तथा चयन की प्रक्रिया को शीघ्र ही अंतिम रूप प्रदान कर देने की संभावना है।

अन्य चलमुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य

2810. **श्री यादवेन्द्र दत्त:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976 से 1978 तक विश्व की अन्य हार्ड तथा सोफ्ट चल मुद्राओं की तुलना में रुपए का मूल्य घटा है या बढ़ा है ;

(ख) यदि विदेशी व्यापार की दृष्टि से यह घटा है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ग) मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में, जिसमें विनिमय की दरों में परिवर्तन शीलता का गुण निहित है, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव आते रहना एक सामान्य घटना है। 1976 से 1978 तक जहां तक प्रमुख मुद्राओं का सम्बन्ध है रुपए के मूल्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका डालर तथा पौंड-स्टर्लिंग के मुकाबले में वृद्धि हुई है और डयूशमार्क तथा जापानी यैन के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हुआ है। यह उतार-चढ़ाव, सामान्य रूप से उन देशों की समग्र आर्थिक स्थिति और खास तौर पर उनकी व्यापारिक तथा विदेशी मुद्रा की सापेक्षिक स्थिति के द्योतक हैं। हमारे देश के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए तथा रुपए के विनिमय मूल्य को किसी हद तक स्थिरता प्रदान करने के लिए, रुपए को सितम्बर 1975 से हमारे साथ मख्य रूप से व्यापार करने वाले देशों की मुद्रा---डाली से संयोजित कर दिया गया है। विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव तथा अन्तर्राष्ट्रीय करेंसी बाजारों की अन्य घटनाओं पर बराबर नजर रखी जाती है और इसी मुद्रा-डाली के परिप्रेक्ष्य में, जब कभी आवश्यक होता है, रुपए के मूल्य में समय-समय पर समायोजन कर दिए जाते हैं।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

2811. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश में कितनी बार परिवर्तन किया गया है और मूल स्वर्ण नियंत्रण आदेश में अब तक क्या-क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं ;

(ख) सरकार स्वर्ण नियंत्रण आदेश को पूरी तरह से समाप्त क्यों नहीं कर देती ;

(ग) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश को पूरी तरह से समाप्त कर देने से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में तीन बार संशोधन किया गया है । 1969 तथा 1971 में इस अधिनियम में संशोधन, उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके कुछ उपबन्धों को अवैध ठहराए जाने के परिणामतः किया गया था। इस अधिनियम के दाण्डिक उपबन्धों को अपेक्षाकृत अधिक कठोर बनाने की दृष्टि से इसमें 1973 में फिर संशोधन किया गया ।

मुख्य परिवर्तन :—

(i) 1969 में—निम्नलिखित धाराओं में संशोधन किया गया :—

5, 8, 17, 26, 27, 31, 32, 39, 46, 50, 88, 100 तथा 114 ।

OPENING OF BRANCHES BY NATIONALISED BANKS IN RURAL AREAS

†2812. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of branches opened by nationalised banks in rural areas during 1977-78; and

(b) the amount of loans provided in each State during 1977-78 to weaker sections of the society through the above branches and also under D.I.R. Scheme at 4 per cent ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) During the year 1977 and the first quarter of 1978 the public sector banks opened 1156 and 119 branches respectively at rural centres.

(b) The statistical reporting system of the banks does not provide for compilation of data relating to the advances to neglected sectors by branches opened in any specified period. The Statewise distribution of public sector banks' advances to neglected sectors and under the DRI Scheme as at the end of December 1977 are set out in the Statement.

STATEMENT

Statewise distribution of public sector banks' advances (1) Neglected Sectors; and (2) Under D. R. I. Scheme
(As at the end of December, 1977)

(Amt. Rs. lakhs)

State/Union Territory	Advances to Neglected Sectors		Advances under D.R.I. Scheme	
	No. of Accounts	Amount out standing	No. of Accounts	Amount out standing
1	2	3	4	5
Haryana	15534	12970·95	33721	322·61
Himachal Pradesh	54410	1242·43	27007	140·86
Jammu & Kashmir	53269	1489·11	14193	114·49
Punjab	183674	22235·81	49399	477·07
Rajasthan	192534	10636·01	34208	216·23
Chandigarh	5543	2052·56	1302	23·56

1	2	3	4	5
Delhi	32914	12565·63	2344	14·48
Assam	93619	2975·35	18103	77·30
Manipur	8627	256·38	449	2·31
Meghalaya	6580	240·03	1736	7·58
Nagaland	1205	83·45	606	3·02
Sikkim	38	4·44	54	0·36
Tripura .	30146	356·94	3621	18·51
Arunachal Pradesh	322	24·36	175	0·88
Mizoram . .	109	9·65	114	1·03
Bihar . .	330758	16224·57	104675	378·17
Orissa . .	230625	5148·89	43745	140·03
West Bengal .	489249	23994·97	70171	278·08
Andaman & Nicobar Islands	1017	47·57	298	1·17
Madhya Pradesh .	369456	15931·49	82768	395·72
Uttar Praesh .	769374	35839·62	170778	776·12
Gujarat . .	318996	29129·53	71989	420·75
Maharashtra. .	575779	63008·79	101684	458·70
Goa, Daman & Diu	32242	2198·24	8931	50·61
Dadra & Nagar Haveli	650	52·79	551	1·32
Andhra Pradesh .	868374	29215·06	119448	558·44
Karnataka . .	879422	32177·79	181637	893·16
Kerala	557778	13716·40	99705	284·09
Tamil Nadu	1114730	34479·76	142583	700·10
Pondicherry	39688	966·70	5592	25·08
Lakshadweep	231	1·92	53	0·23
TOTAL : . .	7396699	369277·19	1391440	6782·06

2813. श्री राम प्रकाश त्रिपाठी: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आय-कर की बकाया राशि कितनी है ;

(ख) करदाताओं द्वारा कितनी अपीलें दायर की गई हैं और विभाग द्वारा कितनी दायर की गई हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक मामलों में आय-कर अधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारण अनुचित पाए गए हैं और अपीलीय स्तर पर निर्णय उसके विपरीत गए हैं ;

(घ) अनुचित रूप से कर न लगाने, उचित निर्धारण, अर्जित आय पर कर लगाने, वापस की जाने वाली राशि को भुगतान में विलम्ब पर दंडात्मक उपबन्ध की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) असंगतियों को दूर करने और उनको ईमानदारी बढ़ाने के योग्य बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) 31-1-1978 की स्थिति के अनुसार आय-कर की बकाया के सम्बन्ध में आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :—

31-3-78 की स्थिति के अनुसार
सकल बकाया— रु० 986.19 करोड़

31-3-78 की स्थिति के अनुसार
शुद्ध बकाया — रु० 630.60 करोड़

30-6-78 की स्थिति के अनुसार आय-कर की बकाया के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) (i) निर्धारितियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष दाखिल की गई अपीलों की संख्या क्रमशः 2,52,778 और 2,26,383 है ।

(ii) निर्धारितियों द्वारा तथा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल की गई अपीलों की संख्या निम्न प्रकार से है:—

	को समाप्त होने वाला वर्ष	
	मार्च, 1977	मार्च, 1978
निर्धारितियों द्वारा दाखिल की गई . . .	31,067	30,429
विभाग द्वारा दाखिल की गई	17,532	16,981

(ग) वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा निर्णय की गई 2,39,129 अपीलों में से 1,27,814 अपीलों का निर्णय निर्धारितियों के पक्ष में किया गया। इसमें आंशिक राहत दिए जाने के मामले भी शामिल हैं। वर्ष 1977-78 के लिए आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं ।

जिन मामलों में वित्तीय वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान अपीलें दाखिल की गईं उनका कुल कर-निर्धारणों से प्रतिशत अनुपात नीचे दिया गया है :—

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान किए गए कर-निर्धारणों की संख्या	वर्ष के दौरान निर्धारितियों द्वारा दाखिल की गई अपीलों की कुल संख्या	किए गए कर-निर्धारणों का दाखिल की गई अपीलों से प्रतिशत अनुपात
	लाख		प्रतिशत
1976-77 . .	39.48	2,52,778	6.4
1977-78	40.32	2,26,383	5.6

उपर्युक्त से पता चलेगा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारे मामलों में किए गए कर-निर्धारण अनुचित हैं ।

(घ) आयकर विभाग ने इस सम्बन्ध में अनेक उपाय किए हैं । संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना में यह अपेक्षित है कि पंजीकृत फर्मों के मामले 75,000 रु० की आय तक और अन्य मामलों में, जो कम्पनी मामले नहीं हों, 50,000 रुपए तक की आय के मामलों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए कर-निर्धारितियों को आयकर कार्यालय में बुलाए बिना ही किया जाएगा । धारा 144-ख के उपबन्धों के अधीन, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना, 1 लाख रुपए और इससे अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती है । जहां 31-3-1975 के बाद वृद्धियां की जाती हैं और उस पर 31-3-1975 अदा किया गया कोई भी कर अपील करने पर वापसी योग्य हो जाता है, तो जिस तारीख को ऐसा कर अदा किया जाता है, उस तारीख से उक्त कर पर 13 प्रतिशत की दर पर ब्याज देय होता है ।

यदि इस प्रयोजन से निर्धारित समय के भीतर वापसियां अदा नहीं की जाती हैं, तो 12 प्रतिशत वार्षिक की दर पर कानूनी तौर पर ब्याज की व्यवस्था की गई है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वापसियां तुरन्त अदा कर दी जाती हैं, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी इस सम्बन्ध में सभी आयकर आयुक्तों को अनुदेश जारी कर दिए हैं ।

(ङ) प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल और युक्तियुक्त बनाने तथा प्रशासन में सुधार लाने के तरीके सुझाने के लिए प्रत्यक्ष कर कानून समिति (चोकसी समिति) नियुक्त की गई है । समिति की अन्तरिम रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2814. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भुगतान की निश्चित तारीख से पहले ही प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की किस्तों के रूप में कितनी राशि दी गई है और केन्द्रीय करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा क्या है ;

(ग) उपरोक्त राशि में से कितनी राशि राज्यों द्वारा अपने-अपने ओवरड्राफ्टों का भुगतान करने के लिए खर्च की गई ; और

(घ) शेष वर्ष के लिए ऐसी अन्य क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिनसे राज्य अपने-अपने ऐसे खर्च निपटा सकें जो केन्द्रीय सहायता से जुड़े हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें 28 जून, 1978 को राज्यों के ओवरड्राफ्टों की राशियां और ओवरड्राफ्टों के निपटान और उनसे बचाव के लिए राज्य आयोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय करों में हिस्से, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत सहायता अनुदान आदि के मद्दे अदायगी की निर्धारित तारीखों से पहले ही 29 जून, 1978 को उनको दी गई राशियां दिखाई

गई हैं। इससे पहले 1 जून, 1978 तथा 1 जुलाई, 1978 को देय केन्द्रीय सहायता की किस्तें नागालैण्ड सरकार को उसके ओवरड्राफ्ट के निपटान के लिए 27 मई, 1978 को दी गई थी।

(घ) 1978-79 के लिए राज्य आयोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता, पिछले वर्ष के स्तर से काफी अधिक बढ़ा दी गई है, संसाधनों में अन्तरालों तथा 1978-79 के लिए राज्यों के आरम्भिक घाटों को पूरा करने के लिए तरीके का पता लगाया जा रहा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–2567/78]

मैसर्स ओटो पिन्स (इंडिया) द्वारा विदेशों में बड़ी मात्रा में धन जमा करना

2815. **श्री गोविन्द मुंडा**
श्री रामदेव सिंह } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ओटो पिन्स (इंडिया) रजिस्टर्ड और इसके भागीदारों ने विदेशों में विभिन्न कम्पनियों के एजेंसी अधिकारों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में भारी धनराशि जमा की हुई है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे भारत में सौदों के लिए अपनी किताबों में कम कमीशन दिखा रहे हैं लेकिन विदेशी सप्लाई कर्ताओं द्वारा विदेशों में उनके खातों में बड़ी धनराशि जमा की जा रही है ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 29 मई, 1975 को मैसर्स आटो पिन्स (इण्डिया) रजिस्टर्ड, दिल्ली के परिसरों तथा इसके प्रबन्धक भागीदार और प्रबन्धक के दिल्ली स्थित आवासीय परिसरों की तलाशी ली और कुछ दस्तावेज पकड़े। की गई जांच के परिणामत: मैसर्स आटो पिन्स (इण्डिया) रजिस्टर्ड तथा इसके प्रबन्धक भागीदार श्री अवतार सिंह को निम्नलिखित मामलों में कारण बताओ नोटिस इसलिए जारी किए गए हैं कि वे :—

(i) मैसर्स इन्कार्पोरेटेड मार्केटिंग इंजीनियरिंग एण्ड फाइनेंस एस० ए०, पेरिस से कमीशन की 47,108/- रुपए की रकम विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं कर सके। इस मामले में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 16(1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया;

(ii) मैसर्स इन्कार्पोरेटेड मार्केटिंग इंजीनियरिंग एण्ड फाइनेंस एस० ए०, पेरिस का भागीदार बने रहे। इस मामले में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 27(6)(क) के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया; और

(iii) उन्होंने भारत से बाहर निवास करने वाले एक व्यक्ति को 1 जनवरी, 1974 से पहले 1,70,000/- रुपए तथा उसके बाद 60,000/- रुपए की अदायगी की। इस मामले में क्रमश: विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)

(क) तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 9(1) (क) का उल्लंघन किया गया ।

ये सभी मामले न्यायनिर्णयाधीन हैं ।

रेंगने वाले जीवों की खालों का निर्यात

2816. श्री सी० एन० विश्वानाथन : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेंगने वाले जीवों की खालों के निर्यात के सम्बन्ध में गत तीन वर्ष में कौन से विनियम लागू रहे ;

(ख) कितने और किन-किन व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए थे ;

(ग) मार्च, 1978 में बम्बई बन्दरगाह में कितनी और कितने मूल्य की रेंगने वाले जीवों के चमड़ों की गांठें पकड़ी गई थीं ; और

(घ) पकड़े गए माल के निपटान का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आॅरिफ बेग) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-विषैले सर्पों की खालों को छोड़ कर, रेंगने वाले जीवों की खालों के निर्यात पर रोक लगी हुई थी । गैर-विषैले सर्पों की खालों के निर्यात की अनुमति समय-समय पर निर्यात हेतु रिलीज की गई सीमित अधिकतम सीमा के भीतर कोटा आधार पर दी गई, जिस पर भी अब पूर्णतः रोक लगा दी गई है ।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

INVOLVEMENT OF GOVERNMENT OFFICIALS IN SMUGGLING ACTIVITIES

2817. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether some difficulty is being faced by Government in securing departmental co-operation in checking smuggling activities :

(b) whether some Government officials have been found involved in smuggling activities; and

(c) if so, the details in this regard ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : No. Sir.

(b) and (c) Reports received by the Government indicate that during the period April, 1977 to July, 1978, 13 Government officials belonging to the Police and the Customs Departments were involved in smuggling cases at Bombay and Madras. Appropriate action under law was taken against these officials.

EVASION OF EXCISE DUTY BY POWERLOOM ASSOCIATION, PILKUWA

2818. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the enquiry in the case of evasion of excise duty by Powerloom Association, Pilkuwa is still pending even after the evasion of excise duty in this case came to light;

(b) the amount of the tax duty found to have been evaded duty during the past years after a complete enquiry into it was made; and

(c) the details thereof as also the details of the enquiry conducted ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

यूरोपीय मण्डियों को भारतीय ऊनी वस्त्रों का निर्यात

2819. श्री कचरूलाल डेमराज जैन,
श्री राम प्रकाश त्रिपाठी } : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय मंडियों में ऊनी वस्त्रों के निर्यात में भारत का भाग नगण्य है ;

(ख) क्या सरकार ने यूरोपीय मंडियों को भारतीय ऊनी वस्त्रों के निर्यात की संभावनाओं का अनुमान लगाया है ; और

(ग) बड़ा तादाद में ऊनी वस्त्रों के निर्यात के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ बेग) : (क) यूरोपीय बाजारों में भारत के ऊनी परिधानों के निर्यात अभी तक महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं।

(ख) वस्तुओं के बारे में, जिसमें ऊनी परिधान भी शामिल हैं, इस प्रकार के अनुमान ऊन तथा ऊनी माल को निर्यात संवर्धन परिषद्, भारतीय निर्यातक संगठन फेडरेशन, व्यापार विकास प्राधिकरण तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जैसे संगठनों ने समय-समय पर लगाये हैं।

(ग) सरकार ने ऊनी माल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किये हैं, जिनमें ये शामिल हैं : बिक्री-सह-अध्ययन दल/व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना, प्रदर्शनियों, मेलों में भाग लेना तथा इस प्रकार के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिये मुआवजा सहायता जारी रखना।

PREFERENCE GIVEN BY STATE GOVERNMENTS TO COOPERATIVE BANKS IN RESPECT OF DEPOSITS

†2820. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that State Governments and local bodies give preference to co-operative banks only in the matter of depositing their savings in nationalised banks, cooperative banks and Post Offices; and

(b) whether it is also a fact that nationalised banks which alone operate in rural areas are deprived of this facility with the result that they experience inconvenience in mobilizing capital and are thus unable to meet regional demand ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The State Governments, in their capacity as constituents, are free to choose the banks with whom their local bodies statutory authorities and public sector undertakings should have banking arrangement. Some of the State Governments are reported to have advised specific categories of institutions under them to show preference to institutions other than commercial banks such as cooperative banks, post offices etc., in the placement of their surplus funds.

(b) No. Sir. The lendable resources of the banks mainly comprise deposits from the public, besides refinance available from the Reserve Bank of India and other financial institutions like IDBI/ARDC etc.

IMPORT OF INDIAN TOBACCO BY CHINA

2821. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether China has expressed desire to purchase tobacco from India;

(b) if so, the total value of tobacco to be exported during the coming financial year; and

whether Government propose to import silk against the export of tobacco and if so, full details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) to (c) A proposal for export of unmanufactured tobacco from ndia to China in exchange for import of Chinese raw silk is under negotiation between the State Trading Corporation of India and the concerned Chinese National Import and Export Corporations. A final decision in the matter would be taken only after assessing whether the quality of the samples is found satisfactory and the prices are mutually advantageous.

भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर मजदूर संघों द्वारा टिप्पणी करने से इंकार किया जाना

2822. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों ने भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कुछ मजदूर संघों नें प्रतिवेदन पर टिप्पणी किये बिना ही इसे अस्वीकार कर दिया है, जबकि कुछ अन्य संघों ने प्रतिकूल टिप्पणी की है। एक मजदूर संघ नें इसके पक्ष में टिप्पणी की है।

(ख) सम्पूर्ण मामले की जांच की जा रही है।

गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के अनुमोदित होटलों के लिए मंजूर की गई विदेशी मुद्रा

2823. **श्री पी० कानन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में जिन होटलों को अनुमोदन दे दिया गया है उनके लिए गत दो वर्षों और चालू वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ;

(ख) मंजूरी देने का मानदण्ड क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि विदेशी मुद्रा के उपयोग में अनियमितता के मामले नहीं हुए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में जिन होटलों को अनुमोदन दे दिया गया है उनके लिये गत दो वर्षों और

चालू वित्तीय वर्ष में पर्यटन विभाग द्वारा सिफारिश की गयी विदेशी मुद्रा की राशि निम्न प्रकार है :—

1976–77	130.90 लाख रुपये
1977–78	275.02 लाख रुपये
1978–79 (अप्रैल से जुलाई तक)	47.25 लाख रुपये

(ख) होटल इंसेंटिव कोटा स्कीम के अंतर्गत, अनुमोदित होटलों को, प्रचार, विज्ञापन, विदेशों में पर्यटन प्रोत्साहन, भारत में उपलब्ध न होने वाले सामान व उपस्कर आदि की खरीद के लिये अपनी विदेशी मुद्रा के अर्जन के 10 प्रतिशत का उपयोग कर लेने का अधिकार होता है इसके अतिरिक्त टूरिस्ट प्रोमोशन कोटा के अन्तर्गत भी अनुमोदित होटल परियोजनाओं का अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मशीनरी उपकरणों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन किया जाता है।

(ग) अनियमितता का कोई भी मामला पर्यटन विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

कृषि ऋण

2824. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि ऋण के लिये नियमों को तथा ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के मामले की जांच करने के लिये सरकार ने एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रोफेसर गुणवन्त देसाई की अध्यक्षता में एक 'वाणिज्यिक बैंकों की कृषि ऋण योजनाओं विषयक विशेषज्ञ दल' का गठन किया गया था। कृषि तथा तत्संबंधी कार्यों के लिये ऋणों के वास्ते वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं की समीक्षा करने और ऐसी नई योजनाओं के सामान्य नमूने के बारे में सुझाव देने की दृष्टि से इस दल का गठन किया गया था, जिन्हें किसानों और कृषकों की ऋण आवश्कताओं को पूरा करने के लिये बैंक तैयार कर सकें तथा कार्यान्वित कर सकें। इस दल ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को अप्रैल, 1978 में प्रस्तुत कर दी है और रिजर्व बैंक उसकी सिफारिशों की जांच कर रहा है।

आगामी पांच वर्षों में जनता होटलों का निर्माण

2825. **श्री निहार लास्कर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में देश में कितने जनता होटल बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) प्रस्तावित जनता होटलों के लिए चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं तथा ये होटल कब तक चालू हो जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार ने स्टार होटलों के निर्माण के लिए कोई ऋण अथवा/और राज सहायता दी है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो प्रत्येक होटल के लिये कितना ऋण/राज सहायता दी है, उसकी श्रेणी क्या है तथा ऋण के मामले में व्याज की दर क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में चार महानगरों, अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जनता होटलों के निर्माण और अन्य ऐसे चुने हुए केन्द्रों पर भी जिनका कि निर्धारण एक सर्वेक्षण करने के बाद किया जायेगा इसी प्रकार के होटल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार ने नई दिल्ली में 300 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक 1250 शय्याओं वाले जनता होटल (अशोक यात्री निवास) का अनुमोदन कर दिया है। होटल के 1980–81 के दौरान क्रमिक चरणों में पूरा हो जाने की आशा है। पर्यटन विभाग कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में जनता होटलों के निर्माण के लिये संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से उपयुक्त स्थलों का निर्धारण कर रहा है।

(ग) होटल विकास ऋण योजना के, जो अप्रैल, 1968 में लागू हुई थी तथा जिसका संचालन अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किया जा रहा है, आरंभ होने से लेकर अब तक इस योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर 1815.46 लाख रुपये के ऋण मंजूर किये गये थे। इस राशि में से 1623.46 लाख रुपये की राशि का वितरण वास्तव में किया जा चुका है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3568/78

मैसर्स आटो पिन्स (इंडिया) पर छापा मारा जाना

2826. **श्री के० लकप्पा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि आय कर अधिकारियों को 1976 में मैसर्स आटो पिन्स (इंडिया) पंजीकृत तथा उससे सम्बद्ध कम्पनियों पर छापे के दौरान मूल रूप में सोना और अशरफियां मिली थीं, जिनका रखना स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करना है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या इनके विरुद्ध कोई मुकद्दमे की कार्यवाही की गई थी और यदि हां, तो वह इस समय किस स्थिति में है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) एकत्र की गयी सूचना से पता चलता है कि आयकर-अधिकारियों ने अप्रैल, 1976 में आटो पिन्स समूह के मामलों

में तलाशी लेने और माल पकड़ने की जो कार्यवाही की थी उसमें मैसर्स आटो पिन्स (इंडिया) रजिस्टर्ड, फरीदाबाद के एक भागीदार, श्री सुच्चासिंह आनन्द के परिसरों से 56,751 रुपये मूल्य के सोने के 100 सिक्के पकड़े गये। बाद में, 28 मई, 1977 को स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों ने ये सिक्के अपने कब्जे में ले लिये थे और इन्हें स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 66 के अधीन पकड़ लिया गया ।

(ख) यह मामला विभागीय न्यायनिर्णय की अंतिम अवस्था में है। विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही पूरी की जाने पर इस मामले की मुकद्दमा चलाये जाने की दृष्टि से जांच की जायेगी।

MEMORANDUM RECEIVED FROM LUCKNOW UNIT OF ALL INDIA S.C. AND S.T. EMPLOYEES WELFARE ASSOCIATION

SHRI RAMLAL RAHI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a memorandum of June, 1978 has been received from the Lucknow Unit of the All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees Welfare Association against the administration department of the Life Insurance Corporation Lucknow; and

(b) if so, the facts and action taken so far in this regard ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) & (b) A memorandum dated 26th June, 1978 containing certain allegations against the then Assistant Divisional Manager (Personnel and Establishment) in the matter of selection of scheduled caste candidates for promotion to the cadre of Higher Grade Assistant was received by the LIC. The allegations made were found to be not correct. The selection of Scheduled Caste candidates for promotion to the cadre of Higher Grade Assistant was made by a Promotion Committee which in spite of the concessions given to Scheduled Caste candidates found only three candidates suitable out of the 12 candidates interviewed by the Committee.

Recently, as a result of a further special interview by a Selection Committee of the LIC, three more Scheduled Caste candidates were selected for promotion to the cadre of Higher Grade Assistant.

OPENING OF SUPER BAZAR BRANCHES

2828. SHRI SHYAM LAL DHURVE : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to open Super Bazar branches at different places with a view to make easy availability of essential consumer commodities;

(b) the names of the places where new Super Bazars were opened last year; and

(c) the locations of the new branches to be opend next year indicating the number of such branches to be opened ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL): (a) There is already a programme for opening new cooperative department stores (Super Bazars—Janatha Bazars) as also establishment of new branches to be set up by consumer cooperative institutions in all important cities and towns.

(b) According to available information during the cooperative year 1977-78. new cooperative department stores (Super Bazars) were set up in the towns and cities of Jalgaon, Osmanabad, Warananagar, Bombay-Matunga (Maharashtra), Mandya and Tumkur (Karnataka), Purulia (West Bengal), Ahmedabad (Gujarat), Bharatpur (Rajasthan) and Erode (Tamil Nadu).

(c) Locations and number of new branches to be opened in the various cities and towns are to be decided by concerned cooperative institutions and State Governments.

व्यापार और पारगमन संधि के अधीन नेपाल के लिए अपेक्षित माल का भारत में आ जाना

2829. **श्री दुर्गा चन्द:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल के साथ हुई व्यापार तथा पारगमन संधि के अधीन कलकत्ता पत्तन पर कितना माल उतारा-चढ़ाया गया ;

(ख) क्या नेपाल को जाने वाला माल अवैध तरीके से भारतीय मंडियों में पहुंच जाता है ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय मंडियों में पकड़े गमे इस तरह के माल का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ऐसे माल को भारतीय मंडियों में आने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

EXPORT OF ENGINEERING GOODS TO BURMA

2830. SHRI RAJ KESHAR SINGH : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether a trade delegation returned from Burma has expressed the hope that the export of engineering goods from India to Burma will increase five times during the current year;

(b) if so, whether Government have ensured that requisite goods are produced; and

(c) if not, the reasons therefor and if so, the extent to which the country will profit thereby ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) A delegation of the Engineering Export Promotion Council visited Burma from July 4 to 8, 1978. On its return the Leader of the Delegation expressed the hope that the exports of engineering goods to Burma will increase fivefold.

(b) & (c) The engineering sector has developed sufficient capacity to increase its export efforts. The liberalised import policy is also an important factor in strengthening the production base. If the expectation of the Leader of the Delegation materialises, engineering goods exports to Burma will move from the present level of about Rs. 2 crores to about Rs. 10 crores.

कोहिनूर मिल्स को ऋण देने के बारे में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की बम्बई शाखा द्वारा की गई त्रुटियां और अनियमितताएं

2832. **श्री डी० बी० पाटिल**
श्री चित्त बसु } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की जनवरी, 1972 से अक्तूबर, 1977 तक कोहिनूर मिल्स को दिए गए ऋण सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की बंबई शाखा द्वारा की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की जांच करने के लिये कहा है ;

(ख) यद हां, तो क्या यह जांच कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क), (ख) और (ग) 15 मई, 1978 को लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर रखे गये विवरण के अनुसरण में जिसके एक सदस्यीय जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही / प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में बतलाया गया है, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस दृष्टि से संम्बद्ध रिकार्ड तथा दस्तावेज देखने के लिये कहा कि यह निश्चित किया जा सके कि क्या सेंट्रल बैंक से अभी भी कोई ऐसा अधिकारी सेवारत है जो कि मैसर्स कोहिनूर मिल्स कं० लिमिटेड के खातों में पायी जाने वाली घोर असावधानी और/या बेईमानी के लिए जिम्मेदार हो। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि किसी को जिम्मेदार ठहराने के उद्देश्य से जांच-पड़ताल करने के लिए, नियुक्त दल को अभी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना तथा प्रस्तुत करना शेष है।

मूंगफली की तेल रहित खली का निर्यात

2833 **श्री एन० पी० नथवानी**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूंगफली की तेलरहित खली के निर्यात के लिए हाल ही में अनुमति दी है या लाइसेंस दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ; और

(ख) क्या सरकार को छोटे तेल मिल मालिकों से निर्यात के इस ढंग के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। चालू वर्ष के लिए पहले से रिलीज की गई 2.5 लाख मे० टन की मात्रा के अतिरिक्त मूंगफली निस्सारण निर्यात विकास संस्था, बम्बई के माध्यम से तेलरहित खली का 3 लाख मे० टन का कोटा रिलीज किया गया है। निर्यात कोटे का आवंटन उनके बीच किया जायेगा जो पहले से मूंगफली निस्सारणों के निर्यात व्यापार में हैं और उन नये घलनशील निस्सारण एककों के बीच भी किया जायेगा जो मूंगफली निस्सारणों का उत्पादन कर रहे हैं। नये एककों व सहकारी क्षेत्र के एककों द्वारा निर्यात किये जाने के लिये विशिष्ट मात्राएं निर्धारित की गई हैं।

(ख) जी हां। अलग-अलग निर्यातकों को कोटे का आवंटन करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है।

आयाक्ट विकास के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम को दी गई धन राशि

2834. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य परियोजनाओं के अधीन कमांड क्षेत्रों में आयाक्ट विकास के लिये उपयोग करने हेतु बम्बई में कृषि पुनर्वित्त विकास निगम को 210 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल 5 करोड़ रुपये की (2 1/2 प्रतिशत से भी कम) धनराशि खर्च की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, इतना कम काम करने की जिम्मेवारी किस पर है, और स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थागत स्त्रोतों से 210 करोड़ रुपये के निवेश की अपेक्षा की गयी थी।

(ख) कमांड क्षेत्र परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल भूमि विकास कार्य को, जिसमें सिंचाई साधनों के अन्तर्गत खेतों तक रजवाहे बनाना और फसल संबंधी भूमि विकास कार्य आते हैं, संस्थागत स्त्रोतों द्वारा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त सहायता से अथवा इसके बगर वित्त पोषित किया जाता है। जून, 1978 के अन्त की स्थिति के अनुसार, कमांड क्षेत्र विकास परियोजना के अधीन कुल पुनर्वित्त सहायता 3.3 करोड़ रुपये की दी गई थी।

(ग) संस्थागत ऋण प्रसार की धीमी प्रगति होने के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है :—

(i) परियोजना प्राधिकारीगण, अनुभवहीनता और अपने संगठन में खामियों के कारण, इन योजनाओं को तैयार करने में सुस्त रहे। कमांड क्षेत्र प्राधिकरणों का गठन धीमी गति से किया गया और उन्हें विकासात्मक गतिविधियों को चलने के समुचित प्रशासनिक/वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई।

(ii) कुछ राज्यों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, और राजस्थान में फसल संबंधी विकास कार्य शुरु करने के लिये कार्यकारी मौसम बहुत छोटा होता है और विकासाधीन भूमि के वास्ते किसानों को एक फसल के लिये क्षतिपूर्ति करने के वास्ते प्रबंध करने पड़े।

(iii) अधिकांश राज्यों में, भूमि विकास कार्य शुरू करने से पहले विशेष विधान के अधीन निर्धारित अधिकतम संख्या में लाभान्वितों की सहमति प्राप्त करने सहित विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

कार्यक्रमों की समीक्षा के पश्चात कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने लाभान्वितों से सहमति बांड प्राप्त करने विषयक प्रक्रिया को सरल बना दिया है और इसने किसानों से सहमति बांड एकत्रित होने तक कार्यक्रम लागू करने वाले प्राधिकरण को अंतिम ऋण प्रदान करने के लिए कदम उठा लिये हैं। पात्र और अपात्र वर्ग में किसानों के वर्गीकरण के आधार को भी उदार बना दिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छात्रों को काम पर लगाना

2835. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गर्मियों की छुटियों के दौरान छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए उनको काम पर लगाया जाता है ; और

(ख) इस योजना को सभी राष्ट्रीयकृत बैंको में लागू न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : कुछ बैंकिंग कम्पनियों और उनके कामगरों के बीच हुए 1966 के द्विपक्षीय करार के अनुसार सभी बैंक विद्यार्थियों और सेवा निवृत व्यक्तियों की पास-बुक लेखक के रूप में, अंशकालिक लिपिकों के तौर पर नियुक्त करने के लिये स्वतंत्र हैं। इस प्रकार के अंश कालिक कर्मचारी नियुक्त करने के लिए सभी बैंक, बाध्य नहीं हैं और इस बारे में अपनी अवश्यकताएं पूरी करने के लिए अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग योजनाएं हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2836. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, जिलों में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र के जिलों के लिये हैं :

(ख) ग्राम समुदाय के कमजोर वर्गों के किसानों को किन प्रयोजनों के लिये कृषि ऋण दिये जाते हैं ; और

(ग) अब तक उन्हें कितनी धनराशि का ऋण दिया जा चुका है और उसकी क्या प्रतिशतता है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) 16 राज्यों के 87 जिलों को व्यापत करने वाले 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ये छोटे बैंक और सीमांतिक किसानों कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों आदि की जो ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्ग माने जाते हैं, वित्तीय आवश्कताओं को पूरा करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्यवार वितरण, उनके द्वारा व्याप्त जिले और उनके द्वारा ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को दिये गये ऋणों का ब्यौरा संलगन विवरण में दिलाया गया है। 28 अप्रेल, 1978 की स्थिति के अनुसार, इन बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण उनके कुल ऋणों का लगभग 64 प्रतिशत थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 2669/78।

बैंक आफ महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जूनियर आफिसर

2837. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ महाराष्ट्र में 'जूनियर आफिसर्स' की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी कितने हैं ;

(ख) क्लर्क संवर्ग से जूनियर आफिसर संवर्ग में कितनी पदोन्नतियां हुई और उनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे में कितने पद निर्धारित रखे गए ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए सभी आरक्षित स्थान भरे गए ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या जूनियर आफिसर्स के पीछे से रिक्त चले आ रहे स्थानों को बाहर से प्रत्याशी लेकर भरने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटल) : (क) बैंक आफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि उसकी सेवा में 30-6-78 की स्थिति के अनुसार 1078 कनिष्ठ अधिकारी थे इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या 20 थी ।

(ख) 1976, 1977 और 1978 के दौरान हुई पदोन्नतियों के बारे में बैंक द्वारा दी गई सूचना नीचे लिखे अनुसार है :—

	पदोन्नतियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जातियों के पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या
		आरक्षित रिक्तियों की संख्या	
1976	170	40	—
1977	100	23	1
1978 (30-6-78 तक)	150	34	4

(ग) बैंक आफ महाराष्ट्र ने सरकार को सूचित किया है कि योग्यता, अर्हता-स्तर तथा परीक्षा फीस आदि में छूट देने के बावजूद अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की अनुपालब्धता के कारण, वे भी आरक्षित पद नहीं भरे जा सके ।

(घ) सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी है :—

(i) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए भरती और पदोन्नति दोनों से ही पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के अपने प्रयासों को और तीव्र करना चाहिए ;

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित कोटा और पहले से चली आ रही कमी को पूरा करने के लिए, बैंकों को केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की ही विशेष भरती की जानी चाहिए । विशेष आरक्षित पदों को आम उम्मीदवरों के द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए, और

(iii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए, बैंकों को केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए ही विशेष अनुकूलन/प्राशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रयत्न करना और प्रबन्ध

करना चाहिए । यदि आवश्यकता हो तो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों का, जिनकी योग्यताएं न्यूनतम हों, चुनाव हो जाने के बाद उनके लिए बैंकों को लम्बी अवधि के विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध करना चाहिए ।

गैर सरकारी क्षेत्र में कम्पनियों द्वारा अनिवार्य जमा की धनराशि जमा कराया जाना

2838. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री जी० एम. बनतवाला } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ कम्पनियों ने अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अधीन अपने कमचारियों के वेतनों से काटी गई अतिरिक्त महंगाई भत्ते की धनराशि जमा नहीं कराई है ;

(ख) अतिपरक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अधीन गैर सरकारी क्षेत्र में नियोजकों द्वारा अतिरिक्त महंगाई भत्ते के जमा खाते में कितनी धनराशि कम्पनीवार, अभी जमा करानी है ;

(ग) इस धनराशि को शीघ्र वसूल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) जिन मामलों में राजस्व वसूली अधिनियम के अधीन कार्यवाही की गई है और मुकदमें चलाए गए हैं, उनमें कम्पनीवार क्या प्राप्ति हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध I) ।

(ग) राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत रकमों की वसूली के सम्बन्ध में कार्रवाई की गई है और रकमें जमा न करवाने वाले अधिकांश नियोजकों के विरुद्ध मुकदमें चलाए गए हैं। शेष मामलों में भी जहां कहीं आवश्यक है, इसी तरह की कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जो गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत नामित प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, को यह हिदायतें दी गई हैं कि वे इन मामलों में कड़ाई बरतें ।

(घ) रकमें जमा न करवाने वाले नियोजकों के विरुद्ध रकमों की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही, मुकदमें चलाए जाने आदि के परिणामस्वरूप जुलाई 1977 से जून 1978 तक की 12 महीनों की अवधि में 114.73 लाख रुपए की रकम की वसूली हुई है । नियोजक-वार वसूल की गयी रकमों का विवरण अनुबन्ध II में दिया गया है । [**ग्रथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी०** 2570/78] ।

भारत के रिजर्व बैंक की ऋण-नीति

2839. **श्री ओ० वी० अलगेशन**
श्री डी० आमात } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक और सरकार की वर्तमान ऋण नीति क्या है ; और

(ख) क्या इसे और अधिक ग्रामोन्मुख कृषि प्रधान तथा विकासोन्मुख बनाने के लिए हाल ही में इसमें कोई परिवर्तन किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण विस्तार को नियंत्रित करना है । हाल ही में ब्याज दरों को कम करके बैंक ऋण की लागत को कम किया गया था उसके द्वारा यह नीति अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त और उपेक्षित क्षेत्रों में, जिनमें कृषि, छोटे उद्योग और परिवहन शामिल हैं, निवेश को बढ़ावा देती है ।

त्रिवेन्द्रम में हवाई अड्डे का सुविधाओं से युक्त टर्मिनल भवन

2840. **श्री वी० एम० सुधीरन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के वर्तमान टर्मिनल भवन में सभी यात्रियों के लिए स्थान अपर्याप्त हैं ;

(ख) क्या सरकार त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर नियमित बोइंग विमान–707 और एयर बस विमान सेवा आरम्भ किए जाने के विचार को ध्यान में रखकर वहां पर्याप्त सुविधाओं से युक्त एक आधुनिक टर्मिनल भवन बनाने की आवश्यकता को अनुभव करती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यातायात को बढ़ावा मिले और खाड़ी के देशों को सीधी विमान सेवा उपलब्ध हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) जी, हां। अंतर्देशीय परिचालनों के लिए यात्री हैं डलिंग क्षेत्रों/सुविधाओं में वृद्धि के लिए, वर्तमान टर्मिनल भवन में व्यापक परिमाण पर परिवर्तन तथा परिवर्धन कार्य किए जा रहे हैं। एक नये अन्तर्राष्ट्रीय ब्लाक की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है ।

AUGMENTATION OF TRADE WITH AFGHANISTAN

2841. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether any efforts are being made to augment trade with Afghanistan; and

(b) if so, the facts in this regard and the extent to which the efforts have met with success in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) (a) and (b) Yes, Sir, Indo-Afghan Trade has been placed on the basis of free trade in freely convertible currencies through normal banking channels since 26-6-1978 when the new Trade Agreement was entered into with Afghanisation. This replaces the modified barter system which prevailed under the previous Trade and Payments Arrangement, 1975.

2. All items that can be exported or imported under the Import and Export Trade Control policies, are now eligible to be exchanged under the new system. Hitherto as the trade was conducted under a modified barter system under rupee currency, existing export incentives could not be availed of. The trade was restricted by complicated procedures and the hoped for growth in exports and diversifications did not take place. The availability of export incentives for exports in freely convertible currencies, should provide the needed boost to exports.

3. The new Agreement has only been signed on 24-6-1978 and will come fully into effect on the termination of the 1975 Trade and Payments Arrangement on 2-9-1978. it is too early to comment on the success of the efforts under the new pattern of Trade.

विदेशों से दालों का आयात

2842. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में दिनांक 15 जून, 1978 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है ;

(ख) उन विभिन्न एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनको सरकार ने विदेशों से दालों का आयात करने का अधिकार दिया है, आयात को कितनी मात्रा के बारे में करार किया गया है और मूल देश के का नाम क्या है ; और

(ग) विदेशों से आयात कम करने के विचार से भारत में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ।?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां ।

(ख) 1978-79 को आयात नीति के अनुसार 1-4-1978 से खुले आम लाईसेंस के अन्तर्गत दालों के आयात की अनुमति है ।

(ग) दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के उपाय करके दालों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । अल्पकालीन उपायों में ये शामिल हैं—फास्फेटिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना, आवश्यकतानुसार पौध संरक्षण उपाय करना, विस्तार तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, दालों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना (लेकिन मुख्य फसलों को क्षति पहुंचा कर नहीं), धान की परती भूमि पर मूंग और उड़द की खेती करना, तथा दालों की अन्तर्वर्ती फसलें उगाना । दीर्घकालीन उपायों में ये शामिल हैं—मूल और प्रमाणित प्रजनक बीजों के उत्पाद के लिए केन्द्रीय योजना बनाना, कृषि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में अधिक उपज देने वाली नई किस्में और उनकी मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम और दालों की गहन खेती के लिए केन्द्रीय सहायता देना । किसानों को दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से चने का समर्थन मूल्य 1977-78 में 95 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1978-79 के विपणन मौसम में 125 रु० प्रति क्विंटल किया गया । 1978-79 के विपणन मौसम के लिए अरहर और मूंग के समर्थन मूल्य क्रमशः 155 रु० और 165 रु० प्रति क्विंटल निश्चित किए गए हैं ।

देश की मंडियों में देशी रेफ्रीजरेटरों का उपयोग

2843. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री रेफ्रीजरेटरों और डीप फ्रीजरों के निर्यात के बारे में 28 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात के लिए मांग पैदा करने हेतु देश की मंडियों में दशी रेफ्रीजरेटरों का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 100 लिटर के रेफ्रीजरेटरों का उपयोग 5 स्टार होटलों और बड़ी कम्पनियों तथा रेस्तरां द्वारा किया जाता है, साधारण औसत भारतीय परिवार द्वारा नहीं ; और

(ग) औसत परिवार में रेफ्रीजरेटरों का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) 1977-78 के दौरान देश में रेफ्रीजरेशन उद्योग की क्षमता का उपयोग 78 प्रतिशत था । चालू वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान इनका उपयोग बढकर लगभग 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है । दशी बाजार को बढावा देने के विचार से, 1978-79 में 100 लीटर से अनधिक क्षमता वाले रेफ्रीजरेटरों पर उत्पादन शुल्क 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया है ।

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट

2844. **श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गत तीन वर्षों में पहली बार गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मुद्रा गिरावट को रोकने के लिए, क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) मई 1978 से विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी सी कमी हुई है, विदेशी मुद्रा का भंडार जो अप्रैल, 1978 में 4692.7 करोड़ रुपए का था, मई, 1978 में कम हो कर 4622.7 करोड़ रुपए का रह गया, 28 जुलाई, 1978 को यह भंडार 4412.8 करोड़ रुपए का था, इस भंडार में कमी का मुख्य कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से गैर-प्रतियोगितात्मक बोली योजना के अन्तर्गत 8.048 लाख औंस सोना खरीदा गया और 1975 में तेल सुविधा के अन्तर्गत ली गई रकम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से रुपयों की पुन: खरीद की गई अत: विदेशी मुद्रा भंडार में होने वाली कमी को रोकने के लिए किसी तरह के प्रयत्न किए जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

शैम्लेज के साथ विमान सेवा सम्बन्धी समझौता

2845. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 1978 में शैम्लेज के साथ हुए समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार अन्य देशों के साथ भी एसे समझौते करेगी जैसा कि शम्लेज के साथ इस वर्ष किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) सेशल्ज़ गणराज्य की सरकार तथा भारत सरकार के प्रतिनिधिमण्डलों की 26 से 30 जून, 1978 तक विक्टोरिया (सेशल्ज़) में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप उनके संबंधित भूभागों के बीच तथा उनसे परे

विमान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये एक विमान सेवाओं सम्बन्धी करार के पाठ पर सहमति हुई व उसपर आद्यक्षर किये गये। करार के अन्तर्गत, भारत तथा सेशल्ज़ दोनों देशों की नामित विमान कम्पनियों को बोइंग 707 विमान या इतनी ही अथवा इससे कम क्षमता वाले विमानों से सप्ताह में अधिक से अधिक दो सेवायें परिचालित करने का अधिकार होगा, परन्तु इन विमानों में सुपरसॉनिक विमान सम्मिलित नहीं होंगे। विमान सेवा करार लागू होने तक, इसके उपबन्धों के तत्काल क्रियान्वित किये जाने के बारे में भी सहमति हुई है।

(ख) कनाडा, जाम्बिया तथा मालदीव जैसे अन्य देशों के साथ भी विमान सेवा करार करने की संभावना की जांच की जा रही है।

रबड़ के उत्पादन में गिरावट तथा उसके निर्यात पर प्रतिबन्ध

2847. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय से घरेलू बाजार में रबड़ की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति नजर आई है और उसके परिणामस्वरूप सरकार ने उसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मूल्यों में वृद्धि इसके उत्पादन में कमी के कारण हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए, इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जाने हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) तथा (ख) रबड़ के उत्पादन में गिरावट आने से हाल ही में रबड़ की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप सरकार ने राज्य व्यापार निगम को हिदायत दी है कि वह निर्यात करने के लिये रबड़ की खरीदारियां रोक दें।

(ग) प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से रबड़ बोर्ड विभिन्न विकास योजनायें क्रियान्वित कर रहा है।

केरल में वित्त पोषण के लिए भारत सरकार के विचराधीन परियोजनायें

2847. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

केरल राज्य में वर्ष, 1977-78, 1978-79 के लिये वित्त-पोषण के लिये भारत सरकार के विचाराधीन कितनी परियोजनायें हैं

(एक) पूर्णतया केन्द्रीय क्षेत्र की (दो) पूर्णतया राज्य क्षेत्र की (तीन) संयक्त उद्यम की परियोजनाओं के लिये पृथक-पृथक आंकड़े दिये जायें?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया जायगा।

रक्षा सेवा कर्मचारियों के दावों पर अन्तिम निर्णय करने के लिए कार्यवाही

2848. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या रक्षा सेवा कर्मचारियों के दावों का छः महीने की अवधि में अन्तिम निपटान न करने के लिये सी० डी० ए० (कारखाना) कलकत्ता के विरूद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या कम से कम 8000 दावे एक वर्ष से अधिक समय से अभी उनके पास अनिर्णीत पड़े हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं, श्रीमन्। सी० डी० ए० (कारखाना), कलकत्ता के संगठन में रक्षा सेवा कर्मचारियों का कोई दावा छः महीने से अधिक का बकाया नहीं है। इस मामले का कोई प्रशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न, इस लिये नहीं उठता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्। दिनांक 30-6-78 को रक्षा सेवा और सिविलियन कर्मचारियों के बकाया दावों की संख्या 2424 थी और उस तारीख को सब से पुराना दावा 29 अप्रैल 1978 का था।

REPRESENTATION FROM PORBANDAR CUTLERY HOSIERY GLASSWARE MERCHANT ASSOCIATION

2849. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMERCE, OIH
CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is fact that in May or June, 1978 Porbandar Cutlery Hosiery Glassware Merchant Association, Porbandar have a representation containing nine demands against the enforcement of the Packaged Commodities Act in its amended form with effect from 1st July, 1978;

(b) if so, the nature of these nine demands;

(c) the justification for exemption from the enforcement of the provisions of the Packaged Commodities Act in the amended form with effect from 1st July, 1978 in accordance with the demands of the said Association of Porbandar and other traders' associations of other cities and when exemption will be granted; and

(d) the action taken so far or proposed to be taken by Government on the representation mentioned in part (a) above and when and how and if not, the reasons therefor ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) (a) Yes, Sir.

(b) The demands mainly relate to the indication on the package of the retail sale price, that is, the maximum price at which the commodity in packaged form may be sold to the ultimate consumer, inclusive of all taxes and transport charges. They also relate to the scope of the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules which were brought into force on 26 September, 1977 in replacement of the earlier Packaged Commoditeis (Regulation) Order, 1975. The Rules cover, inter-alia, cutlery and hosiery items which had not been included within the ambit of the earlier Order. The applicability of the Rules to new items as well as some additional provisions contained in the Rules were to come into effect with effect from 1 July, 1978. As this date has now been extended by another two months, these are now to be operative from 1 September, 1978.

(c) & (d) The question of exemption does not arise at this stage as the representation received from Porbandar Cutlery, Hosiery, Glassware Merchant Association as also those from other traders and associations are being examined and a final decision is yet to be taken by the Government.

शीतल पेय के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क

2850. **श्री रामदेव सिंह**
श्री एस० एस० दास } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1972 की तुलना में वर्ष 1977 में शीतल पेय का उत्पादन बहुत कम हुआ था।

(ख) क्या शीतल पेय के उत्पादन में कमी का एक महत्वपूर्ण कारण उत्पादन शुल्क का लगाया जाना है; और

(ग) सरकार उन्हें राहत देने और 17560 लाख बोतल की अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त करने के लिये क्या उपाय करने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। 1977 में शुल्क लगने योग्य शीतल पेयों का उत्पादन लगभग 8130 लाख बोतल हुआ जबकि 1972 में यह लगभग 11550 लाख बोतल था।

(ख) वातित जल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भार निम्न अनुसार है:—

(I) कार्बन-डाइ-आक्साइड से भरे गये वातित जल पर, जिसमें अन्य कोई अवयव शामिल नहीं हो, मूल्यानुसार 15 प्रतिशत तथा मूल शुल्क का 5 प्रतिशत;

(II) किसी निर्माता द्वारा अथवा उसकी ओर से एक वित्तीय वर्ष में निकासी की गई एसे शीतल पेयों की प्रथम 50 लाख बोतलों पर, जिनमें कोला के सत्व नहीं हो, मूल्यानुसार 25 प्रतिशत तथा मूल शुल्क का 5 प्रतिशत और उसके बाद की निकासियों पर मूल्यानुसार 55 प्रतिशत तथा मूल शुल्क का 5 प्रतिशत।

(III) ऐसे शीतल पेयों पर, जिनमें कोला का सत्व हो, मूल्यानुसार 55 प्रतिशत तथा मूल शुल्क का 5 प्रतिशत।

(IV) किसी एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रु० मूल्य तक की निकासियों पर कोई उत्पादनशुल्क नहीं लगता है बशर्ते उससे पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निकासियां 15 लाख रु० मूल्य से अधिक की नहीं हुई हो।

उत्पादन अनेक आर्थिक घटकों पर निर्भर करता है जैसे निर्माण की लागत, राज्य सरकारों द्वारा लगाई जाने वाली अन्य लेवियों तथा मांग और पूर्ति की शक्तियां। यह नहीं कहा जा सकता है कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के भार के कारण उत्पादन में गिरावट आई है।

(ग) उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्तमान एककों को, क्षमता के बहतर उपयोगार्थ, हर संभव सहायता दी जा रही है।

प्रधान मंत्री की लन्दन और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के कारण एयर इंडिया को क्षति

2851. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया: क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या जब प्रधान मंत्री ने लन्दन और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की थी, तब एयर इण्डिया को काफी क्षति उठानी पड़ी थी; और

(ख) क्या यात्रियों को काफी परेशानी हुई और उनकी छानबीन की गई थी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी, नहीं ।

(ख) आज तक किसी भी ऐसे यात्री से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसने किसी ऐसी उड़ान पर यात्रा की हो जिस पर प्रधान मंत्री ने लन्दन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की हो। यह एक सामान्य परिपाटी है कि जब कभी एयर इंडिया की उड़ानों पर कोई अति विशिष्ट व्यक्ति (वी० वी० आई० पी०) यात्रा करता है तो यात्रियों की छानबीन की जाय। यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हुई।

APPOINTMENT OF APPELLATE AND INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER IN JUNAGARH INCOME-TAX OFFICE

2852. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Chamber of Commerce, Junagarh in Junagadh City of Saurashtra region in Gujarat has written a letter to his Ministry on the 7th June, 1978 for the appointment of an Appellate and Inspecting Assistant Commissioner in the Income-tax Office in Junagadh City and also sent representation on the 11th February, 1978 and a telegram on the 2nd June, 1978 in this regard;

(b) if so, the contents of the aforesaid letter, representation/application and telegram sent on the 7th June, 1978, 11th February, 1978 and 2nd June, 1978 respecitvely; and

(c) when a post of the Appellate and Inspecting Assistant Commissioner will be created for Junagadh Income-tax Office in Junagadh City and the reasons for delay in this regard ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) (a) Representations dated the 11th February, 1978 and 7th June, 1978 have been received by the Government. The telegram dated the 2nd June, 1978 does not appear to have been received. However, a telegram dated the 20th July, 1978 had been received.

(b) The representation dated the 11th February, 1978 contained 7 points and one of the points was for the opening of an office of Inspecting Assistant Commissioner and Appellate Assistant Commissioner at Junagadh. The representation dated the 7th June, 1978 reiterated the request for opening a Range Office at Junagadh of the Inspecting Assistant Commissioner and the Appellate Assistant Commissioner. The telegram dated the 20th July, 1978 requested that the work of the Inspecting Assistant Commisisoner and the Appellate Assistant Commissioner having jurisdiction over Junagarh should not be transferred to Bhavnagar and considerable difficulty is being caused by such transfer. It was also requested that the Range Office should be at Junagadh.

(c) There are three Ranges of the Inspecting Assistant Commissioner and the Appellate Assistant Commissioner and these are located at Rajkot, Jamnagar and Bhavnagar. Upto 1-6-78, Junagadh was under the jurisdiction of the Inspecting Assistant Commissioner, Jamnagar. However, with a view to having a more equitable distribution of work, the jurisdiction over Junagadh was transferred from the Inspecting Assistant Commissioner, Jamnagar to the Inspecting Assistant Commisisoner, Bhavnagar. As regards the Appellate Assistant Commissioner, upto 10-7-78, the jurisdiction over Junagadh was with either the Appellate Assistant Commissioner at Rajkot or Jamnagar or Bhavnagar. With effect from 10-7-78, Junagadh Circle is under the jurisdiction of Appellate Assistant Commissioner, Bhavnagar Range. The Appellate Assistant Commissioner Bhavnagar camps at Junagadh to hear appeals and consequently there would be no inconvenience to the assessees if no separate rang of Appellate Assistant Commisisoner is crated at Junagadh. Considering the workload existing at Junagadh it has not been found possible to open a Range Office of the Inspecting Assistant Commissioner and the Appellate Assistant Commissioner at Junagadh.

बम्बई से सिंगापुर तक जहाज पर "आमोद जल यात्रा (प्लेज़र क्रूज़)" की व्यवस्था में कथित कुपबन्ध

2853. **श्री एफ० पी० गायकवाड :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दो यात्रा एजेंसियों अर्थात् ट्रैवल कारपोरेशन आफ इंडिया और एस० आई० टी० ए० ने हाल ही में मुगल लाइन के जहाज "नूरजहां" पर बम्बई से सिंगापुर तक तीन सप्ताह की "आमोद जलयात्रा" आयोजित की थी;

(ख) क्या यह सच है कि मुगल लाइन ने ट्रेवल कारपोरेशन आफ इण्डिया को बताया था कि जहाज के प्रधूमन और मरम्मत की आवश्यकता है और यह 20 मई से पूर्व तैयार नहीं होगा;

(ग) क्या यह सच है कि ट्रेवल कारपोरेशन आफ इंडिया और मुगल लाइन की ओर से गलत अनुमान और कुप्रबन्ध के कारण यह "आमोद जलयात्रा" असफल रही;

(घ) क्या यह सच है कि भोजन, खान-पान व्यवस्था, पेयजल, उचित सफाई व्यवस्था आदि के मामले में यात्रियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति कौन-कौन हैं और दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): जी हां ।

(ख) जी, नहीं। पता चला है कि जब जहाज बम्बई से समुद्री यात्रा के लिये खाना हुआ तो वह सही तरह से तैयार था।

(ग) (घ) और (ङ) यह भी पता चला है कि क्योंकि जहाज को समुद्री यात्रा के लिये प्रमाणीकृत कर दिया गया था, अतः जब वह बम्बई से रवाना हुआ तो उसमें पीने का पानी तथा उपयुक्त सफाई सम्बन्धी प्रबन्ध उपलब्ध थे। खान पान सम्बन्धी प्रबन्ध भी अनुभवी खान पान प्रबन्धकों को सौंपे गये थे। परन्तु, जहाज पर किचन सुविधाओं में कुछ खराबी आने के साथ साथ उसकी बहिर्गामी यात्रा के दौरान खान पान प्रबन्ध कर्मचारियों के बीमार हो जाने के कारण कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। कुछ यात्रियों ने बाह्य वस्तुओं को भी टायलेट में फेंक दिया जिससे सैनिटरी सिस्टम भी रुक गया। जैसे ही यात्रियों की कठिनाइयों की सूचना मिली, ट्रेवल कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा सीता वर्ल्ड ट्रेवल ने अपने ही खर्चे पर कुछ और खान पान कर्मचारियों को सिंगापुर भेजा तथा मुगल लाइन ने सिंगापुर में किचन तथा सैनिटरी सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की। यात्रियों ने सिंगापुर से वापसी यात्रा पर कोई कठिनाइयां अनुभव नहीं कीं। यद्यपि जहाज की क्षमता 1745 यात्रियों की थी, उस पर ले जाये गये यात्रियों की वास्तविक संख्या 1258 थी ।

इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट इंडस्ट्री को बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

2854. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या यह सच नहीं है कि इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेंट उद्योग एक प्राथमिकता वाला उद्योग है परन्तु बैंकों द्वारा इस आधार पर ऋण नहीं दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस उद्योग को बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण के आंकड़े क्या हैं?

(ग) क्या यह सच है कि बैंकों के प्राथमिकता नियमों के अनुसार तैयार माल पर एक से डेढ़ वर्ष तक अग्रिम राशि देने की अनुमति है परन्तु इस उद्योग के लिये ये अग्रिम राशियां 3 से 6 महीने तक के लिये दी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग को लम्बी अवधि के लिये ऋण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) लघु उद्योग क्षेत्र का इलैक्ट्रोनिक कम्पोनैंट्स उद्योग उन सभी सुविधाओं के पात्र हैं जो छोटे पैमाने के उद्योगों को उपलब्ध होती हैं। यदि वे बड़े और मध्यम क्षेत्रों के हों तो वे ऋण स्वीकृति के प्रयोजन के लिये अन्य उद्योगों के समान ही माने जाते हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली में इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेंट्स उद्योगों जैसे उद्योगों के विशिष्ट वर्गों के बारे में अलग से आंकड़े रखने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा उद्योगों (इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेंट्स उद्योग सहित) को निर्मित माल और अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियों को दृष्टिबन्धक बन्धक रखकर, वार्षिक नवीकरण के आधार पर कार्यकारी पूंजी सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है और इसलिये निर्मित माल के आधार पर 1 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिये ऋण प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता सावधिक ऋणों के बारे में, बैंक अधिक लम्बी अवधियों के लिये ऋण प्रदान करते हैं।

एयर इंडिया को हुआ वित्तीय घाटा

2855. **श्री माधवराव सिंधिया**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लगभग गत एक वर्ष से एयर इंडिया को भारी वित्तीय घाटा हुआ है तथा सही समय पर उड़ान न होने के कारण इसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) वित्तीय घाटे को पूरा करने तथा इसकी प्रतिष्ठा को पुन: बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) वर्ष 1977-78 के दौरान, एयर इंडिया ने 28.45 करोड़ रुपये का अब तक का अधिकतम (रिकार्ड) शुद्ध लाभ कमाया। परन्तु, 1 जनवरी, 1978 को दुर्घटनाग्रस्त हुए एक विमान के नष्ट हो जाने के कारण उड़ानों में कटौती करने की वजह से राजस्व में कुछ हानि हुई।

कुछ ऐसे समाचार छपे हैं जिनमें हीथ्रो एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की उड़ानों में हुई देरियों की आलोचना की गई है। परन्तु, इन समाचारों में ऐसी देरियों के कारण जोकि कारपोरेशन के नियंत्रण के बाहर थीं, उत्पन्न स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है।

(ग) विलम्ब की समस्याओं पर काबू पाने के लिये, हाल ही में सांताक्रूज पर एक समय पालन समन्वयन सैल (punctuality co-ordination cell) स्थापित किया गया है, जो उन विभिन्न विभागों में आपस में सम्पर्क स्थापित करेगा जो उड़ानों के परिचालनों से सीधे संबंधित हैं तथा इसका मुख्य उद्देश्य उड़ानों का समय पर परिचालन करने में सहायता करना है। इस सैल ने पहली जुलाई, 1978 से काम करना शुरू कर दिया है तथा यह चौबीसों घंटे काम करेगा। इसके विचारार्थ विषय ये हैं:—

—बम्बई से एयर इंडिया की प्रत्येक उड़ान के प्रस्थान में विलम्ब होने का निरीक्षण, विश्लेषण तथा रिकार्ड करना।

—संभावित विलम्बों का पूर्वानुमान लगाना तथा विलम्बों में उत्तरोत्तर होने वाली वृद्धि को समाप्त/कम करने की कार्यवाही की योजना बनाना।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित की गई अनुसूचित सेवाओं के आगमन तथा प्रस्थान में विलम्ब के कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिये, 3 मई 1978 को पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसके इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के प्रबन्ध निदेशक, नागर विमानन के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक तथा भारत अन्तराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्य हैं। अनुसूचित सेवाओं में विलम्बों के आंकड़े एकत्रित करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए गठित की गयी उच्चस्तरीय समिति के कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसकी जांच की जा रही है।

अमृतसर में एयर कार्गो कम्पलैक्स

2856. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमतसर में एयर कार्गो कम्पलैक्स बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो मामले की तत्परता को ध्यान में रखते हुए इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार, सभी केन्द्रीय सरकार विभागों, पंजाब सरकार तथा अन्य सम्बन्धों से परामर्श करके अमृतसर में एक इन्टैग्रेटिड एयर कार्गो कम्पलैक्स स्थापित करने की प्रस्थापना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों को उपदान, पेंशन/अंशदायी भविष्य बैंक निधि के लाभ

2857. **श्री अनन्त दवे:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के वर्तमान कर्मचारियों तथा भूत-पूर्व इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों को पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि के लाभ के अतिरिक्त उपदान के रूप में 15 महीने का वेतन दिया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन निधि में अंशदान दिया था, को उपदान नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार/बैंक का विचार कर्मचारियों के बीच असमानता/भेदभाव को दूर करने के लिये अपने पेंशन भोगियों को 15 महीने के वेतन की दर से अथवा उनकी पेंशन निधि में जमा राशि के बराबर अनुग्रहपूर्वक अनुदान देने का है; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या बैंक का विचार क्षतिपूर्ति करने के लिये उनकी पेंशन बढ़ाने तथा पारिवारिक पेंशन का लाभ भी देने का है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वे कर्मचारी जो कि 16 सितम्बर, 1972 को या इसके बाद बैंक की सेवा से सेवा निवृत्त हुए/त्याग पत्र दे चुके हैं, उन्हें उपदान संदाय अधिनियम, (पेमेंट आफ ग्रेचुइटी एक्ट), 1972 के अन्तर्गत उपदान दिया जा रहा है, बशर्ते कि वे अन्यथा अधिनियम, के अनुसार इसके पात्र हैं। भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के नियमों के अन्तर्गत भविष्य निधि तथा पेंशन के लाभ पाने के पात्र कर्मचारियों को उपर्युक्त लाभ इनके अतिरिक्त दिये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। जैसा कि उपरोक्त (क) में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। अनुदान अदायगी अधिनियम के लागू होने से पूर्व सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों की व्याप्ति के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं। अलबत्ता कर्मचारियों तथा अधिकारियों के महासंघ ने यह मांग की है कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों के आधार पर परिवारिक पेंशन को साधारण पेंशन योजना के साथ मिला लेना चाहिये। यह अभी विचाराधीन है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की भुवनेश्वर शाखा से धनराशि गायब होना

2858. **श्री अनन्त दवे**
श्री पायस टिर्की } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक के कब्जे से महत्वपूर्ण कागजातों तथा धनराशि तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के गायब हो जाने की शिकायत जांच के लिये पुलिस से की जाती है;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भुवनेश्वर शाखा से 4 लाख रुपये की राशि गायब होने की रिपोर्ट पुलिस के पास कराई गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आवर्ती जमा खाता संख्या एस० 5/13, 14, 15, तथा 16 के बारे में चांदनी चौक शाखा दिल्ली से महत्वपूर्ण कागजात गुम हो जाने की रिपोर्ट भी पुलिस को की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और अन्तर्ग्रस्त सम्बद्ध अधिकारियों को बचाने के लिये बैंक ने कोई दायित्व निर्धारित किया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है यद्यपि धनराशि तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के गायब हो जाने पर साधारणतः पुलिस को रिपोर्ट की जाती है, किन्तु दस्तावेजों के खो जाने पर, यदि आवश्यक समझा जाय तभी पुलिस को सूचित किया जाता है।

(ख) जी हां। 5 जुलाई, 1978 को बैंक की भुवनेश्वर शाखा में रखे ताला लगे हुए बक्से में से, 4 लाख रुपये की राशि की कमी का पता लगा था। इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई थी।

(ग) और (घ) बैंक ने सूचित किया है कि क्योंकि चांदनी चौक शाखा से गायब होने वाला दस्तावेज एक साधारण पत्र था न कि कोई मूल्यवान दस्तावेज इसलिये इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। अलबत्ता, बैंक ने यह सूचित किया है कि इस पत्र के गायब होने के लिये जिम्मेदार सम्बन्धित अधिकारी की, बैंक द्वारा भर्त्सना की जा चुकी है।

INVESTMENT BY BANKS IN RURAL AREAS

2859. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether some new policy has been announced regarding investments in rural areas by banks; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H.M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) The Reserve Bank has instructed all scheduled commercial banks and certain non-scheduled commercial banks that they should concentrate their efforts during 1978 on opening branches in unbanked rural centres of districts in which the average population per bank office is higher than the National average.

(ii) Banks have been advised to ensure that 60% of their total deposit mobilisation in rural and semi-urban branches should be available for productive deployment in those areas.

(iii) The Banks have been advised to charge rate of interest (a) not exceeding 10.5% on term loans with maturity of not less than three years granted to farmers for the purposes of minor irrigation and land development and (b) not exceeding 11% for diversified purposes which includes Dairy Farming, Poultry, Fisheries, Horticulture etc.

(iv) The banks have been advised that direct individual loans to small farmers not exceeding Rs. 2500/- whether extended as short, medium or long term facility should be charged a rate of interest not more than 11%.

(v) The Banks have been asked to make adequate provisions in their annual credit budgets for the programme envisaging energisation of six lakhs pump-sets during the five year period of the Sixth Plan.

भारतीय स्टेट बैंक को आवर्ती जमा लेखों के संघटकों से प्राप्त अनुदेश

2860. **श्री पायस टिर्की :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली को आवर्ती जमा लेखे संख्या एस० 5/13, 14, 15 और 16 के संघटकों से दिनांक 2 मई, 1975 का एक अनुदेश पत्र प्राप्त हुआ था और उसके अनुदेशों का पूर्ण पालन कर दिया गया था तथा सम्बद्ध पास बुकों में ठीक-ठीक प्रविष्टियां कर दी गई थीं;

(ख) क्या बैंक ने पत्र संख्या पी० बी० डी०-1763 दिनांक 6 नवम्बर, 1975 के अनुसार 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक बचत बैंक दर पर ब्याज दिया और सारे ब्याज की अदायगी 3 किस्तों में की गई थी;

(ग) क्या बैंक ने अपने पत्र संख्या पी० बी० डी०-659 दिनांक 27 मार्च, 1976 में बैंक के कब्जे से पत्र दिनांक 2 मई, 1975 के गुम हो जाने/अनुपलब्ध होने/खो जाने की बात कही है;

(घ) क्या इसमें बैंक अधिकारियों का हाथ है और इस मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को न देने के क्या कारण ह; और

(ङ) क्या सरकार का अब तथ्यों तथा बैंक अधिकारियों को जांच के लिये पुलिस के सामने पेश करने का विचार है, क्योंकि बैंक संघटकों के पत्रों के उत्तर नहीं दे रहा है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। 2 मई, 1975 का पत्र बैंक को मिल गया था। अलबत्ता 13 सितम्बर, 1975 को प्राप्ति खाता बन्द करने के निर्देशों का पालन इसलिये नहीं किया जा सका कि वह पत्र खो दिया था। पास बुक ग्राहक के अधिकार में है और इसलिये इस प्रश्न का उत्तर कि इसमें इन्दराज (ऐंट्रीज) ठीक ठीक हुई है या नहीं तभी दिया जा सकता है जब बैंक इसे देख लें।

(ख) हालांकि, प्रारम्भ में बैंक ने गलत ब्याज की दर लगा दी थी और इसे ग्राहक को दिनांक 6 नवम्बर, 1975 के अपने एक पत्र द्वारा सूचित कर दिया था, परन्तु बाद में बैंक द्वारा यह गलती ठीक कर दी गई थीं और ग्राहक को, कर्मचारियों पर लागू होने वाली शर्तों और निबन्धनों के अनुसार अद्यतन ब्याज अदा कर दिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी क्योंकि ग्राहक के निर्देशों का पालन न होना कोई फौजदारी जुर्म नहीं है। फिर भी, बैंक इसमें अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों द्वारा ब्याज लगाने की गल्तियों की जांच कर रहा है और सम्बन्ध कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करेगा।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, चांदनी चौक, दिल्ली में आवर्ती जमा राशि लेखें

2861. **श्री पायस टिर्की** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया चांदनी चौक, दिल्ली को 2 अप्रैल, 1976 का एक पत्र आवर्ती जमाराशि के 4 खाते संख्या एस-5/13, 14, 15, 16 के खातेदारों से मिला है जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की ओर संकेत किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली शाखा के पत्र संख्या पी० बी० डी०/659 दिनांक 27 मार्च, 1976 में उस स्थिति का खंडन किया गया है जो नई दिल्ली एल० एच० ओ० ने अपने 21 नवम्बर, 1975 के पत्र संख्या जी० एम० ओ० 18/6767 में बताई थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन सम्बद्ध अधिकारियों और दिल्ली शाखा के मुख्य प्रबन्धक तथा एल० एच० ओ० नई दिल्ली के अधिकारियों के विरुद्ध, जिन्होंने तथ्यों को दबाया और खातेदारों के प्रति तंग करने वाली तथा धोखेधड़ी की प्रवृत्ति अपनाई, कोई जांच करने का है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक का विचार है कि दोनों पत्रों में लिखी बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि उसने व्याप्त कर्मचारियों के खातों की जांच कर ली है और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

ISSUE OF IMPORT/EXPORT PERMITS TO DRUG COMPANIES

2862. (OIH) SHRI HUKMDIO NARAIN YADAV : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the names of indigenous and foreign drug & chemical companies or persons who were granted import and export permits by the Department during the period from April, 1977 to June, 1978 indicating the value of such permits; and

(b) the number of the companies and persons out of those granted licences against whom action is already being taken and enquiry being conducted and have been found guilty for irregularities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Particulars of all the Import/Export Licences that are issued are published in the "Weekly Bulletin of Import Licences, Export Licences and Industrial Licences", copies of which are supplied to Parliament Library regularly.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

PURCHASE OF NAPKINS, CHOCOLATES, SOAP, COTTON, ETC.

2863. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1501 on the 3rd March, 1978 regarding value of blankets and Pillows purchased by I.A.C. and state :

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names of firms from which material like plastic paper glasses, cups, trays, napkins, chocolates, soap, cotton, etc., were purchased by Indian Airlines during the period April, 1976 to June, 1978, indicating the value and quantum as well as the rules governing the procurement thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government Assurance in this regard was fulfilled under this Ministry's O.M. No. H.11016/45/78-AC, dated 2-6-78 addressed to the Department of Parliamentary Affairs (copy attached—Appendix A).

(c) A statement giving the names of the firms from whom the plastic items, like glasses (beakers), cups, trays/plates, napkins, chocolates, soap, etc. were purchased during the years 1976-77 and 1977-78, the quantity purchased and the value thereof, is attached (Appendix B). Cotton is a regional purchase item and information is not readily available. As regards procurement rules, Indian Airlines follows the system of 'sealed tenders'. Opening of tenders is supervised by a Tender Committee, consisting of representatives from Stores and Finance Departments of Indian Airlines. The selection of the suppliers/firms is decided on the basis of the best offer, taking into consideration such aspects as the price, quality of the item, delivery terms, etc.

[Pleased in Library. See No. L.T. 2571/78]

IMPACT OF AUCTION OF GOLD ON SMUGGLED GOLD

2864. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state .

(a) whether the programme of auction of gold has achieved its objectives;

(b) if so, the impact thereof;

(c) how far this report is correct that the auction of gold has made the use of smuggled gold easy (vide Blitz of 1st July, 1978; and

(d) the total value of gold sold and the gold prices prevailing now and before the gold auction was taken up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) & (b) The sale of gold has been conceived with the limited objective to act as an economic measure to supplement preventive measures to tackle the evil of smuggling of gold into the country. It can be said the sale has discouraged large scale smuggling of gold into the country.

(c) It is not correct that the auction of gold has made the use of smuggled gold easy. The gold sold in Reserve Bank of India auctions is strictly within the ambit of the Gold (Control) Act and is subject to proper accounting control. The gold so sold is in the form of standard bars of 100 gms. with Government Mint markings which can be easily identified separately from the smuggled gold.

(d) In the seven auctions held so far gold has been sold for a value of about Rs. 60.11 crores. The price of gold in Bombay market on 2nd May, 1978 i.e. before the first auction was held by the Reserve Bank of India on 3-5-1978 was Rs. 685/- per 10 gms. The prevailing price of gold in Bombay market on 30th July, 1978 was Rs. 685/- per 10 grammes.

इंडियन एयरलाइंस की एयरबस से गिद्धों का टकराना

2865. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि इंडियन एयरलाइंस की एयरबसों की उड़ानों के दौरान गिद्धों के टकराने की घटनायें बढ़ रही हैं जिससे इंजनों को नुकसान पहुंचता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने तथा यात्रियों के दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिये इंडियन एयरलाइन्स ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइन्स के एयरबस विमानों के सेवा में चालू करने से अर्थात् नवम्बर, 1976 से लेकर एयरबस की पक्षियों से टकराने की घटनायें निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	घटनाओं की संख्या
1976 .	. 2
1977 .	. 8
1978 (जुलाई तक)	. 2
कुल . . .	. 12

इन 12 घटनाओं में से, 8 घटनाओं में इंजनों को क्षति पहुंची ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने अपने विमानचालकों को एहतियाती उपायों तथा सतर्कता की आवश्यकता, उतरने/उड़ाने भरने के समय या टर्मीनल क्षेत्र में नीचे उड़ान करते समय अवतरण/टैक्सी लाइटों के प्रयोग के बारे में यथोचित हिदायतें जारी की हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये भी उपाय किये जाते हैं कि जहां तक संभव हो कूड़ा, खाद्य-पदार्थ आदि को विमानक्षेत्रों के समीप डालने की अनुमति न दी जाय। नागर विमानन के महानिदेशक ने भी विमानक्षेत्रों पर पक्षी उत्पात के निवारण के लिये कुछ हिदायतें जारी की ह ।

वायुयान नियम, 1937 के नियम 81-ख "विमान क्षेत्र के निकट पशुओं का बध करने तथा उनकी खाल उतारने, कूड़ा तथा अन्य बुदबूदार या गन्दी चीजें जमा करने पर प्रतिबन्ध लगाना"—में संशोधन करने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

CONCERN EXPRESSED BY UN COMMISSION ON MULTINATIONALS

2866. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the UN Commission on Multinational companies has expressed concern over the interference by foreign monopolist companies in the internal affairs of Asian, African and Latin American Countries; and

(b) if so, the action proposed to be taken in this regard in the interest of the country and in case no action is proposed to be taken the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) The UN Commission on Transnational Corporations was established by the United Nations Economic & Social Council to serve as an Advisory Body to the Council and to assist it in dealing with full range of issues relating to transnational corporations. One of the tasks in which the Commission is presently engaged is the formulation of a code of conduct which arose primarily out of the concerns expressed by the developing countries over the activities of transnational corporations. The aim of the code of conduct is to eliminate or minimise the negative effects of the operations of transnational corporations and to maximise their contribution to the development goals of the host countries. An inter-Governmental Working Group set up by the UN Commission. In which 48 countries are represented, is currently working on the code and India is one of the countries participating in it.

आगामी दशक में खाद्य तेल की कमी

2867. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से यह पता लगा है कि आगामी दशक में खाद्य तेल की भारी कमी होगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1987 तक खाद्य तेल की देश की आवश्यकता का लगभग 40 प्रतिशत आयात किया जायगा जबकि अब लगभग 25 प्रतिशत आयात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो संकट पर काबू पाने के लिये अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय किए जायगें ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) देश में खाद्य तिलहनों और तेलों के उत्पादन के तब तक मांग से कम रहने की संभावना है, जब तक कि इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये गिए गए उपायों का परिणाम निकलना शुरू नहीं हो जाता। अभी इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1987 में इनकी कितनी कमी होगी और इन्हें कितनी मात्रा में आयात करना होगा।

(ग) तात्कालिक उपाय के रूप में खाद्य तेलों के आयात की उदार रूप से अनुमति दी जा रही है। इसके साथ साथ, खाद्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपाय किए गए हैं। इनमें तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के उपाय तथा तिलहनों, जिनमें गैर-पारम्परिक अप्रधान तिलहन भी शामिल हैं, से अधिक मात्रा में तेल निकालने के उपाय, दोनों ही शामिल हैं।

पावरलूम क्रेप का निर्यात

2868. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पावरलूम क्रेप के निर्यात के बारे में कुछ निर्णय किए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि हथकरघा की वस्तुओं की निर्यात संभावनाओं को पूर्णतया उपयोग में लाने के लिए विभिन्न योजनायें और परियोजनायें सरकार के विचाराधीन ह और उनमें से कुछ को हथरकघा विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में कुछ राज्यों में मंजूरी दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) शक्तिचालित करघा क्रेप वालों और 20 एम०×20 एस काउंट के उसके उत्पादों के निर्यात पर 18-5-1978 से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय भी लिया गया है कि 1 अप्रैल, 1979 से 60 एस०×60 एस० काऊंट के शक्तिचालित करघा क्रेप वस्त्रों और उसके उत्पादों के निर्यात न किये जायें।

(ख) तथा (ग) : उन निर्यात उत्पादन परियोजनाओं के अलावा जिन्हें सरकार ने निर्यात क्वालिटी का हथकरघा माल बनाने की स्वीकृति दी है, निर्यात के लिये नमूने बनाने और उन्हें निर्यात व्यापार को उपलब्ध कराने में लगे हुए बुनकर सेवा केंद्रों की भूमिका को और अधिक तीव्र बना दिया गया है ताकि हथकरघा माल की निर्यात संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग किया जा सके। हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के हथकरघा वस्त्रों और उसके उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए हथकरघा माल विशेष रूप से हथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं ।

शिक्षित बेरोजगारों द्वारा तस्करी

2869. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि बहुत से शिक्षित बेरोजगार युवक रोजगार न मिलने के कारण तस्करी करने लग गए ह;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्र के युवकों को इस विनाश से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या ऐसे युवक अपनी आजीविका कमाने के लिये ऐसे ही अन्य किसी गैर कानूनी धन्धों में लग गय हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) जी नहीं। सरकार को मिली रिपोर्टों से इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है कि बहुत से शिक्षित बेरोजगार नवयुवक तस्करी क्रियाकलापों या इसी प्रकार के अन्य गैर कानूनी पेशों में लगे हुए हैं। तस्करी की बुराइयों के खिलाफ जन-मत तैयार करने और नवयुवकों में 'स्वदेशी' की भावना भरने के उपाय किये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा स्थायी सम्पत्ति का विवरण दिया जाना

2870. **श्री सत्तर मुखर्जी**
श्री ब्रज भूषण तिवारी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक विभाग ने ऐसे निदेश जारी किये हुए हैं कि अस्थाई सम्पत्ति का विवरण प्रति वर्ष दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी ये नियम लागू होते हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक उपक्रम के कितने अधिकारी इन नियमों का ठीक-ठीक पालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) आदेश का पालन न करने पर कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में नये सिरे से आदेश जारी करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपनाये जाने के लिये केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से कुछ आदर्श आचरण, अनुशासन और अपील नियम परिचालित किये थे। इन नियमों के अनुसार सरकारी उद्यमों के सभी अधिकारियों के लिये अपनी चल, अचल और अन्य बहुमूल्य सम्पत्ति के बारे में सूचना देना तथा उनके किसी प्रकार के लेन-देन के लिये अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इन नियमों का अनुपालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

VILLAGES ADOPTED BY INDUSTRIAL HOUSES FOR DEVELOPMENT

2871. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether big industrial houses in the country have adopted some villages for development purposes;

(b) the names of villages in Bihar adopted by each industrial house; and

(c) whether Bihar has been discriminated against in matter of the above village development scheme despite the fact that its economic condition is the worst ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) to (c) Programmes of rural development of 64 companies have been approved under section 35CC of the Income-tax Act, 1961. These include some of the programmes furnished by Messrs Indian Explosives Limited, Calcutta to be executed in village Naiyat near Gomia in Bihar.

The Associated Cement Companies Limited, Bombay have also recently filed an application for approval of programmes of rural development some of which are proposed to be executed in villages falling in Singhbhum and Ranchi districts of Bihar, and the same will be considered by the prescribed authority.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते

2872 **श्री रेणुपद दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले वेतनमान और भत्ते क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के कर्मचारियों के कार्य के समान काम करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे वेतनमान और भत्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को न दिये जाने के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू होने वाले वेतनमान तथा भत्ते' संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ख) और (ग) : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी, राज्य के निर्धारित क्षेत्र में मुख्यतः छोटे तथा सीमान्तिक किसानों, कृषक मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों, आदि सीमित ग्राहकों की सेवा करते हैं। उनकी भर्ती साधारणतः उनके परिचालन क्षेत्र से या निकट क्षेत्र में से ही की जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वे संस्थायें हैं जो ग्रामों के अनुकूल हैं तथा इनसे अपने खर्चों को कम से कम रखने की अपेक्षा की जाती है। ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के वेतन आदि, उसी क्षेत्र में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन मानों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाते हैं। दूसरी तरफ, वाणिज्यिक बैंक आमतौर पर एक से अधिक राज्यों में परिचालित होते हैं तथा इनकी ग्रामीण शाखायें बड़े किसानों तथा व्यापारियों आदि सहित समाज के सभी वर्गों को विभिन्न बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराती हैं।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी कर्मचारी	वेतनमान	महंगाई भत्ता	मकान किराया	सेवा निवृत्ति अन्य सुविधायें
1	2	3	4	5
1. शाखा प्रबन्धक	रु० 700-40-900 50-1250	शून्य	जो उस स्थान पर नियुक्त राज्य सरकार के अधिकारियों को देय हैं।	राज्य सरकार के समतुल्य ग्रेड में कार्यरत अधिकारियों को देय है। मकान किराया भत्ता, अनुदान, चिकित्सा सुविधायें राज्य सरकार के उन कर्मचारियों पर, जोकि पेंशन सुविधाओं के पात्र नहीं है, लागू अंशदाय भविष्य निधि सुविधा के पात्र होंगे।

1	2	3	4	5
2. क्षेत्रीय अधिकारी लेखापाल	क्षेत्रीय विकास अधिकारी (साधारण) के बराबर वेतन मान	जैसा कि राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकास अधिकारियों के लिए निर्धारित किया गया है।	तदैव	तदैव
3. लिपिक	जिला प्राधिकारियों के अवर श्रेणी लिपिक वेतनमान	जिला प्राधिकरणों के अ० श्रे० लि० को देय	जिला प्राधिकरणों के० अवर श्रेणी लिपिकों को देय	तदैव
4. कनिष्ठ लिपिक	जिला प्राधिकरणों के निम्न श्रेणी लिपिक के वेतन मान	जिला प्राधिकरणों के नि० श्रे० लि० को देय	जिला प्राधिकरणों के निम्न श्रेणी लिपिकों को देय	तदैव
5. ड्राइवर	जिला प्राधिकरणों के ड्राइवरों के वेतनमान	जिला प्राधिकरणों के ड्राइवरों को देय	जिला प्राधिकरणों के ड्राइवरों को देय	तदैव

बैंकों द्वारा किसानों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाना

2873. क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसानों को ब्याज की कम दरों पर ऋण देने के बारे में बैंकों को निदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को ऐसी कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, हां। 1-1-1978 के बाद स्वीकृत किये गये समाजिक ऋणों पर लघु सिंचाई तथा भमि विकास के लिए ब्याज की दर 10.5 प्रतिशत से अधिक तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है। छोटे किसानों को 2500 रुपये तक दिये जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों के लिये ब्याज की दर 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होती, चाहे उन्हें अल्पावधि, मध्यम या दीर्घाकालीन अवधि की सुविधा प्राप्त हों।

(ख) उपर्युक्त वर्गों में से प्रत्येक वर्ग को दिये गये ऋणों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, दिसम्बर, 1977 के अन्त तक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिये गये ऋणों की राशि नीचे लिखे अनुसार हैं:—

लाख रुपयों में

खातों की संख्या	स्वीकृत सीमायें	बकाया राशि
58692.11	206635.84	165106.42

"शोर्टेज आफ केपीटल प्रेशर फ्रोम बिग ट्रेडर्स हिटस कांप्स" शीर्षक समाचार

2874. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1978 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में, 'शोर्टेज आफ कैपीटल, प्रेशर फ्राम बिग ट्रेडर्स हिट्स कांप्स" शीर्षक समाचार की ओर गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) इस समाचार के अनुसार सुपारी रबड़, काजु तथा नारियल की जटा के उद्योगों की सहकारी सोसायटियों के सामने आ रही मुख्य समस्याओं में कार्यकर पूंजी की कमी तथा संसाधन सुविधाओं का अभाव शामिल है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम प्रोत्साहन तथा वित्तदायी संस्था होने के नाते उक्त वस्तुओं के विपणन तथा संसाधन की योजना तैयार करने में इस सहकारी सोसायटियों की मदद करता रहा है। यह निगम बैंकिंग संस्थाओं से कार्यकर व ब्लाक पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिये सीड़ तथा मार्जिन मनी के रूप में और अंशपूंजी में भाग लेने के लिये राज्य सरकारों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता भी देता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने केरल राज्य सहकारी विपणन संघ को काजु की वसूली के लिये अब तक 30 लाख रुपये उपान्त धन के रूप में दिये हैं। केन्द्रीय सुपारी विपणन तथा संसाधन सहकारी सोसाइटी को 71.50 लाख रु० उपान्त धन के रूप में मिले हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने रबड़ विपणन संघ को उपान्त धन के रूप में 32 लाख रुपये दिये तथा रबड़ सहकारी सोसायटियों को संसाधन यूनिटें स्थापित करने के लिये 45.57 लाख रुपये दिये। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने क्षेत्रीय नारियल जटा तथा विपणन सहकारी सोसायटियों को 20.80 लाख रु० की सहायता दी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऐसी सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के प्रस्तावों पर अनुकूल रूप से विचार किया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से समर्थित होते हैं।

दार्जिलिंग चाय उद्योग का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण

2875. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दार्जिलिंग चाय उद्योग के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् के निष्कर्षों और सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) :

(क) रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का विवरण संलग्न है।

विवरण

दार्जिलिंग क्षेत्र में चाय एस्टेटों की आय और लागत ढांचे का विश्लेषण करने पर पता चला कि जबकि देश में समग्र रूप से चाय बागानों की लाभप्रदता में गत कुछ वर्षों में गिरावट आई है, दार्जिलिंग क्षेत्र के चाय एस्टेटों की स्थिति काफी बुरी रही है जिसके परिणामस्वरूप अलाभप्रद चाय बागानों की संख्या बढ़ी है। अलाभप्रद चाय बागानों को आर्थिक रूप से जीवन क्षम बनाने और साथ ही नये रूप से धन लगाकर उद्योग का आत्मनिर्भरता के आधार पर विकास सुनिश्चित करने का हल मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन लागत कम करने और साथ ही इन चाय बागानों द्वारा पैदा की जाने वाली चाय के लिये अधिक लाभप्रद कीमत प्राप्त करने लिये उपयुक्त उपाय अपनाये जायें। चाय उत्पादन में प्रौद्योगिकीय सुधार करना (क्षेत्र और कारखाना संचालन दोनों मामलों में) साथ ही कराधान, वित्त और श्रम से संबंधित संस्थागत उपाय करना भी आवश्यक हैं। क्षेत्र और कारखाना संसाधन में प्रौद्योगिक सुधार करने और इसके परिणाम-स्वरूप लागत में कमी लाने का एकमात्र उत्तरदायित्व चाय एस्टेटों का है। कराधान, वित्त और श्रम जैसे संस्थागत उपाय, जो अधिक आधारभूत हैं, के सरकारी एजेंसियों द्वारा किये जा सकते हैं। दोनों प्रकार के उपाय महत्वपूर्ण हैं। संस्थागत उपाय इसलिये आवश्यक हैं ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार हो सके जिससे उद्योग फिर से स्वस्थ हालत में आ जाये और प्रौद्योगिकीय एवं संचालन सम्बन्धी उपाय इसलिये आवश्यक हैं तो सुधरे हुए वातावरण का लाभ उठाया जा सके।

चाय बोर्ड निम्नलिखित तीन प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत उद्योग को वित्तीय सहायक देने का महत्वपूर्ण काम करता रहा है।

—पुनर्रोपण इमदाद

—रोपण वित्त

—मशीनों के लिये किराया-खरीद

तथापि दार्जिलिंग चाय एस्टेटों में विशेष रूप से अधिक ऊंचे स्थानों पर स्थित एस्टेटों में इन सुविधाओं का उतना लाभ नहीं उठाया है जितना कि उन्हें उठाना चाहिये था। यद्यपि पुनर्रोपक्षण इमदाद की दर बढ़ कर 5,000/— रु० प्रति हैक्टार कर दी गई है और रोपण की योजना के अन्तर्गत ऋण की दर पर्वतीय स्थानों में बढ़ाकर 13750/— रुपये प्रति हैक्टार कर दी गई है लेकिन एस्टेटों ने इनके प्रति खास तौर से बाद वाली योजना के प्रति बहुत कम रुचि दिखाई है।

चाय कारखानों के नवीकरण के लिये किराया-खरीद के आधार पर मशीनें प्राप्त करने की योजना इस क्षेत्र के चाय उपजकर्ताओं के बीच अधिक लोकप्रिय रही है। पुनर्रोपण की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए, जो अब लगभग 13000/— रुपये प्रति हैक्टार है, पुनर्रोपण इमदाद की राशि भी पहाड़ी क्षेत्रों के एस्टेटों के लिये बढ़ाकर 7000/ रु० प्रति हैक्टार करनी

है। हां, चाय वित्त के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार इस बात पर बल दिया जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंकों को विशेष रूप से प्रमुख बैंकों को और साथ ही राज्य वित्त निगमों को आवधिक ऋणों और चालू वित्त व्यवस्था दोनों के सम्बन्ध में पहाड़ियों, तराई और देश के अन्य भागों में स्थित चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना होगा ताकि चाय बोर्ड के प्रयासों में सहायता दी जा सके। आवधिक ऋणों के सम्बन्ध में जबकि रियायती ब्याज दरें या ब्याज के भुगतान का स्थगन आवश्यक नही है, ये देखते हुए कि पहाड़ी क्षेत्र में चाय उत्पादन में काफी अधिक समय लगता है, पहाड़ी चाय एस्टेटों के सम्बन्ध में मूल राशि के पुनर्भुगतान पर 10 साल तक के स्थगन की अनुमति दी जा सकती है। ऋण की अवधि भी निर्धारित नहीं की जानी चाहिये बल्कि वह उस प्रयोजन के अनुसार नियत की जानी चाहिये जिसके लिये वह ऋण लिया गया है।

चाय उद्योग के कराधान के सम्बन्ध में चाय पर जो उत्पादन शुल्क लगाया जाये वह उचित रूप में उत्पादन और उत्पादकता में विकास के अनुसार लगाया जाना चाहिये और उत्पादन के मुल्य से संबंधित होना चाहिये। इस समय जोन आधार पर विशिष्ट उत्पादन शुल्क लगाने की जो प्रणाली है, जिसका दार्जिलिंग और आसाम के निर्यात अभिमुख चाय क्षेत्रों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है, उस पर सावधानी पूर्वक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

अतः कास्त सम्बन्धी कार्यों के लिये पानी चाय उत्पादन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है तराई क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अधिकांश बागानों में वर्षा का पानी समान मात्रा में नहीं मिलता। मानसून के दौरान नालियों की खराब व्यवस्था के कारण कुछ क्षेत्र बाढ़ के पानी से भर जाते हैं इसलिये राज्य सरकार को तराई चाय उद्योग के सहयोग से नियोजित नाली व्यवस्था करनी है।

हाल के वर्षों में भारत के चाय अनुसन्धान एसोसियेशन द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रीय परीक्षण किये गये हैं उनसे यह सुस्थागित हो गया है कि दार्जिलिंग के चाय बागानों की उत्पादकता पर अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग करने पर अनुकूल परिणाम निकले हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि विशेष रूप से पहाड़ी एस्टटो में इनका प्रयोग उस मात्रा से कहीं कम किया गया है जितनी अभीष्टतम मात्रा का प्रयोग करने की सिफारिश की गई है। हां, उर्वरकों की ऊंची कीमतों के कारण सभी चाय एस्टेटों के लिए उर्वरकों का किफायत के साथ इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है अतः चाय एस्टेटों को चाहिये कि यह तय करने के लिये कि उनके अलग अलग प्लाटों में कितनी कितनी मात्रा में इन कीमती चीजों का प्रयोग करना अभीष्टतम रहेगा, वे प्रयोगात्मक केन्द्रों की सलाह ले लें।

खरपतवार की हाथ से हंसिया की सहायता से निराई करने के स्थान पर, जो अब भी विभिन्न चाय बागानों में प्रचलित है, उस पर रसायनों की सहायता से अधिक अच्छी तरह से काबू पाया जा सकता है।

इस जिले में सुधरी हुई किस्मों के साथ पुनर्रोपण करने की जरूरत सर्वाधिक महत्व-पूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में चाय उद्योग में जो सर्वतोमुखी समृद्धि हुई है, उसमें भारतीय चार उपजकर्ताओं ने पुनर्रोपण (तथा अन्य तकनीकी सुधारों) की उपेक्षा की है। 1968 में उच्च शक्ति प्राप्त बरुआ समिति ने सिफारिश की थी कि उद्योग का मूलभूत उद्देश्य यह होना चाहिये कि पुनर्रोपणों, प्रतिस्थापन पुनर्रोपणों अथवा विस्तार के रूप में हर साल 3 प्रतिशत की दर से नये रोपण किये जायें। किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है और यह दर 2% से भी कम रही है। निस्सन्देह इस असफलता का मुख्य कारण वित्त का अभाव रहा है।

अभी तक नन्दा देवी के अतिरिक्त दार्जिलिंग की ऊंचा तक स्थित बागानों के लिये कोई अनुकूल सन्तोषजनक संकर किस्म नहीं निकाली जा सकी है। अभी तक इस क्षेत्र के लिये आवश्यक किस्मों की सप्लाई के लिये इन पहाड़ियों पर कोई भी विधिपूर्वक मान्यता प्राप्त बीजबाड़ी नहीं है। चाय बागानों को चाहिये कि वे चाय अनुसन्धान केन्द्रों की तकनीकी सहायता से अपने ही बीजों व क्लानों का विकास करने की कोशिश करें।

नये क्षेत्रों में रोपण करने तथा अलाभकर क्षेत्रों को छोड़ देने के अलावा बागानों को प्रति इकाई क्षेत्र झाड़ संख्या को बढ़ाने, अर्थात् 'चाय के आधार' को सुधारने हेतु भराई के महत्व को समझना चाहिये। दार्जिलिंग स्थित चाय उत्पादकों में भराई का सामान्यतः प्रचलन नहीं है। वास्तव में रिक्तता की प्रतिशतता काफी ऊंची है। सामान्यतः एक एकड़ में 4000 से 5000 झाड़ होते हैं जिसे विद्यमान कतारों के बीच झाड़ों की एक कतार का रोपण करके दुगना किया जा सकता है ताकि बीच बीच में अपेक्षा कम स्थान छूटे। यहां यह उल्लेखनीय है कि चाय अनुसंधान एसोसिशन पहले इस संबंध में शिफारिश कर चुका है कि झाड़ों के बीच कितना स्थान छोड़ना अभीष्टतम है।

क्षेत्र की विभिन्न चाय फैक्टरियों में विद्यमान प्रोसेसिंग मशीनों के पुनः नवीकरण के अलावा अतिरिक्त प्रोसैसिंग मशीनों की भी जरूरत है। विभिन्न बागानों की फैक्टरियों में सुखाने की प्रणाली (विदरिंग सिस्टम) अपर्याप्त है। विनिर्माण लागत को कम करने, क्वालिटी सुधारने तथा सन्तुलित व समय पर सुखाई के लिये सुखाने के कुंड आवश्यक हैं। इस के साथ साथ इस जिले के अधिकांश बागानों को अपनी फैक्टरियों के लिये अतिरिक्त रोलरों तथा ड्राइवरों की भी जरूरत है। बागानों, विशेषतः तराई स्थित बागानों को अपनी फैक्टरियों में आर्द्रता व तापमान नियंत्रण के लिये उचित तरीके अपनाने चाहिये। चाय सम्बन्धी मशीनों की कठिनाइयों पर विजय पाने के लिये चाय बागानों को चाय बोर्ड की स्कीमों से लाभ उठाना चाहिये।

चाय को सीधे मौके पर ही अथवा वायदा संविदाओं के आधार पर बेचा जा सकता है चूंकि यह ऐसी वस्तु है जिसकी अनेक किस्में हैं तथा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकारण की चाय की आवश्यकता होती है इसलिये यही सबसे अच्छा रहता है कि इसे विपणन की नीलामी प्रणाली के माध्यम से बेचा जाये। यह बात इससे भी सही सिद्ध होती है कि अन्य तरीकों से बिक्री करने की अपेक्षा नीलामियों से ऊंची कीमतें मिलती हैं।

विपणन की समस्याओं के भाग के रूप में, दार्जिलिंग पहाड़ियों में चाय एस्टेटों द्वारा जिन परिवहन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, उसके लिये कुछ विशेष समा की आवश्यकता है। वास्तव में, इस क्षेत्र में बहुत से अलाभकर बागानों की एक बड़ी परेशानी यह है कि वहां तक पहुंचना कठिन है। इससे न केवल तैयार उत्पाद के तुरन्त तथा ठीक परिवहन में ही बाधा पड़ती है, अपितु निरीक्षण, सर्वेक्षण तथा तकनीकी सहायता के लिये वहां जाने में भी बहुत कठिनाई आती है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि दार्जिलिंग के चाय बागान क्षेत्रों में परिवहन तथा संचार की सुविधाओं में राज्य सरकार तथा जिला प्राधिकारियों के प्रयासों से सुधार किया जाये।

सीमान्त एस्टेटों का एक दूसरे में विलय और उनके उत्पादन को सहकारी आधार प्रदान करना कठिन होगा, क्योंकि दूर दूर फैले ये यूनिट विलय के विरोध में हैं जो कि सामान्य रुख के अनुरूप हैं। तथापि, चाय एसोसियेशनों को इस सम्बन्ध में पूरी कोशिश करनी चाहिये कि वे कच्चा माल खरीदने और डेनिस परम्परा या पूर्व अफ्रीका के कुछ भागों के काफी एस्टेटों के अनुसार तैयार उत्पाद भेजने जैसे चुने हुए कार्यों के सम्बन्ध में वे परस्पर सहयोग करें। विशेष महत्व की चीज यह हो सकती है कि इन एस्टेटों की वर्तमान परिसम्पतियों के आधार पर नहीं अपितु अन्तिम पुनर्भुगतान आधार पर बैंक, चाय बोर्ड और दूसरी प्रमुख एजेंसियाँ इन उत्पादकों को ऋण सुविधायें देने की व्यवस्था करें। साथ ही चाय एस्टेटों के हित में यह भी होगा कि वे चाय अनुसन्धान सिद्धांतो की सेवाओं का उपयोग करें ताकि वे नवीनतम प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों से परिचित हो सकें जो कि उनके काम के लिये बहुत महत्व-पूर्ण है।

तस्करी को रोकने के लिये कार्यवाही

2876. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उक्त कार्यवाही कहां तक सफल रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) तस्करी निवारक कार्यवाही के अंग के रूप में, पिछले वर्ष सरकार ने तीन तरफा कार्यवाही शुरू की जिसमें—

(i) निवारक और गुप्तसूचना तन्त्र को सुदृढ़ बनाना; (ii) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के चुनिदा प्रयोग का सहारा लेना, और (iii) उपयुक्त आर्थिक उपाय करना शामिल हैं। तस्करी रोकने में इन उपायों का लाभकर प्रभाव रहा है। यह बात, देश में भेजी जाने वाली (गैर व्यापारिक) रकमों में वृद्धि की प्रवृत्ति, प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिर मजबूती और निषिद्ध माल की ऊंची कीमतें और देश के मुख्य बाजारों में उन का खुला प्रदर्शन नहीं होने जैसे संकेतों से प्रमाणित होती हैं।

वर्ष 1977-78 के दौरान भारत में आए विदेशी पर्यटक

2877. **श्री ईश्वर चौधरी**
चौधरी बलवीर सिंह } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है जहां से 1977–78 में अधिक संख्या में पर्यटक भारत में आये हैं और वे कितने पर्यटक स्थालों पर गये हैं; और

(ख) कितने पर्यटक बिहार स्थित गया में आये?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री परुषोत्तम कौशिक) : (क) वर्ष 1977-78 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों का प्रथम 10 राष्ट्रिकताओं के क्रम से विवरण नीचे दिया गया है:—

राष्ट्रिकता का देश	1977–78	आने वाले कुल पर्यटकों का अनुपात (%)
यू० के०	87,704	13.1
यू० एस० ए०	77,803	11.7
फ्रांस	47,129	7.1
पश्चिम जर्मनी	45,577	6.8
श्रीलंका	35,170	5.3
जापान	26,890	4.0
इटली	25,158	3.8
आस्ट्रेलिया	24,534	3.7
मलेशिया	21,558	3.2
कनाडा	19,375	2.9
अन्य	256,482	48.4
कुल	667,380	100.0

जहां तक विदेशी पर्यटकों द्वारा यात्रा किये जाने वाले पर्यटक स्थालों की संख्या का सम्बन्ध है, 1976-77 के विदेशी पर्यटकों के सर्वेक्षण के अनुसार विदेशी पर्यटकों द्वारा सामान्यतः यात्रा किये जाने वाले 44 महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों की एक सूची संलग्न है।

(ख) 1976–77 के दौरान किये गये विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि 1977–78 के दौरान 5400 विदेशी पर्यटकों ने बिहार में गया की यात्रा की ।

विवरण

विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1976-77 के अनुसार विदेशी पर्यटकों द्वारा सामान्यतः यात्रा किए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों की सूची

1. दिल्ली
2. बम्बई
3. आगरा
4. मद्रास
5. वाराणसी
6. कलकत्ता
7. जयपुर
8. अमृतसर
9. बंगलौर
10. श्रीनगर
11. गोवा
12. खजुराहो
13. तिरुचिरापल्ली
14. मथुरै
15. औरंगाबाद
16. रामेश्वरम
17. उदयपुर
18. हैदराबाद
19. पुणे
20. मैसूर
21. कोचीन
22. त्रिवेन्द्रम/कोवालम
23. पटना
24. दार्जिलिंग
25. पांडिचेरी
26. अहमदाबाद
27. लखनऊ
28. राक्सौल
29. जम्मू
30. ओटकमांड
31. पूरी
32. चण्डीगढ़
33. कोयम्बतूर
34. महाबलिपुरम
35. हरिद्वार/ऋषिकेश
36. धरमशाला
37. गया
38. भवनेश्वर
39. मनाली
40. लद्दाख
41. नागपत्तिनाम
42. लेह
43. तन्जौर
44. कुल्लू

रुग्ण उद्योगों पर निगाह रखने के लिए सैल स्थापित करने के बारे में भारतीय-रिजर्व बैंक को परामर्श

2878. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसा परामर्श दिया है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऐसे सैल स्थापित करने के लिये कहे जो उन रुग्ण उद्योगों पर निगाह रखे जिन्हें वे ऋण देते हैं तथा लघु उद्योगों के लिये भी ऐसे ही सैल बनायें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि वे सभी रुग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्ध विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिये अपने संगठन के भीतर ही कक्षों का गठन करे। छोटे पैमाने के ऋण एककों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे अपने संगठनात्मक प्रबन्धों की पर्याप्तता की जांच करें और ऐसे क्षेत्रीय कक्षों का गठन करें जिनमें उन्हें पर्यवेक्षण करने में तथा परामर्श देने में सहायता प्रदान करने के लिये अनुभवी और योग्य कर्मचारी हों। इसका मूल उद्देश्य अर्थ क्षम रुग्ण एककों का पता लगाना है ताकि उनके सुचारू रूप से पुनरुद्धार के लिये शीघ्र से शीघ्र सुधारात्मक उपाय किये जा सकें। अतः प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर, बैंक और वित्तीय संस्थायें ब्याज दरों और मार्जिनों में रियायत, पुराने देयो के पुनर्निर्धारण, अदायगी कार्यक्रमों को फिर से बनाना, आदि जैसी बहुत सी रियायतें प्रदान करती हैं।

बम्बई स्थित सेन्टोर होटल में स्थान के उपयोग में कमी

2879. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित सेन्टोर होटल में स्थान के उपयोग में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मई और जून, 1978 के महीनों में भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा प्रक्तितदिन कमरों में कितने सेटों (स्वीट्स) का उपयोग किया गया?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मई तथा जून, 1978 के महीनों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारी किसी सूट में नहीं ठहरे हुए थे।

आयात-निर्यात बैंक

2880. **श्री चतुर्भुज**
श्री कचरु लाल हेमराज जैन
श्री राम प्रकाश त्रिपाठी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदेश व्यापार की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक आयात निर्यात बैंक की स्थापना करने का विचार है;

(ख) क्या वाणिज्य मंत्रालय ने इस आशय का कोई प्रस्ताव उन के मंत्रालय को भेजा है;

(ग) क्या एलेग्जेण्डर समिति ने विदेश व्यापार के लिये एक पृथक वित्तपोषी संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(घ) विदेश व्यापार के सौदों और माल के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आयात-निर्यात बक गठित करने सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) एलेक्ज़ेडर समिति ने आयात-निर्यात बैंक गठित करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) इस समय, वाणिज्यिक बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक देश के विदेशी व्यापारिक कारोबार के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात ऋण विषयक एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थाई समिति भी गठित की गई हैं जो निर्यात करने वाले समुदाय को पेश आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान व्यवस्था की सावधिक समीक्षा करेगी और इसके लिये समय-समव पर समुचित उपाय करेगी ।

कर्नाटक में जाली नोटों का पकड़ा जाना

2881. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुर्ग जिले (कर्नाटक) में एक काफी बागान के मालिक से 10 रुपये के जाली नोट पकड़े गये थे;

(ख) इस सम्बन्ध, में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) गत वर्ष के दौरान देश में जाली नोटों और सिक्कों के फैलाव को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध हो जायेगी इसको सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) जाली करेंसी और बैंक नोट बनाने से संबंधित जुर्म के लिये कानून में कड़ी सजा की व्यवस्था है। इस मामले में राज्य पुलिस बराबर निगरानी रखती है और किसी व्यक्ति द्वारा जाली नोट बनाये जाने की सूचना मिलने पर छापे मारती है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी जाली करेंसी नोट बनाये जाने की समस्या का उनको बनाये जाने की विभिन्न तकनीकों का रिकार्ड रख कर और जाली भारतीय करेंसी नोटों की उपस्थिति का समय सयय पर पुनरीक्षण करके, बराबर अध्ययन करता रहता है। उनके आर्थिक अपराध प्रभाग में एक 'कक्ष' (सेल) की स्थापना भी इसलिऐ की गई है ताकि जाली करेंसी नोट बनाये जाने से संबंधित गंभीर अपराधों का अन्वेषण किया जा सके और राज्यों के किये गए अन्वेषण कार्यों को समन्वित किया जा सके।

बैंकों में डकैतियां

2882. **श्री सी० के० जाफर शरफ**
श्री अमर राय प्रधान } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अनुसूचित अथवा गैर अनुसूचित बैंकों में गत दो वर्षों में डकैतियों की कितनी घटनाएं हुई ;

(ख) इस प्रकार की डकैतियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग) भारत सरकार, बैंक डकैतिओं की घटनाकों को बहुत गंभीर मानती है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित कदम उठाएं ताकि डकैतियों की रोक-थाम सुनिश्चित हो सके या कभी डकैती पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि अपराधियों को पक-ड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायें। सभी बैंकों में अपना आन्तरिक सुरक्षा का प्रबन्ध होता है तथा अनुभव के आधार पर तथा जब आवश्यकता पड़े, स्थानीय पुलिस से परामर्श करके समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा निगम के होटलों का प्रयोग किया जाना

2883. **डा० बापू कालदाते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारी निगम द्वारा संचा-लित बहुत से होटलों का प्रयोग रोज करते हैं ;

(ख) मई और जून के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों के कितने कमरों के सैटों (स्वीट्स) का रोज प्रयोग किया गया ;

(ग) क्या वही अधिकारी हमेशा दौरे पर रहते हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है डौर सभा-पलट प रख दी जायगी ।

ओबराय ग्रुप के होटलों को दिये गये ऋण

2884. **डा० बापू कालदाते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओबराय होटलों पर सरकारी ऋण बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो ओबराय ग्रुप के होटलों के स्वामित्व वाले होटलों को कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) इन ऋणों का वापसी भुगतान कब किया जाना था ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना ब्याज दिया गया है ; और

(ड़) इन ऋणों की वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) ने मैसर्स ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड के होटल ओबराय इंटर-कौंटिनेंटल, नई दिल्ली को कुल 122.62 लाख रुपए की राशि दी ।

(ग) और (ड़) : कम्पनी आई० एफ० सी० आई० से किए गए अपने वादों को नियमित रूप से निभा रही है तथा उसकी ओर से कोई चूक नहीं हुई है ।

(घ) मैसर्स ओबराय द्वारा अपनी नई दिल्ली की होटल परियोजना के संबंध में आई० एफ० सी० आई० से मंजूर किए गए ऋण का पिछले 3 वर्षों के लिए अदा किया गया ब्याज निम्न प्रकार है :—

1975–76	3.61 लाख रुपए
1976–77	2.80 लाख रुपए
1977–78	2.06 लाख रूपए

एयर इंडिया के निदेशक के लन्दन में बस जाने के समाचार

2885. **श्री ज्योतिर्यथ बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव, जोकि एयर इंडिया बोर्ड के एक सदस्य भी हैं, अब लन्दन में प्रायः बस ही चुके हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह किसी श्री शिव देसानी के यहां नौकरी कर रहे हैं जो कि यू० के० में रह रहे एक कुख्यात कर अपवंचक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस भूतपूर्व सचिव को एयर इंडिया के बोर्ड में रखना क्यों आवश्यक है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । वह श्री शिव देसानी की नौकरी में नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

क्विनिन साल्टों का निर्यात

2886. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकारों के सिंकोना विभागों के निदेशकों ने चालू वर्ष में विशेषकर क्विनिन साल्टों का निर्यात के लिए, बिक्री टेंडर आमंत्रित किए थे ;

(ख) क्या निर्यातकर्ताओं को चालू वर्ष में क्विनिन साल्टों का निर्यात करने से रोका है ;

(ग) यदि हां, तो रोके गए मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या निर्यातकर्ताओं को समुद्रपार के खरीददारों के साथ किए गए ठेके समय पर पूरे न किए जाने के कारण हुई हानि के लिए मुआवजा दिया जायगा ; और

(ङ) क्विनिन साल्टों के बिना रोक-टोक निर्यात के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) से (ङ) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल ने बताया है कि सिंकोना निदेशालय, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु की सरकारों ने जून-जुलाई, 1978 में निर्यातों के लिए बिक्री टेण्डर मांगे हैं ।

2. चालू वर्ष अर्थात् 1978-79 के लिए निर्यात नीति के अनुसार कुनैन, कुनैन उत्पादों तथा सिंकोना अल्केलायड्स का निर्यात, निर्यात व्यापार नियंत्रण के अन्तर्गत था और इसके निर्यात की अनुमति प्रत्येक मामले के 'गुणावगुण' के आधार पर दी जानी थी । अतः निर्यातकों को कोई वचनबद्धता करने से पहले पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से विशेष रूप से पूर्व अनुमति लेनी होती थी । बेसिक कैमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सं० रा० अमेरिका को निर्यात के लिये कुनैन सल्फेट की 500 कि० ग्रा० की एक खेप तथा स्टिजरलैण्ड को निर्यात के लिए कुनैन सल्फेट की 400 किग्रा० की दूसरी खेप रोक ली गई है क्योंकि संबंधित पार्टियों ने पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं ली थी । सरकार प्राइवेट पार्टियों की वाणिज्यिक हानियों की जिम्मेदारी नहीं लेती ।

3. फरेलू कमियों को देखते हुए कुनैन, कुनैन उत्पादों तथा सिंकोना अल्केलायडस (कुनीडाइन सल्फेट को छोड़कर) के निर्यात पर रोक लगा दी गई है । कुनीडाइन सल्फेट के निर्यात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है ।

विभिन्न राज्यों द्वारा बिक्री कर को युक्ति संगत बनाना

2887. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार बिक्री कर को युक्ति संगत बनाने तथा उसमें एकरूपता लाने के लिए राज्यों के साथ बातचीत आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिक्री कर को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में वृद्धि के प्रश्न पर भी उनके साथ विचार विमर्श किया जायेगा; और

(ग) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में विभिन्न राज्यों ने बिक्री कर के रूप में कितनी धनराशि वसूल की ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल : (क) और (ख) संविधान के अन्तर्गत बिक्री कर राज्य सूची का विषय है। बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के प्रश्न पर लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों/ वित्त मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों/ वित्त मंत्रियों ने, बिक्री कर हटाये जाने के संबंध में सामान्यतः उत्साह का अभाव दिखाया है। यह एक ऐसा मामला है, जिसे तत्काल हल नहीं किया जा सकता और इस दिशा में सतत प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। इसी बीच अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति की दूसरी सिफारिशों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में बिक्री कर को युक्ति संगत बनाने और उसमें एकरूपता लाने के प्रश्न पर, बिक्री कर से संबंधित चार क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठक में, जिसका कि शीघ्र ही आयोजन किया जायगा, विचार-विमर्श करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण-पत्र

विभिन्न राज्यों द्वारा मार्च 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में वसूल किये गये बिक्री कर की रकम

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1975-76	1976-77 (संशोधित अनुमान)	1977-78 (बजट अनुमान)
1. आन्ध्र प्रदेश	13767	14500	17000
2. असम	2717	2825	3000
3. बिहार	9270	10852	11734
4. गुजरात	15558	19039	20000
5. हरियाणा	4830	5805	6680
6. हिमाचल प्रदेश	473	520	689
7. जम्मू तथा कश्मीर	657	650	710
8. कर्नाटक	11787	13800	15150

राज्य का नाम	1975-76	1976-77 (संशोधित अनुमान)	1977-78 बजट अनुमान)
9. केरल .	9792	11549	12665
10. मध्य प्रदेश . .	11738	14155	16166
11. महाराष्ट्र .	36910	45102	50082
12. मणिपुर .	81	100	110
13. मेघालय .	121	120	126
14. नागालैण्ड . .	83	87	99
15. उड़ीसा .	3803	5134	6095
16. पंजाब .	7316	9133	9956
17. राजस्थान . . .	6755	8200	8850
18. सिक्किम . .	23	26	28
19. तमिलनाडु . .	20893	23545	26112
20. उत्तर प्रदेश . .	20826	21777	23011
21. त्रिपुरा		20	75
22. पश्चिम बंगाल . .	15913	18300	20129
सभी राज्यों का कुल योग	193313	225239	248467
संघ राज्य क्षेत्रों का कुल योग	7713	9411	9916
पूरे भारत का योग	201026	234650	258383

स्रोत:—केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1977-78 के बजट।

भारी व्यापार घाटे की पुनरावृत्ति

2888 **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें चालू तथा आगामी वर्षों में भारी व्यापार घाटे की पुनरावृत्ति की आशंका है, जैसा कि 10 जुलाई, 1978 के 'इकनामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात में कमी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जैसा कि पंचवर्षीय योजना अनुमान (1978-83) के मसौदे में बताया गया देश में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि प्राप्त करने तथा उत्पादन आधार सुदृढ़ करने के उद्देश्य से

भारत को अत्यधिक मात्रा में इनके आयात करने की आवश्यकता है : उर्वरक, धातु, धातु उत्पाद, मशीनरी, पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद, रसायन तथा अन्य कच्चा माल। योजना में सम्पूर्ण पंचवर्षीय अवधि के लिए 8823 करोड़ रु० मूल्य के प्रतिकूल व्यापार शेष होने का अनुमान है।

नई निर्यात नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिवर्तन करने का उद्देश्य है कि प्राथमिक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मूल्य वर्धित अंश वाले उत्पादों का निर्यात हो तथा इसका यह भी उद्देश्य है कि क्षमता के बेहतर उपयोग, नये निवेश तथा आधुनिकीकरण के जरिए उच्च निर्यात उत्पाद अधिशेष प्राप्त हो। इसका उद्देश्य नये निर्यात बाजारों को बढ़ाना तथा उनका विकास करना भी है।

विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि काफी धीमी होकर 1977 में 5 प्रतिशत रह गई है जबकि 1976 में यह 11—12 प्रतिशत थी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापारिक हालात कठिन बने हुए हैं।

इस बात को देखते हुए कि विश्व व्यापार की स्थिति प्रतिकूल है तथा विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति के कारण भारत के निर्यातों को बढ़ते हुए प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, निम्नलिखित उत्पाद समूहों के लिये आठ कार्य दलों का गठन किया गया है :—

1. इलैक्ट्रानिक्स
2. प्राजैक्ट्स
3. कृषि
4. हस्तशिल्प
5. रत्न तथा आभूषण
6. चमड़ा तथा चमड़े का माल
7. लघु क्षेत्र
8. निर्यात सेवाएं ।

इन कार्य दलों की सिफारिश के आधार पर तत्काल अनुवर्ती कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

देश के पूर्वोत्तर भागों के दुरस्थ क्षेत्रों में विमान सेवाएं किया जाना

2889. **श्री चित्त बसु**
श्री पी० राजगोपाल नायडू } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के पूर्वोत्तर भागों के दूरस्थ क्षेत्रों में विमान सेवाएं आरम्भ करने की आवश्यकता महसूस करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरूषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) विमान बेड़े की तंगी के कारण, इंडियन एयरलाइन्स की निकट भविष्य में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किसी नये स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, "तीसरी वायु

सेवा" संबंधी एक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के स्टेशन भी शामिल किए गए हैं, सरकार के विचाराधीन है।

STEPS TO CHECK RISE IN PRICES

2890. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the rise in prices;

(b) if so, the main reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to check price-rise to stabilize the prices and to bring them down ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) There has been a small rise of 2.2 per cent in wholesale prices between April 1 and July 15, 1978 because of seasonal factors. In the corresponding period last year there was an increase of 4.0 per cent.

(c) Despite the seasonal increase during the past few months, the price level is 1.6 per cent lower than what is was a year ago. Government keeps the price situation under close watch and appropriate action is taken as and when necessary to prevent any undue rise in prices.

ECONOMIC ASSISTANCE BY COMMONWEALTH SECRETARIAT FOR PROJECTS

2891. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of economic assistance provided so far by the Commonwealth Secretariat for the projects being undertaken by India in various foreign markets and the rate of interest thereof as also the period in which the same will be paid; and

(b) the names of Indian Consultant organisations provided assistance for starting sponsored projects indicating amount provided to each and how this amount will be repaid ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The assistance provided so far by the Commonwealth Secretariat through the Commonwealth Fund for Technical Cooperation for Export Market Development Projects amounts to £1.4 million. As the assistance provided by the Commonwealth Fund for Technical Cooperation is in the form of non-repayable grant, there is no rate of interest attached to it.

(b) According to the information available with Government, two Indian Consultancy Organizations provided assistance to projects in another Commonwealth developing country financed by the Commonwealth Secretariat. The Trade Development Authority acted as a Management Consultant to the Kenya External Trade Authority for organising a Buyer/Seller Meeting in New York and was paid a fee of US $ 15,000 (US dollars Fifteen thousand). National Industrial Development Corporation was awarded two contracts worth £202,100 (pounds Two Hundred and Two Thousand one hundred) for studies on behalf of the Government of Tanzania. As payments were in the nature of consultancy feets, the questions of repayment of the amount does not arise.

PARTICIPATION BY INDIAN FIRMS IN INTERNATIONAL ELECTRONIC COMPONENTS FAIR

2892. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleastd to state :

(a) the names of the 13 Indian firms which participated in the International Electronic Components Fair and the value and names of the goods in respect of which orders were placed on these firms indicating the details about each firm; and

(b) the steps taken by the Trade Development Authority to ensure that more orders are received for supply of said goods in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) and (b) A statement is attached.

STATEMENT

The Trade Development Authority organised participation of 13 Indian firms manufacturing electronic components in the Salon International des conposants Electroniques '77 (International Electronic Components Fair held at Paris between 31st March to 6th April, 1977). The following Indian firms participated in the Fair :

1. Ahuja Radios
   215, Okhla Industrial Estate
   New Delhi-110020.

2. Applied Electronics Ltd.,
   Aplab House, Plot No. A5/A6
   Wagle Industrial Estate
   Thana 400604

3. Clarostat (India) Ltd.,
   34, SEEPZ Andheri East
   Bombay-400096.

4. Continental Device India Ltd.
   C-120, Narains Industrial Area
   New Delhi-110028.

5. Controls & Switchgear Co. Pvt. Ltd.
   222, Okhla Indl. Estate Phase III
   New Delhi-110020.

6. Keltron Components Complex Ltd.
   Post Box No. 37, Mill Road
   Cannanore-670001.

7. Mahindra & Mahindra Ltd.
   (Electronics Division)
   Worli Road No. 13
   Bombay-400018.

8. Murphy India Ltd.
   Eastern Express Highway
   P.O. Box No. 201, Naupada
   Post Office, Thana-400602.

9. Photnoics Pvt. Ltd.
   E-14, Defence Colony
   New Delhi-110024

10. Precision Electronics Components Mfg. Co.
    1-1-60/2, Iftekar Mansion Compound
    Musheerabad Road
    Hyderabad-500020

11. Sonodyne Electronics Co. Pvt. Ltd.
    7, Sourin Roy Road
    Calcutta-700034

12. T & R Industries
    9/54, Kirti Nagar Indl. Area
    New Delhi-110015

13. UPTRON Components Ltd.
    13-15, Uptron Estate, Panki
    Kanpur-208022.

2. The items on which orders were placed were Oscilloscopes, Crystals and Silicon Transistors. The details of the firms and the values of the orders that were obtained at this fair were :

Name of the firm	*Items*	*Value*
1- Applied Electronics Ltd., Bombay	Oscilloscopes	Rs. 31 Lakhs
2. Keltron Components Complex Ltd., Cannanore	Crystals	Rs. 15 Lakhs
3. Continental Device India Ltd. New Delhi.	Silicon Transistors	Rs. 4 Lakhs

3. To tap the potential for electronic components and seven other engineering products in France, TDA has initiated a Indo-French Export Development and Product Adaptation Project in 1978-79. The project would emphasise export development and industrial cooperation as the two main objectives in the immediate future. In addition, the project would also identify opportunities for sub-contracting, transfer of plants and joint ventures for the products being covered. The programme will conclude with miniature exposition in the identified product groups.

In addition to the above, eight other development programmes for electronic products are contemplated in 1978-79. These are :—

(i) A contact promotion programme in Australia and New Zealand.

(ii) Display of a wide range of electronic products at the Buyer Seller Meets (exclusive India Trade Fairs in Cologne, West Germany and Copenhagen, Denmark) in October 1978.

(iii) Participation in International Electronics Fair for components and sub-assemblies, Munich, West Germany. This is one of the most prestigious fairs in electronic components.

(iv) Certification Assistance Programme.

(v) Visit of Quality Control Experts in electronics under TDA/Swedish International Development Authority Bilateral Assistance Programme.

(vi) Institutional arrangements between Collaborate of Inspectional Electronics, Bangalore and Military Electronics Laboratory (FTL), Sweden.

(vii) Experts for Product Adoptation and upgrading of quality under UNDP Project.

(viii) Contact Promotion Programme—Consumer Electronic Goods in Spain and Portugal.

TRADE ORGANISATIONS WHICH OBTAINED INTEREST FREE LOANS

2893. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state; the names of the trade organisations, exporting their goods abroad which have obtained interest free loans for a period of 90 days under Duty Drawback Credit Scheme immediately after shipment of their goods during the last two years indicating the names of the banks from which these loans were obtained ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : The Duty Drawback Credit Scheme, 1976 was announced by the Reserve Bank of India and came into force on 1-2-1976. Under this scheme, all licensed scheduled banks, which are authorised dealers in foreign exchange, are eligible for the grant of advances to the exporters free of interest upto the maximum period of 90 days, against the letters' entitlement to Duty Drawback on the export goods.

The aforesaid scheme is operated by the licensed scheduled banks in conjunction with the Reserve Bank of India and Custom House at Bombay, Calcutta, Madras, Cochin and Delhi. The number of cases where the exporters avail of the benefit of this scheme runs to several thousands, as every exporter is entitled to get an advance aaginst each shipment carrying drawback benefits.

Collection and compilation of the names of the exporters who have obtained interest free advances during the last 2 years will be a time-consuming task.

ASSISTANCE GIVEN BY COMMONWEALTH SECRETARIAT FOR TRADE PROMOTION ACTIVITIES

2894. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL (CHI)

SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the amount of assistance given by the Commonwealth Secretariat for trade promotion activities during the last three years, year-wise; and

(b) the amount of assistance, out of it given by the Central Government to various organisations during the said period indicating the names of such organisations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

आयात लाइसेंस देना

2895. **श्री टी० ए० पई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आयात नीति की घोषणा के बाद कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्र नामंजूर करके निपटाये गये;

(ग) कितने आयात लाइसेंस दिये गये ; और

(घ) कितने आवेदन पत्र 30 दिन से अधिक की अवधि से अनिर्णीत पड़े हुए हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) 21,279

(ख) 4,044

(ग) 8,896

(घ) 3,504

मंगलौर और बम्बई के बीच बोइंग विमान सेवा

2896. **श्री टी० ए० पई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मंगलौर और बम्बई के बीच बोइंग विमान सेवा जो समाप्त कर दी गई है ! आरंभ करने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह विमान सेवा कब पुनः आरम्भ की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषात्तम कौशिक) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मौनसून के दौरान, मंगलौर का हवाई अड्डा बोइंग 737 विमानों से परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसीलिए बोइंग 737 उड़ान के स्थान पर दो एच० एस०-748 उड़ानें परिचालित करनी पड़ीं। इंडियन एयरलाइंस का मौनसून के बाद मंगलौर के लिए बोइंग 737 उड़ान का परिचालन पुनः प्रारंभ कर देने का प्रस्ताव है।

मंगलौर हवाई अड्डे पर उपकरण आदि लगाने की आवश्यकता

2897. **श्री टी० ए० पई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सभी मौसमों में मंगलोर हवाई अड्डे पर विमानों के सुरक्षित रूप से उतरने के लिए वहां उपकरण आदि लगाने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) मंगलौर के हवाई अड्डे को, खराब मौसम की स्थितियों में भी वहां विमानों को सुरक्षित उतारने के लिए, सुसज्जित करने के लिए, मीडियम इंटेंसिटी रन-वे इलेक्ट्रिक लाइट्स, मीडियम इंटेंसिटी टैक्सी-वे लाइट्स, एप्रन फ्लड लाइट्स तथा फुल विजुअल एप्रोच स्लोप इंडिकेटर (वासी) जैसे विभिन्न अवतरण उपस्कर पहले ही लगाये जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त, इस विमानक्षेत्र पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिक्चालन उपस्कर अर्थात् अति उच्चावृत्ति सार्वदिशिक परास (वी० ओ० आर०) लगाने का भी प्रस्ताव है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों के अध्यक्षों का कार्य-काल

2998. **श्री टी० ए० पई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार की सहमति से गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों के अध्यक्षों के कार्य-काल को इस वर्ष समाप्त कर दिया है ;

(ख) उनकी आयु क्या है ;

(ग) उनकी नियुक्तियों के बारे में नीति क्या है; और

(घ) नीति से हटने के विशेष कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नही। गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में उनके निदेशक मंडल द्वारा किये गये अध्यक्षों की नियुक्तियों के प्रस्ताव का अनुमोदन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

(ख), (ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने गैर सरकारी क्षेत्र के 19 बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति/सेवाकाल वृद्धि के लिए अनुमति दी है। अपनी अनुमति देते समय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनिमय, 1949 के उपबन्धों को ध्यान में रखता है।

भारत-विरोधी प्रचार

2899. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशियाई विकास बैंक में भारत-विरोधी प्रचार संबंधी इस समाचार की ओर गया है जो 28 मई, 1978 के 'इकानामिक टाइम्स, में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : जी, हां।

(ख) "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित आलोचना, एशियाई विकास बैंक की आधिकारिक नीति के खिलाफ न होकर स्पष्ट रूप से "एशियन वाल स्ट्रीट जनरल" के 17 मार्च, 1978 के अंक में प्रकाशित एक लेख के खिलाफ है। सरकार के पास ऐसा मानने का कोई कारण नजर नहीं आता कि एशियाई विकास बैंक के प्रबन्धक मण्डल के विचार भी "एशियन वाल स्ट्रीट जनरल" में व्यवस्था किए गए विचारों के समान हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मूल्य अधिमान

2900. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान देने की नीति समाप्त करने का निर्णय किया है जो अनेक वर्षों से चल रही थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति में सहसा परिवर्तन के क्या कारण हैं जो सरकारी क्षेत्र के हित में थी; और

(ग) क्या नीति में इस परिवर्तन का देश में सरकारी क्षेत्र की प्रगति पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास के लिये अधिक अनुकूल स्थिति पैदा नहीं होगी?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) जी हां। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान्यता देने की नीति समाप्त करने का निर्णय किया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमता का अधिकतम उपयोग किये जाने के उद्देश्य से 1971 में मूल्य अधिमान्यता लागू करने का निर्णय किया गया था। इसे अब समाप्त करने का निर्णय इसलिए किया गया है क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अब पूर्णतः विकसित हो चुके हैं और वे निजी क्षेत्र के उद्यमों के साथ समान रूप से मुकाबला कर सकते हैं। सरकार को संतोष है कि यह नीति बदलने से देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अभिवृद्धि पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके विपरीत उनकी कार्यकुशलता अधिक बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें मजबूरन यह देखना पड़ेगा कि क्या वे कारगर और समान रूप से मुकाबला कर सकते हैं।

पाकिस्तान के साथ व्यापार करार

2901. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार करार की अवधि समाप्त हो गयी है;

(ख) क्या भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच किसी नये व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इसके लिये कब बातचीत करेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। यह व्यापार करार 22 जनवरी 1978 को समाप्त हो गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने के लिए 5 मई 1978 को पाकिस्तान गया। वार्ताएं स्थगित हो गई थीं और ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में आगे बातचीत की जायेगी।

रबड़ का निर्यात

2902. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब देश में कच्चे रबड़ की पहले ही कमी है तो अन्य देशों को इसका भारी मात्रा में निर्यात करने के क्या कारण है जिसके फलस्वरूप देश में इसका अभाव हो गया है ; और

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये हैं कि रबड़ के मूल्य न बढ़ें और देश में रबड़ उपभोक्ता को उद्योगों को रबड़ की पर्याप्त सप्लाई मिलती रहे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) तथा (ख) 1978-79 में रबड़ का निर्यात नहीं किया गया है। पहले, सरकार ने यह पता लगाने के बाद ही राज्य व्यापार निगम की मार्फत रबड़ के निर्यात की अनुमति दी थी कि देश में देशी रबड़ उपलब्ध है।

सरकार को प्राकृतिक रबड़ की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में तथा रबड़ का माल बनाने वाले विविध एककों, विशेषकर लघु क्षेत्र के एककों, के बंद होने की आशंका के संबंध में चिन्ता है। सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए 15,000 मे० टन रबड़ का आयात करने का विनिश्चय किया है। तथापि, हाल में वाणिज्य मंत्री ने श्रम मंत्री, कृषि मंत्री, केरल सरकार तथा उस राज्य के कुछ संसद सदस्यों के साथ जो बातचीत की थी, उसके परिणामस्वरूप रबड़ आयात करने का निर्णय फिलहाल आस्थगित कर दिया गया है क्योंकि इस बात पर सहमति हुई थी कि केरल सरकार प्राकृतिक रबड़ की कीमत में कमी लाने के लिये तत्काल कदम उठायेगी तथा रबड़ का माल बनाने वाले विनिर्माताओं को बिना किसी कठिनाई के अपेक्षित मात्रा में तथा अपेक्षित ग्रेड के रबड़ की सप्लाई की जायेंगी । रबड़ बोर्ड को भी निदेश दिया गया है कि वह रबड़ की कीमतों में कमी लाने के लिये कदम उठाये। सरकार रबड़ की कीमतों तथा उसकी उपलब्धता पर सावधानी पूर्वक निगरानी रख रही है।

अन्य देशों को निर्यात किया गयाबासमती तथा अन्य बढ़िया चावल

2903. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अन्य देशों को वासमती तथा अन्य बढ़िया चावल का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है और किन-किन देशों को किया गया है ;

(ख) इन निर्यातों से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ; और

(ग) इस वर्ष चावल के कितने निर्यात का लक्ष्य है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) अप्रैल-मई, 1978 के दौरान बासमती चावल का निर्यात 4,000 मे० टन होने का अनुमान है, जिसका मूल्य 1.83 करोड़ है और आयातक देश है—कुवैत, बहरीन, कतार, ओमान, मारीशस, सिंगापुर, कनाडा तथा मिस्र का अरब गणराज्य। चालू वर्ष के निर्यात आंकड़े अभी संकलित नहीं किये गये हैं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान चावल के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

चीनी पुस्तकों और पत्रिकाओं का आयात

2904. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चीनी पुस्तकें और पत्रिकाएं मंगाने पर प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि नहीं , तो क्या उन्हें पता है कि सीमाशुल्क अधिकारी कलकत्ता के एजेंटों के नाम भेजी गयी पुस्तकों और पत्रिकाओं के पार्सलों को जब्त कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11, केन्द्रीय सरकार को, कतिपय परिस्थितियों में माल के आयात और निर्यात को रोकने का अधिकार देती है। केन्द्रीय सरकार ने कुछ अधिसूचनाएं जारी की है जो अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे साहित्य, पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के आयात पर रोक लगाती हैं :—

जो भारत की सीमा अथवा देश की क्षेत्रीय अखंडता के बारे में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशय प्रकट करती हों ;

जो किसी विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्री संबंधों को नुकसान पहुंचाती हों अथवा पहुंचाये जाने की संभावना हो;

जिनमें गुरिला रणनीति, तोड़-फोड़ अथवा विस्फोटक पदार्थों और सैनिक हथियारों के निर्माण और इस्तेमाल की चर्चा की गयी हो; और

जिनके द्वारा भारत में अथवा उसके किसी राज्य में कानून द्वारा प्रतिष्ठित सरकार का अथवा किसी क्षेत्र में इसकी सत्ता का तख्ता पलटने अथवा उसे नुकसान पहुंचाने के प्रयोजनार्थ हिंसा अथवा तोड़-फोड़ करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाने अथवा प्रोत्साहित किये जाने की संभावना हो।

भारत में चीनी किताबों और पत्रिकाओं के आयात पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अर्थ-विस्तार के अन्तर्गत आने वाली इस प्रकार की चीनी अथवा अन्य देशों की किताबों और पत्रिकाओं के आयात की अनमति नहीं है।

विमको द्वारा मशीनरी का आयात

2905. **श्री जी० एस० बनतवाला**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी विमको को उसके कारखाने अम्बरनाथ के लिये मशीनरी आयात करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी द्वारा आयात की जाने वाली मशीनरी का मूल्य कितना है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1977 में इस वास्तविक प्रयोक्ता को गुणावगुणों के आधार पर 1.42 लाख रु० लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के लिए नाछलों प्रिंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की चार मदों के सेट के लिए आयात लाइसेंस जारी किया गया था । यह उपस्कर फर्म की मैच बाक्स स्क्लेट प्रिंट करने वाली वर्तमान प्रमुख मशीन का एक सहायक उपस्कर है ।

"यू०एस० फर्मस हैण्ड इन मन्कीज एक्सपोर्ट बैन" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

2906. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त
श्री मुख्तियर सिंह मलिक } : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 29 मई, 1978 के "इंडियन एक्सप्रेस" में वह प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें कहा गया है कि बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध में अमरीकी फर्म का हाथ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि फर्म ने भारत सरकार से भी भारत में बन्दरों का निर्यात बन्द करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं। अमरीकी फर्म द्वारा किया गया अनुरोध भारत बन्दरों के निर्यात के लिए एकमात्र तथा एकाधिकार प्राप्त करने के बारे में था। निर्यातों पर रोक लगाने के हमारे निर्णय से उसका कोई संबंध नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा कारोबार के क्षेत्र में स्वचालित मशीनों का उपयोग आरम्भ करना

2907. **श्री जी० एम० बनतावाला**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कारोबार के क्षेत्र में स्वचालित मशीनें लगाने के मामले पार विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेतन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बीमा उद्योग की संगणकों की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने अभी तक भारतीय जीवन बीमा निगम में संगणक लगाए जाने के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है।

(ख) इस दल ने जीवन बीमा निगम के कुछ डिवीजनल कार्यालयों में उनके काम के भार के आधार पर संगणक लगाए जाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट के सभी पहलुओं पर जीवन बीमा निगम के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

मणियों और आभूषणों का निर्यात

2908. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सरकार विश्व के बाजारों में मणियों और आभूषणों का निर्यात बढ़ाने की कोई योजना बनाने में सक्रिय नहीं रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) जी नहीं। सरकार ने हाल के महीनों में रत्नों तथा आभूषणों की मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किऐ हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

(1) बिना तराशे हीरों तथा अर्ध-मूल्यवान रत्नों पर क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त करना,

(2) बिना तराशे हीरे प्राप्त करके नियोतकों को उनकी बिक्री के लिये हिन्दुस्तान डायमंड कंपनी स्थापित करना,

(3) आर० ई० पी० लाइसेंस धारियों को बिना तराशे हीरों की 20 प्रतिशत सप्लाई करने के संबंध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्गीकरण व्यवस्था समाप्त करना, जो इससे पूर्व लागू थी,

(4) कटाई करने तथा पालिश करने की नई तकनीकों के बारे में दस्तकारों को प्रशिक्षण देने के लिए सूरत तथा जयपुर में दो प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।

निर्यात प्रयोजनों के लिए आभूषणों के विनिर्माण हेतु सोने का आयात करने की एक और योजना पर विचार किया जा रहा है।

कल मिलाकर हाल के वर्षों में रत्नों तथा आभूषणों की मदों के निर्यातों में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फेडरेशन आफ बैंक आफ इण्डिया आफिसर्स एसोसियेशन और प्रबंधों के बीच समझौता समाप्त होना

2909. **श्री दीनेन भट्टाचार्य:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फेडरेशन आफ बैंक आफ इण्डिया आफिसर्स एसोसिएशन और प्रबन्धकों के बीच हुए विद्यमान समझौते के पिल्लई समति की सिफारिशों के नाम से उन पर नया मंजूरी ढांचा लागू करके समाप्त कर दिया है और उन्हें द्विपक्षीय बातचीत करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का पिल्लई समिति की सिफारिशों के संदर्भ में एसोसिएशन के साथ नये सिरे से बातचीत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) बैंक आफ इडिया ने बैंक आफ इंडिया के अधिकारी संघ के महासंघ (फैडरेशन आफ बैंक इंडिया आफीसर्स एसोसियेशन) को 2-5-1978 को अपने इस इरादे का नोटिस दिया है कि दिनांक 7-5-1971 के करार को उसकी शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिया जाये। यह कार्य, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में वेतन-मानों, भत्तों और अनुलाभों के मानकीकरण विषयक पिल्लै समिति योजना को कार्यान्वित करने में सुविधा पहुंचाने के लिए किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने बक अधिकारियों के अखिल भारतीय महासंघ के साथ विचार विमर्श किया है और यह तय किया गया है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ, इंडियन बैंक एसोसिएशन को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विशिष्ट मुद्दों की सूची पर और बातचीत करेगा। वार्ता का पहला दौर हो चुका है।

पश्चिम बंगाल में दीघा के पर्यटन केन्द्र का विकास

2910. **श्री समर गुह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दीघा के पर्यटन केन्द्र के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से अनेक अनुरोध किये गये हैं;

(ख) क्या दीघा "सी-बीच" पर एकमात्र पर्यटन केन्द्र है जहां पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, त्रिपुरा तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के पर्यटक आते हैं ;

(ग) क्या दीघा तक जाना सुगम होने के कारण प्रति वर्ष दीघा जाने वाले आम लोगों की भीड़ बढ़ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दीघा को केन्द्रीय पर्यटन मानचित्र में शामिल करेगी और आम पर्यटकों के हित के लिए उसका विकास करने हेतु आवश्यक कदम उठायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) दीघा के विकास को राज्य सरकार से प्राप्त हुई पर्स्पेक्टिव प्लान में सम्मिलित किया गया है। इस स्थान को ऐसे पर्यटन केन्द्र के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है जिसकी मुख्यतः अंतर्देशीय पर्यटक यात्रा करते हैं। ऐसे स्थानों के विकास का कार्य राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

दीघा के लिए निम्नलिखित स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है:—

स्कीम का नाम	अनुमानित व्यय (लाख रुपयों में)
युवा होस्टल . .	20.00
बांध का परिरक्षण (3 मील) . .	30.00
स्वीमिंग पूल सहित डीयर पार्क .	3.00
सामुदायिक मनोरंजन हाल	12.50

इन स्कीमों का केन्द्रीय या राज्यीय क्षेत्र में कार्यन्वयन छटी योजनावधि (1978-83) में पर्यटन सैक्टर के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों पर निर्भर करेगा।

RISE IN THE PRICE OF MUSTARD OIL

2911. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware of recent rise in mustard oil prices;

(b) if so, the reasons thereof and whether some effective steps are proposed to be taken to bring them down; and

(c) whether Government propose to import mustard oil to control the rising prices thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) Whilst it is a fact that during the past four months, there has been some rise in the prices of mustard oil, it is still available at prices which are significantly lower than that of last year. For example, on 22-7-1978, the wholesale price of mustard oil (*pakki ghani*) in Delhi was Rs. 8,187.50 a qtl. as compared to Rs. 10,093.75 a qtl. on the corresponding day last year.

(b) and (c) The recent rise in the prices of mustard oil may be attributed to the demand and supply gap.

Government is making efforts, by taking long and short-term measures, to increase the production of oilseeds including mustard seed so as to enhance the availability of edible oils including mustard oil in the country. For the current season, for the first time, support price for mustard seed has been fixed at Rs. 225 a qtl. Whilst, mustardseed/oil as such is not available in the international market for import into the country, large scales import of edible oils are being made by the State Trading Corporation of India (S.T.C.) and private trade. Imported refined rapeseed oil, the nearest substitute to mustard oil, is being sold through the public distribution system at a retail price of Rs. 7 a kg. throughout the country. In order to improve the availability of indigenous oils, vanaspati industry is being supplied imported oils to meet their requirements to the extent of 80 per cent. For improving the availability of edible ols at reasonable prices, the Pulses and Edible Oilseeds, Edible Oils (Storage Control) Order, 1977 is being implemented by the State Governments to prevent hoarding of oilseeds and edible oils.

EXPENDITURE ON DEVELOPMENT OF TOURISM

2912. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on the development of tourism in various parts of the country during the financial years 1977-78 and 1978-79; and

(b) the expenditure incurred by Government on the development of tourism in Uttar Pradesh during these two financial years and whether the expenditure incurred there is more than the expenditure incurred in other States and if so, State-wise details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) A statement showing the expenditure incurred or proposed to be incurred in the Central Sector on tourism development in Uttar Pradesh and other States/Union Territories during the financial years 1977-78 and 1978-79 is attached.

STATEMENT-I

Part-I—Statement showing capital investment by Department of Tourism in different States Union Territories during the financial years 1977-78 and 1978-79.

Sl. No.	Name of the States	1977-78	1978-79*
		(Rs. in lakhs)	
1.	Andhra Pradesh	6,31,000	—
2.	Assam	1,03,618	—
3.	Bihar	—	—
4.	Gujarat	6,59,000	—
5.	Haryana	—	—
6.	Himachal Pradesh	—	2,00,000
7.	Jammu & Kashmir	19,60,000	32,00,000
8.	Karnataka	—	—
9.	Kerala	20,07,868	18,00,000
10.	Madhya Pradesh	4,55,000	—
11.	Maharashtra	14,96,670	6,00,000
12.	Orissa	—	—
13.	Punjab	—	—
14.	Rajasthan	—	—
15.	Tamil Nadu	—	—
16.	Uttar Pradesh	14,40,000	—
17.	West Bengal	60,000	—
	Total	81,82,156	58,00,000

* Scheme-wise break-down of expenditure during 1978-79 under the Cultural Tourism and Wild Life Tourism programmes has yet to be determined. No provision on these schemes has thus been indicated in the above statement.

STATEMENT II

Part II—Statement showing capital investment by India Tourism Development corporation in respect of States/Union Territories during 1977-78 and 1978-79

1	2	3(**)	4
			(Rs. in lakhs)
1.	Andhra Pradesh .	—	—
2.	Assam . .	0·06	—
3.	Bihar . . .	4·29	—
4.	Himachal Pradesh .	—	—
5.	Jammu & Kashmir	—	0·02
6.	Karnataka . .	9·63	35·00
7.	Kerala . .	3·82	10·00
8.	Madhya Pradesh .	—	—
9.	Maharashtra .	5·51	—
10.	Orissa . . .	6·58	10·00
11.	Rajasthan . .	8·38	45·00
12.	Tamil Nadu . .	0·19	25·00
13.	Uttar Pradesh .	—	5·02
14.	West Bengal .	—	0·02
Union Territories			
1.	Delhi .	177·92	88·60
2.	Chandigarh	—	30·00
3.	Pondicherry .	—	0·02
4.	Goa . .	—	0·02
Unallocable schemes			
1.	Establishment and expansion of Transport Units* . . .	63·11	16·00
2.	Other small miscellaneous schemes .	14·81	36·50
	Grand Total : . . .	294·30	301·20

The expenditure on establishment and expansion of Transport Units relates to variouse States. It can not be correctly allocated to different States as the vehicles are deployed and withdrawn from time to time as per requirements.

Figures for the year 1977-78 are provisional and subject to audit.

OPENING OF JANATA HOTELS IN UTTAR PRADESH

2913. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have accepted a proposal to open Janata Hotels in various parts of the country and if so, the places in the country where construction work of Janata Hotels has commenced; and

(b) the names of the places in Uttar Pradesh where Government propose to open Janata Hotels and the places where these hotels will be opened for people during 1978-79 ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) It is proposed to construct a chain of Janata Hotels in the country to meet the requirements of low budget international and domestic tourists. The Sixth Five Year Plan envisages the construction of Janata Hotels at the four metropolitan cities, namely Delhi, Bombay, Calcutta and Madras and smaller units at other selected centres, which will be identified after a survey is undertaken and depending upon the availability of funds. Government has approved the construction of a 1250-bed Janata Hotel (ASHOKA YATRI NIWAS) in New Delhi during 1978-79 at an estimated cost of Rs. 300.00 lakhs. It is expected to be commissioned in phases during 1980-81.

(b) All State Ministers of Tourism have been requested to identify suitable sites for construction of Janata Hotels in their respective States. No proposal has so far been received from the Government of Uttar Pradesh in this regard. However four private parties have shown interest in the construction of such Janata Hotels in U.P.

AMOUNT PAID AS OVERTIME ALLOWANCE IN MINISTRIES/DEPARTMENTS

†2914. SHRI GANGA BHAKAT SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount paid as Overtime Allowance to the employees in various Ministries/ Depaetments of Government in 1977-78 and the amount paid on this account during the period from January, 1978 to June, 1978; and

(b) whether keeping in view the problem of unemployment Government propose to provide employment to some more unemployed persons so that overtime allowance is not paid and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) A statement giving the information readily available in respect of 1977-78 is annexed. The remaining information is being collected and will be laid down on the Table of the House as early as possible.

(b) The Third Pay Commission had observed that at least some of the overtime expenditure being incurred was due to shortage of staff and that such shortages should be made up expeditiously. This observation has been brought to the notice of the Administrative Ministries for necessary action. It is, however, not possible to dispense with the system of overtime allowance entirely, as in most of the cases overtime allowance is being paid where the work is of an urgent nature and it may be both administratively convenient and economical to make the existing staff work longer hours during peak periods, rather than to employ extra staff on a long term basis.

STATEMENT

Expenditure incurred on Overtime Allowance by Central Ministries/Departments (Proper) during the year 1977-78

Sl. No.	Ministry/Department	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Agriculture	3,17,474
2.	Agricultural Research & Education	178
3.	Rural Development	68,233
4.	Food	51,996
5.	Irrigation	57,874
6.	Atomic Energy	47,561
7.	Cabinet Affairs	45,569
8.	Chemicals and Fertilisers	83,538
9.	Commerce	2,51,131
10.	Civil Supplies & Co-operation	78,535
11.	Communications	66,768
12.	Culture	80,470
13.	Defence	2,16,734
14.	Education	3,20,370
15.	Social Welfare	29,050
16.	Electronics	18,727
17.	Power	89,885
18.	Coal	33,387
19.	External Affairs	8,58,893
20.	Expenditure	1,19,695
21.	Economic Affairs	2,89,720
22.	Revenue	2,06,401*

(1)	(2)	(3)
23.	Health	25,915*
24.	Family Welfare	1,59,598
25.	Home Affairs	2,69,833
26.	Personnel & Administrative Reforms	1,32,765
27.	Industrial Development	2,04,945
28.	Heavy Industry	87,940
29.	Information and Broadcasting	1,50,963
30.	Labour	1,42,984
31.	Legal Affairs	1,77,993
32.	Legislative	1,06,872
33.	Company Affairs	92,146
34.	Parliamentary Affairs	43,981
35.	Petroleum	91,887
36.	Planning	1,855
37.	Statistics	27,447
38.	Railways	2,99,010
39.	Science & Technology	82,657
40.	Shipping & Transport	2,85,315
41.	Space	1,14,864
42.	Steel	1,02,551
43.	Mines	96,766
44.	Supply	14,962
45.	Rehabilitation	34,685
46.	Tourism	41.483
47.	Civil Aviation	77,005
48.	Works & Housing	97,581
49.	Presidents Secretariat	34,807
50.	Vice-President's Secretariat	5,613
51.	Prime Minister's Office	1,26,260
	TOTAL	Rs. 64,62,872

*Figure relates to the first six months of 1977-78 only.

विशेष समिति द्वारा तमिलनाडु में जनता होटलों के लिए स्थानों का चयन

2915. **श्री रागवलू मोहनरंगम :** क्या **पर्यटन और विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेष समिति ने तमिलनाडु में जनता होटलों की स्थापना हेतु स्थानों का चयन करने के लिए 1978 में तमिलनाडु का दौरा किया था;

(ख) उक्त समिति ने किन-किन स्थानों का निरीक्षण किया; और

(ग) इस सम्बन्ध में तमिलनाडु राज्य तथा अन्य पक्षों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, तमिलनाडु सरकार ने मद्रास में एक जनता होटल का निर्माण करने के लिए मद्रास निगम भवन तथा सेंट्रल रेलवे स्टेशन के साथ लगे लगभग 3–4 एकड़ भूमि के प्लॉट

का चयन किया है। इस स्थान का शीघ्र ही एक दल द्वारा, जिसमें तमिलनाडु राज्य सरकार भारत पर्यटन विकास निगम तथा केन्द्रीय पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, स्थान की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

घटिया किस्म के माल का निर्यात

2916. **श्री बंसत साठे :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या घटिया किस्म के माल का निर्यात करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध सरकार, अनेक उपाय करने पर, जिनमें दांडिक कार्यवाही भी शामिल है, विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वेइमान व्यापारियों तथा उत्पादकों से हानि उठाने वाले विदेशों में भारतीय माल के खरीददारों तथा देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई/ प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 को संशोधित करने की प्रस्थापना विचाराधीन है। प्रस्तावित कानून में अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अधिक कड़े दण्ड की व्यवस्था की जा सकती है और खोज करने, पकड़ने, जब्त करने, न्याय निर्णय तथा दण्ड देने के लिए नई शक्तियां दी जायेंगी।

उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार केवल दोषी निर्यातकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए खाद्य मिलावट रोक अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रणाली अधिनियम तथा भारतीय मानक संस्थान और एग-मार्किंग योजनाओं के अन्तर्गत पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

दिल्ली में आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

2917. **श्री वसन्त साठे**
श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला
श्री दुर्गा चन्द
श्री यज्ञदत्त शर्मा
श्री चित्त बसु
श्री सौगत राय } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त का एक सम्मेलन हाल में दिल्ली में आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कर अपवंचन को कम करने के लिए बनाई गई कार्यवाही योजना/ नीति का महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है और कर दाता-सेवा में सुधार करने के लिए अन्य क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) आय-कर आयक्तों का एक सम्मेलन 17 मई से 19 मई 1978 के बीच नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

I. कर अपवंचन को रोकने के लिए बनाई गई योजनाएं/निकाली गई कूटनीति

कर-अपवंचन को रोकने के लिए तैयार की गई कूटनीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(i) बड़े-बड़े तथा अधिक पेचीदा मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आय-कर आयुक्तों (सेण्ट्रल) के छः नये अधिकार क्षेत्र बनाए गए हैं। प्रत्यक अधिकार क्षेत्र में केवल तीन निरीक्षी सहायक आयुक्त तथा चौदह आय-कर अधिकारी होंगे जिनकी जांच-पड़ताल के कार्य के प्रति सूझबूझ हो;

(ii) नान सेण्ट्रल अधिकार-क्षेत्रों में भी दो या तीन अधिकारी, जिनका जांच-पड़ताल के कार्य के प्रति रुझान हो, अपने निरीक्षी सहायक आयुक्तों/आयुक्तों के मार्ग-दर्शन के अधीन कर-अपवंचन के संदिग्ध मामलों को देखेंगे;

(iii) तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के तहत काम कर रहे सक्षम प्राधिकारियों से सम्बद्ध सहायक निरीक्षण निदेशकों और उप-निदेशकों का सक्रिय सहयोग कर-निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध होगा;

(iv) बहुत बड़ी रकम के ऊंचे मूल्य-वर्ग के बैंक नोटों को भुनाये जाने के मामलों पर कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण निदेशालय (जांच पड़ताल) के साथ समन्वय तथा सहायता से शीघ्र तथा प्रभावी कार्यवाही की जायगी;

(v) जहां-कहीं उपलब्ध सामग्री न्यायोचित ठहराये, वहां कानून के मुताबिक तलाशियां की जा सकेंगी;

(vi) आयुक्तों को इस बात के बारे में भी सुनिश्चित करना होगा कि विभाग के गुप्तचर्या पक्ष तथा कर-निर्धारण अधिकारियों के बीच एक नजदीकी तालमेल कायम रखा जाता है;

(vii) गुप्तचर्या पक्ष के अधिकारी केवल नेमी जरियों से उन्हें प्राप्त होने वाली सूचना पर निर्भर न रहकर गुप्त सूचना इकट्ठी करेंगे;

(viii) बड़े-बड़े मामलों के बारे में जिनमें इस्तगासे की कार्यवाही किये जा सकने की संभावना हो, अधिक ध्यान एवं समय लगाना होगा;

(ix) नियतकालिक कार्यक्रम के अन्तर्गत वहिरंग सर्वेक्षण की कार्यवाही की जायेंगी, जिनमें आलीशान/विकासशील क्षेत्रों तथा बाजार केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

II. कर-दाता सेवा में सुधार के उपाय

वर्ष 1978–79 के लिए कार्यवाही योजना के अन्तर्गत ऐसे कार्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका अच्छे करदाताओं के सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है :—

(i) वापसी के प्रार्थना पत्रों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही किया जाना चाहिए और वापसियों के बारे में आदेशों की मंजूरी के साथ-साथ निर्धारितियों को वापसी के वाउचर भी जारी किये जाने चाहिएं;

(ii) एक अप्रैल 1978 को विचाराधीन पड़े भूल सुधार के दावों और उसके बाद प्राप्त हुए भूल-सुधार के दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किय गय हैं। अपीलों पर तथा नजरसानी की दरख्वास्तों पर दिये गये आदेशों के अनुसार कार्यवाही करने के निमित्त भी ऐसे ही लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(iii) आय-कर अधिनियम की धारा 273-क और धन-कर अधिनियम की धारा 18-ख के अधीन दाखिल की गयी नजरसानी की दरख्वास्तों तथा दण्ड/ब्याज को माफ करने के लिए दाखिल की गयी दरख्वास्तों का तुरन्त निपटान सुनिश्चित करने के निमित्त लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

कर-दाताओं की सेवाओं में और सुधार करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निर्णय भी किये गये हैं :—

(i) विभाग के जन-सम्पर्क संगठन को मजबूत बनाया जाना चाहिए;

(ii) वापसियों को शीघ्र जारी करने तथा देने का कार्य सुनिश्चित करने के निमित्त प्रत्येक निर्धारिती के खिलाफ बकाया करों को सारणीबद्ध किया जाएगा ताकि जांच-कार्य आसानी से हो सके, और किसी विनिर्दिष्ट रकम से ऊपर के वापसी आदेशों को डाक की मार्फत भेजा जा सके;

(iii) विभाग के अधिकारी, प्राप्त हुए पत्रों के निपटान पर अपेक्षाकृत अधिक नियन्त्रण रखने के लिये कर्मचारियों के कमरों का निरीक्षण करेंगे।

निर्यात और आयात नीति में सुधार

2918. **श्री अमर सिंह वी० राठाव :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल कलकत्ता ने अनुरोध किया है कि निर्यात और आयात नीति में सुधार किया जाये;

(ख) यदि हां, तो दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) जो मुख्य-मुख्य सुझाव दिये गये हैं वे इनसे सम्बन्धित हैं: (1) चालू आयात नीति के अध्याय 21 में सम्मिलित संक्रमणकालीन प्रबन्धों में छूट देना तथा (क) छोटे औजारों, (ख) क्रमबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले एककों की आवश्यकता के कच्चे माल तथा संघटकों, और (ग) निर्यात सदनों सहित पंजीकृत निर्यातकों द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु मदों के आयात के लिए नीति को उदार बनाना।

(ग) सुझावों पर विधिवत विचार किया गया है और जो स्वीकार्य पाये गये हैं, उन्हें सार्वजनिक नोटिस सं० 53-II सी० (पी० एन०)/78 में शामिल कर दिया गया है, जिस की एक प्रति 28-7-78 को सभा पटल पर रख दी गई है।

SUBSIDY FOR EXPORTS DURING 1976-77

2919. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of COMMERCE CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 654 on the 7th April, 1978 regarding subsidy for exports and state :

(a) whether a sum of Rs. 239.64 crores was allocated by way of subsidy for exports during 1976-77; and

(b) if so, the extent to which the export was developed and expanded and the items in which the above amount was spent ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Yes, Sir. A sum of Rs. 239.64 crores was spent by way of Cash Compensatory Support on exports and other export development activities during 1976-77.

(b) The exports during 1976-77 amounting to Rs. 5145.78 crores (revised) registered an increase of 27.28% over the exports of Rs. 4042.81 crores (revised) made during 1975-76.

The items (product groups) and other export development activities on which the expenditure was incurred during 1976-77 are shown in the statement attached.

STATEMENT SHOWING PRODUCT GROUPWISE EXPENDITURE INCURRED BY WAY OF CASH COMPENSATORY SUPPORT AND ON OTHER EXPORT DEVELOPMENT ACTIVITIES DURING 1976-77

Rupees in crores

S. No.	Name of product groups/ other export development activities.	Amount
1.	Engineering goods	70.43
2.	Chemicals and Allied Products.	16.85
3.	Plastic goods.	1.83
4.	Sports goods.	1.72
5.	Textiles, readymade garments, hosiery and knitwear	96.83
6.	Foods	10.92
7.	Fish and fish products	0.39
8.	Jute manufactures	7.02
9.	Finished leather and leather manufactures.	13.55
10.	Handicrafts	3.90
11.	Free Trade Zone--Supplies to and transport subsidy	0.07
12.	Coir products	0.55
13.	Rice Bran Extractions/Deoiled Rice Bran.	0.56
14.	Decorticated Cotton Seed Cakes.	..2.00
15.	Export Credit Development (Interest Subsidy).	10.00
16.	Assistance to Export Promotion Councils.	1.41
17.	Assistance to Grantee Organisations and Export Houses etc.	1.61
	TOTAL :—	239.64

बम्बई और कांडला पत्तनों के बारे में उच्चस्तरीय बैठक

2920. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बम्बई पत्तन पर भीड़-भाड़, कांडला पत्तन की समस्याओं और कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में हुई कठिनाइयों के प्रश्न पर अविलम्ब विचार करने के लिए हाल में दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो यह बैठक कब आयोजित की गई, इसमें किस-किस ने भाग लिया तथा उसमें क्या निर्णय किये गये;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कोई विशेष/विशेषज्ञ समितियां स्थापित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उनके अधिकारियों के नाम क्या हैं, उनके निदेश पद क्या हैं तथा अन्य सम्बद्ध ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, नौवहन तथा परिवहन मंत्री, सदस्य, योजना आयोग तथा सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वाणिज्य मंत्री की 23 जून 1978 को हुई बैठक में यह विनिश्चय किया गया कि तीन समितियां इन विषयों की जांच करने के लिए गठित की जायें—(1) निर्यात/आयात व्यापार को बम्बई से अन्य पत्तनों को अधिकाधिक मोड़ने का मामला, (2) कांडला पत्तन का उपयोग बढ़ाने का मामला, तथा (3) कांडला मुक्त व्यापार जोन की समस्या। जबकि नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय बम्बई में से अन्य प्रमुख तथा विकसित पत्तनों के निर्यात/आयात व्यापार को अधिकाधिक मोड़ने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय ने कांडला पत्तन तथा कांडला मुक्त व्यापार जोन की समस्याओं पर विचार करने हेतु दो समितियां स्थापित की हैं। इन दो समितियों से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर है। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा इन दो समितियों के गठन व विचारार्थ विषयों से सम्बन्धित जारी किये गये औपचारिक आदेशों की प्रतियां निहित हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2572/78]**

अहमदाबाद सिविल हवाई अड्डे को पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा

2921. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद सिविल हवाई अड्डे को उसके वर्तमान वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दर्जे की पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब तथा वहां क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अहमदाबाद इंडियन एयरलाइन्स की ऐसी सेवाओं द्वारा बम्बई तथा दिल्ली के साथ जुड़ा है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिये सुविधाजनक संयोजी उड़ानों की व्यवस्था करती है।

विमुद्रीकरण के बाद का कार्य

2922. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमुद्रीकरण के बाद कार्य का चल रहा है और यदि हां, तो कैसे तथा किस गति से;

(ख) क्या सरकार को सम्बन्धित पार्टियों और व्यक्तियों द्वारा दिये गये किसी झूठे विवरण का पता लगा है और क्या उक्त पार्टियों और व्यक्तियों ने अत्यधिक मूल्य वाले नोटों की अपनी घोषणा करते समय बहुत बड़ी आय जानबूझ कर छिपाई थी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क), (ख) तथा (ग) विमुद्रीकृत बक नोटों को भुनाये जाने के मामलों के बारे में आगे की कार्यवाही चल रही है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि 28,900 से अधिक की घोषणाओं के बारे में आय कर अधिनियम की धारा 133-क के अधीन सर्वेक्षण तथा धारा 131 के अधीन जांच की जा चुकी है। जहां-कहीं अपेक्षित था, धारा 132 के अधीन तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाही भी की गई है। अब तक की गई पूछताछ से पता चलता है कि 2 करोड़ रु० से अधिक के मूल्य की 900 से अधिक घोषणाओं के बारे में पेश की गई रकम के स्रोत की पूरी तरह तथा संतोषप्रद रूप से नहीं बताया गया है और अलग-अलग घोषणाओं में बतायी गयी रकमों के बारे में दिये गये विवरणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन मामलों में छिपाई गई सही तर्क संगत कर-निर्धारणों के पूरा होने के बाद ही मालूम हो सकेगी। जहां-कहीं आवश्यक होगा, वहां अर्थ-दण्ड लगाने सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की जायेगी। आय-कर प्राधिकारियों को इन मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने की सलाह दी गई है।

DOMESTIC AND INTERNATIONAL PRICES OF GOLD

2923. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the domestic and international prices of gold?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : A Statement is laid on the Table of the House giving Domestic and International (London and New York) Prices of Gold.

STATEMENT

Gold Prices : Bombay, London and New York Month end : January to July 1978

(Rs. per 10 grams)

Month end	Bombay	London	New York
January 31	697·00	455·10	457·43
February 28	689·00	474·69	475·34
March 31	665·00	491·34	493·65
April 29	665.00	471·56@	470·25*
May 31	666·00	498·50	496·48
June 30	680·00	486·08	485·69
July 29	685·00	511·32	517·75

@For April 28 : market was closed on April 29.

*For April 27 : market was closed on April 29.

IMPORT OF GOLD

2924. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to import gold; and

(b) if so, the quantity of gold to be imported and the names of the countries from which gold is likely to be imported ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b). If the Hon. Member is referring to the scheme for import of gold against exports of gold ornaments it is under consideration and is expeted to be finalised shortly.

AGREEMENT FOR ALLOCATION OF QUOTA OF INDIAN TEXTILES TO U.S.A. AND E.C.E. COUNTRIES

2925. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 355 on the 17th March, 1978 regarding allocation of quota for export of Textiles to U.S.A. and EEC Countries and state :

(a) whether an agreement has been reached for allocation of 50 per cent quota of Indian textile to the U.S.A. and the European Economic Community countries;

(b) if so, the period for which the agreement has been concluded;

(c) whether India will receive foreign exchange or commodities in exchange;

(d) whether similar agreements have been made with Asian, Arab and African countries; and

(e) if so, the terms thereof and the quantum of exports of textiles to be made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b). The bilateral textile agreements with the U.S.A. and E.E.C. provide that exports of textile products covered by these agreements should be spaced out as evenly as possible over the quota period, due account being taken of seasonal factors. The agreement with the U.S.A. is for a period of five years from 1978 to 1982 and the agreement with the E.E.C. is for a period of four years from 1978 to 1981 which can be extended further by one year.

(c) India will receive foreign exchange against exports of textile products covered by the agreements.

(d) No bilateral textile agreement with any Asian, Arab or African countries has been concluded.

(e) Does not arise.

EXPORT OF FRUITS

2926. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 350 on 17th March, 1978 regarding proposal to export Kashmiri Fruits and state :

(a) the country-wise quantity and value of Indian fruits exported during the last three years;

(b) the names of the agencies which have exported Indian fruits and whether it is a fact that ever since India started exporting fruits, their prices have considerably increased as a result of which Indian people are not in a position to take fruits and whether Government will adopt a policy to export only the surplus quantity of fruits so that supply of fruits within the country is not affected; and

(c) the amount of foreign exchange earned by Government during the period referred to in part (a) above and the percentage thereof received by producers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) A statement showing country-wise exports of fruits is attached.

(b) Exports have been made by STC, NAFED, Maharashtra Agricultural Development & Fertilizer Promotion Corporation, Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing & Processing Corporation Ltd. and private exporters. The total exports of fruits constitute 0.05% of the total production of fruits in India. The prices are not affected as a result of the exports.

(c) The amount of foreign exchange earned is indicated in the statement. There is no authentic data available to indicate the percentage of the earnings received by producers.

[*Placed in Library. See No. L.T. No.* 2573/78]

BOARDING AND LODGING FACILITIES FOR TOURISTS AT CHACHAI FALL IN REWA DISTRICT (M.P.)

2977. SHRI Y. P S.HASTRI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether about 5 thousand foreign tourists and 50 thousand home (Indian) tourists come to view the natural beauty and scenery of Chachai Fall in Rewa district of Madhya Pradesh every year but they are put to great inconvenience in the absence of boarding and lodging facilities there; and

(b) whether Government have any special sheme to develop this beautiful and attractive place as tourist spot during 1978-79 with a view to earn foreign exchange by providing them lodging facilities ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). Statistics regarding the number of tourists who visit Chachai Falls in Rewa district are not available as such a specific survey has not been undertaken so far. Schemes to provide adequate facilities will however be considered after an assessment is made of the requirements for the area in this respect, deepnding on the availability of resources.

आयकर अधिकारी, श्रेणी II संवर्ग में छुटटी रिजर्व पद

2928. **श्री डा० वसन्त कुमार पंडित**
श्री राघवजी } : क्या **वित्त** मंत्री 31 मार्च, 1978 और 12 मई, 1978 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 5180 और 10311 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारी श्रेणी II संवर्ग में छुट्टी रिजर्व पदों की इस बीच मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो पदों की अब तक मंजूर न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस/इन पदों को शीघ्र मंजूर करने के लिए अब तक क्या निश्चित कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) आय-कर अधिकारी (ग्रुप-ख) ग्रेड में छुट्टी रिजर्व पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव पर अभी भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

आयकर विभाग में इंस्पेक्टरों के पदों पर पदोन्नति

2929. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय कर विभाग की विभागीय परीक्षा में कुल कितने व्यक्ति उत्तीर्ण हुए जो अभी तक इंस्पेक्टरों के पद पर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं (उनके परीक्षा पास करने का वर्ष और कार्य प्रभार क्या है);

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए सरकार आयकर विभाग में इंस्पेक्टरों के पद पर सीधी भर्ती को खत्म करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में आदेश कब जारी किये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) तथा (ग) : आय-कर निरीक्षक के ग्रेड के लिए सीधी भर्ती का प्रतिशत अनुपात केवल $33\frac{1}{3}$ है। इस संवग में सीधी भर्ती को समाप्त करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सामान्य बीमा निगम में लिपिक कार्य में संगणकीकरण और यंत्रीकरण

2930. **डाक वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सामान्य बीमा निगम ने लिपिक-कार्य के लिए संगणकीकरण और यंत्रीकरण के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है।

(ख) क्या आल इण्डिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन ने इस योजना का कड़ा विरोध किया है और यदि हां, तो किन आधारों पर।

(ग) सामान्य बीमा निगम ने श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों पर कर्मचारियों की भर्ती कब से बन्द कर दी है;

(घ) सामान्य बीमा निगम ने इस आशय का क्या आश्वासन दिया है कि संगणकीकरण से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी और श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों को सेवा में रखने का अनुपात बरकरार रखा जाएगा; और

(ङ) जन शक्ति और श्रम पर आधारित उपक्रमों में यंत्रीकरण के बारे में वर्तमान सरकार की सामान्य नीति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार ने बीमा उद्योग की संगणकों की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है।

(ख) एसोसिएशन ने अपने अभ्यावेदन में कहा है कि महंगे आधुनिकतम इलेक्ट्रोनिक संगणकों का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कर्मचारियों द्वारा हाथ से कुशलतापूर्वक न किया जा सकता हो और राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा उद्योग में संगणक लगाने की योजना से रोजगार के अवसर निश्चित रूप से कम होंगे और अन्ततोगत्वा बेरोजगारी बढ़ेगी और कर्मचारियों की छटनी होगी तथा इससे ग्राहकों को अथवा देश को कोई लाभ नहीं होगा।

(ग) भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों ने तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती बन्द नहीं की है। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती नए खोले गए कार्यालयों में अथवा सेवानिवृत्त होने वाले या नौकरी के दौरान गुजर जाने वाले व्यक्तियों की जगहों पर की जा रही है।

(घ) और (ङ) विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। फिर भी साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की शर्तों का युक्तिकरण और संशोधन योजना, 1974 के खंड 19 में एक विशिष्ट व्यवस्था है कि छंटनी नहीं की जाएगी।

आयकर विभाग द्वारा बहिरंग (आउट-डोर) सर्वेक्षण

2931. **डा० वसन्त कुमार पंडित**
श्री राघवजी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर विभाग द्वारा गत पांच वर्षों से व्यवस्थित बहिरंग सर्वेक्षण किये जा रहे हैं;

(ख) क्या आय कर विभाग में सभी स्रोतों से उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के बारे में व्यवस्थित प्रक्रिया है जिससे कि उसका उपयोग निर्धारण की सत्यता की जांच के लिए किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में उपरोक्त प्रत्येक कार्य पर अलग-अलग पूरे वर्ष भर के औसतन कितने निरीक्षकों ने काम किया;

(घ) प्रत्येक आयकर अधिकारी के अधीन औसतन कितने निरीक्षकों को इस प्रकार के काम पर लगाया गया; और

(ङ) क्या सरकार निरीक्षकों को सर्वेक्षण कार्य पर नियत कर देना मात्र पर्याप्त समझती है और यदि नहीं, तो इस बारे में कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जाने है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) आयकर आयुक्तों को बहिरंग सर्वेक्षण की कार्यवाही ऐसे ढंग से व्यवस्थित करने की सलाह दी गई है कि मार्च, 1980 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष की अवधि में उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के

सारे क्षेत्रों का पूरे तौर पर सर्वेक्षण कर लिया जाय; जिसमें शानदार नए इलाकों और महत्वपूर्ण बाजार केन्द्रों के सर्वेक्षण को प्राथमिकता दी जाय।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय सूचना शाखाएं सम्भावित लाभदायक स्रोतों से सूचना एकत्रित करने और उसे समन्वित करने तथा कर-निर्धारण करने में उसका उपयोग करने के लिये उसे कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध करने का कार्य करती है। यह समय-समय पर जारी किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। काम की इन मदों पर लगाए गए निरीक्षकों की संख्या, स्थान-स्थान पर यथा समय-समय पर अलग-अलग होती है जो काम की मात्रा और विभिन्न प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। विभिन्न आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों से सूचना एकत्रित करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा जो प्राप्त किये जाने वाले सम्भावित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ङ) विभागीय अधिकारियों की सामान्य सर्वेक्षण से सम्बन्धित समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारियों की, और खास तौर पर, निरीक्षकों के स्तर पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

भूतलिंगम समिति प्रतिवेदन पर मजदूर संघों की टिप्पणियां

2932. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर मजदूर संघों से टिप्पणियां मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मजदूर संघों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) अध्ययन दल के प्रतिवेदन की प्रतियां केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों को 8 जुलाई, 1978 तक टिप्पणी करने के लिए भेजी गई थीं। कुछ मजदूर संघों ने प्रतिवेदन पर टिप्पणी किए बिना ही इसे अस्वीकार कर दिया है, जबकि कुछ अन्य संघों ने प्रतिकूल टिप्पणी की है। एक मजदूर संगठन ने इसके पक्ष में भी टिप्पणी की है। इसने और एक अन्य संगठन ने प्रतिवेदन पर सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

DEVELOPMENT OF NEW PLACES OF TOURIST INTEREST

2933. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have a policy to further develop those places where some development has already taken place or to include important new areas also therein;

(b) if the first portion of part (a) above is correct, how new tourist centres will come to light and if the second portion thereof is correct, the names of the new places selected by Government in Bihar in this regard; and

(c) whether Government will do something for the development of Mandarachal, which is of mythological importance and the ancient Vikramshila and Champa in Bhagalpur district?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). The criteria for the development of existing or new tourist centres is the potential which a centre holds for international and domestic tourism. The general policy of Government is in favour of diversification in this regard.

The Central Department of Tourism has already prepared the Master Plans (land-use plans) of Rajgir and Nalanda, and the Master Plan for Bodhgaya is under preparation.

(c) The places mentioned are of interest mainly to domestic tourists. Development of such places of tourist interest is the responsibility of the State Government. The Government of Bihar has prepared a perspective plan for the development of tourist centres and for the provision of tourist facilities. This plan includes repair of road to Vikramsila and construction of youth hostel at Mandarachal. No provision has been suggested for tourist facilities at Champa. The perspective plan is to be discussed with the Planning Commission and the development of these centres will depend upon the quantum of funds made available for this purpose.

PROPOSAL TO PUT BHAGALPUR ON AIR MAP OF INDIA

2934. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to put Bhagalpur on the air-map of India;

(b) if so, the time by which at least bi-weekly air service is proposed to be provided to Bhagalpur;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether the previous Government had given an assurance that Bhagalpur would be put on air map soon; and

(e) whether Government propose to improve and repair the air-strip there ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a), (b) and (c) : Indian Airlines has no proposal at present to include Bhagalpur in its network of operations as the assessment of traffic potential indicates that introducing an air service to Bhagalpur would be highly uneconomical for the Corporation.

(d) There is nothing on record to show that a Government assurance was given in this regard in the recent past.

(e) Bhagalpur airfield belongs to the State Government. Any development/improvement of the airfield is the responsibility of the State Government.

मैसर्स ओटो पिनस (इण्डिया) को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

2935. **श्री रीत लाल प्रशाद वर्मा**
श्री गोविन्द मुण्डा } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केनारा बैंक, पंजाब और सिंध बैंक तथा सेण्ट्रल बैंक ने मैसर्स आटो पिंस (इण्डिया) पंजीकृत तथा उससे सम्बद्ध कम्पनियों को करोड़ों रुपये का ऋण दिया है;

(ख) क्या सरकार को उनके विरुद्ध यह शिकायत मिली है कि उनका जालसाजी पूर्ण लेन-देन, चोरी छिपे लेन-देन, आर्थिक अपराध, आयकर/बिक्री कर आदि का बड़े पैमाने पर अपवंचन में हाथ है;

(ग) यदि हां, तो उन कार्यों को भारी धनराशि का ऋण देने के क्या कारण हैं जब कि विभिन्न अपराधों में उनके हाथ होने के बारे में जांच चल रही थी; और

(घ) बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन कम्पनियों को और ऋण दिये जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) केनारा बैंक और पंजाब और सिंध बैंक द्वारा मैसर्स आटो पिन्स (इण्डिया) रजिस्टर्ड को कुछ ऋण सुविधाएं दी गयी हैं । बैंकरों

में प्रचलित प्रथाओं और व्यवहारों के अनुसार तथा बैंककारी कम्पनी (प्रतिष्ठानों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुरूप भी अलग अलग ग्राहकों संबंधी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(ख), (ग) और (घ) : प्रवर्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) द्वारा अक्तूबर 1975 में, मैं० आटो पिन्स (इंडिया) रजिस्टर्ड के परिसर और उसके प्रबंध हिस्सेदार तथा प्रबंधक के मकानों की तलाशी ली गई थी । यह तलाशी इस सूचना के आधार पर ली गई थी कि इस फर्म को मिलने वाले कमीशन का एक भाग भारत से बाहर रखा जा रहा है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। 1976 में आयकर विभाग के निरीक्षण निदेशालय द्वारा कुछ तलाशियां ली गई थीं। केनारा बैंक ने सूचित किया है कि आयकर अधिकारियों द्वारा बही अपने कब्जे में लिए जाने के बाद, हाल ही में 3 महीने के लिए स्वीकृत की गई छोटी अस्थायी लिमिटों के अलावा इस फर्म को कोई नई लिमिट स्वीकृत नहीं की गई है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पायलट परीक्षा लेने में अनुचित तरीके अपनाने का आरोप

2936. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक वाणिज्यिक पायलटों ने आरोप लगाया है कि इंडियन एयरलाइन्स ने हाल में पायलट परीक्षा लेते हुए अनुचित तरीके अपनाये;

(ख) क्या यह सच है कि पद के लिए विज्ञापन 7 वर्ष के बाद जारी किया गया है और परीक्षा के लिए आयु की सभी सीमा 30 वर्ष है,

(ग) क्या यह भी सच है कि ये पायलट पहले से अर्हता प्राप्त तथा प्रशिक्षित थे और पहले इस प्रकार की कोई परीक्षा नहीं हुई जिस कारण से यह पायलट आयु सीमा पार कर गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में इस बार अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) आयु सीमा 30 वर्ष थी परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 वर्ष की और लगातार पायलट के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों तथा अन्य पात्र (deserving) व्यक्तियों के मामले में 3 वर्ष की छूट दी गई थी।

(ग) जब उम्मीदवार पायलट के पद के लिये आवेदन करते हैं तो उनके पास वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस का होना आवश्यक होता है परन्तु इस लाइसेंस के होने मात्र से वे इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में किसी भी विमान के परिचालन के लिए प्रशिक्षित अथवा योग्य नहीं हो जाते।

1977–78 में टैस्ट में बैठने के लिए 33 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवारों को इजाजत दी गई थी जबकि 1971–72 में जब भर्ती की गई थी तो आयु सीमा 28 वर्ष थी।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पहले निम्नलिखित 3 परीक्षाएं ली गई थीं :—

(i) कुशाग्र बुद्धि (perceptual acuity)

(ii) रुझान (aptitude)

(iii) तकनीकी ज्ञान (technical knowledge)

इन परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर प्रारम्भिक चयन के पश्चात् इन चुने हुए उम्मीदवारों का अन्तिम चयन करने के लिए एक व्यापक सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू किया गया था। जिस बोर्ड में एयर हैडक्वार्टर्स द्वारा मनोनीत किया गया एक वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित था।

FINANCIAL ASSISTANCE TO GOVERNMENT OF RAJASTHAN

†2937. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Central Government have agreed to give financial assistance for the implementation of some of the important schemes of Rajasthan Government, and if so, the full details thereof and if not, the reasons therefor; and

(b) whether the Government of Rajasthan have requested the Central Government for grant of assistance for such schemes and if so, the details of such important schemes ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) : An outlay of Rs. 235 crores has been approved by the Planning Commission for the Annual Plan 1978-79 for Rajasthan. The Annual Plan includes the important projects and schemes of the State Government. For financing this outlay, Central assistance of about Rs. 97 crores has been provisionally allocated to the State Government. This Central assistance is in the form of block loans and grants for the Plan as a whole and is not related to any specific scheme or project. The quantum of assistance is based on the Gadgil formula.

(b) The Government of Rajasthan have not requested for any additional Central assistance for any scheme.

पश्चिम बंगाल राज्य को 90 करोड़ रुपये की राशि का वितरण

2938. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डा० अशोक मित्रा ने उन्हें केन्द्र पर राज्य के बकाया 90 करोड़ रुपये शीघ्र वितरित करने के बारे में हाल ही में लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने पिछले वर्षों के लिए आयकर के हिस्से की बकाया राशियों की शीघ्र अदायगी करने के लिए अनुरोध किया है, जो राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 16 करोड़ रुपये है। उन्होंने केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की 13 करोड़ रुपये की बकाया राशियों की अदायगी का भी अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने 1978–79 के लिए आरम्भिक घाटे के हिस्से को पूरा करने के लिए 61.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ख) राज्य सरकारों को देय आयकर के हिस्से की बकाया राशियों का निर्धारण और उनको उसकी अदायगी भारत के नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक के आयकर प्राप्तियों के प्रमाणित आंकड़े प्राप्त होने पर की जाएगी। इस विषय पर सक्रिय कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की बकाया राशियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के दावां की जांच विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा की जा रही है। पश्चिम बंगाल सहित राज्यों के आरम्भिक घाटों को पूरा करने के लिए तरीके का पता लगाया जा रहा है ।

रोहतक मैडिकल कालेज के छात्रों को उनकी अस्पताल शैयाओं पर हथकड़ी पहनाये जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर विनिर्णय

RULING ON ADJOURNMENT MOTION ON ALLEGED HANDCUFFING OF ROHTAK MEDICAL COLLEGE STUDENTS IN THEIR HOSPITAL BEDS

अध्यक्ष महोदय : श्री वसन्त साठे, संसद सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जो इस प्रकार है। आज के समाचार पत्रों में छपा है कि रोहतक में हड़ताल पर चल रहे मैडिकल कालेज के छात्रों को उनकी अस्पताल शैयाओं पर हथकड़ी लगाई गई और उन्हें जंजीर से बांध कर शैया पर रखा गया। यह पुलिस का एक ऐसा अमानवीय कृत्य है जो कभी नहीं सुना गया जिस पर तुरन्त चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

स्थगन प्रस्ताव सरकार के प्रति निन्दा प्रस्ताव होना है। प्रस्ताव में उल्लिखित विषय से केन्द्र सरकार सीधे सम्बन्धित नहीं है। अतः प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जा सकती । परन्तु फिर भी मामले के तथ्यों के आधार पर मैंने ध्यानाकर्षण की अनुमति दे दी है, जिससे कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जा सके।

भूतपूर्व गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच हुए पत्र व्यवहार को सदन के सभा पटल पर रखने के बारे में विनिर्णय

Ruling on the demand for laying on the Table of the correspondence between former Home Minister and Prime Minister.

अध्यक्ष महोदय : भूतपूर्व गृह मंत्री श्री चरण सिंह और प्रधान मंत्री के बीच गत मार्च और मई के बीच हुए पत्र व्यवहार को रखे जाने के पक्ष और विपक्ष में बड़े ठोस तर्क दिए गए हैं।

सबसे पहले मुझे यह देखना होगा कि क्या मुझे प्रधान मंत्री अथवा किसी मंत्री को उनके अधिकार में किसी भी कागजात को प्रकट करने के लिए कहने का अधिकार है। नियम 368 के पहले परन्तुक में यह स्पष्ट है कि किसी भी कागजात का प्रकट करना जन हित में होगा या नहीं यह तय करना पूर्णतः मंत्री का अधिकार है। इसका निर्णय अध्यक्ष नहीं कर सकता। मंत्री महोदय को दिया गया यह अधिकार पूर्ण है और बिना किसी शर्त के है।

मुझसे नियम 368 के पहले परन्तुक को समाप्त करने अथवा यह सम्भव न हो तो समूचे नियम को ही समाप्त करने को कहा गया है जिससे इस सम्बन्ध में न्याय किया जा

सके। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं कि मैं इस बात पर विचार करूं कि नियम को समाप्त करने में कोई औचित्य है अथवा क्या मुझे नियम 368 अथवा उसके किसी अंश को समाप्त करने का अधिकार है। नियम 388 के अन्तर्गत कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सभा के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी भी नियम को समाप्त करने का प्रस्ताव कर सकता है। परन्तु इस मामले में ऐसा कोई प्रस्ताव न तो पेश किया गया है और न ही सभा ने स्वीकार किया है।

नियम 368 के सम्बन्ध में मेरी व्याख्या को मेरे पूर्ववर्ती व्यक्तियों ने अपने निर्णयों में समर्थन किया है तथा यह ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की प्रक्रिया के अनुरूप है।

इस कथन को कि मुझे नियम 389 के अन्तर्गत मिले अधिकारों का उपयोग करना चाहिए, स्वीकार्य नहीं क्योंकि उस अधिकार का उपयोग तभी किया जा सकता है जब किसी विषय के सम्बन्ध में कोई नियम न हो अथवा जिसका कोई पूर्वोदाहरण न हो।

इसलिए मेरा विचार है कि सुस्थापित नियम से हटना उचित नहीं होगा।

उपरोक्त कारणों से मैं प्रधान मंत्री से पूर्व उल्लिखित कागजातों को सभा पटल पर रखने के लिए कहने के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यदि प्रधान मंत्री यह दावा करते हैं कि यह विशेष कागजात हैं जिन्हें दिखाना जन हित में नहीं है तब इन कागजातों को कुछ सदस्यों को क्यों कर दिखाया गया? एक बार इनके दिखाए जाने के बाद वे विशेष कागजात नहीं रह जाते।

अध्यक्ष महोदय को इसे अन्य लोगों को भी दिखाना चाहिए। वे सदस्य सदस्यों में भेद नहीं कर सकते।

श्री मलिकार्जन (मेडक) : अध्यक्ष महोदय प्रधान मंत्री से कागजात सभा-पटल पर रखने के लिए कहने को पूर्णतः सक्षम हैं।

श्री वयालार रवि (चिरींचकोल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अनुच्छेद 105 (4) में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रत्येक सदस्य समान है। मेरे विचार से आप इस प्रश्न पर भी विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बागरा) : हमने सभापति महोदय के माध्यम से यह बताया कि यह प्रक्रिया गलत है। सदस्यों में इस प्रकार का भेदभाव करना ठीक नहीं है। अतः सभा तथा सदस्यों की यह मांग है कि इस पत्र-व्यवहार को सभा पटल पर रखा जाये, जायज है। अभी तक इस सम्बन्ध में न तो इस सदन में और न ही दूसरे सदन म कोई सार्वजनिक रुचि नहीं दिखाई गई है। अतः अध्यक्ष महोदय इस मामले में प्रधान मंत्री तथा मंत्रिपरिषद को सन्देह का लाभ नहीं दे सकते।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : 15 दिन पहले इस विषय पर एक अल्पसूचना प्रश्न की सूचना दी थी। यह प्रश्न इस पत्र-व्यवहार में लगाये गये आरोप से सम्बन्धित है। अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तक इस प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या आपके विनिर्णय का अर्थ यह है कि यदि प्रश्न को नियमानुसार सभा पटल पर रखा जाना है तो इन कागजातों की विषय वस्तु को बताने की आप अनुमति नहीं देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर मैं अभी निर्णय नहीं दे सकता।

श्री के० गोपाल (करूर) : प्रधानमंत्री ने केवल यही कहा है कि यह एक विशेषाधिकार सन्देश है। विशेषाधिकार सन्देश नाम की कोई चीज नहीं होती। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह विशेषाधिकार प्रलेख है। इस बात पर भी विचार किया जाए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह राजकीय प्रलेख नहीं है। यदि यह राजकीय प्रलेख होता या इसमें जनहित की बात होती तो हम इसे सभा-पटल पर रखने पर जोर नहीं डालते। लेकिन यह पत्र-व्यवहार है। नियम 389 के अन्तर्गत आप मंत्री महोदय से पूरी जानकारी देने के लिए कह सकते हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : आपका विनिर्णय से सदन के काफी सदस्यों के साथ भेदभाव होता है। प्रलेख को सभा-पटल पर न रखने के लिए हम सरकार के रवैये की निन्दा करते हैं। विरोध प्रगट करने के लिए सभा से उठकर बाहर चले जाने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

(इसके बाद श्री यशवन्त राव चव्हाण तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गए

Shri Yashwantrao Chavan and some other Members then left the House.

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की): आपका विनिर्णय सदन के अधिकारों से सम्बन्धित है। हम शुरू से ही प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करते रहे हैं कि वह त्याग पत्रों के बारे में वक्तव्य दें। यदि इस मामले में प्रधान मंत्री और अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर सकते तो सदन के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा ?

निर्देश देने, सलाह देने और स्पष्टीकरण देने के मामले में आपका क्षेत्राधिकार है। जब सरकार इतना कड़ा रवैया अपना रही है तो और अध्यक्ष भी सभा के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में और हमारे दल के लोग विरोध स्वरूप सभा से उठकर बाहर जाते हैं।

(इसके बाद श्री सी० एम० स्टीफन और कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गए)

SHRI C. M. Steephen and some other Members then left the House.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह मामले पर विचार करें और पत्रों को सभा पटल पर रखें।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) मैं श्री स्टीफन के तर्क से सहमत नहीं हूं। जब भी किसी प्रलेख को सभा पटल पर रखा जाता है तो वह गुप्त नहीं रहता। कोई भी उसे प्रकाशित कर सकता है। मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय से सहमत हूं। इस मामले को लेकर काफी समय बरबाद हो रहा है। प्रधानमंत्री और सदस्यों के साथ आप बातचीत करके मामले को सुलझा सकते हैं।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : वाद-विवाद से स्पष्ट है कि पत्रों में कोई विशेष बात नहीं है । अतः सरकार का यह कहना कि वह उसे सभा पटल पर नहीं रखेगी, न्यायोचित नहीं है। प्रधानमंत्री कृपया पत्रों को सभा पटल पर रख दें। चूंकि वह इसे सभा-पटल पर नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम सभा से उठकर जा रहे हैं।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर तथा अन्य कुछ सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गए

[Shri M. N. Gobindan Nair and some other Members then left the House].

श्री पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष के विनिर्णय पर विरोध स्वरूप सभा से बाहर जाना ठीक नहीं है परन्तु साथ ही सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित करने पर मैं अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) भूतपूर्व गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच हुए पत्र व्यवहार 'गुप्त' हैं। जहां तक त्याग पत्र सम्बन्धी कागज का सम्बन्ध है, मैं उसे सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। किसी ने इसकी मांग नहीं की थी। यदि कोई मांग करे तो मैं कल ही इसे सभा पटल पर रख सकता हूं। लेकिन जहां तक पत्र व्यवहार का सम्बन्ध है, उसे सभा पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा।

कहा गया है कि पत्रों में कुछ नहीं है। मैं मानता हूं परन्तु यह सिद्धान्त का प्रश्न है। यदि यह पूर्वोदाहरण बन जाए तो सरकार भविष्य में मुश्किल में पड़ सकती है।

श्री जी० एम० बनतवाला : पत्रों को सभा-पटल पर न रखने का विरोध करने के लिए मेरे पास सभा से बाहर चले जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं।

इसके बाद श्री जी० एम० बनतवाला सभा से उठकर बाहर चले गए

Shri G. M. Banatwala then left the House.

SHRI RAJ NARAIN : I am not in agreement with the ruling of the Chair. If I am not to sit in the House, then I may say that I am not in agreement with the ruling, but I want to sit in the House to take part in the proceedings. Therefore, I bow down before you even if your ruling is wrong.

Secondly, if your ruling prevents the presentation of serious problem in the House, we have right to challenge your ruling.

SHRI RAJ NARAIN : Some members have seen the letters in your chamber, whereas some have not been able to see them.

हर सदस्य को देखने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।

SHRI RAJ NARAIN : These letters should not have been placed in the chamber if they were secret.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

SHRI D. G. GAWAI (Buldhana) : Firing is going on in Marathwada for the last 8 days. We raised this question but no statement has been made by the Government. We are, therefore, walking out in protest.

(तत्पश्चात् श्री डी० जी० गवई तथा कचरुलाल हेमराज जैन सभा भवन से बाहर चले गए)

Shri D. G. Gawai and Shri Kacharulal Hemraj Jain then left the House.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अधीन अधिसूचनायें

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

मैं निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) फल उत्पादों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1978 जो दिनांक 20 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1421 में प्रकाशित हुए थे।

(2) स्टोरेज बैटरियों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1978 जो दिनांक 27 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1507 में प्रकाशित हुए थे।

(3) सफाई और जल फिटिंग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978, जो दिनांक 27 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1509 में प्रकाशित हुए थे।

(4) कीलकों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 जो दिनांक 27 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1511 में प्रकाशित हुए थे।

(5) ड्राई बैटरियों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1978, जो दिनांक 3 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1607 में प्रकाशित हुए थे।

(6) विद्युत लेम्पों तथा ट्यूबों का निर्यात (गुण प्रकार तथा नियन्त्रण) नियम, 1978, जो दिनांक 3 जून, 1978 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1609 में प्रकाशित हुए थे।

(7) वेल्डिंग इलेक्ट्रोडों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1978, जो दिनांक 3 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1611 में प्रकाशित हुए थे।

(8) औद्योगिक जजीरों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1978, जो दिनांक 10 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1659 में प्रकाशित हुए थे।

(9) इस्पात तार रस्सों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1978, जो दिनांक 10 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1660 में प्रकाशित हुए थे।

(10) नमक का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1978, जो दिनांक 1 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1921 में प्रकाशित हुए थे।

(11) बैश-दे-मेयर का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978, जो दिनांक 22 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2136 में प्रकाशित हुए थे।

(12) फ्लेशलाइटों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978, जो दिनांक 22 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2139 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 2550/78]।

इलायची बोर्ड, कोचीन का वर्ष

1976–77 का प्रतिवेदन, काफी नियम

1978 तथा काफी बोर्ड के वर्ष

1975–76 के प्रमाणित लेखे

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) इलायची बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 2551/78]।

(2) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफी (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 701 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 2552/78]।

(3) काफी बोर्ड के वर्ष, 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 2553/78]।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मद 3(1) तथा (3) के अन्तर्गत रखे गये पत्र देर से रखे गये है जिसके बारे कोई वक्तव्य भी नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : विलम्ब के कारण क्यों नहीं बताये गये ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसका मुझे खेद है। मैं निश्चय ही विलम्ब के कारण बताऊंगा

बैंककारी कम्पनी अधिनियम, भारतीय सामान्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :

मैं श्री जुल्फिकारुल्लाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) युनाइटेड कमर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छः) केनारा बैंक के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) सिंडीकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) यूनियन बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) इण्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए कृषि के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) बैंक आंफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्वर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) इण्डियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 2554/78]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) भारतीय सामान्य बीमा निगम, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा की टिप्पणियां ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिए कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 2555/78] ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 949 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा गुण प्रकार नियन्त्रण हेतु लिए गए केकड़े के डिब्बा बन्द मास के नमूनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 2556/78] ।

लोक सेवा समिति का विवरण

श्री पी० के० नरसिंहाराव (हनमकोंडा) : मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के बारे में लोक लेखा समिति के 95वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति के 105वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) के अध्याय 5 में दी गई सिफारिशों पर सरकार के अन्तिम उत्तर तथा अध्याय 1 में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी उत्तर दर्शाने वाला समिति का विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 2 अगस्त, 1978 की अपनी बैठक में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिए लोक सभा की सिफारिश से अपनी सहमति प्रकट की है और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य नामनिर्दिष्ट किये हैं :—

(1) श्री ए० आर० अन्तुले।
(2) प्रो० सौरेन्द्र भट्टाचारजी।
(3) श्री धर्मचन्द जैन।
(4) श्री घयूर अली खां।
(5) श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब।
(6) श्री लक्ष्मण महापात्र।
(7) श्री प्रेम मनोहर।
(8) श्री अजीत कुमार शर्मा।
(9) श्री त्रिलोक सिंह।
(10) डा० रफीक जकारिया।

अविम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रोहतक मेडिकल कालेज के छात्रों को हथकड़ी साथ पहनाए जाने का समाचार

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय पर वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं :

"मेडिकल कालेज, रोहतक के छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार तथा उन्हें हथकड़ियां लगाए जाने के कारण इण्डियन मेडिकल ऐसोसिएशन द्वारा राष्ट्रव्यापी अन्दोलन करने की, धमकी का समाचार।"

श्रीमती चन्द्रावती : व्यवस्था के प्रश्न पर।

श्री वयालर रवि: **

CHAUDHARY BALBIR SINGH : What did happen in your state, do you know ?

SHRI VAYALAR RAVI : It is still going on in your State.

अध्यक्ष महोदय : महोदय, व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

SHRIMATI CHANDRAVATI : No member can speak like this to see other, this is my point of order.

**अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाला गया ।
Expunged as ordered by the Chair.

SHRI YUV RAJ : What Shri Vayalar Ravi said** should be expunged. (*interruptions*)

SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : You, who used to capitulate before Indira Gandhi during emergency**

एक माननीय सदस्य : उन्हें अपने शब्द वापिस लेने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस सदन के सदस्य को अभद्र भाषा में संबोधित करना उचित नहीं है। वह अंश कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

SHRIMATI CHANDRAVATI : Sir, my point of order is this that a judge of a High Court is inquiring into the issue of Medical College.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वयालर रवि : इस सारे मामले में उनकी भूमिका को सिद्ध करने की जिम्मेदारी में उठाऊंगा। मेरे पास सबूत है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वहां क्या हुआ है इसका पता करना सरकार का नैतिक दायित्व है।

श्री वयालार रवि : यदि में गलत हूं तो मैं सदन से सम्मुख क्षमायाचना करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उन्हें सिद्ध करने दीजिए।

श्री ए० बाल पजनौर : असंसदीय शब्दों के प्रयोग की अनुमति नहीं है लेकिन किसी सदस्य पर आरोप लगाने की अनुमति नहीं है यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है तो लेने दीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नियम 352 देखने का कष्ट करेंगे जिसमें कहा गया है :

> "कोई सदस्य, बोलते समय, किसी सदस्य के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएगा।"

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप इसे कार्यवाही से नहीं निकाल सकते। वह प्रमाणित करने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्रमाणित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

SHRI SURAJ BHAN : Only limited judicial inquiry it there.

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनके व्यवस्था के प्रश्न को नहीं माना है।

श्री वयालार रवि : वह मेरे खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसी को राय नहीं दूंगा। माननीय मंत्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दें।

**अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही से निकाला गया।
Expunged as ordered by the Chair.

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : Sir.....

The Ministry of Health and Family Welfare have received no official intimation about the threat of the nation-wide agitation by the Indian Medical Association. However, pamphlets containing such a threat are reported to have been distributed in the city yesterday bearing the name of the Indian Medical Association.

The hand-cuffing of the students of the Medical College, Rohtak is reported to have been removed on the 27th July, 1978. The Prime Minister has expressed his concern at the hand-cuffing and is writing to State Government that hand-cuffing should be resorted only to only in the case of habitual criminals or others where the authorities apprehend as likely to resort to measures of escape. The Government of India is not directly concerned with medical education in the States. However, because of the seriousness of the situation, particularly from the point of view of public reactions and in consultation with the Vice-Chancellor, the Prime Minister asked the Director General of Health Services to ascertain facts of the situation. According on 30th and 31st July, 1978, he visited the College and the jail where the teachers and student concerned are detained. The report submitted by him was received only yesterday and is under study. The Haryana Government who was contacted have intimated that a judicial inquiry has been ordered and that a Judge of the Punjab and Haryana High Court has already commenced necessary inquiry in the matter. 30 doctors and 66 students are in custody to answer charges under Section 307 and the case is pending in courts. In the circumstances, Government would have to await the report of the judicial inquiry to ascertain the circumstances that led to the agitation, strike and resultant disturbances and the nature and extent of those disturbances. The case against the doctors and students under detention being sub-judice Government are unable to express any opinion about their guilt or innocence. As regards the restoration of normal conditions in the Institution and campus, Government are in constant touch with the Government of Haryana.

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, कल जब हमने सदन में समाचार पत्रों में छपी वे तस्वीरें दिखाई जिनमें मेडिकल छात्रों को हथकड़ियों में दिखाया गया है तो सदन में काफी शोरगुल हुआ .....

SHRI RAJ NARAIN : The newspaper of what date and when did it happen ?

अध्यक्ष महोदय : सूचना वह दे रहे हैं मैं नहीं।

श्री के० लकप्पा : मैं उत्तर दे सकता हूं, श्री राज नारायण ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो उन्हें उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री के० गोपाल : यह अब स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर क्या वह दे रहे हैं ?

श्री के० लकप्पा : पिछले 15-16 महीनों से हम देख रहे हैं कि जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से समाज के सभी वर्गों के साथ बहुत ही असभ्य तथा जंगली वर्ताव किया जा रहा है। इस पर से स्वयं को स्वतंत्रता तथा संविधान का रक्षक कहते हैं।

प्रधानमंत्री ने सदन में स्वयं कहा था कि हथकड़ी लगाने की कार्रवाई बहुत गलत थी लेकिन आज हरियाणा सरकार और वहां के मुख्य मंत्री की तुलना केवल युगांडा के राष्ट्रपति अमीन से ही की जा सकती है। ... **(व्यवधान)** ...

दिल्ली और दिल्ली के आस-पास जो कुछ हो रहा है उससे लगता है कि जनता सरकार असभ्यता और बरबरता से भी ज्यादा बुरी है। बंसी लाल हो या देवी लाल सिस्टम वही है।

मेडिकल छात्रों की समस्या बहुत मामूली थी। वे पिछले तीन चार महीनों से अन्दोलन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि माननीय मंत्री ने यह कहा है कि राज्य व्यापी आन्दोलन की सूचना हमें नहीं दी गई है। हरियाणा पुलिस देवी लाल के अधीन है। छात्रों ने प्रैस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्होंने जो ज्ञापन पेश किया है उसमें यही बताया गया है हास्पिटल वार्डों को किस तरह जेल वार्डों में बदल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब दोपहर के भोजन का समय है आप बाद में जारी रख सकते हैं। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित होती है।

तब लोक सभा दोपहर के भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई

दोपहर के भोजन के बाद दो बजकर छः मिनट पर लोक सभा पुनः एकत्र हुई

[उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।]
(DEPUTY SPEAKER in the Chair).

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं बता रहा था कि हरियाणा राज्य प्रशासन तथा उसकी पुलिस रोहतक के मेडिकल छात्रों के शांतिपूर्ण सत्याग्रह का सामना किस ढंग से कर रही है। श्री देवी लाल और रोहतक यूनिवर्सीटी कुलपति हरद्वारी लाल, दोनों लाल मिल कर, सारे हरियाणा में 'ब्लैक होल आफ कलकता'। की मिसाल दोहरा रहें हैं। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री यहां हैं और एक प्रैस कान्फ्रेंस, हरियाणा स्टेट मेडिकल रीर्सच ऐसोसिएशन द्वारा आन्दोलन के नेताओं आदि को संबोधित कर रहे हैं। निषेधाज्ञा के उल्लंघन में करीब 48 छात्रों को गिरफ्तार करने में पुलिस थाने की एक छोटी कोठरी में रखा गया जो $11'' \times 7''$ लम्बी चौड़ी थी। क्या अपनी उचित मांगों के पक्ष में आन्दोलन करने वाले छात्रों से निपटने का क्या यही सभ्य तरीका है। उन्हें न तो भोजन दिया गया, न पानी। उनके साथ सामान्य माननीय व्यवहार तक नहीं किया गया। कई आन्दोलनों के बाद, मुख्य मंत्री तथा केबिनेट सब कमेटी ने एक फार्मूला प्रस्तुत किया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री के० लकप्पा : यह बहुत महत्वपुर्ण है। यह देखना बहुत दिलचस्प मालूम होगा कि हरियाणा सरकार विशेषकर इस यूनीवर्सिटी का प्रशासन किस ढंग से चलाया जा रहा है और श्री हरद्वारी लाल, पुलिस अधिकारियों और जनता पार्टी के अध्यक्ष समस्त राजनीति संगठनों की सक्रीय सांठगांठ से पिछले चार महीनों में अत्याचारों की संख्या किस कदर बढ़ गई है। और हमारी सरकार कह रही है कि वे राज्य प्रशासन में हस्ताक्षेप नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, और आप किस से पढ़ कर सुना रहे हैं?

श्री लकप्पा : श्रीमान्, मैं तथ्यों का बखान कर रहा हैं। यह मेडिकल छात्रों की हड़ताल के बारे में है। आप इस पुस्तक नाम जानना चाहते हैं। मैं इसे पटल पर रख दूंगा। मैं आगे उद्धरण पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अनिश्चित समय नहीं ले सकते। मैं आपको दो मिनट और देता हू।

श्री लकप्पा : श्रीमान्, छात्रों ने यह आन्दोलन मुख्य मंत्री तथा कुलपति द्वारा कुशासन, गलत नियुक्तियों, पक्षपात, भाई-भतीजावाद, क्षेत्रीयता तथा साम्प्रदायिकता के खिलाफ ठीक ही किया। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने कोई निर्देश दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत सवाल कर चुके है।

श्री के० लकप्पा : मैं आपसे तथा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि मेरा समर्थन करें। इसका संबंध केवल हरियाणा से ही नहीं है बल्कि जनता सरकार की नीति भी इसमें झलकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट में अपने प्रश्न रखें।

श्री के० लकप्पा : वे कौन से कारण है जिन्होंने केबिनेट सब कमेटी को बाध्य किया कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है।

श्री के० लकप्पा : मैं जानना चाहता हू कि क्या जनता पार्टी के अध्यक्ष और कुछ मंत्रियों ने यूनीवर्सिटी के कुलपति श्री हरद्वारी लाल से मिल कर इस बारे में हस्ताक्षेप किया था कि सब-कमेटी की रिपोर्ट के निर्णय को न माना जाए। दूसरे, पीड़ित मेडिकल छात्रों की उचित समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया गया है? तीसरे, यूनीवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ आरोपों के बावजूद, मेडिकल कालेज़ को यूनीवर्सिटी से अलग क्यों न किया जाए? चौथे, हथकड़ियां लगाने के प्रधानमंत्री ने एक वर्ष पहले जो निदेश दिए थे, हरियाणा के मुख्य मंत्री तथा वहां के प्रशासन ने उनका पालन क्यों नहीं किया?

प्रधानमंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : श्रीमान्, मैं कहना चाहूंगा कि रोहतक में जो कुछ हुआ ह वह निश्चित रूप से दुखपुर्ण है। काफी पहले कुछ छात्र तथा डाक्टर मुझसे मिले थे और मैंने मामले के बारे में हरियाणा को मुख्य मंत्री को लिख दिया था। सलाह देने के अलावा राज्यों को अतरंग कार्यसंचालन में हस्तक्षेप करना मेरे लिए सभव नहीं है। फिर मैंने कुलपति से संपर्क करके उनसे जांच करने को कहां। वहां दो अलग-अलग दल थे और उनकी रिपोर्ट परस्पर भिन्न थीं फिर भी 2 जून को समझौता हुआ और हड़ताल समाप्त कर दी गई। लेकिन, फिर कुछ लोगों ने मामले को भड़का दिया। अब उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सारे मामले की जांच करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है।

हथकड़ी लगाए जाने का पता मुझे केवल पांच दिन पुर्व लगा जब डाक्टरों तथा छात्रों ने मुझे तस्वीरें दिखाई। उसी दिन मैंने मुख्य मंत्री से कहा कि यह क्या हो रहा है आपके राज्य में उन्होंने वापस जाकर तत्काल कार्रवाई की। हथकड़ियां लगाना मेरे विचार में अमानवीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें उच्च न्यायालय को न्यायाधीश की रिपोर्ट अथवा उनके निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी। आशा है, तब तक शांति फिर से कायम हो जाएगी।

श्री वयालर रवि (चिराईंकिल) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उसकी में वास्तव में प्रशसा करता हूं। उन्होंने सारे मामले पर चिंता व्यक्त की है। अब मुझे इस बारे में अधिक नहीं कहना है ....

मैं केवल दो बातें और कहना चाहूंगा । एक तो यह कि छात्रों की मांगें बहुत मामूली थीं जो अनियमित नियुक्तिओं, छात्र फण्ड तथा अन्य फण्डों को दुरुपयोग तथा मेडिकल कालेज में यूनीवर्सिटी कार्यालय, मकानों तथा छात्रावास के निर्माण के बारे में थी। लम्बे आदोन्लन के बाद, 2 जून को फैसला हुआ। यह फैसला स्वय मुख्य मंत्री ने किया था। लेकिन इसी बीच यह सब घट गया। मैं **ऑर्गनाईजर** से उद्धरण देना चाहूगा।

जनता पार्ट समर्थकों के इस साप्ताहिक में कहा गया है :

> "यह मेडिकेल कालेज़ बाहरी व्यक्तियों द्वारा बाहरी छात्रों के लिए चलाया जा रहा है और इसे 3 वर्ष के लिए बन्द कर देना चाहिए,—हरियाणा राज्य जनता पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती चन्द्रावती की घोषणा।"

आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने तथा मुख्य मंत्री को इसमें समझौता कराने के लिए लिखने के बाद, जनता पार्टी की राज्य यूनिट की अध्यक्षा इस तरह का बयान दे रही है। राज्य यूनिट का कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि साउथ अथवा अन्य क्षेत्रों से आने वालों को बाहर करो।

एक बात और है दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 307 के बारे में जो हत्या के प्रयास से सबधित है। 30 डाक्टर और 66 छात्र हिरासत में हैं। कहा गया है, 96 व्यक्तियों ने उनकी हत्या का प्रयत्न किया। किसकी हत्या का? हरद्वारी लाल या देवी लाल? क्या ये 96 डाक्टर उनकी हत्या करना चाहेंगे? उनके खिलाफ यही आरोप लगया गया है। मेरी दूसरी बात न्यायिक जांच के बारे में है। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय यह देखें कि जांच के लिए विचारार्थ विषयों में हर पहलू को लिया गया है या केवल छात्रों की मांगों को। विचारार्थ विषयों में छात्रों पर गुण्डों द्वारा हमला, धमकी, निरंतर अत्याचार, निदेशक अथवा प्रिंसिपल को बर्खास्त करना, छात्रों की गिरफ्तारी, हथकड़ी लगाना, जेल में डालना तथा उनके साथ किए गए व्यवहार आदि साहित सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

यह प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप का ही नतीजा है कि उन सबको छोड़ दिया गया। प्रधान मंत्री से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ धारा 307 के अधीन दर्ज सभी मामले वापस लिए जाए तथा न्यायिक जांच के विचारार्थ विषयों में इस मामले के उन सभी पहलुओं को शामिल किया जाए जिनका जिक्र मैंने उपर किया है।

ऐसी परिस्थितियों में भविष्य में हथकड़ी लगाने की बात नहीं की जानी चाहिए। सभी नागरिक बराबर हैं। प्रधानमंत्री को इस बारे में आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने असली बातें सामने रख दी हैं। मैं मुख्य मंत्री से बातचीत करूंगा कि किस तरह से सामान्य स्थिति पुन: कायम की जा सकती है। मेरा इन छात्रों से अनुरोध है कि वे इस तरह के आन्दोलन को समाप्त कर दें क्योंकि मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जायेगी। किन्तु उन्हें अपना यह आन्दोलन समाप्त कर देना चाहिए।

SHRI Y. P. SHASHTRI (Rewa) : There should be judicial enquiry of those incidents which took place after the 2nd une, 1978. The Finance Minister had accepted three demands of medical. One of the demands was that the Rohtak Medical College should be disassociate from Maharshi Dayanand University, because this University has become the den of corruption. The second demand accepted was that there should be no victimisation. Some teachers were suspended and many students and teachers are being prosecuted under 307. Decision was taken to not to victimise them. It was also accepted that there will be judicial enquiry of all the violent incidents. But unfortunately these promises are not being translated into action.

It is shameful that the authorities were very cruel to those who staged Satyagran. About 48 persons were locked up in a small room. There was no arrangement of electrcity and drinking water. Some of them had to got admitted in Hospital.

The officials responsible should be taken to task.

Their demands have not been implemented so far. Their legitimate demands should immediately be implemented and steps should be taken to restore normallancy and peace there.

श्री मोरारजी देसाई : मैं यह नहीं कह सकता कि जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, उसे कर दूंगा। ऐसा अभी संभव नहीं है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सभी बातों की पूरी जांच हो। 2 जून के पश्चात् यह झगड़ा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के बीच हो गया। इससे समस्या और अधिक जटिल हो गई है। मैं समस्या को यथासंभव ढंग से सुलझाने का प्रयास करूंगा।

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hazipur) : The students were mercilessly tortured in the jail. They were not given water and other things of urgent requirements.

I want that some permanent solution should be found out of student arrest and such incidents should not take place again in Rohtak. The students who have been arrested should immediately be relieved and stern action should be taken against those police officers who are responsible for torturing them.

श्री वी० राचया (चामराजनगर) : माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासनों को सुनने के पश्चात् मैं केवल एक या दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि इस कालेज में कुछ अन्य राज्यों के अध्यापकों की नियुक्ति की गई और जब वे वापस अपने राज्यों में जाना चाहते थे तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई। वहां छात्रों में असंतोष पैदा किया जा रहा है तथा उन्हें भड़काया जा रहा है। क्या यह भी सही है कि वहां केवल एक ही समुदाय अर्थात् जाट समुदाय के अध्यापकों की ही पदोन्नति की जाती है?

श्री मोरारजी देसाई : मैं यह बता दूं कि देश के किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति नहीं है। जब तक सारी घटनाओं की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं।

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS ON THE HOUSE

7वां प्रतिवेदन

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA (Salempur) : I lay the seventh report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharasa) : Mr. Speaker.....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव कृपया बैठ जाइए। ... (व्यवधान)

सभा का कार्य

Business of the House

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सोमवार, 7 अगस्त, 1978 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) संविधान (45वां संशोधन) विधेयक, 1978
(विचार तथा पास करना)

(2) वर्ष 1978–79 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा।

(4) दिल्ली पुलिस विधेयक, 1978
(विचार तथा पास करना)।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित चर्चाओं को लिये जाने का भी प्रस्ताव है—

(1) गंभीर रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेल मंत्री द्वारा 14 नवम्बर, 1977 को दिये गये वक्तव्य के बारे में श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर मंगलवार, 8 अगस्त, 1978 को अपराह्न 6 बजे से 8 बजे तक आगे चर्चा।

(2) देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ के बारे में शनिवार, 12 अगस्त, 1978 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे के बीच चर्चा।

(3) भूतपूर्व गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्यों, सार्वजनिक भाषणों और संवाददाताओं से बातचीत में लगाये गये आरोपों आदि की जांच करने और उन पर प्रतिवेदन देने के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति के बारे में श्री वसंत साठे के प्रस्ताव पर शनिवार, 12 अगस्त, 1978 को अपराह्न 2 बजे और अपराह्न 6 बजे के बीच चर्चा।

..कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच की गई थी। इस बारे में एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी किन्तु उस रिपोर्ट को संसद में पेश नहीं किया गया। अध्यापक कहते हैं कि कुलपति को न निकाला जाये जबकि छात्रों की मांग है कि कुलपति को निकाल दिया जाना चाहिए : यह भी पता चला है कि वह रिपोर्ट मनमाने ढंग से तैयार की गई है। वह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।

श्री वयालार रवि : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस सभा को इस रिपोर्ट पर चर्चा करने का अवसर देंगे।

दूसरी बात यह है कि आपने श्री साठे को प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व गृह मंत्री के बीच हुए पत्र व्यवहार के बारे में प्रस्ताव पेश करने का अवसर दिया है। हमें अभी तक उस पत्र व्यवहार से अवगत नहीं किया गया है, ऐसे में हम किस तरह से इस पर चर्चा कर सकेंगे। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : जब संसदीय कार्य मंत्री कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन पेश करते हैं, तो सदस्य कुछ बातें उठाते हैं। किन्तु उन बातों को कभी व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाता। खेद की बात है कि सभा में कुछ प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया जा रहा है। वास्तविक प्रक्रिया यह है कि जो प्रस्ताव सभा में पहले ही पेश किए होते हैं, पहले उन्हें निपटाया जाता है। हमारे पास अभी ऐसे दो प्रस्ताव हैं, जिन्हें निपटाया नहीं गया है। जब तक इन्हें नहीं निपटा दिया जाता तब तक अन्य प्रस्तावों पर कैसे चर्चा की जा सकती है।

प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व गृह मंत्री के बीच हुए पत्र-व्यवहार के बारे में हमें कोई पता नहीं है। ऐसे में हम उस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के विरुद्ध कई आरोप लगाये गये हैं। मेरा प्रस्तावक से अनुकोध है कि वह हमें इस बारे में सामग्री उपलब्ध कराये।

दूसरा प्रस्ताव श्री अटल बिहारी बाजपेयी के बारे में है। उन्होंने किसी को गैर-कानूनी तथा अप्राधिकृत रूप से 110 लाख डालर का भुगतान किया है। इस भुगतान की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।

मैं भी इस पर प्रस्ताव पेश करने की सोच रहा हूं। यह आपात स्थिति के दौरान किया गया और इसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति अर्न्तग्रस्त हैं। आशा है इस पर विचार करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री कुछ समय निकालेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्री चन्द्रप्पन ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का जिक्र किया है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं इस बारे में सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। सरकार को भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसके लिए समय निकालना मुश्किल है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवीन्द्र वर्मा अपना प्रस्ताव पेश करें।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

21वां प्रतिवेदन

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से जो 3 अगस्त, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से जो 3 अगस्त, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नियम 377 के आधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) जम्मू कश्मीर स्थित बसोहली स्थान पर एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : 20 जुलाई, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 154 के सत्तर में बताया गया था कि बसौशी जम्मू और कश्मीर में जे० एंड के० मिनरेल्स लिमिटड के नाम से एक सीमेंट संयंत्र की मंजूरी दी गई है। यानि बांध के निमज्जन, जो शीघ्र आरम्भ हो जायेगा, के कारण वहां सीमेंट कारखाने स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। खेद की बात है कि ऐसा जान पड़ रहा है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार उस गंभीरता से इसमें कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे यह होनी चाहिए। हाल में ऐसी रिपोर्ट छपी है कि यह परियोजना पंजाब में स्थानांतरित कर दी जायेगी। इससे जम्मू तथा काश्मीर राज्य में रोष फैला है। भारत सरकार को इस मामले को लेकर जम्मू तथा काश्मीर सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है ।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा केवल टीकमगढ़ के निवासियों को भर्ती कराने का सम्भावना

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK (Khajuraho) : The Central Government has established a unit of BHEL at Khelar (Jhansi, U.P.). This unit is situated at the border of its Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and some of its buildings are within the border of District Tikamgarh of Madhya Pradesh. Its future expansion, if any, is also likely to take place in District Tikamgarh. This unit was set up to remove the backwardness of Bundelkhand area, which includes district Tikamgarh also. But in the recruitment of skilled and unskilled workers in this establishment the persons belonging to districts Jhansi, Jalon, Banda and Hamirpur only (of U.P.) are taken and the people of District Tikamgarh of M.P. are deprived of getting jobs in it. This discrimination has caused great resentment amongst the people of District Tikamgarh. I hope that the Minister of Industry would look into it and would see that this sort of discrimination in recruitment is removed.

(तीन) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर द्वारा सस्ते दामों पर गंधक के तेजाब की बिक्री

SRI BHANU KUMAR SHASTRI (Udaipur) : On 4th April, 1978, in reply to unstarred Question No. 5945 it has stated that during the period from January to April, 1978, the Hindustan Zinc Limited, Udaipur, invited limited tenders from four local dealers and sold sulphuri acid at the maximum quotation of Rs. 461/- per tonne. This statement is not based on facts. No open tenders were invited. Tender Notice was not given in the press. The officials of the company worked in collusion with four local dealers only and sold two thousand tonnes of sulphuric acid at this very low price, while the prevailing price in the market is Rs. 1200/- per tonne, as reported in the chemicals weekly dated 15th February, 1978. This has resulted in a loss of more than Rs. 40 lakhs to the Government. All relevant papers should be seized and a probe by C.B.I. be conducted into it immediately osthat the officers found guilty ould be punished.

विधेयक—पुरःस्थापित

BILLS INTRODUCED

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(नए अनुच्छेद 23क, 23 ख और 23ग का अन्तः स्थापन)

SHRI UGRASEN (Deoria) : I move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

SHRI UGRASEN : I introduce the Bill.

भारतीय ट्रस्टीशिप विधेयक

INDIAN TRUSTEESHIP BILL

SHRI UGRASEN : I move that leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of Trust Corporations and for matters connected therewith."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि ट्रस्ट निगमों की स्थापना का तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

SHRI UGRASEN : I introduce the Bill.

सिविल प्रक्रिया तथा दण्ड प्रक्रिया समिति (संशोधन) विधेयक

CODES CIVIL AND CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

SHRI MANOHAR LAL (Kanpur) : I move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil procedure, 1908 and the Code of triminal procedure, 1973.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

SHRI MANOHAR LAL : I introduce the Bill.

संविधान संशोधन) विधेयक

(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT BILL)(AMENDMENT OF SEVENTH SCHEDLULE)

श्री के० लकप्पा : (तुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 आदि का संशोधन)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTION 2 ETC.)

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया (जम्मू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

मृत्यु दंड उत्सादन विधेयक

ABOLITION OF DEATH PENALTY BILL

DR. RAMJI SINGH Bhagalpur) : I move that leave be granted to introduce a Bill to provide for the abolition of death penalty.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि मृत्यु दण्ड का उत्सादन करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

DR. RAMJI SINGH : I introduce the Bill.

संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक

धारा 8 क का संशोधन

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTION 8 A)

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharasa) : I move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : I introduce the Bill.

भेषज (संशोधन) विधेयक

PHARMACY (AMENDMENT) BILL

(धारा 2 आदि का संशोधन)

डा० पंडित कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भेषज अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भेषज अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

डा० वसंत कुमार पंडित : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 1978

GOLD (CONTROL) REPEAL BILL, 1978

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

आपात न्यायालय विधेयक, 1978
EMERGENCY COURT BILL, 1978

श्री राम जेठमलानी (बम्बई-उत्तर-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय वर्ग के अपराधों के निवारण के लिए आपात न्यायालयों की स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : : प्रश्न यह है :—

"कि कतिपय वर्ग के अपराधों के विचारण के लिए आपात न्यायालयों की स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री राम जेठमलानी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
राय जानने के लिए समय बढ़ाना
(अनुच्छेद 51 का संशोधन)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने हेतु नियत समय को 23 फरवरी, 1979 तक बढ़ाती है।"

संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 51 का संशोधन) मैंने 7 अप्रैल, 1978 को प्रस्तुत किया था और इस पर उस दिन और 20 अप्रैल, को चर्चा हुई थी। राय जानने के लिए श्री पी० के० देव ने 5 मई, 1978 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसे सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया।

विधेयक में (अनुछेद 51 का संशोधन) सरकार से कहा गया है कि वह समान विचारों वाली सरकारों से सहयोग करें और विश्व संघीय सरकार के संविधान को बनाने के लिए विश्व विधान सभा बुलाये। विधेयक पर राय जानने के लिए जब इसे परिचारित किया गया था और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कहा गया था कि वे अपनी राय और ऐसे सार्वजनिक निकायों और व्यक्तियों और चुने हुए अधिकारियों, जिन्हें वे ठीक समझें की राय लोक सभा सचिवालय को भेजें।

राज्य सरकारों तथा संघ राज्यों के प्रशासनों से यह अनुरोध किया गया था कि वे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, न्यायिक आयुक्तों, क्षेत्र की अधिवक्ता परिषदों से परामर्श करें और उनकी विधेयक पर राय भेजें।

उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि विधेयक को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और राजपत्र की एक प्रति लोक सभा सचिवालय को भेजी जाये। राजपत्र में विधेयक प्रकाशित करते समय राजपत्र में यह स्पष्ट किया गया कि विधयक पर राय देने वाले किसी भी व्यक्ति या सरकारी निकाय को राज्य सरकार को या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को ही राय देनी चाहिए न कि सीधे लोक सभा सचिवालय या भारत के किसी अन्य मंत्रालय को देनी चाहिए।

वियधेक पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को, यदि वे ऐसा करना चाहें, अवसर देने के लिए भी उनसे अनुरोध किया गया है।

श्री पी० के० देव द्वारा पेश किय गये तथा सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार राय देने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त, 1978 है, परन्तु इससे पूर्व गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए कोई तारीख नहीं है। अतः यह प्रस्ताव आज पेश किया जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने तीन व्यक्तियों की राय भजी है। इसके अलावा, विभिन्न निकायों, संगठनों, ने उनके द्वारा स्वीकृत संकल्पों की प्रतियां भेजी हैं। उनमें ऐसे संगठन भी हैं जिन्हें विश्व संसद और संवैधानिक संसदीय संगठन, जिसका कमेटी मुख्यालय संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैंड और श्रीलंका में है, कहते हैं। इसके अलावा विश्व संघ भी, जो भारत में स्थित है तथा काम कर रहा है, संकल्प पास किए हैं और इन उपायों का स्वागत किया है और अपने संकल्प भेजे हैं।

इसके अतिरिक्त इण्डियन वर्ल्ड फेडरलिस्ट यूथ जैसे संगठन, भी हैं जिनकी शाखायें कर्नाटक, बम्बई, मैसूर, कलकत्ता तथा लन्दन में हैं। यह खुशी की बात है कि विदेश मंत्री ने उनके इस अनुरोध का उत्तर दिया है कि लोक सभा वाद-विवाद के साथ विधेयक को विदेशों में हमारे दूतावासों तथा मिशनों को उन क्षेत्रों में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा।

श्री वसंत साठे (अकोला) : इसे विश्व के अन्य देशों की सरकारों के पास भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह विश्व का संविधान बनाया जा रहा है। इसमें यह संशोधन होना चाहिए कि इसे विश्व की सभी सरकारों के पास भेजा जाना चाहिए ताकि हम उनकी राय भी जान सकें। विश्व की सरकारों की राय जाने बिना हम विश्व का संविधान कैसे बना सकते हैं?

श्री हरि विष्णु कामत : चूंकि यह मामला विश्व महत्व का है, अतः मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है कि समय अगले वर्ष के आरम्भ तक बढ़ाया जाए। इससे इस विधेयक पर विचार करने तथा अपनी राय भेजने के लिए विश्व की अन्य सरकारों से पर्याप्त समय मिल सकेगा।

समय बढ़ाये जाने का एक पूर्व उदाहरण भी है। अतः मैं सभा द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किये जाने की सिफारिश करता हूं कि सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिए 23 फरवरी, 1979 तक समय बढ़ाये।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मुझे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

यह सुझाव दिया गया है कि विधेयक को विश्व सरकारों के पास भी भेजा जाये। परन्तु यह सुझाव परिपक्व नहीं है। हमारे संविधान को बनाने में अन्य विश्व सरकारों को क्यों बुलाया जाना चाहिए? अतः अपना संविधान बनाते समय हमें अन्य सरकारों के विचारों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। जब सरकार विश्व सरकार स्थापित करने के लिए कोई विधेयक पेश करे तो उस समय विश्व सरकारों को निश्चय ही पूछा जायेगा। परन्तु इस समय नहीं जबकि हम केवल भारतीय संविधान में एक निदेशक तत्व पुरःस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत में संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने हेतु नियत समय को 23 फरवरी, 1979 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम श्री यमुना प्रसाद शास्त्री के 5 मई, 1978 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे। श्री कामत अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : इस वर्ष जनवरी में समाचार पत्रों में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 1977 से जनवरी, 1978 के अवधि के दौरान इस देश में बेरोजगारों की संख्या 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जनवरी, 1978 में उस तारीख को सारे देश के रोजगार कार्यालयों के आंकड़े 11 लाख थे। यदि हम प्रत्यक बेरोजगार व्यक्ति के पीछे उसके आश्रितों की संख्या कम-से-कम तीन या चार व्यक्ति भी लगायें तो यह लगभग 4 से 5 करोड़ ऐसे लोग बैठते हैं जो भूखे हैं या जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है या जीवन निर्वाह के साधन पर्याप्त नहीं हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोग हैं। जनता पार्टी को अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये गये नये वायदे पूरे करने चाहिए और रोजगार प्राप्त करने के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षित युवक को रोजगार दिया जाना चाहिए। जनता पार्टी के राज को एक वर्ष चार मास व्यतीत हो चुके हैं, अतः उसे छोटी-छोटी बातों को छोड़ कर मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज देश के विभिन्न वर्गों की आय में भारी विषमता है। इसे दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है इसका अभी कुछ पता नहीं है। 22 जुलाई, 1977 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत संकल्प को मैंने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। हमारी सरकार सामाजिक, आर्थिक क्रांति के लिए वचनबद्ध है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो मुझे इससे बड़ा ही हर्ष होगा।

मुझे इस बात का भय है कि सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। उनका कहना है कि संविधान के अन्तर्गत राज्य की नीति के निर्देशक

सिद्धान्तों में रोजगार के अधिकार की व्यवस्था है। जब तक सरकार की स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक इतना ही काफी है। अतः मैंने यह सुझाव दिया था कि इस विधेयक को 27 जनवरी, 1979 तक जनमत के लिए परिचालित किया जाये। संविधान (45वां संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत मूल अधिकारों, जनमत संग्रह और अन्य बातों के लिए उपबन्ध हैं। अभी हाल ही में विश्व सरकार के लिए जनमत जानने की प्रक्रिया को अपनाया गया था। जनता को कहने दिया जाए कि वे इस दशा में क्या देना चाहते हैं और फिर इसे सभा के समक्ष पेश किया जाये।

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I congratulate Shri Shastri for bringing forth this Bill and support this Bill whole heartedly. The directive principles in Articles 37 and 39 of the Constitution provide for right to work. If it is so, we cannot follow what is the difficulty before the Government to include it as a fundamental right in the Constitution.

This Government are also repeating the the same plea that in order to implement this provision, they have no adequate funds. But the fact is that unless the existing capitalistic system in our country is changed, nothing can be achieved. It is the question of changing our economic structure prevailing in the country. For this purpose, the disparity in incomes should be removed. I will, therefore, commend the Bill for adoption by the House.

SHRI DURGA CHAND (Kangra) : I congratulate the mover of the Bill for drawing the attention of the House to the most serious problem of the country. The directive principles in Articles 39, 41 and 45 give ample powers to Government to enact legislation to deal with the problem of unemployment or education or those of disabled persons. If the burning problem of unemployment is not takled effectively, all over development schemes will not make any impact on our people.

It has been stated that there are about 11 million educated unemployed registered with employment exchanges in this country. Today, in every district of each State, educated unemployed persons are leading a life of frustration having no hope for future. The Janata Government had stated in their election manifesto that they would give unemployment allowance but now they say that they have no sufficient resoures for this and their plans and schemes will instead provide employment opportunities to them. But I have not come across any such schemes as will give employment to the youths.

It has also been said that small-scale industries in the rural sector will provide employment to the unemployed youths but unless essential infra-structure is set up there, the aim cannot be achieved. If necessary, a tax can be imposed to raise the necessary resources because the unemployment allowance must be given as promised to the people. In any case, serious attention should be paid towards the problem of unemployment in the country.

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बात यह नहीं है कि बेरोजगारी दूर करने के लिये हमारे पास कोई संवैधानिक प्रावधान है या नहीं। संविधान की धारा 41 को देखना होगा। नीति निदेशक सिद्धान्तों को देखना होगा। इन संवैधानिक प्रावधानों के होते हुए भी समस्या हल नहीं हो सकी है। केवल कानून बनाने से ही इतनी बड़ी समस्या हल नहीं हो सकती। इसके लिये हमें देश के सामाजिक-एवं-आर्थिक ढांचे में एक नया परिवर्तन लाना पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। कार्यक्षमता तथा लाभ की बात लेकर इसके विपरीत भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन रोजगार उपलब्ध करने के मामले में यह गैर-सरकारी क्षेत्र से आगे है। अतः सरकारी क्षेत्र को जहाँ तक सम्भव हो, समर्थन दिया जाना चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्र का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर जो प्रभुत्व है, उसे समाप्त किया जाना चाहिये।

औद्योगिकीकरण से ग्रामीण विकास की ओर अधिक ध्यान देने सम्बन्धी सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन इस समस्या का ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास से ही समाधान नहीं होगा। उत्पादन गति बढ़ाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वामित्व का पुनः बांटना है। जैसेकि भूमि सुधार कानूनों द्वारा किया गया है। कानून में कोई त्रुटि नहीं थी बल्कि इससे कार्यान्वित करने में ही कठिनाइयां सामने आई हैं।

बड़े-बड़े व्यापार गृहों ने आर्थिक विकास को बढ़ाने में भी योग-दान दिया है और बेरोजगारी बढ़ाने में भी योग-दान दिया है। मैं पश्चिमी तट के मछुओं की समस्याओं की चर्चा करता आ रहा हूं, वे भूखों मर रहे हैं। बड़े-बड़े व्यापारी वहां पर फिशिंग ट्रालर्ज को लेकर चले गये हैं। वे अधिक मछलियां पकड़ सकते हैं लेकिन साथ ही 10 लाख मछुओं को भूखों मरने पर मजबूर कर रहे हैं। केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। इन निहित स्वार्थों, जिन्होंने देश में बेकारी पैदा की है, का दमन करने का साहस सरकार को करना चाहिये।

SHRI SHARAD YADAV (Jabalpur) : I rise to supoprt this Bill. During the last 31 years of functioning of democracy in our country we have not been able to tackle the problem of poverty and unemployment. If we are not able to solve this problem it will be difficult to save democracy in our country.

The unemployment allowance is not a dole. If it becomes obligatory for government to pay unemployment allowance it will force the government to formulate good schemes and programmes for creating more job opportunities. It will compel the government to collect arrears of tax amounting to crores of rupees which are due from 15 big capitalists. The government can also save money by curbing wasteful expenditure. All this money can be utilised for tackling the problem of unemployment.

The government should accept the Bill before the House and then we should make an all-out effort to find resources.

श्री मल्लिकार्जुन (मेदक) : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। शिक्षित स्नातकों के बीच बढ़ती बेकारी और असन्तोष महत्वपूर्ण मामला है। चिकित्सा इंजीनियरिंग आदि के स्नातक अब भी बेकार हैं। उन्हें रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिये जिससे सभी बेकार स्नातकों को रोजगार मिल सके।

आन्ध्र प्रदेश में एक ऐसा विधान बनाया गया है जिसके अनुसार सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेकार स्नातकों को कुछ छात्रवृति दी जायेगी, परन्तु उन्हें किसी औद्योगिक यूनिट में कुछ प्रशिक्षण लेना होगा। सरकारी क्षेत्र में ऐसे सैंकड़ों एकक हैं जहां टेकनोक्रेट, डिप्लोमा होल्डरों आदि को प्रशिक्षण के लिये लिया जा सकता है और जब तक रोजगार न मिले उस समय तक उन्हें कुछ सहायता दी जा सकती है। सरकार को इसके लिये योजना बनानी चाहिये। बेरोजगार स्नातकों को सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों में रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की है।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आयोगों पर भारी धन-राशि व्यय करने के बजाय उस राशि को राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर व्यय किया जाना चाहिये। वृद्ध आयु पेंशन आदि बातें सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इस समय सभी बेकार स्नातकों को खपाने के लिये एक उचित योजना लाये। उन्हें कुछ छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये ताकि वे अपना जीवनयापन कर सकें। अतः मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। सरकार को इस विधेयक को स्वीकार करना चाहिये।

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA (Salempur) : I congratulate the mover of this Bill. This Constitution (Amendment) Bill represents the soul of the election manifesto of the Janata Party. If the Government accept this Bill, it will be a revolutionary step. It is most essential to treat work to right as a fundamental right.

Our Prime Minister has said that if unemployment allowance is given, it will be a sort of dole. But, I feel it is not a dole, but it indicates that we take the responsibility of unemployed.

We have to adopt the policy of one profession for one person. Only then it will be possible to tackle the problem of unemployment and economic disparities.

The Government should adopt the policy of "one person one profession" with a view to provide employment to everybody. Few persons in the country have got land, business and service, which is one of the main causes of unemployment. In fact right to work should be linked with the fundamental right.

I had also suggested that economic condition should be the base for reservation. Reservation should be for majority and not for minority. Unemployment is our greatest problem. You should adopt a policy of one profession.

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARY (Khalilabad) : This is an important constitution Amendment Bill. People have been agitating for right to work and unemployment aloiwance. The founding fathers of the Constitution linked property with the fundamental rights, which was not proper since it concentrates property in the hands of few. In fact right to earn property should be the fundamental right : The previous Government was under the influence of industrialists and capitalists.

Right to work should be included as a fundamental right in the constitution. Success of this Government will be measured by its efforts to bring about self-sufficiency among those who are below poverty line. The Government has to adapt new policies with a view to make the lives of people happier.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : I support this Bill. The Directive Principles of contained in the Constitution have not been enforced fully. The unemployment is increasing with the passage of time. The Janta Government has formulated a number of schemes but they have not been implemented so far. The tempo of work for implementing these schemes is very slow. We will have to solve this problem on war footing. Most of the progressive countries of the world have included the right to work and employment in their constitutions. The Janta Government should also devise ways and means to include right to employment in the constitution.

We wil have to remove economic disparity with a view to provide employment to the maximum number of people. We will have to give priority to this problem if we have to keep the democracy surviving. A phased programme will have to be formulated for solving unemployment problem. Some targets will have to be fixed and achieved within a particular time. The Governmentshould give unemployment allowance to those whose names are in the employment exchanges.

Our present rate of growth is very low as compared to other south eastern countries We can raise this rate because we are having all the raw material and technical know-how.

We have to be very careful in fulfiling the promises made to the people during elections. This problem should be tackled on war footing.

SHRI RAJ NARAIN (Rae Bareli) : We should allot all the barren land to the agricultural labourers for cultivation. An irrigation army should also be raised for irrigating 25 crore acres of unirrigated land. Some schemes for educating 42 crore illiterate people should also be formulated for which educated youngmen in rural and urban areas can be engaged by paying them reasonable remuneration.

The Government can earn Rs. 18000 crores per year if income in service or industry or agriculture is fixed Rs. 1000/- per month. This additional revenue can be utilised on providing employment to the people.

SHRI RAMMURTI IN THE CHAIR

[श्री राम मूर्ति पीठासीन हुये]

The Government has not so far been able to drive poverty line. Congratulate the hon. meber for bringing this bill. It should be accepted by all. I whole-heartedly support this bill.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं विधेयक के प्रस्तावक को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को उभारा। मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि इस महत्वपूर्ण समस्या के हल के सम्बन्ध में विधेयक में निहित भावना का सभी ओर के सदस्यों ने समर्थन किया है परन्तु यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस विधेयक को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

यह सही है कि चुनाव घोषणा में जो कुछ कहा जाये उसे गम्भीरता से लिया जाए परन्तु साथ ही साथ घोषणा पत्र पर उचित रूप से विचार करना भी आवश्यक है कि वास्तव में घोषणा पत्र का आशय क्या है। घोषणा पत्र में जो कहा गया है वह हमें करना चाहिये परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि कार्यभार की शपथ लेते ही यह कर दिया जाए। निश्चय ही यह उचित समय पर किया जाए।

चुनाव घोषणा पत्र में कुछ लिखने का उद्देश्य यह होता है कि हमने जो कुछ चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है हमारी नीति उसकी प्राप्ति के लिये अनुकूल हो। हमें उसके लिये क्या करना है। स्पष्टत: सरकार को विचार करना होगा कि इसके लिये कौन कौन से कदम उठाने हैं। इससे पहले कि कोई प्रत्येक व्यक्ति के लिये रोजगार को एक मौलिक अधिकार के रूप में लिखता है तो उसे उसके लिये कतिपय आरम्भिक कदम उठाने हैं। जब तक वह प्रारम्भिक कदम उठा ले तथा देश में ऐसी स्थिति कायम कर दे जिसमें कि कह वह उसे कार्यान्वित करने की स्थिति में हो, तथा ऐसा लिखा जाना चाहिये।

CHAUDHURY BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : The Government has opened 5 Star Hotels. There should be ceiling on expenditure and the savings should be given to the have nots.

श्री शान्ति भूषण : अक्तूबर 1972 से 1973 तक एम० एम० एल० ओ० ने एक जांच की थी जिसके आधार पर उपलब्ध अनुमानों के अनुसार कुल बेरोजगारों की संख्या 19.40 लाख है जिनमें से 15.80 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसमें अन्य रोजगार वालों की संख्या भी सम्मिलित है।

श्री राजनारायण ने सिंचाई के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं कि इतनी भूमि असिंचित है। स्पष्टत: यदि इसे सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दिया जा सके तो उस भूमि की रोजगार प्रदान करने की शक्ति बढ़ जाये। असिंचित भूमि से कम लोगों को रोजगार मिलता है जबकि सिंचित भूमि अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इतनी बड़ी असिंचित भूमि को थोड़े समय में सिंचित भूमि में बदला जा सकता है।

संविधान में व्यवस्था करने मात्र से ही असिंचित भूमि सिंचित हो जाये, ऐसा नहीं माना जा सकता।

SHRI UGRASEN (Deoria) : Will the Government give unemployment allowance.

श्री शान्ति भूषण : कोई भी सरकार यह नहीं कह रही कि वह बेरोजगारी का भत्ता दे रही है।

मैं विधेयक के उद्देश्यों से सहमत हूं। लेकिन इस देश में सर्वसाधारण का शोषण नहीं होगा। सब से पहले बेरोजगारों का ध्यान रखा जायेगा।

यह एक महत्वपूर्ण मामला है। जनता सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले।

श्री वसन्त साठे : आप कहते हैं। कि इसे चरणों में विभाजित कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा।

श्री शान्ति भूषण : घोषणा पत्र में इसी तरह लिखा है।

श्री सौगत राय : श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि बेरोजगारी दस वर्षों में दूर कर दी जाएगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या देश में 15 वर्ष बाद भी बेरोजगारी दूर होने का कोई संकेत है?

श्री शांति भूषण : यह तो उन्हीं के देखने की बात है जो ऐसा कहते हैं। जिसने भी योजना आयोग द्वारा तैयार की जा रही पंच-वर्षीय योजना को देखने और औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति आदि को पढ़ने की कोशिश की है, वे जानते हैं कि सरकार उन्हीं दिशाओं में आगे बढ़ रही है। आज बेरोजगार और अर्ध-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या—पूर्ण–रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के बराबर अर्थात करीब 2 करोड़ दस लाख व्यक्तियों के बराबर है और इसमें 50 लाख प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है जिसका मतलब है कि अगले दस वर्षों में 7 करोड़ लोगों के लिए नए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। सरकार की नीतियां, कार्यक्रम आदि इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं।

श्री आर० मोहनरंगम : लेकिन जनता पार्टी के सत्ता संभालने के बाद एक वर्ष बीत चुका है।

श्री शान्ति भूषण : इसीलिए तो पहले तैयारी करनी है। परिणाम भी बाद में अवश्य सामने आएंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय बढ़ा दिया जाए।

श्री वसन्त साठे : श्रीमान, आप यह कौनसी प्रथा का पालन कर रहे हैं ?

श्री सौगत राय : हर समय आप कहते हैं अगला सत्र **(व्यवधान)**

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्री मावलंकर ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उस पर चर्चा 5.37 पर की जाएगी। अब चूंकि उनकी आधे घंटे की चर्चा के लिए समय देना है क्योंकि अध्यक्ष ने इसके लिए वचन दिया है, इसलिए समय बढ़ाना ही होगा।

सभापित महोदय : हम इसे अगली बार लेंगे। We will like it up next-day. Now, half-an-hours discussion will be taken up.

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

शिक्षा तथा संस्कृति पर भारत-अमरीका उप आयोग

INDO-U.S. SUB-COMMISSION ON EDUCATION AND CULTURE

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : सभापति महोदय, मैं अपने देश और अमरीका के बीच संबंधों के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय पर आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करने के लिए बाध्य हूं क्योंकि जिन कारणों ने मुझे बाध्य किया है, वे लोक महत्व के हैं।

हालांकि में आयोगों के गठन और आयोगों के सदस्यों को विभिन्न देशों में भेजने के साथ-साथ कुछ प्रक्रिया संबंधी मामलों को भी उठाना चाहता हूं लेकिन इस आधे घंटे की चर्चा का मामूली कारण यही है कि मानसून सत्र में, सोमवार 17 जुलाई, 1978 को मेरे मित्र, शिक्षा मंत्री डा० चन्द्र ने मेरे विशिष्ट आंयुकित प्रश्न का जो गलत और भ्रामक उत्तर दिया है उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है।

मैं केवल इस प्रश्न के संबंध में सदन को बताना चाहता हूं कि यह संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अनेक प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुरता से टाल जाने अथवा कभी-कभी जानबूझ कर थोड़े से ही तथ्य देने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि वे यह सोचते हैं कि प्रश्न पूछने वाले सदस्य को शायद सारे तथ्यों का पता न हो। ज्यादातर ये अफसर लोग और उनके मंत्रीगण साफ बच जाते हैं क्योंकि सदस्य मामले के हर पहलू पर दृष्टि डालने और अध्यक्ष को यह बताने में असमर्थ रहते हैं कि फलां-फलां प्रश्न का उत्तर अधूरा, अपर्याप्त तथा भ्रामक है।

श्री हरि विष्णु कामत : इसे तो उन्होंने ललित कला बना लिया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जी हां, और मुझे यह कहते हुए दुख है कि डा० चन्द्र ने स्वयं को शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय के पदाधिकारियों के हाथों भ्रम का शिकार हो जाने दिया। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि सारी अफसरशाही तथा उनकी कार्य-प्रणाली के बारे में कह रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम अपने दायित्वों तथा विशेषाधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो हमें उसी तरह भ्रम में डाला जाता रहेगा। मैं समझता हूं संसदीय कार्य मंत्री मेरी बात पर ध्यान देंगे।

संसद का और खास तौर पर प्रश्न-काल का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है यदि प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट, भ्रामक या अपर्याप्त हों। मैं शिक्षा मंत्री पर जानबूझ कर भ्रामक उत्तर देने का आरोप लगाता हूं। मैंने मानसून सत्र के पहले ही दिन, अपने अतारांकित प्रश्न सं० 46 में उनसे पूछा था कि 15 तथा 16 मई, 1978 को शिक्षा तथा संस्कृति पर भारत अमरीका उए आयोग की बैठक में जिन व्यक्तियों को न्यूयार्क भेजा गया था और जिन्होंने उक्त बैठक में वास्तव में भाग लिया था, क्या सभी उप-आयोग के पूर्ण सदस्य थे। इस सीधे सादे प्रश्न का उत्तर इस तरह दिया गया : "भारतीय शिष्ट मंडल में जाने वालों के बारे में निर्णय बैठक से पहले ही कर लिया जाता है।" अब देखिये, मैंने पूछा क्या और उत्तर क्या दिया गया।

और जब मैंने पूछा कि भारतीय प्रतिनिधियों का चयन किसने और कैसे किया तो उत्तर मिला : "भारतीय शिष्ट मंडल में कौन-कौन होंगे इसका निर्णय शिक्षा, सामाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री द्वारा विदेश मंत्री और डा० एम० एस० गोरे, को-चेयरमैन, इण्डो-यू० एस० सब-कमीशन आन एड्यूकेशन एण्ड कलचर के साथ परामर्श से किया जाता है।" लेकिन मैंने पूछा था कि चयन का मानदण्ड क्या था तो उसका कोई उत्तर ही नहीं दिया गया। क्या हम चाहेंगे कि सदन के साथ यही बर्ताव किया जाए।

28 जुलाई, 1977 को मैंने अतारांकित प्रश्न सं० 5251 में पूछा था जिसके उत्तर में संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री ने विदेश मंत्री की ओर से एक विवरण सभा पटल पर रखा जिसके अनुसार उप-आयोग (सब कमीशन) में मेरे समेत 6 सदस्य थे। 25 और 26 मई, 1977 को दिल्ली में हुई बैठक में मुझे आमंत्रित किया गया था। इस आयोग की बैठक साल में एक बार होती है--एक बार दिल्ली में और अगली बार न्यूयार्क में। लेकिन जब मैंने, इस वर्ष मई में न्यूयार्क में आयोजित बैठक में जाने वाले दल का गठन देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

मुझे विदेश जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बेहतर यही था कि उप आयोग के सभी पूर्ण सदस्यों को न्यूयार्क की बैठक में भेजा जाता। इसके विपरीत, सरकार ने चेयरमैन, श्री गोरे तथा उन पांच सदस्यों को भेजा जिनका दिल्ली में मई, 1977 में हुई बैठक से कोई संबंध नहीं था

दिल्ली की बैठक में भी हम इण्डो-यू० एस० सब कमीशन आन ऐड्यकेशन एण्ड कल्चर के सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया। शिष्ट मंडल के सदस्य के संघ में नहीं। इस तरह के निमंत्रण में हमारा यह सोचना स्वाभाविक ही था कि यह कम से कम एक या दो वर्ष से लिए तो रहेगा, लेकिन मंत्री महोदय ने हमसे कहा कि ऐसा उन्होंने आदेश विदेश मंत्री के परामर्श से किया था। मेरा आरोप यह है कि इन आयोगों की उपेक्षा की गई है, सदस्यों के रूप में हमारा निरादर किया गया है। अमरीका या विदेश जाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व की बात यह है कि सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सदस्यों के साथ, विशेषकर जब वे संसद सदस्य हों, आप किस तरह का व्यवहार करते हैं ?

सभापति महोदय : आपको चर्चा समाप्त भी करनी है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अमरीकी शिष्टमंडल ने 1975, 1976, 1977 तथा 1978 में चार बैठकों में भाग लिया था और वे अधिकतर वहीं रहे।

सभापति महोदय : अमरीका से कितने लोग आए थे ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : 1977 में, नौ पूर्ण सदस्य थे जिनके साथ कुछ शासकीय पर्यवेक्षक और 1978 की बैठक में, जो न्यूयार्क में हुई, अमरीका के 77 पूर्ण सदस्य थे। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि अमरीकी शिष्टमंडल में केवल अमरीका के ही कुछ उत्कृष्ट विद्वान तथा परिषत्सदस्य थे। लेकिन भारत सरकार कुछेक व्यक्तियों पर ही कृपा करती है--इसके लिए मैं उन पर पक्षपात, भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजा वाद का आरोप लगाता हूं।

निष्कर्षतः, मैं कहना चाहूंगा अगर यही होता रहा तो सदस्यता की कोई निरन्तरता नहीं रहेगी। जब अमरीकी पक्ष में यह निरन्तरता कायम रह सकती है तो हमारे यहां क्यों नहीं ? वे इस बात का ख्याल

रखते हैं कि महत्वपूर्ण परिषत्सदस्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाए, और उनमें से केवल तीन या चार सदस्य हर तीसरे साल रिटायर हो जाते हैं—इस तरह उनमें बहुमत बना रहता है मैं मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक इस इन्डो-यू एस सब-कमीशन का संबंध है, इसमें शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक सभी पहलू आते हैं। मेरे विचार में, यदि भारत और अमरीका एक दूसरे के निकट आना भी चाहें तब भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके बीच राजनीतिक समझौते हैं। ये राजनीतिक सहमतियां और असहमतियां भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अमरीकी और भारतीय पक्ष एक दूसरे से नियमित रूप से मिलते रहें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो 1974 में स्थापित संयुक्त आयोग का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : विद्वान प्रो० मावलंकर ने न केवल मेरे लिखित उत्तर को अस्वीकृत ठहराया है बल्कि मेरे खिलाफ बहुत सख्त शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। यहां भी मुझे यही कहना है कि उन्हें सारे तथ्यों की जानकारी नहीं है। यह सब कमीशन या एकत्र संयुक्त आयोग कोई संवैधानिक या कानूनी संस्था नहीं है। इसका गठन तो पूरी तरह से सरकार के प्रशासनिक आदेशानुसार किया जाता है। इस मामले में वास्तविक नेतृत्व विदेश मंत्री के हाथ में रहता है। उद्योग, वणिज्य आदि से सम्बद्ध अन्य उप-आयोग भी हैं। शिक्षा उप-आयोग भी उन्हीं में से एक है। पिछले समय में भी, जब-जब बैठक का आयोजन किया गया, तब-तब उप-आयोग का गठन हुआ। पहली बैठक 1975 में हुई थी और उसमें 13 सदस्य थे। अगले वर्ष, दूसरी बैठक न्यूयार्क में हुई। पहली बैठक दिल्ली में हुई तब अधिक लोगों को इससे संबद्ध किया गया लेकिन जब बैठक विदेश में होनी हो तो वित्तीय प्रबंध का प्रश्न भी उससे जुड़ा होता है। इसलिए 13 सदस्य नहीं भेजे जा सके। दूसरी बैठक 1976 में न्यूयार्क में हुई, उसमें केवल पांच सदस्य थे। इसी तरह, 1977 में जब हमने शासन संभाला, इस उप-आयोग का पुनर्गठन किया गया और दिल्ली की बैठक में भाग लेने के लिए इसमें 14 सदस्य थे।

लेकिन जब चौथी बैठक इस वर्ष न्यूयार्क में हुई तो हमें यह संख्या घटा कर छः करनी पड़ी। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रो० मावलंकर ने यह आरोप क्यों लगाया है। अगर यह कोई संवैधानिक या कानूनी संस्था होती तब भी मैं यह समझता कि हमने संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन किया।

उन्होंने कुछेक व्यक्तियों को ही प्रोत्साहन देने की भी बात कही है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उनका चयन किस तरह हुआ? देश में सैकड़ों संसद सदस्य और हजारों प्रोफेसर है, फिर भी मैंने उन्हीं को चुना क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं। समझ में नहीं आता कि उन्हें मेरे प्रति शिकायत क्यों है?

(व्यवधान)

उन्हें तथ्यों का पता नहीं है, इसलिये आलोचना कर रहे हैं। जिन अन्य लोगों का चयन किया गया है उनकी योग्यता की जांच करने के लिए प्रो० मावलंकर सक्षम नहीं हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उन्होंने मेरी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया है कि बैठक में क्या हुआ और आयोग में कितने सदस्य थे।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं यह कह चुका हूं कि यह सूचना पटल पर रख दी जाएगी।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : लेकिन, चयन का मानदण्ड क्या है?

डा० प्रताद चन्द्र चन्द्र : व्यक्तिपूरक चुनाव में मानदण्ड क्या हो सकता है?

सभापति महोदय : वह निरंतरता के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह **तदर्थ** नियुक्ति है, इसलिए चयन भी **तदर्थ** ही होता है। इसमें निरंतरता का कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमती अहिल्या पी० रांणेकर (बम्बई-नार्थ सेन्ट्रल) : सदस्यों का चयन कब किया जाता है ? क्या कोई स्थाई सदस्य भी है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सदस्यों का चयन उप-आयोग की बैठक से पहले किया जाता है। वहां कोई स्थायी सदस्य नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : में वहां केवल दो ही दिन के लिए था—25 और 26 मई।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह हो सकता है।

SHRI YUV RAJ (Katihar) : I want to know what action has been taken to implement the resolution passed in the meeting of the Sub-Commission held in May, 1977 and what has been the progress in regard to the resolution passed this time ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह प्रश्न मल प्रश्न से संबद्ध नहीं है। वह शायद यह जानना चाहते हैं कि पिछले निर्णयों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है। यदि माननीय सदस्य अलग से कोई प्रश्न पूछें तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जब प्रो० मावलंकर ने यह पूछा कि यह सदस्यता क्या केवल दो ही दिन के लिए थी तो मंत्री ने कहा कि ऐसा हो सकता है। इस उत्तर पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है भले ही वह समिति कानूनी न हो लेकिन उसका गठन तो किसी प्रयोजन से ही किया गया था और सूची में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मेरे विचार में उन सदस्यों से इस बारे में परामर्श लेना उचित होता कि वे आ सकेंगे या नहीं। यह बात अनिवार्य भले ही न हो—महत्वपूर्ण अवश्य है।

सभापति महोदय : उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नहीं बल्कि छः व्यक्तियों के बारे में विचार किया था।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यदि आप तुलना करें, तो केवल श्री गोरे और श्रीमती कोछड़ ही ऐसे व्यक्ति थे जो पिछले आयोग से थे। उन व्यक्तियों के चयन का मानदण्ड क्या था ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि किसी उप आयोग विशेष के संबंध में व्यक्तियों का चयन तदर्थ आधार पर किया जाता है । ऐसे चार उप-आयोग हैं और यह भी उन्हीं में से एक है। इसलिए यह कहना गलत है कि बाहर से कोई दबाव था। किसी बैठक विशेष की जरूरत के अनुसार ही हम निर्णय करते हैं कि उसके लिए किसे लेना उपयुक्त होगा।

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पुनर्वास विभाग को बंद करने का निर्णय

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं निर्माण तथा आवास और पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकारों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद पुनर्वास विभाग को समाप्त करने के बारे में सरकार का निर्णय।"

निर्माण तथा आवास और पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त): भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में आए शरणार्थियों के लिए राहत और पुनर्वास उपाय संगठित करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद पुनर्वास विभाग की स्थापना की गई थी। उसके बद, जब भूतपूर्व पाकिस्तान से शरणार्थियों का आगमन शुरू हुआ तो विभाग के कार्य-कलापों में वृद्धि कर दी गई थी। श्रीलंका, बर्मा, यूगाण्डा, मोजाम्बिक, जैरे, वियतनाम से आए प्रत्यावासियों, तिब्बती शरणार्थियों, जम्मू और काश्मीर के छम्ब नियाबत क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों तथा भारत-पाक संघर्ष, 1971 के दौरान राजस्थान और गुजरात में आए सिंधी शरणार्थियों के राहत और पुनर्वास के बारे में नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पुनर्वास विभाग उत्तरदायी है।

2. वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार संभालने से पूर्व, योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए इस विभाग का कार्य किसी समय-बद्ध कार्यक्रम के बिना ही चल रहा था। पुनर्वास के कार्य की शीघ्र पूरा करने के लिए हमने हाल ही में प्रभावी कदम उठाए हैं। उदाहरणार्थ, दण्डकारण्य में पोटेरु सिंचाई एवं पुनर्वास योजना को शीघ्र पूरा किया जा रहा है। इस योजना के लिए विगत के 90.00 लाख रुपए के औसतन स्तर से गत वर्ष इसके लिए निधि को बढ़ाकर 4.40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान 5.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसे यदि आवश्यक होगा तो योजना की प्रगति के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। इस वर्ष पोटेरू नहर कार्यों के लिए लगभग 10,000 श्रमिक लगाए गए हैं। और प्राधिकरण को यह कहा गया है कि कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए इस वर्ष अधिक (लगभग 15,000) संख्या में मजदूर लगाए जाएं।

3. 1971 के संघर्ष के फलस्वरूप राजस्थान एवं गुजरात में आए शरणार्थी 1971 से शिविरों में रखे गए हैं जिनके भरण-पोषण के लिए सरकार प्रति वर्ष लगभग 2.50 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। सरकार ने उन्हें स्थायी पुनर्वास की सुविधाएं देने का निर्णय लिया है ताकि शिविरों को यथा-संभव शीघ्र बन्द किया जा सके। इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राजस्थान और गुजरात दोनों सरकारों ने योजनाएं प्रस्तुत की हैं। आशा है कि अब से लगभग 6 माह के अन्दर राजस्थान में रह रहे अधिकांश परिवारों को पुनर्वास दे दिया जाएगा।

4. भारत-पाक संघर्ष, 1971 के परिणामस्वरूप, छम्ब विस्थापित व्यक्तियों के 881 परिवार अभी शिविरों में हैं। उन्हें शीघ्र पुनर्वास देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

5. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए सरकार वचनबद्ध है। पुनर्वास की विभिन्न परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन की दृष्टि से एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। यह सरकार उनकी समस्याओं के रचनात्मक, वास्तविक, दीर्घावधिक एवं स्थायी समाधान पर ध्यान दे रही है ताकि विस्थापित व्यक्ति और शरणार्थी देश की सामान्य जनसंख्या में शीघ्र धुल-मिल जाएं और सरकार इस दिशा में सजग है कि वे शिविरों में लगातार अस्थिरता एवं अशांति की अवस्था में न रहते रहें।

6. सरकार सार्वजनिक निधि की अभिरक्षक है उसका उचित उपयोग करना उसकी जिम्मेदारी है। सरकार विभाग को किसी विशेष प्रयोजन एवं उसे सौंपे गए काम को समय पर पूरा करने के उद्देश्य के बिना अनिश्चित काल तक बनाए नहीं रख सकती है।

7. अतः सरकार यह चाहती है कि पुनर्वास की योजनाओं को प्रभावी तथा समय-बद्ध कार्यक्रम के अधीन शीघ्र पूरा किया जाए और इस कार्य के सम्पन्न होने के परिणामस्वरूप विभाग का काम बहुत कम हो जाएगा।

श्री चित्त बसु : आपने देखा होगा कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह प्रस्ताव के अनुकूल नहीं है उनके लंबे वक्तव्य में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकारों के विचारों का कोई उल्लेख नहीं है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूं या अपने ध्यानाकर्षण नोटिस के पूरे उत्तर की प्रतीक्षा करूं।

श्री सिकंदर बख्त : दुर्भाग्य से, ये पत्र अभी हाल में ही प्राप्त हुए हैं, यहां तक कि त्रिपुरा सरकार का ता० 29 जुलाई, 1978 का पत्र तो मुझे यहां आने से कुछ ही समय पहले प्राप्त हुआ है। इन पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

श्री पी० वेंकटासुबय्या (नंदयाल) : त्रिपुरा सरकार जब भी लिखती है, इतनी देर क्यों होती है।

श्री सिकंदर बख्त : हम विलंब के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपको तथ्य बता रहा हूं।

श्री पी० वेंकटासुबय्या : उन्होंने 29 ता० को लिखा था लेकिन यह प्राप्त आज हुआ है। इसीलिए मैंने यह पूछा।

श्री सिकंदर बख्त : आप कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर दूंगा।

सवाल पुनर्वास विभाग को बन्द करने का नहीं है। मूल बात पुनर्वास की बहुत धीमी प्रगति में तेजी लाने की है।

प्रश्न विभाग समाप्त करने का नहीं है। प्रश्न पुनर्वास तथा राहत सुविधाओं को तेजी से बढ़ाने की है।

पश्चिम बंगाल सरकार तथा त्रिपुरा सरकार से प्राप्त दो पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

श्री चित्त बसु : पुनर्वास कार्यक्रम को उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलाया जाना चाहिए। दुःखी व्यक्तियों को गृह सुविधायें प्रदान की जानी चाहिएं।

तथ्य तो यह है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की संख्या 47 लाख थी और पुनर्वास कार्य 1955–56 में पूरा हो गया था। भारत सरकार ने भूमि अर्जित की, घर तथा दुकानें बनाईं और विस्थापित लोगों को किराए के आधार पर दे दीं।

पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के संबंध में पुनर्वास कार्यक्रम का अध्याय हमारे इतिहास में सबसे खराब अध्याय है। यदि सरकार इस मामले में अपनी गलतियों को सुधारती नहीं है तो यह विस्थापित लोगों के साथ धोखा होगा। आशा है कि सरकार अपनी गलतियों को सुधार लेगी।

पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास कार्यक्रम की असफलता का पहला कारण यह है कि नेहरू लियाकत करार के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थियों को मान्यता नहीं नहीं दी गई। सरकार का उद्देश्य लाखों लोगों को राहत पहुंचाना मात्र था। पुनर्वास पहलू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया।

प्राक्कलन समिति 1959-60 के 96वें प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि 1955 के बाद ही भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि 1958 में सरकार ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया। इसका अर्थ यह है कि 10 वर्ष तक सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया।

इसके बाद भी सरकार ने इस समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं दिया। सरकार ने इन विस्थापितों के प्रति उपेक्षा दर्शायी और इस प्रकार उन्हें धोखा दिया।

वर्ष 1967 में संयुक्त मोर्चे की सरकार ने 250 करोड़ रुपये की व्यापक पुनर्वास योजना भेजी लेकिन केन्द्र ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार श्री सिद्धार्थ शंकर राय के मुख्य मंत्रीत्व काल में 150 करोड़ रुपये की एक योजना भेजी गई जो केन्द्र सरकार ने अस्वीकार कर दी। वर्ष 1974 में सरकार ने समीक्षा समिति भंग कर दी। इस समिति ने 20 महत्वपूर्ण प्रलेख पेश किए थे और अपने प्रतिवेदन में 76 करोड़ रुपए की व्यापक परियोजना का सुझाव दिया था। समिति की नियुक्ति 1966 में श्री जगजीवन राम ने की थी।

अंडमान परियोजना को भी समाप्त कर दिया गया। प्राक्कलन समिति ने दण्डकारण्य परियोजना पर अपने प्रतिवेदन में कहा था कि अन्ततः सरकार ने पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यापक योजना के बारे में 500 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझा।

पश्चिमी बंगाल सरकार के वित्त मंत्री के अनुसार शरणार्थियों की संख्या 65 लाख से बढ़कर 80 लाख हो गई है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या 528 सरकारी कालोनियों एवं 149 पुनर्वास बस्तियों के लिये भावी विकासीय योजना बनाना, राज्य की उपेक्षित जातियों को रहने के लिये घर देना तथा लाभकर रोजगार प्रदान करना है।

रिकार्ड से पता चलता है कि वर्ष 1960 तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से पश्चिमी पाकिस्तान के 2,02,000 शरणार्थियों को रोजगार मिला है। गृह मंत्रालय में एक रोजगार ब्यूरो भी खोला गया था जिसका कार्य सरकारी निदेशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।

जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का सम्बन्ध है, मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 204 से अधिक लोगों को रोजगार नहीं मिला है।

क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भूतपूर्व सरकार द्वारा की गई गलतियों को सुधार लिया जाये तथा पुनर्वास सम्बन्धी नीति को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाये? क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अण्डमान में बसाने का काम शुरू करेगी? क्या सरकार पश्चमी बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई 500 करोड़ रुपये की योजना पर विचार करेगी?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं। लेकिन उन्होंने कई ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सीमा से बाहर हैं।

पश्चिमी बंगाल एवं त्रिपुरा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। हमने पुनर्वास के कार्य को और तेज किया है। गत वर्ष से हमने दण्डकारण्य परियोजना का कार्य और तेज कर दिया है।

जहां तक 500 करोड़ रुपये की योजना का प्रश्न है, जब तक सरकार इस पर पूरी तरह विचार न कर ले, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मंत्री महोदय का उत्तर सन्तोषजनक नहीं हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि पतरातु योजना के लिये 5.60 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं जबकि राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये मांगे हैं।

मैं गत माह मंत्री महोदय से मिला था और उन्हें शरणार्थी संगठन का ज्ञापन दिया था। मैं प्रधान मंत्री से भी मिला था। मैंने यह भी मांग की थी कि एक अलग पुनर्वास मंत्रालय बनाया जाये।

भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वर्ष 1950, 1964 तथा 1971 में तीन बार शरणार्थियों की समस्या आई, 1971 में 1 करोड़ के लगभग यहां आये और वापिस नहीं गये। राज्य सरकार की कुल जनसंख्या का 1/6 भाग शरणार्थी है। इसी से समस्या की व्यापकता का पता चल जाता है। समस्या के समाधान के लिये राज्य सरकार और मंत्रालय

का सहयोग आवश्यक है । मंत्रालय समझता है कि पुनर्वास समस्या का हल हो चुका है। वास्तविकता तो यह है कि मुख्य समस्या हल नहीं हुई है। केवल आंशिक समाधान हुआ है।

गत सरकार ने एक अध्ययन दल बनाया था। दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि शरणार्थियों को मिले खेती हेतु प्लाट ऐसे हैं जिनमें खेती नहीं हो सकती। न ही वहां सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं।

सरकार को चाहिये कि वह पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाये और उनके साथ चर्चा करे?

वर्ष 1967 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा बनाई गई समिति का मैं अध्यक्ष था। हमने समस्या का अध्ययन किया। परन्तु समस्या इतनी व्यापक थी कि इसके लिये हमें काफी समय चाहिये था । परन्तु गत सरकार के षडयंत्र के कारण संयुक्त मोर्चा सरकार को भंग कर दिया गया और इस प्रकार समिति ने कार्य करना बन्द कर दिया।

क्या मंत्री महोदय राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाकर समस्या पर विचार करेगी। दूसरे, वह स्वयं पश्चिम बंगाल जायें और समस्या का जायजा लें और तीसरे, सरकार पुनर्वास विभाग को बन्द करने की वर्तमान नीति पर नये सन्दर्भ में फिर से विचार करे।

पुनर्वास की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जाना चाहिये?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों की तुलना पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के साथ नहीं करना चाहता। मैं पुराने मामलों को फिर से शुरू नहीं करना चाहता।

जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये के सम्बन्ध में लिखे गये प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैं चिन्तित नहीं हूं। माननीय सदस्य यह प्रश्न मुझे सम्बोधित क्यों कर रहे हैं ? पुनर्वास विभाग को कार्य सौंपा गया है। यदि सदस्य इस कार्य से बाहर की चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो इस पर अलग से विचार हो सकता है।

श्री समर मुखर्जी : राज्य सरकार ने वित्त आयोग को इसलिये लिखा क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना में धन आबंटित नहीं किया गया है।

श्री सिकन्दर बख्त : हमने पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत की है। समस्या तब पैदा हुई जब शरणार्थी दण्डकारण्य छोड़कर दूसरी जगहों को चले गये। यदि मुझे पश्चिमी बंगाल जाकर समस्या को समझने के लिये कहा जाता है तो इसके लिये मैं पूरी तरह तैयार हूं।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम अनावश्यक रूप से स्थिति को उलझा रहे हैं। इस बात से कोई असहमति नहीं हो सकता कि जब पुनर्वास का कार्य समाप्त हो जाये तो विभाग को बन्द कर दिया जाये।

जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद लोगों के मन में नई आशा जागी है। पुनर्वास का कार्य बहुत कठिन है और इसमें समय लगता है।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : प्रश्न तो शरणार्थियों के पुनर्वास का है। प्राथमिकता विभाग को बन्द करने को न दी जाकर पुनर्वास कार्य को पूरा करने को दी जानी चाहिये। दण्डकारण्य और पश्चिमी बंगाल के हजारों शरणार्थियों को बसाने का काम शेष है। भूमि पट्टा, भूमि स्वामित्व का अधिकार देना है। जिन गांवों में उन्हें रखा गया है, उनके नाम भी नहीं बताये गये हैं। दण्डकारण्य से लोग घर छोड़ कर भाग गये हैं। हमें माननीय सहानुभूति का परिचय देना चाहिये।

आज शरणार्थी लोग बहुत परेशान हैं, अनाथ हैं। उन्हें दण्डकारण्य में ही ठीक ढंग से बसाया जाना चाहिये।

श्री सिकंदर बख्त : मेरे माननीय मित्र ने ध्यान आर्कषण प्रस्ताव से बाहर की बातें कहीं हैं। चूंकि गांवों का नाम नहीं लिया गया इस लिये पुनर्वास प्रयासों में कमी है, यह कहना गलत है। गांवों को नम्बर देकर उनकी पहचान की जाती है। मैं स्वयं दण्डकारण्य गया हूं। वहां एक भी व्यक्ति ने पुनर्वास के बारे में मुझसे शिकायत नहीं की। शिकायतें तो सामान्य ढंग की हैं जो कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है। हम तो शरणार्थियों को 3 मास में पूरी तरह बसाने का प्रयास कर रहे हैं।

हम हृदयरहित नहीं हैं। पर इस विभाग को बनाये रखने का कोई अर्थ नहीं। जो काम बाकी है वह तो शीघ्र पूरा किया ही जायेगा और उसके बाद ही विभाग समाप्त किया जायेगा। पुनर्वास विभाग के दो मुख्य उद्देश्य हैं :—पुनर्वास की प्रक्रिया तेज करना और सरकारी धन के अपव्यय को रोकना।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 7 अगस्त, 1978/16 श्रावण, 1900 (शक) के 11.00 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 7, 1978/ Sravana 16, 1900 (Saka).

368LSS/78—210—17-11-78—GIPP.